महानगर नई दिल्ली शनिवार 3 अगस्त, 2019, रु. 5.00 (16 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com | epaper.jansatta.com | facebook.com/jansatta | twitter.com/jansatta

कश्मीर में तनाव : अमरनाथ यात्रा रोकी गई

तीर्थयात्रियों व पर्यटकों को जल्द घाटी छोड़ने का परामर्श

सरकार ने अपने परामर्श में कहा, जल्द लौट जाएं, बड़े आतंकी हमले का खतरा

पाकिस्तान से आतंकी संगठनों को हमले करने के मिले निर्देश

घाटी में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई गई, सेना प्रमुख जनरल रावत पहुंचे

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 अगस्त।

कश्मीर घाटी में तनाव बढ़ गया है। अमरनाथ यात्रा पर आतंकी हमले की खुफिया सूचनाओं के मद्देनजर सरकार ने यात्रा रद्द कर दी है। सरकार ने शुक्रवार को एक परामर्श (एडवायजरी) जारी कर कश्मीर की यात्रा पर गए पर्यटकों और अमरनाथ यात्रियों को जल्द से जल्द घाटी से लौट जाने को कहा है। प्रमुख सचिव (गृह) की ओर से जारी परामर्श में गया गया है कि सभी श्रद्धालु और पर्यटक अपनी यात्रा की अवधि कम कर दें और जल्द से जल्द लौट जाएं। दूसरी ओर, केंद्र ने कश्मीर में सुरक्षा बलों की तैनाती और बढ़ाई है। 28 हजार और जवान वहां भेजे गए हैं। उधर, सेना एवं अन्य सुरक्षा बलों ने शुक्रवार को कश्मीर में अमरनाथ यात्रियों एवं पर्यटकों पर हमले की बड़ी साजिश नाकाम करते हुए भारी मात्रा में हथियार और बारूदी सुरंग जब्त की है। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा के लिए कश्मीर घाटी पहुंच गए हैं। सैन्य प्रवक्ता के मुताबिक, अगले दो दिनों तक वह अग्रिम मोर्चों का जायजा लेंगे।

ले. जनरल केजेएस ढिल्लन

सेना, सीआरपीएफ व पुलिस ने संयुक्त अभियान में पाकिस्तान में बने बारूदी सुरंग समेत भारी मात्रा में हथियार पकड़े

इस बीच, पंजाब से लगी सीमा पर हाई अलर्ट घोषित किया गया है। खुफिया एजंसियों ने इनपुट जारी किया है कि अमरनाथ यात्रियों और कश्मीर गए पर्यटकों पर पर हमले करने के लिए पाकिस्तानी एजंसियों ने घाटी में सक्रिय आतंकी संगठनों– जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा को निर्देश दिए हैं। इन इनपुट के मद्देनजर सरकार ने बाकी पेज 8 पर

कश्मीर पर कोई भी वार्ता केवल पाकिस्तान के साथ : जयशंकर

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 अगस्त।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कश्मीर मामले पर मध्यस्थता की पेशकश खारिज करते हुए भारत ने अमेरिका को शुक्रवार को साफ कर दिया कि कश्मीर पर यदि किसी वार्ता की जरूरत हुई, तो वह केवल पाकिस्तान के साथ होगी और द्विपक्षीय ही होगी। ट्रंप ने कहा था कि अगर भारत और पाकिस्तान चाहेंगे तो वह कश्मीर मामले पर जरूर दखल देंगे। ट्रंप के बयान के कुछ ही घंटों के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने अमेरिकी समकक्ष माइक पोम्पिओ को दो टूक कहा, 'कश्मीर पर किसी वार्ता की जरूरत हुई, तो वह केवल पाकिस्तान के साथ होगी और यह वार्ता द्विपक्षीय ही होगी।'

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार के मुताबिक, जयशंकर ने बैंकाक में नौवें पूर्वी एशिया सम्मेलन के विदेश मंत्रियों की बैठक के मौके पर पोम्पिओ से मुलाकात की। भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता संबंधी ट्रंप के विवादास्पद बयान के बाद दोनों अधिकारियों की यह पहली आधिकारिक बैठक है। जयशंकर बाकी पेज 8 पर

'मोदी चाहें तो करूंगा कश्मीर पर मध्यस्थता'

वॉशिंगटन, 2 अगस्त (भाषा)।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कश्मीर पर मध्यस्थता स्वीकार करना पूरी तरह भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के चाहने की स्थिति में ही वह मध्यस्थता करेंगे। दरअसल बाकी पेज 8 पर

विमानन कंपनियों को श्रीनगर से लोगों को लाने के लिए अतिरिक्त विमान रखने की हिदायत

बलों की तैनाती आंतरिक सुरक्षा स्थिति पर आधारित : गृह मंत्रालय

विस्तृत खबरें पेज 8 पर

तीन तलाक के दो मामले दर्ज, कानून के खिलाफ याचिका

नई दिल्ली/मथुरा/ठाणे, 2 अगस्त (भाषा)।

नए कानून के अस्तित्व में आने के बाद उत्तर प्रदेश के मथुरा और महाराष्ट्र के ठाणे में तीन तलाक देने के दो मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में इस कानून के खिलाफ याचिका भी दायर की गई है।

तीन तलाक कानून के अस्तित्व में आने के साथ ही मथुरा में इसके प्रावधानों के तहत एक मामला दर्ज किया गया है। राज्यसभा में मंगलवार को इस संबंध में लाए गए विधेयक पर जब मत विभाजन हो रहा था, उसी समय मथुरा के कोसीकलां कस्बे के कृष्णा विहार मोहल्ला निवासी जुमरत को हरियाणा निवासी उसका पति इकराम बाकी पेज 8 पर

विशेष पन्ना राजकाज पेज 7 पर

जाधव को राजनयिक पहुंच

भारत ने ठुकरा दी पाक की तमाम शर्तें

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 अगस्त।

पाकिस्तान की जेल में कैद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को राजनयिक पहुंच मुहैया कराने की पाकिस्तान की शर्तें ठुकरा दी हैं। भारत ने इस मामले में पाकिस्तान से कहा कि वह अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के फैसले के अनुरूप जाधव को 'प्रतिशोध' एवं 'धमकाए जाने के भय' से मुक्त माहौल में 'निर्बाध' राजनयिक पहुंच उपलब्ध कराए। पाकिस्तान ने इसके लिए शुक्रवार को दोपहर साढ़े तीन बजे का समय तय किया था, लेकिन इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग के अधिकारी जाधव से मुलाकात बाकी पेज 8 पर

भारत ने कहा, भयमुक्त माहौल में निर्बाध राजनयिक पहुंच उपलब्ध कराए पाकिस्तान

अयोध्या : छह अगस्त से रोजाना सुनवाई

विवाद का सर्वमान्य हल निकालने में मध्यस्थता समिति नाकाम

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 अगस्त।

राजनीतिक दृष्टि से संवेदनशील अयोध्या के रामजन्म भूमि–बाबरी मस्जिद भूमि विवाद का मध्यस्थता के माध्यम से सर्वमान्य समाधान खोजने में सफलता नहीं मिलने के तथ्य का संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि अब इस मामले में छह अगस्त से रोजाना सुनवाई होगी। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाले पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश एफएमआइ कलीफुल्ला की अध्यक्षता में गठित तीन सदस्यीय मध्यस्थता समिति की रिपोर्ट का संज्ञान लिया कि इस विवाद का सर्वमान्य हल खोजने के उसके प्रयास विफल हो गए हैं।

पीठ ने कहा– हमें मध्यस्थता समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति बाकी पेज 8 पर

संघ ने कोर्ट के फैसले का किया स्वागत

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत किया और उम्मीद जताई कि राम मंदिर के निर्माण में आने वाली कानूनी अड़चनें जल्द ही दूर हो जाएंगी।

विस्तृत खबर पेज 8 पर

> "मध्यस्थता कार्यवाही से किसी भी तरह का अंतिम समाधान नहीं निकला है। इसलिए हमें अब लंबित अपील पर सुनवाई करनी होगी जो छह अगस्त से शुरू होगी। इस प्रकरण के पक्षकारों को अपीलों पर सुनवाई के लिए अब तैयार रहना चाहिए। – सुप्रीम कोर्ट

SBI

बदल रहे हैं डिजिटल बैंकिंग की तस्वीर

योनो ऐप पर 11 मिलियन से अधिक पंजीकृत प्रयोगकर्ता

yono SBI

आज, जब भारत डिजिटल प्रगति की राह पर आगे बढ़ रहा है तो योनो भारत में डिजिटल बैंकिंग की तस्वीर को बदलने में आगे बना हुआ है. हमें योनो के माध्यम से हर भारतीय के लिए नवोन्मेषकारी और सर्वसमावेशी जीवनशैली व बैंकिंग समाधानों के साथ अग्रणी भूमिका निभाते हुए प्रसन्नता हो रही है.

30 जून 2019 को समाप्त तिमाही के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम

(₹ करोड़ में)

विवरण	केवल भारतीय स्टेट बैंक			स्टेट बैंक समूह		
	30/06/2019 को समाप्त तिमाही (अलेखापरीक्षित)	31/03/2019 को समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित)	30/06/2018 को समाप्त तिमाही (अलेखापरीक्षित)	30/06/2019 को समाप्त तिमाही (अलेखापरीक्षित)	31/03/2019 को समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित)	30/06/2018 को समाप्त तिमाही (अलेखापरीक्षित)
कुल परिचालन आय (विशेष मदों सहित)	70,653.23	2,79,643.54	65,492.67	83,486.01	3,30,687.36	74,993.91
इस अवधि के लिए निवल लाभ/(हानि) (कर-पूर्व, विशेष तथा/अथवा असाधारण मदें)	4,063.22	46.93	-7,255.13	5,684.80	4,754.00	-6,064.72
इस अवधि के लिए कर-पूर्व निवल लाभ/(हानि) (विशेष तथा/अथवा असाधारण मदों के पश्चात)	4,063.22	1,607.48	-7,255.13	5,684.80	5,220.48	-6,064.72
इस अवधि के लिए कर-पश्चात निवल लाभ/(हानि) (विशेष तथा/अथवा असाधारण मदों के पश्चात)	2,312.20	862.23	-4,875.85	2,950.50	2,299.64	-4,230.44
इक्विटी शेयर पूँजी	892.46	892.46	892.46	892.46	892.46	892.46
आरक्षित निधियां (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधियों को छोड़कर) जिस प्रकार पिछले वर्ष के लेखा-परीक्षित तुलन-पत्र में दर्शायी गई है	1,95,367.42	1,95,367.42	1,93,388.12	2,08,949.26	2,08,949.26	2,04,581.50
प्रति शेयर आय (प्रति ₹1/-) (चालू एवं बंद परिचालनों के लिए), (₹ में) तिमाही आंकड़े वार्षिकीकृत नहीं						
मूल:	2.59	0.97	-5.46	3.31	2.58	-4.74
कम करने के पश्चात:	2.59	0.97	-5.46	3.31	2.58	-4.74

उपर्युक्त विवरण सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं अन्य प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत शेयर बाजारों के पास जमा किए गए तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सारांश है. तिमाही वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप शेयर बाजारों की वेबसाइट www.bseindia.com, www.nseindia.com और बैंक की वेबसाइट bank.sbi पर उपलब्ध है.

स्थान: मुंबई
दिनांक: 02.08.2019

बोर्ड के आदेशानुसार
रजनीश कुमार
अध्यक्ष

भारतीय स्टेट बैंक, कॉरपोरेट केन्द्र, मैडम कामा रोड, मुंबई - 400 021

कृपया हमसे यहाँ भी जुड़िए –

रविवारी
4 अगस्त, 2019

इजहार-ए-दीवार

दीवारों पर लिखने और चित्रकारी की परंपरा पुरानी है। पर जबसे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में दीवार लेखन पर रोक लगाने का प्रयास हुआ है, इसे लेकर नई बहस शुरू हो गई है। बता रहे हैं सुशील राघव और मृणाल वल्लरी।

• कविताएं/ यामिनी नयन गुप्ता • कहानी/ रामदरश मिश्र • प्रसंग/ मिथिलेश श्रीवास्तव • समाज/ नासिरा शर्मा • शख्सियत/ मैथिलीशरण गुप्त • दाना-पानी/ मानस मनोहर • सेहत/ रविवारी डेस्क

चमकते-दमकते फैशन का दौर • रेनू दत्त
• कविता/ सूर्यकुमार पांडेय • कहानी/ सिराज अहमद

आतंकवाद की जांच में बढ़े एनआइए के अधिकार

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 अगस्त।

संसद ने शुक्रवार को 'विधिविरूद्ध क्रिया-कलाप निवारण (यूएपीए) संशोधन विधेयक, 2019' पर मुहर लगा दी। राज्यसभा में इस विधेयक को 42 के मुकाबले 147 मतों से मंजूरी मिल गई। इसके तहत किसी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने व आतंकवाद की जांच के मामले में राष्ट्रीय जांच एजंसी (एनआइए) को संपत्ति जब्त करने समेत कई अधिकार दिए गए हैं। संशोधन के बाद इस कानून के तहत एनआइए सहित केंद्र और राज्य, दोनों की एजंसियां आतंकवादी गतिविधियों की जांच कर सकेंगी। किसी मामले की जांच किए जाने पर इसके महानिदेशक को संपत्ति की कुर्की की मंजूरी देने का अधिकार दिया गया है। गृह मंत्रालय ने एनआइए के बारे में शुक्रवार को अधिसूचना जारी की और एलान किया कि यह एजंसी अब विदेशों में भी जांच कर सकेगी।

यूएपीए संशोधन विधेयक को संसद की हरी झंडी

राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने यूएपीए विधेयक के प्रावधानों के दुरूपयोग की कांग्रेस की बाकी पेज 8 पर

उन्नाव कांड सुप्रीम कोर्ट ने दुर्घटना मामले का स्थानांतरण स्थगित किया

सीबीआइ का विशेष दल गठित

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 अगस्त।

सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव बलात्कार कांड पीड़िता के वाहन से ट्रक की टक्कर के मामले को रायबरेली से दिल्ली की अदालत में स्थानांतरित करने संबंधी अपने आदेश में शुक्रवार को संशोधन कर दिया क्योंकि इस घटना की जांच अभी पूरी नहीं हुई है। इस दुर्घटना में बलात्कार पीड़िता और उसका वकील बुरी तरह जख्मी हो गए थे जबकि पीड़िता के दो परिजनों की इसमें मृत्यु हो गई थी। इस बीच, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) ने इस सड़क हादसे की जांच के लिए 20 सदस्यीय अतिरिक्त विशेष दल का गठन किया है। एजंसी के प्रवक्ता ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। प्रवक्ता ने बताया कि इसके अलावा, केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के छह शीर्ष बाकी पेज 8 पर

केंद्रीय जांच एजंसी की 20 सदस्यीय विशेष टीम लखनऊ में पांच सदस्यीय टीम की मदद करेगी जो कि मामले की पहले ही जांच कर रही है।

पीड़िता और वकील की हालत स्थिर

खबर पेज 8 पर

पीड़िता को एम्स भेजने का निर्णय परिवार पर छोड़ा

नई दिल्ली, 2 अगस्त (भाषा)।

शीर्ष अदालत ने पीड़िता को इलाज के लिए लखनऊ स्थित केजी मेडिकल कालेज से दिल्ली के एम्स में स्थानांतरित कराने का निर्णय शुक्रवार को उसके बाकी पेज 8 पर

जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

It is for general information that I, Kamlesh Kaur, W/o Ravinder Singh R/o-74-A Gali No.2 Old Tezab Mill, Bholanath Nagar, Shahdara S.O.East Delhi, Delhi-110032 inform that name of my minor son Kirat Singh Aged-14-Years has been wrongly-written as Kirth Singh in his School Record. The actual name of my minor son is Kirat Singh which may be amended accordingly 0040505894-1

It Is For General Information That I, Jagriti Goyal D/O Mr.Bhanu Prakash And W/O Mr.Deepak Choudhary, R/O-C-495, SFS-Flats, Sheikh-Sarai Phase-1, New Delhi-110017 informs That I Got Divorce From My Husband Vide Court Decree Hma No.39/15, Dated-07/11/2016.Further I,Have Changed The Name Of My Minor Daughter Dhriti Aged 09-Years And She Shall Hereafter Be Known As Dhriti Goyal. 0040505905-9

I, Chandra Kant Prasad S/o Sh. Banwari Sah R/O 94C, Arawali Apartment, Sector 52, Noida here confirm that my daughter's Anjuri correct name is Anjuri Prakash for all future purposes. 0040505869-3

I, Vishwakarma Chaudhari S/o Shriram Chaudhari R/o-J120, Patel Nagar Ghaziabad have changed my name to Vishva Karma. 0040505869-2

I, Sunil S/O Madan Lal R/O H-4&5, Radheypuri, Krishna Nagar, Delhi-110051. Changed My Name To Sunil Badoliya. 0040505950-7

I, Summi Chopra W/o Rakesh Chopra R/o 16/12, Second Floor, West Patel Nagar, New Delhi-110008, have changed my name from Vaishali Chopra to Summi Chopra. 0040505843-1

I, Sunil Rana S/o Late Sh.Amar Singh Rana R/o E-2/2/43, Sector-15, Rohini, Delhi-110089 have changed the name of my minor son from Aryan Rana to Aryan Singh Rana for all purposes. 0040505837-1

I, Sumeet Khetwani S/O Tulsi Dass Khetwani R/O-D-162, Ashok Vihar, Phase-1, Delhi-52 Have Changed My Name To Sumit Khetwani. 0040505905-5

I, Sulochana Harad D/O Ram Singh Harad R/O-Hanuman Mandir Ke Pass, Gram Sanjay-Nagar Ema Badodiya Sanjay-Nagar, Indore-Madhya Pradesh-463111, Have Changed My Name Aayasha,For All Purposes. 0040505923-6

I, Suhaib S/o Ali Hasan R/o D-618,Gali No-7,Khadda Colony,Jaitpur Extn. Part-2, Badarpur, Delhi-110044 have changed my name to Mohammad Suhaib permanently. 0040505869-1

I, Sudhir Kumar S/o Late Chaman Lal Chanana R/o H.No.276, Sector-16, Faridabad (HR), have changed my name from Sudhir Kumar to Sudhir Chanana. My correct Name is Sudhir Chanana for all future purposes. 0040505928-1

I, Sudhanshu S/o Pankaj Kathuria R/o F-49, Kirti Nagar New Delhi-110015, have changed my name to Sudhanshu Kathuria 0040505834-2

I, Subhash Kumar S/o-Ramsahay Prasad R/o-Block-E-103, Ajronda-Metro Staff-Quarter, Faridabad, Haryana-121007.changed the name of my minor daughter.,Kumari Sanjana to Ananya Kumari. 0040505950-3

I, Shiv Kumar S/O Musaddi Lal, R/O-18/120, East-Motibagh, Street No-4, Sarai Rohilla, Delhi-110007. Changed My Name To Shiv Kumar Garg. 0040505950-5

I, Shalni Chopra(Maiden name Shalni Bhola)Spouse of Subhash Chander Chopra, resident of-B1A/88-B, Janak puri, New Delhi-110058,have changed my name from Shalni Chopra to Shukla Chopra vide-affidavit dated-30.07.2019 at Delhi. 0040505894-9

I, Saumya Jindal D/o Rajesh Gupta R/o-A-20, Shubham-Enclave, Paschim-Vihar, New Delhi-110063.have changed my name as Saumya Gupta for all purposes. 0040505978-1

I, Sarojini Devi, Spouse Of-Lt. Col.Hari Chand Resident Of: K-300,Kangra Niketan, Vikaspuri, New Delhi-18.,Have Changed My Name from Sarojini Devi to Saroj Patial & My Date-of-Birth is 01-Jan1945 Vide-Affidavit Dated 05th-July-2019 before Shri.Natvaralal P.Sonchhatra Notary Greater Bomby, Govt.of Maharastra. 0040505894-6

I, Ranjana D/o Devi Saran R/o 196 Sec-30 Gurgaon Haryana-122001. changed my name to Ranjana Sharan. 0040505905-8

I Shailender Kumar Vashisht S/O Styender Kumar Vashisht R/O-CRPF Quarter.No-107, Block-1, Pocket-2, Sector-16B, Dwarka, Delhi-110078. Changed my Name to Shailender Kumar Vashist. 0040505978-3

व्यक्तिगत

I, Sarita Tripathi also known as Geeta Ram Tripathi w/o Manjul Joshi r/o 26P/203, Gali no.-1, Indra Park, Delhi-110045, have changed my name to SARITA JOSHI. 0040505886-1

I, Sanjeev Kumar Gupta S/o Ashok aggarwal,Shashi Aggarwal R/o-1/5912-B Kabool Nagar, Shahdara Delhi-110032,have changed my name to Sanjeev Aggarwal for all purposes. 0040505894-4

I, Renu Bala D/o Late Sh.Krishan Kumar W/o Sh.Tirath Ram Garg R/o H.No. 569/C-8, Sector-8, Rohini, Delhi-110085 have changed my name after marriage to Renu Garg for all purposes. 0040505837-2

I, Rekha W/O Sunil Badoliya R/O-H-4&5, Radheypuri, Krishna Nagar, Delhi-110051., Changed My Name To Rekha Badoliya. 0040505950-8

I, Reenu Rani@Rachita Kadyan D/o Shri.Khushi Lal W/o-Shri.Anuj Virendra Singh Kadyan R/o House-No.E-001, Stellar MI Citi-Homes, Omicron-3, Greater-Noida, Uttar-Pradesh have changed my name to Rachita Kadyan.,for all purposes. 0040505905-10

I, Rajbir S/O Ramkishan R/O Rz-202/2, Street No-2, Sadh-Nagar, Palam Colony, New Delhi-110045. Changed My Name To Rajbir Yadav. 0040505950-6

I, Rahul S/o Jawahar Lal R/o- P-1/718, Sultanpuri, Nithari, West Delhi-110086 have changed my name to Rahul Mannan permanently. 0040505923-5

I, Rachna W/O Parveen Kalra R/O F-80, Himkunj-Appt, Plot-8, Sec-14, Rohini, Delhi-110085 Have Changed My Name To Rachna Kalra. 0040505905-3

I, Praveen s/o Ram Kumar r/o F-66/A, Kunwar Singh Nagar, Nangloi, Delhi-110041, have changed my minor (DOB: 12/03/2008) son's name from Aryan to ARYAN VERMA. 0040505870-1

I, Poonam W/o Kishan Gopal H.N.108 Double Story, Welcome Delhi-110053,have changed my minor son name from Keshav to Kartik Brham for all purposes. 0040505923-7

I, Pinki @ Pinky @ Sunita Devi @ Sunita D/o Sh.Amar Nath Singhal W/o Sh.Sanjay Aggarwal R/o B-3/34, Rajasthali Appartment, Pitam Pura, Delhi-110034 have changed my name to Sunita Devi for all purposes. 0040505837-3

I, Parveen Kumar S/O Manohar Lal R/O F-80, Himkunj-Appt, Plot-8, Sec-14, Rohini, Delhi-110085 Have Changed My Name To Parveen Kalra. 0040505905-4

I, Pappu Kumar Sah R/o Gb-23, Pulprahladpur, ND-44, have changed my minor son's name from Priyanshu Kumar Saha to Priyanshu Kumar Sah for all purposes. 0040505928-2

I, Pankaj Kaushik S/o Samir Kaushik R/o-D-43, Sector-40, Noida, Gautambudh Nagar, U.P.-201301 have changed my name to Panku Kaushik. 0040505923-3

I, Nita Sethi W/o Tarun Sethi R/o-C-23, The-Summit, Golf-Course Road, Sector-54, DLF-Phase-5, Gurgaon.have changed my name to Anita Sethi.for all purposes. 0040505923-2

I, Nikhil Sehgal S/o Deepak Sehgal R/o-218.Tagore Park, Model-Town, Dr.Mukherjee Nagar, Delhi-110009 have Changed my Name to Nikhhil Sehgal for All purposes 0040505834-4

I, NARENDER PRAKASH S/o BHIM SAIN, residing at H.No.-B-71, Street No.6, New Usmanpur, Delhi-110053 have changed the name of my minor daughter ANNIE SAIN aged 15 years and shall hereafter be known as ANNIE GAUTAM. 0040505902-1

I, Milvinder Kaur Sethi W/O Late.Satinder Pal Singh R/O-60, Vidya-Apartment, Inder-Enclave, Rohtak-Road, N.D-110087. Have Changed My Name To Malvinder Kaur. 0040505923-1

I, Mehr Sharma D/o Puja Sharma R/o M-203, Second Floor, Southcity-1, Sector-41, Gurgaon (HR)-122002, have changed my name to Mehar Sharma for all purposes. 0040505908-1

I, Manoj Kumar, S/O Sh. Om Parkash Khurana R/O House No: 553, 2nd Floor Bhai Parmanand Colony, Dr. Mukherjee Nagar, North West Delhi-110009 have changed my name to Manoj Kumar Khurana. 0070668035-1

I, Mamta Semalti W/o Rakesh Parsad R/o-4/9, Railway-Colony, Sewa Nagar, Lodhi Road, N.Delhi-110003 have changed my name to Mamta Jakhmola. 0040505905-2

I Hitherto known as Kiran Devi W/o Vijay Kumar Shah R/o-27/109/11-A Pandav Road, Jwala Nagar, Shahdara Delhi-110032, have changed my name and shall hereafter be known as Kiran Kumari 0040505894-2

I Hither To Know As Sapna D/O-Sadal Prasad Employed As—In The Residingate-Rz-59b Block-Rzb Nihal-Vihar, Nangloi New Delhi-110041. Here Changed My Name And Shall Herealter Be Know As Prajapati Sapna Sadalprasad. 0040505894-10

I, Malik Manish Kumar S/o Uday Singh H.No.5/1 Village-Rabhra Gohana Sonipat Haryana-131301 changed my name to Manish Malik. 0040505905-7

I, Kushal Kumar Sayal S/o Suresh Kumar Sayal R/o-3/147, Subhash Nagar, N.Delhi-110027 have changed my name to Kushul Kumar. 0040505923-4

I, Karan S/o Mr. Harke Ram R/o H.No.62, Block No.208, Jind-Ramrai(11), Jind, Haryana-126102, have changed my name to Karan Singh. 0040505894-5

I, Jyoti W/o Sanjay Kumar D/o.Arjun Paswan R/O-L-144 ,Vijay Vihar, Phase-2,Rohini Sector-4, Rithala, North West Delhi-110085,have changed my name to Jyoti Prabha. 0040505834-3

I, Gyanendra Srivastava s/o Lallan Prasad r/o Shivalika Apartment, Plot no.-16, 7G, Dwarka, Delhi-110077, have changed my minor (aged 15 years) son's name from Aryan Srivastava to Isshaan Srivastav. 0040505886-2

I, Essombe Arsene Vanessa, W/o Mr.Sudhir Mohan Pant, R/o-70, Sultanpur-Extension, New Delhi-110030,have changed my name to Arsene Vanessa Essombe Epse Sudhir Pant. 0040505950-2

I, Divyanshu S/o Pankaj Kathuria R/o F-49, Kirti Nagar New Delhi-110015, have changed my name to Divyanshu Kathuria 0040505834-1

I, Deepak Kaushik S/O Madan Lal R/O-41, Third-Floor, Old-Anarkali, Krishna-Nagar, Delhi-110051. Changed My Name To Deepak Kumar Kaushik. 0040505950-4

I, Debabrata Maji,S/o Kasinath Maji,R/o 11/16, Semal Road,Shipra Suncity, Indira puram,Ghaziabad(U.P.) have changed my daughter's name from Sneha to Sneha Srijaya for use in all legal documents. 0040505946-1

I, Davinder Singh Awal S/O : Khem Singh Awal R/o 7968, Kharia Mohalla, Roshanara Road, Delhi-110007 have changed my name to Davinder Singh 0070668022-1

I, Charu Gupta D/o Hansraj Singhal, Anuradha Singhal W/o Sanjeev Aggarwal R/o-1/5912-B Kabool Nagar, Shahdara Delhi-110032,have changed my name to Charu Aggarwal for all purposes 0040505894-3

I, Ankur Tara S/o Sunil Kumar Tara R/o 7/97 3rdFkoor Malviya Nagar New Delhi-110017 Changed My name to Ankur Sharma. 0040505950-1

I, Amzad Khan S/o Niaz Mohammed., H.No.602A, Part-2, Ward no.3, Flatno.D-1, 3rd-Floor, Mehrauli, Delhi-110030.,changed my name to Mohammad Amzad Khan. 0040505905-1

I, Abhilasha D/O, Govind Prasad Kukreti R/o H.N. 370A, Block A, Palam Vihar, Gurgaon, Haryana, have changed my name to Abhilasha Kukreti for all purposes. 0040505874-1

I, Abhijeet Kumar S/o Nandlal Bhagat R/o 538 A/519, Triveninagar, 3rd Lucknow-226020, have changed my name to Abhijeet Bhagat for all future purposes. 0040505687-2

I, Aakanksh S/O Narinder Bhatia R/O.Flat.No-367, DDA SFS-Flats, Pocket-1, Dwarka Sector-22, Delhi-110077.Have Changed My Name To Aakanksh Bhatia. 0040505905-6

I hitherto known as Vikas S/o Late.Sidhya Ram R/o-H.No.D-3/49, Gali No-3, Brijpuri, Delhi-110094.have Changed my name and shall hereafter be known as Vikas Singh Shakya. 0040505894-8

I hitherto known as Kuldeep S/o Late.Sidhya Ram R/o-H.No.D-3/49, Gali No-3, Brijpuri, Delhi-110094,have Changed my name and shall hereafter be known as Kuldeep Singh Shakya. 0040505894-7

I Surender Puniya S/O Dharam Pal Puniya, H.No-D-1/131, Kunwar Singh-Nagar, Nangloi, Delhi-110041. Changed my Name to Surender Kumar. 0040505978-2

I Shipra Vashisht W/O Shailender Kumar Vashist R/O-CRPF QuarterNo-107, Block-1, Pocket-2, Sector-16B, Dwarka, Delhi-110078. Changed my Name to Shipra Vashist. 0040505978-4

I Manoj Kumar S/o Ramphal R/o VPO- Behlba, Teh-Meham, Distt-Rohtak (Haryana) PIN-124112 have changed my minor child's name from Harsha to Harsh. 0070668039-1

I Jonty Gupta s/o Vijay Gupta R/o C31, Greenwoods City, Sector 45, Guragon have changed my name to Jatin Gupta for all purpose. 0070668036-1

I, Praveen Kumar Sharma D. O. B. - 09.04.1978, S/o Inderpal Sharma, R/o D-60,GaliNo.-17,Hindon Vihar, Sector-49, Noida, Distt. - G. B. Nagar, U. P. - 201301, inform that Praveen Sharma & Praveen Kumar Sharma both are one & the same person. 0040505241-5

व्यक्तिगत

मैं, शगुन शर्मा, पुत्री राकेश शर्मा, डी-100 की निवासी, आनंद निकेतन, नई दिल्ली- 110021 ने शगुन एसशर्मा के लिए अपना नाम 27.7.2019 तारीख को संदीप शर्मा के समक्ष शपथ पत्र संख्या **IN-DL29953810220413R** के अनुसार बदल दिया है। **50152463**

खोया+पाया

I, Sahiba D/o Bashesar Kumar, R/o-H.No.186, Salahpur, Majra-Dabas, Delhi-110081.have lost my original Marksheet of Class-10th Roll.No.8179960, year-2017, passout from CBSE. 0040505950-10

I, Umang Tyagi S/o Late Ravi Dutt Tyagi R/o-D-15/92, Sector-7, Rohini, Delhi,have lost Original DDA-Allotment Letter of above said property. 0040505978-9

It is notified for information that my original qualifying examination certificate of Secondary School Examination year 2003 Roll No. 6390491 issued by CBSE,Delhi has been Lost. Name:Mahendra Address:RZ-127/253, Jagdamba Vihar,West Sagarpur, New Delhi-110046. Phone: 9718096100. 0040505840-1

It is notified for the information that my Original Certificate of Main Secondary Examination Year 2003, Roll. No. 6402124 and Senior Secondary Examination Year 2006, Roll. No. 6670228 issued by CBSE has been actually lost. Mandeep Kaur D/o Late Surinder Singh, 11/2 Pantnagar, Jangpura Extension, New Delhi- 110014. 0040505845-1

It is notified for the information that my Original Qualifying Examination Certificate of Main Senior Secondary Examination of Year 2014 and Roll No.9196546 issued by CBSE has been actually lost. Narender Kamiya, B-209/2, Birla Farm, Chattarpur Extension, New Delhi – 110074 (Mob No.:8810332751). 0040505910-1

I, Harsh Omre S/O RAVINDERA OMRE R/o-401 kempstone tower Omex Hills-2 near Anangpur chock suraj-kund road faridabad-121003.,have Lost my 10th Class Certificate Roll No.2118760 Year- 2016 issued by CBSE Faridabad. 0040505923-10

I Vikas Khanna S/o Lt.Sh.Vijay Kumar Khanna, R/o-2752, Gali no-2, Tirath-Road, Putleghar-Amritsar Punjab-143001 (Mutattee)-Have Lost Original -FDR-13971, Priority. No-18326, Appl No-74383 of Plot No-249, Pkt-A-2, Sec-35 Rohini Delhi in the name of My father Sh.Vijay Kumar Khanna. 0040505978-8

Lost My Original Certificate Of Class-10th Roll No-8610714, Year-1999, from CBSE Delhi Finder May Contact- Sagar Pandey: 7982637412. 0040505950-9

शिक्षा संबंधित

विद्या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट
विद्या भवन
बल्ला हाउस, उपोलित
काली मंदिर, नई दिल्ली–110001

DPSE कोर्स 2019–2021 में मैनेजमेंट सीट के लिए आवेदन पत्र इंस्टीट्यूट के रिसेप्शन डेस्क पर (एस.सी.ई.आर.टी.) के मानदण्ड के अनुसार योग्य उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध है।
तिथि व समय : 29 जुलाई, 2019 से 13 अगस्त, 2019 तक। 10:00 बजे से 4:00 बजे तक
(सभी कार्य दिवसों में)

विद्या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट
विद्या भवन
बल्ला हाउस, उपोलित
काली मंदिर, नई दिल्ली–110001

D.EL.ED कोर्स 2019-2021 में मैनेजमेंट सीट के लिए आवेदन पत्र इंस्टीट्यूट के रिसेप्शन डेस्क पर (एस.सी.ई.आर.टी.) के मानदण्ड के अनुसार योग्य उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध है।
तिथि व समय : 29 जुलाई, 2019 से 13 अगस्त, 2019 तक। 10:00 बजे से 4:00 बजे तक
(सभी कार्य दिवसों में)

साई इंस्टीट्यूट फॉर गर्ल्स
साई भवन
राजा राम कोहली मार्ग,
गीता कॉलोनी, दिल्ली–110031

DPSE कोर्स 2019–2021 में मैनेजमेंट सीट के लिए आवेदन पत्र इंस्टीट्यूट के रिसेप्शन डेस्क पर (एस.सी.ई.आर.टी.) के मानदण्ड के अनुसार योग्य उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध है।
तिथि व समय : 29 जुलाई, 2019 से 13 अगस्त, 2019 तक। 10:00 बजे से 4:00 बजे तक
(सभी कार्य दिवसों में)

साई इंस्टीट्यूट फॉर गर्ल्स
साई भवन
राजा राम कोहली मार्ग,
गीता कॉलोनी, दिल्ली–110031

D.ELED कोर्स 2019-2021 में मैनेजमेंट सीट के लिए आवेदन पत्र इंस्टीट्यूट के रिसेप्शन डेस्क पर (एस.सी.ई.आर.टी.) के मानदण्ड के अनुसार योग्य उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध है।
तिथि व समय : 29 जुलाई, 2019 से 13 अगस्त, 2019 तक। 10:00 बजे से 4:00 बजे तक
(सभी कार्य दिवसों में)

सामूहिक बलात्कार के दोषी किशोर को 20 वर्ष की सजा

एक नाबालिग लड़की से सामूहिक बलात्कार के दोषी नाबालिग लड़के को सिमडेगा की स्थानीय अदालत ने बीस वर्ष कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। (भाषा)

सार्वजनिक सूचना

मेरे मुवक्किल बलबीर सिंह पुत्र श्री चेत राम एवं श्रीमती रामवती पत्नी बलबीर सिंह निवासी ए–720, इन्द्र एंकलेव, फेस–2, किराड़ी सुलेमान नगर, उत्तर पश्चिम, दिल्ली–86 ने अपने पुत्र राजीव एवं पुत्रवधू पिंकी पत्नी राजीव को उनके दुर्व्यवहार, नियंत्रण से बाहर होने, आए दिन झगड़ा, गाली–गलोच, मानसिक शारीरिक यातनाएं देने, झूठे केस में फंसवाने की धमकी देने के कारण इन्हें अपनी सभी चल एवं अचल संपत्ति से बेदखल करते हुए इन दोनों से सभी पारिवारिक रिश्ते नाते सम्बन्ध–विच्छेद कर लिए हैं। अब इन दोनों से मेरे मुवक्किलों का कोई रिश्ता नाता नहीं रहा है, भविष्य में इन दोनों के किसी भी प्रकार के क्रिया–कलापों, दीवानी, फौजदारी वाद–विवाद, पुलिस कार्यवाही व लेन–देन आदि के लिए मेरे मुवक्किल व उनके परिवार का कोई सदस्य उत्तरदायी नहीं होगा।

आर.पी. त्रिपाठी (अधिवक्ता)
चै.नं. बी–96, बी.जी.एस. ब्लॉक,
तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली–54

PUBLIC NOTICE

General Public is hereby informed that my client Sh. Prem Pal Singh S/o Sh. Ashish Lal, R/o. G-411, Street No. 21, West Karawal Nagar, Dayalpur, Delhi -110094, has severed all his relationship with his son Sh. Deepak and Smt. Aarti, W/o Sh. Deepak, both R/o. G-411, Street No.21, West Karawal Nagar, Dayalpur, Delhi -110094, as they are no longer in his control. Any one dealing with them shall do so at his own risk and my client shall not be held liable in any of their dealings with any third party in any transaction whatsoever.

RAJENDRA KUMAR CHAUHAN-ADVOCATE
Ch. No. C-84, C.L. Joseph Block, Tis Hazari Court, Delhi -110054

PUBLIC NOTICE

My Clients, namely Jaswant Singh S/o Ranbir Singh & Smt. Sinla W/o Jaswant Singh B/R/O 82, Village Bhogal Delhi-110040, has severed all type of relationship with his son namely Bharat, daughter-in-law namely Ms. Nana, grandson Master Deepak and grand daughter namely Ms. Shakshi and also debar them from their entire movable and immovable property, due to misconduct and hostile behavior of their son and daughter-in-law, grandson and grand daughter named above, towards the family. Anybody dealing with them in any manner, shall do so at its own cost, risk and responsibilities and consequences and my clients shall not be responsible for the same.

S.K. VASISTHA-ADVOCATE
Ch. No. K-154, Tis Hazari Court, Delhi -110054

Public Notice

Under the instructions of my Client Shri Ram Avtar S/o Late Shri Atma Ram, I hereby inform the general public that his sons (1) Kapil Goel and (2) Farish Bharti and their children, are neither residing with him nor they are in our Clients control. The behavior of Kapil Goel and Farish Bharti and their children are not good towards our Client. Therefore, our Client has disowned their sons Kapil Goel and Farish Bharti and their children from his movable and immovable property and have severed all relations with them with immediate effect. Anyone dealing with them, shall be responsible for his acts or omission and commission and that our Client will not be held liable in regard thereto. Harpreet Singh Popli, Adv.
C-184, Vikas Puri, New Delhi-18

PUBLIC NOTICE

My client Smt. Ashok Rani W/o Late Sh. Narender Kumar, H.No.-1051, Shastri Nagar, Delhi have severed all relations from his son Manish Partap Singh & his wife Nitu and debarred from her movable-immovable properties. If anybody deals with them, my client shall not be responsible in any manner.

D.S. Rana & Associates (Advocate)

PUBLIC NOTICE

Be known to all public at large that my client Sh. Gangaram S/o Sh. Megh Singh R/o Y-1/20, Ph.1, Budh Vihar, Delhi-86 has disowned and debarred his younger son Harish from all his movable and immovable properties with immediate effect as he has gone out of control of my client. My client has ceased all relations with Harish, anybody dealing with Harish hereafter shall do at his own cost and risk and my client shall not be liable and responsible for the same in any manner whatsoever.

Pawan Kumar Verma, Advocate.
Ch. No.1104, Rohini Courts, Delhi-85

PUBLIC NOTICE

The public at large is hereby informed that my client Sh. Ravinder Singh Dahiya (UID No.6225 4242 7126) S/o Late Sh. Ram Chand and Smt. Pushpa Devi (UID No.5864 8895 0469) W/o Sh. Ravinder Singh Dahiya R/o VPO Rohat, Sonipat, Haryana, have debar their son namely Ignor Dahiya (UID No.6911 5849 5488) and his wife Smt. Rinku Hudda (UID No.3040 7588 7758) and their daughter Anju Dahiya R/o VPO Rohat, Sonipat, Haryana from their life due to their bad conduct, addicted gambling, addict alcoholic and disobedient towards my client and entire family and my clients have no control of any manner over them and my clients are residing separately from them and daughters of my clients were already got married and have no concern with them and my clients deprived them from their all movable and immovable properties and my clients had already relinquished/transferred 5 Kanal 15 Marla land of his share to his brothers at the instance of Ignor Dahiya. If any one deals with them will be at his/her own risk then my clients and their family and daughters will not responsible in any manner and my clients and his family and daughters have snapped their relations with them in all manner for all purposes.

RAVINDER KHATRI (ADVOCATE)
Ch. No. 822, Rohini Courts, Delhi-110085

PUBLIC NOTICE

The general public is hereby informed that my client Smt. Shakuntala Devi Wd/o Late Hari Prakash Sharma R/o H. No. RZ 883A/13, Gali No. 9/3, Sadh Nagar, Palam Colony, New Delhi-110045, have severed all relations with her Son Vinod Kumar Sharma and his wife Ms. Tulsi Devi and their children, Nidhi @Guddu, Mukul Sharma @ Mannu all R/o H. No. RZ 883A/13, Gali No. 9/3, Sadh Nagar, Palam Colony, New Delhi-110045, and have disowned/disinherited Vinod Kumar Sharma, Tulsi Devi, Nidhi @ Guddu, Mukul Sharma @ Mannu from all her movable and immovable properties with immediate effect. Anyone dealing with them shall be doing so at his/her own risk and consequences. The general public is further notified that my client shall not be responsible for any acts, deeds, well being /future life of Vinod Kumar Sharma, Tulsi Devi, Nidhi @ Guddu, Mukul Sharma @ Mannu in any manner.

KANWAR UDAI BHAN SINGH SEHRAWAT (ADVOCATE)
Chamber No. 505, Patiala House Courts, New Delhi -110001, Phone : 9810675691

PUBLIC NOTICE

My clients (1) Indu Kapoor W/o Anil Kapoor (2) Anandika Kapoor D/o Sh. Anil Kapoor (3) Nitika Kapoor W/o Sh. Neeraj Kapoor all R/o-E-4/20 Krishna Nagar, Delhi-51 had purchased the first Floor of building property bearing no. J-2/9 (Part) measuring 114.5 Sq. Yds IE 95.72 Sq. Mt. covered area 86 Sq. Mt. Consisting of its structure built there on along related rights & meters from Sh. Dinesh Kapoor S/o Sh. Shyam Dass R/o-J-2/9 Krishna Nagar, Delhi-51 wide sale deed dated 08/06/2018 registered on 11/06/2018 with Regn. No. 4990 my clients are the absolute owners of the said property and are interested in transferring the same said property in favour of Sh. Hitesh Kapoor S/o Raj Kapoor R/o H.N.12 Gali no.5, Radhey Puri Ext. Delhi-51 if anybody has any claim against the said above mentioned property I.E. First Floor of J-2/9 Part may contact the following within 15 days, Hitesh Kapoor R/o H.N.12, Gali No. 5, Radhey Puri Ext. Delhi-51, #8860223210, Indu Kapoor, Anandika Kapoor, Nitika Kapoor #9873437517 C/o Pawan Choudhary Advt. En D-2235/2004

चंद्रयान-2 ने चौथी बार सफलतापूर्वक बदली कक्षा

बंगलुरु, 2 अगस्त (भाषा)।

भारत के 'चंद्रयान-2' का चांद तक का सफर जारी है और उसे शुक्रवार को चौथी बार पृथ्वी की कक्षा में और ऊंचाई पर सफलतापूर्वक पहुंचाया गया। भारत के दूसरे चंद्र मिशन 'चंद्रयान-2' की सभी गतिविधियां सामान्य हैं। अंतरिक्ष एजंसी इसरो ने बताया कि पिछले महीने प्रक्षेपण के बाद से 'चंद्रयान-2' की चौथी बार कक्षा बदली गई।

- कक्षा में अगला परिवर्तन छह अगस्त को किया जाएगा।
- 'चंद्रयान-2' की सभी गतिविधियां सामान्य।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के मुख्यालय ने यहां एक बयान में कहा कि चंद्रयान-2 की कक्षा को 646 सेकंड में चौथी बार सफलतापूर्वक परिवर्तित किया गया। उसकी कक्षा में अगला परिवर्तन छह अगस्त को किया जाएगा।

3,850 किलोग्राम के तीन मॉड्यूल के साथ 'चंद्रयान-2' का 22 जुलाई को प्रक्षेपण किया गया था। इसरो का मकसद 'चंद्रयान-2' को सात सितंबर को चांद के अनछुए हिस्से दक्षिणी ध्रुव पर उतारना है, जो देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम में बड़ी छलांग साबित होगा। अगर यह मिशन सफल रहा तो रूस, अमेरिका तथा चीन के बाद भारत चौथा देश होगा जिसने चांद पर सॉफ्ट लैंडिग कराई है।

शुक्रवार को चंद्रयान को और ऊंचाई तक पहुंचाने के साथ ही इसरो ने इस यान को चांद तक पहुंचाने के 15 अहम चरणों में से चार को पूरा कर लिया है। इससे पहले 24, 26 और 29 जुलाई को 'चंद्रयान-2' की कक्षा सफलतापूर्वक बदली गई थी। 'चंद्रयान-2' अभी पृथ्वी से 277 किलोमीटर दूर है जबकि इसका शिरोबिंदु 89,472 किलोमीटर दूर है।

अंतरिक्ष एजंसी के मुताबिक, चंद्रमा के प्रभाव क्षेत्र में प्रवेश करने पर 'चंद्रयान-2' की प्रणोदन प्रणाली का इस्तेमाल अंतरिक्ष यान की गति धीमी करने में किया जाएगा, जिससे कि यह चंद्रमा की प्रारंभिक कक्षा में प्रवेश कर सके। इसके बाद चंद्रमा की सतह से 100 किमी की ऊंचाई पर चंद्रमा के चारों ओर चंद्रयान-2 को पहुंचाया जाएगा। फिर लैंडर ऑर्बिटर से अलग हो जाएगा और चंद्रमा के चारों ओर 100 किमी 30 किमी की कक्षा में प्रवेश करेगा। फिर यह सात सितंबर को चंद्रमा की सतह पर उतरने की प्रक्रिया में जुट जाएगा।

PUBLIC NOTICE

My client SURESH RAJPAL S/O LATE SH. B.D. RAJPAL AND HIS WIFE RASHMI RAJPAL BOTH R/O B-60, FIRST FLOOR, PRASHANT VIHAR, DELHI has severed all their relations and debarred their son MOHIT RAJPAL, his wife RUPAL KALSI RAJPAL and his daughter TARISHKA from all their movable-immovable properties on account of their hostile behavior and out of control. My clients shall not be responsible and liable for their any kind of acts/deeds in future.

Sd/-
(SUNIL DAHIYA) Advocate
CH.No. 729 Rohini Court Delhi-85

The Indian EXPRESS Classifieds
EXPRESS EDUCATION

LAW AMBITION LAW INSTITUTE
Since: 2001
Congratulations!
Ambition is proud of you.
Aakanksha.. the topper.. FIRST RANK in first attempt ... humble background .. ordinary education .. but extraordinary Coaching & Coach at AMBITION LAW INSTITUTE, DELHI which does not claim big but performs the best.
1st UPJS 2018-19 RANK
AKANKSHA TIWARI
D/o Sh. Shiv Poojan Tiwari & Smt. Saraswati Tiwari, Gonda, U.P.
LL.B. from Mewar Law College, Ghaziabad, U.P.
TOPPERS MEET
6 Aug. | 4pm
VENUE
32-B, 3rd Floor, Karol Bagh,
Near Metro Pillar No. 122, New Delhi- 110005
011-49841810, 8800662140
ambitionlawinstitute.com

KSG
An Institute For IAS Exam...
The power of general studies at KSG
NEXT FOUNDATION BATCH
BHOPAL M.P. Nagar, ZONE II 7509975361 5th AUGUST
INDORE Bhawar Kuan 9893772941 17th AUGUST
DELHI NORTH 9717380832 19th AUGUST
DELHI CENTRAL 9811293743 2nd SEPTEMBER
SPECIAL FOCUS ON ANSWER WRITING SKILL DEVELOPMENT
www.kgsindia.com | DELHI- JAIPUR- BHOPAL- INDORE- PATNA- BENGALURU

Contact for Advt. Booking: M/s Friends Publicity Service
Ph.23276901, 23282028 (M): 9212008155, 9212665841.

परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद की पत्नी का निधन

गाजीपुर, 2 अगस्त (भाषा)।

गाजीपुर निवासी और वर्ष 1965 में भारत-पाकिस्तान युद्ध के हीरो रहे परमवीर चक्र विजेता शहीद वीर अब्दुल हमीद की पत्नी का शुक्रवार दोपहर निधन हो गया। वीर अब्दुल हमीद की पत्नी रसूलन बीबी 90 वर्ष की थीं और बीमार चल रहीं थी।

रसूलन बीबी ने शुक्रवार दोपहर अंतिम सांसे ली। उन्हें आज सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा। रसूलन बीबी के पति वीर अब्दुल हमीद भारत-पाक युद्ध में तीन पाकिस्तानी टैंक तोड़कर 10 सितंबर 1965 को युद्ध क्षेत्र में शहीद हो गए थे। रसूलन बीबी के परिवार में चार पुत्र, एक पुत्री, नाती और पोते हैं।

उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने वीर अब्दुल हमीद की पत्नी रसूलन बीबी के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। राज्यपाल पटेल ने दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करते हुए दुःखी परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है।

वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रसूलन बीबी वीर नारी थीं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के लिए यह गौरव का विषय है कि शहीद अब्दुल हमीद जनपद गाजीपुर के निवासी थे। मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं।

रतुल पुरी की जमानत पर फैसला छह को

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 2 अगस्त।

अदालत ने वीवीआइपी अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर घोटाले से जुड़े धनशधोन मामले में रतुल पुरी की अग्रिम जमानत पर सुनवाई पूरी कर ली। विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार की अदालत ने छह अगस्त तक के लिए फैसला सुरक्षित कर लिया है। रतुल पुरी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ के भांजे हैं। फैसला आने तक पूरी को गिरफ्तारी से मिली अंतरिम छूट जारी रहेगी।

इससे पहले सुनवाई के दौरान रतुल के वकील विजय अग्रवाल ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्लि ईडी के समक्ष कभी भी पेश होने को तैयार हैं। लिहाजा उनसे हिरासत में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। पुरी ने अपनी अग्रिम जमानत अर्जी में दावा किया है कि वे जांच में सहयोग कर रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने इन आरोपों से इनकार किया है कि कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है।

29 जुलाई को उन्हें गिरफ्तारी से अंतरिम राहत मिल गई।

शफाखाना चाहिए या इज्जत

फिल्म समीक्षा
रवींद्र त्रिपाठी

खानदानी शफाखाना

रेटिंग- ★★½

निर्देशक- शिल्पी दासगुप्ता

कलाकार- सोनाक्षी सिन्हा, वरुण शर्मा, कुलभूषण खरबंदा, बादशाह, नादिरा जहीर बब्बर, अन्नू कपूर

सेक्स एजुकेशन की जरूरत बतानेवाली यह फिल्म कॉमेडी है, हालांकि आखिर में यह जज्बाती हो गई है। सोनाक्षी सिन्हा ने अमृतसर की बेबी बेदी नाम की एक ऐसी लड़की का किरदार निभाया है, जिसके सिर पर पूरे परिवार का बोझ है। यानी विधवा मां और बेकार भाई (वरुण शर्मा) का। बेबी बेदी मेडिकल रिप्रजेंटेटिव का काम करती है लेकिन वो धंधा भी ठीक नहीं चल रहा है। मकान चाचा के पास रेहन है, जो बार-बार घर से निकालने की धमकी देता है। अब बेबी क्या करे?

इसी बीच, खबर आती है कि उसके मामा (कुलभूषण खरबंदा) गुजर गए और अपना खानादानी शफाखाना बेबी के नाम कर गए हैं। शफाखाना, जहां उन बीमारियों का इलाज होता है, जिनको गुप्तरोग कहते हैं। जैसा कि भारतीय समाज में होता है, गुप्त बीमारियों का गुप्त तरीके से ही इलाज होता रहा है और न इलाज करनेवाले और न कराने वाले को इज्जत से देखा जाता है। इसलिए बेबी बेदी की मां (नादिरा जहीर बब्बर) इस बात के लिए तैयार नहीं है कि शफाखाने की मिल्कियत उसकी बेटी को मिले। उसे लगता है कि इससे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन बेबी को अपने आर्थिक संकट से निकलने का कोई और रास्ता नहीं सूझता, इसलिए वो मां और रिश्तेदारों से चोरी-छिपे शफाखाने पर जाने लगती है और पुराने गुप्त रोगियों का इलाज करने लगती है। लेकिन इसका पता तो सबको चलना ही था, सो मां से लेकर दूसरे रिश्तेदार इसके बारे में जान जाते हैं। हंगामा खड़ा जाता है। बेबी 'सेक्स पर बात तो करो' का अभियान शुरू करती है तो कई लोग इसके खिलाफ हो जाते हैं। मामला अदालत तक पहुंच जाता है। अब क्या होगा? बेबी बचेगी या जेल जाएगी?

फिल्म भारतीय समाज के एक वर्जित विषय पर है। हमारे यहां सेक्स पर बातचीत करना अश्लील माना जाता है। फिल्म यौन विषयों पर चर्चा करने का संदेश देती है। वरुण शर्मा ने अपना कॉमिक चरित्र अच्छी तरह से निभाया है। इसलिए फिल्म में हंसी के फव्वारे लगातार छूटते रहते है। अदालत का सीन भी दिलचस्प है। शायद यह फिल्म सोनाक्षी सिन्हा के ठहरे हुए करिअर को एक धक्का दे दे। हालांकि कुछ जगहों पर फिल्म ढीली है और सोनाक्षी भी आखिर में कुछ निस्तेज हो गई हैं।

बादशाह बतौर कलाकार शुरू में आकर्षित करते हैं लेकिन अदालती दृश्य में कमजोर हो गए हैं। वो इसलिए कि मेकअप और गेटअप के बिना हर स्टार असरहीन हो जाता है। पर वकील की भूमिका में अन्नू कपूर अपनी छाप छोड़ गए हैं।

हॉलीवुड का एक्शन देसी अंदाज में

यह वैसे तो 'फास्ट एंड फ्यूरियस' श्रृंखला की फिल्म नहीं है लेकिन मार्केटिंग के लिहाज से इस तरह परोसी गई है कि दर्शकों को लगे कि इसका रिश्ता उसी से है। ये कॉमेडी-एक्शन तरह की फिल्म है, जो दो चरित्रों ल्यूक हॉब्स (ड्वेन जॉनसन) और डेकर्ड शॉ (जेसन स्टेथम) पर केंद्रित है। दोनों वैसे तो छंटे हुए हैं और एक दूसरे को नापसंद भी करते हैं। लेकिन हालात ऐसे बनते हैं कि दोनों ब्रिटिश और अमेरिकी खुफिया एजंसियों के लिए काम करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। इसी वजह से दोनों एक ऐसे मिशन पर साथ-साथ काम करने के इकट्ठे हुए हैं, जो एक ऐसे अनाम पर ताकतवर समूह के खिलाफ है, जो दुनिया में वायरस फैलाकर तबाही मचाना चाहता है। इस समूह का चेहरा है ब्रिक्सटन (इद्रिस एल्बा), जो कंप्यूटर जेनरेटड सिस्टम है पर आदमी की तरह हरकत करता है। वानेशा किर्बी ने हैटी नाम का जो किरदार निभाया है, जो शॉ की बहन है और जिसके शरीर में वायरस प्रवेश कर गया है।

फास्ट एंड फ्यूरियस प्रेजेंट्स : हॉब्स एंड शॉ

रेटिंग- ★★½

निर्देशक- डेविड लीच

कलाकार- ड्वेन जॉनसन, जेसन स्टेथम, इद्रिस एल्बा, वानेशा किर्बी

फिल्म में दो तरह के संसार हैं। एक तो वह उत्तर आधुनिक दुनिया है, जिसमें मीडिया से लेकर विज्ञान पर उन ताकतों का कब्जा है जो दुनिया पर नियंत्रण चाहते हैं। इसीलिए हॉब्स और शॉ को मीडिया आतंकवादी घोषित कर देता है। हालांकि दोनों दुनिया की भलाई के लिए काम कर रहे हैं।

फिल्म के आखिरी हिस्से में हॉब्स और शॉ इस अदृश्य ताकत और ब्रिक्सटन से जिस तरह की लड़ाई लड़ते हैं, उनमें भाले और लाठियां जैसे पारंपरिक हथियार का प्रयोग हुआ है। विचित्र किंतु सत्य की तरह हॉब्स तो उड़ते हुए हेलिकॉप्टर को हाथ से पकड़ कर नीचे गिरा देता है। इस तरह एक्शन सिक्वेंस अविश्वसनीय पर रोचक हैं। वैसे तो ये हॉलीवुड की फिल्म है लेकिन डबिंग में इसमें जिस तरह की हिंदी का इस्तेमाल हुआ है वो कुछ-कुछ ठेठ मुंबइया है और कुछ-कुछ देसी। इसलिए हिंदी के दर्शकों को फिल्म अजनबी नहीं लगेगी।

22 से 26 अगस्त तक चलेगा विधानसभा का मानसून सत्र

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 2 अगस्त।

दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र चार दिन तक चलेगा। शुक्रवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस सत्र को मंजूरी दी गई। विधानसभा का मानसून सत्र 22 अगस्त से 26 अगस्त तक चलेगा। इस सत्र में कई मामलों पर गंभीर चर्चा होगी क्योंकि भाजपा पहले ही दिल्ली सरकार को विभिन्न योजनाओं में घोटाले के नाम पर घेर रही है। हाल ही में स्कूल निर्माण घोटाले के मामले में भी भाजपा ने जांच एजंसियों के पास शिकायत दर्ज कराई है। इसके अतिरिक्त दिल्ली सरकार को बिजली योजना पर भी घेरा जा सकता है।

भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
उच्च शिक्षा विभाग
तकनीकी अनुभाग-I

आईआईआईटी (पीपीपी) कल्याणी, पश्चिम बंगाल के निदेशक की नियुक्ति

सार्वजनिक-निजी-साझेदारी प्रारूप में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी-पीपीपी), कल्याणी के निदेशक के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

1. अकादमी के साथ ही साथ प्रशासनिक प्रधान के रूप में एक आईआईआईटी का निदेशक, जिनके पास प्रमाणिक प्रशासनिक, शिक्षण तथा अनुसंधान का पृष्ठभूमि (साथ में पीएच. डी स्तर पर अनुसंधान संबंधी दिशानिर्देश में महत्वपूर्ण अनुभव होना चाहिए) साथ में राष्ट्रीय महत्व के एक संस्थान की अगुवाई करने की नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए। उम्मीदवार को समुचित शाखा में पीएच. डी किया होना चाहिए साथ में सम्पूर्ण अध्ययन अवधि के दौरान उत्कृष्ट अकादमी रिकार्ड होनी चाहिए एवं प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान में एक प्रोफेसर के रूप में कम से कम 7 वर्षों (एक अति उत्कृष्ट उम्मीदवार के मामले में जरूरत नहीं) का अनुभव होना चाहिए। आवेदक की उम्र 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस पद के लिए 7वें सीपीसी के अनुसार वेतन के रूप में प्रतिमाह रु. 2,10,000/- (एक मुश्त) साथ में रु. 11,250/- के विशेष भत्ते के साथ संस्थान के नियमों के अधीन देय भत्ते की रकम प्रदान किया जाएगा।
2. विज्ञापन का विवरण वेबसाइट (www.mhrd.gov.in) पर उपलब्ध है। इच्छुक व्यक्ति वेबसाइट पर उपलब्ध पर प्रारूप में विस्तृत विवरण प्रदान कर आवेदन कर सकते हैं। संलग्निकाओं के साथ आवेदन पंजीकृत/स्पीड पोस्ट द्वारा **अंडर सेक्रेटरी, उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, कमरा नं. 203, सी विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001** के पास इस तरह भेजा जाना चाहिए कि वह इस विज्ञापन की तारीख से 30 दिनों के अंदर उनके पास पहुंच जाए।

Nestlé Good Food, Good Life

NESTLÉ INDIA LIMITED
EXTRACT OF STATEMENT OF UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND SIX MONTHS ENDED 30 JUNE 2019

(₹ in million)

THREE MONTHS ENDED (Un-audited)				PARTICULARS	SIX MONTHS ENDED (Un-audited)		Accounting Year ended (Audited)
30.06.2019	31.03.2019	30.06.2018			30.06.2019	30.06.2018	31.12.2018
30,008.5	30,029.5	26,984.0	1	TOTAL REVENUE FROM OPERATIONS	60,038.0	54,556.4	112,922.7
6,591.5	7,013.3	5,953.1	2	NET PROFIT BEFORE EXCEPTIONAL ITEMS AND TAX	13,604.8	12,349.9	24,289.5
6,591.5	7,013.3	5,953.1	3	NET PROFIT BEFORE TAX	13,604.8	12,349.9	24,289.5
4,378.4	4,632.8	3,950.3	4	NET PROFIT AFTER TAX	9,011.2	8,190.6	16,069.3
4,255.8	4,533.7	3,883.7	5	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (COMPRISING NET PROFIT AFTER TAX AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME AFTER TAX)	8,789.5	7,942.5	15,665.2
964.2	964.2	964.2	6	PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL (FACE VALUE – ₹10 PER SHARE)	964.2	964.2	964.2
45.41	48.05	40.97	7	EARNINGS PER SHARE (EPS) BASIC/ DILUTED EPS (₹)	93.46	84.95	166.67

The above is an extract of the detailed format of quarterly results filed with the BSE Limited under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Statement of the Unaudited Financial Results are available on the Company's website (www.nestle.in) and on the website of the BSE Limited (www.bseindia.com).

Notes:

1. The Board of Directors have declared interim dividend comprising:
   a) ₹23 per equity share (Face value ₹10/- per equity share) for 2019 amounting to ₹2,217.6 million out of current year profits, which is in addition to the interim dividend of ₹23 per equity share paid on 15 May 2019; and
   b) A special interim dividend of ₹180 per equity share (Face value ₹10/- per equity share) out of the accumulated profits of previous years (surplus in the profit and loss account).

The total amount of ₹203 per equity share will be paid on and from 23 August 2019.

THE ABOVE RESULTS AND THIS RELEASE HAVE BEEN REVIEWED BY THE AUDIT COMMITTEE OF THE BOARD AND APPROVED BY THE BOARD OF DIRECTORS AT THEIR MEETING HELD ON 2 AUGUST 2019.

By Order of the Board

Suresh Narayanan
Chairman and Managing Director

Date: 2 August 2019
Place: Gurugram

Committed to a Healthier Future

Head Office: Nestlé House, Jacaranda Marg, M Block, DLF City Phase – II, Gurugram 122 002 (Haryana). Registered Office: 100 / 101, World Trade Centre, Barakhamba Lane, New Delhi – 110 001
Corporate Identity Number: L15202DL1959PLC003786, Email ID: investor@in.nestle.com, Website: www.nestle.in, Phone: 011-23418891, Fax: 011-23415130

मौसम

तापमान	नोएडा	गाजियाबाद	गुरुग्राम	फरीदाबाद
अधिकतम	34.6 डि.से.	34.6 डि.से.	33.3 डि.से.	34.0 डि.से.
न्यूनतम	28.3 डि.से.	28.3 डि.से.	28.3 डि.से.	28.2 डि.से.

हड़ताल का गंभीर असर, मरीज को लिए भटकते दिखे परिजन

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली , 2 अगस्त।

आयुर्विज्ञान आयोग के प्रावधानों के खिलाफ चिकित्सकों की हड़ताल का व्यापक असर पड़ा है। अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाएं भी ठप होने से दूरदराज से आए मरीजों व उनके परिजनों को परेशानी उठानी पड़ी। कुछ अस्पतालों में वरिष्ठ चिकित्सकों ने मोर्चा संभाला लेकिन मरीजों की संख्या के आगे उनका प्रयास सफल नहीं रहा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने डॉक्टरों से मिलकर हड़ताल खत्म करने की अपील की है लेकिन चिकित्सक विधेयक में बिना जरूरी उपाय या बदलाव के इसे लागू करने के पक्ष में नहीं है। इस बारे में विभिन्न चिकित्सा संगठनों के बीच विचार विमर्श व बैठकों का दौर जारी रहा।

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के तमाम प्रावधानों को गरीब, छात्र व आम जन विरोधी करार देते हुए चिकित्सकों की हड़ताल दूसरे दिन भी कायम रही।

इसका दूसरे दिन भी व्यापक असर दिखाई पड़ा। रेजीडेंट डाक्टरों ने देशव्यापी आंदोलन की रणनीति बनानी भी शुरू कर दी है। शुक्रवार को राजधानी के विभन्न अस्पतालों की इमरजेंसी सेवाएं भी ठप रहीं। एम्स सहित कुछ जगहों पर मरीजों को देखने के लिए इमरजेंसी में वरिष्ठ चिकित्सकों की 24सों घंटे की ड्यूटी लगाई थी। लेकिन इमरजेंसी में सभी मरीजों का इलाज संभव नहीं हो पाया। बिहार के पटना जिला से आए परिजन सुनील ने बताया कि उनके बच्चे को पेट में दिक्कत है। पटना में बहुत इलाज कराया पर फायदा नहीं हुआ। पटना के डॉक्टरों ने कहा कि लीवर बढ़ा है दिल्ली में इलाज कराओ। वे छोटे से बच्चे समीर को लिए लोक नायक अस्पताल पहुंचे। तो यहां इमरजेंसी में भी डॉक्टर नहीं मिले। यहां सुरक्षा कर्मियों ने कहा कि एम्स जाओ। किसी तरह एम्स पहुंचे तो यहां कहा गया कि सफदरजंग जाओ। एक अस्पताल से दूसरे चक्कर ही काटते हुए उन्हें लगातार डर लगता रहा कि कही बच्चे को कुछ ना हो जाए। लोक नायक अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ सुनील गुप्ता ने कहा कि यहां रोजाना करीब आठ नौ हजार मरीज आते हैं और करीब सात से नौ सौ मरीज इमरजेंसी वार्ड में आते हैं। हमने वैकल्पिक इंतजाम तो कर रखा है लेकिन वह केवल पुराने मरीजों व वार्ड में पहले से भर्ती मरीजों को ही देख पा रहे हैं। एम्स में इलाज के लिए भटकते एक तीमारदार रोशन ने बताया कि वह उत्तर प्रदेश से आए हैं। उनके भाई को कंधे की नस फट गई है। हाथ काम नहीं कर रहा। लेकिन एम्स में कई दिन भटकने के बाद भी न्यूरोलाजी के डॉक्टरों को दिखाने का समय नहीं मिल पा रहा है। दो दिन से सुबह से लाइन में भी लग रहे हैं लेकिन हड़लात के कारण नए मरीजों का पंजीकरण नहीं हो रहा। इमरजेंसी में गए तो चिकित्सकों ने कहा कि यह ओपीडी में दिखाने का मामला है।

हर्षवर्धन की डॉक्टरों को मनाने की अपील रही बेअसर

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने एम्स और आरएमएल अस्पताल व फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। उन्होंने विरोध कर रहे डॉक्टरों को मनाने की अपील की लेकिन यह अपील बेअसर रही। आंदोलनकारी डॉक्टर मनु गौतम (अध्यक्ष युनाइटेड आरडीए) चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र को नियमित करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह विधेयक नीमहकीमों को बढ़ावा देगा और यह 'गरीब विरोधी, छात्र विरोधी व अलोकतांत्रिक है। मनु गौतम ने कहा कि जब सरकार दिल्ली में निगरानी नहीं कर पाती और घड़ल्ले से नकली दवाओं व झोलाछाप डॉक्टरों का गोरखधंधा चलता है लेकिन उन पर शिकंजा नही कसा जा सका है तो क्या देश भर में लाइसेंस पाकर गलत काम करने वालों को रोका जा सकेगा? सरकार इस विधेयक को मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में बड़े सुधारों में से एक बता रही है। इस विधेयक के पारित होने के बाद राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग नामक एक नई संस्था भ्रष्टाचार के आरोप को झेल रहे 'मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया' की जगह लेगी। हर्षवर्धन ने डॉक्टरों से अपनी हड़ताल वापस लेने की अपील की।

मुलाकात के बाद डॉक्टरों के बने दो गुट

डॉ हर्षवर्धन से मुलाकात के बाद आंदोलनकारी डॉक्टरों के दो गुट बन गए हैं। कुछ डॉक्टरों को यह लग रहा है कि मंत्री पर यकीन करके हड़ताल खत्म कर दी जाए जबकि ज्यादातर डॉक्टरों का मानना है कि सरकार इस विधेयक के जरिए निजी मेडिकल कॉलेजों व झोलाछाप डॉक्टरों को फायदा देने जा रही है इसलिए इसका विरोध जारी रहेगा।

कपिल मिश्रा की विधानसभा सदस्यता खत्म

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 2 अगस्त।

आम आदमी पार्टी (आप) के बागी विधायक कपिल मिश्रा की सदस्यता विधानसभा ने खत्म कर दी है। शुक्रवार को विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने यह फैसला सुनाया। कपिल मिश्रा पर आरोप था कि उन्होंने लोकसभा चुनाव के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए प्रचार अभियान चलाया था और 'आप' की खिलाफत की थी। इस मामले में विधानसभा के पास 'आप' विधायक सौरभ भारद्वाज ने शिकायत दर्ज कराई थी।

विधानसभा अध्यक्ष ने एक जनवरी 2019 से विधायक कपिल मिश्रा की सदस्यता को खारिज कर दिया है। इस बाबत जारी किए गए आदेशों में कहा गया है कि इस निर्णय के बाद करावल नगर विधानसभा सीट खाली हो गई है। संविधान की दसवीं अनुसूचि के पैरा 2 (1)(ए) के तहत जारी किए गए हैं। इन आदेशों को विधानसभा के सचिव सी. वैलमुर्गन ने जारी किए हैं। इस पूरे मामले में अध्यक्ष ने एक 27 पृष्ठों का लम्बा आदेश जारी किया है। इस आदेशों में सदस्यता खत्म करने के आधारों को गिनाया गया है। आदेशों में बताया गया है कि भाजपा ने 27 जनवरी 2019 को एक मुहिम शुरू की थी।

सौ बार विधायक की कुर्सी कुर्बान

विधायक कपिल मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री के लिए अभियान चलाने के लिए एक बार क्या सौ बार विधायक की कुर्सी कुर्बान है। अभी सातों लोकसभा चुनाव में अभियान चलाया था और अब आगामी विधानसभा चुनाव में भी वे ऐसा ही अभियान चलाएंगे। उन्होंने कहा कि इन आदेशों के लिए विधानसभा के नियमों का मजाक उड़ाया गया है और कानून प्रक्रिया व नियमों की धज्जियां उड़ाई गई है।

रवीश कुमार को रमन मैगसायसाय पुरस्कार

मनीला, 2 अगस्त (भाषा)।

वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार को इस साल के रमन मैगसायसाय पुरस्कार के लिए चुना गया है।

रमन मैगसायसाय पुरस्कार फाउंडेशन ने शुक्रवार को इसकी घोषणा की। वे एनडीटीवी इंडिया के वरिष्ठ कार्यकारी संपादक हैं। उनका नाम उन पांच व्यक्तियों में शामिल हैं, जिन्हें इस पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया है।

बिहार के जितवारपुर गांव में जन्मे कुमार 1996 में न्यू दिल्ली टेलीविजन नेटवर्क (एनडीटीवी) से जुड़े थे और उन्होंने करियर की शुरुआत रिपोर्टर के तौर पर की थी। एनडीटीवी के 24 घंटे वाले हिंदी भाषी समाचार चैनल 'एनडीटीवी इंडिया' शुरू होने के बाद उन्हें उनका रोजाना का शो 'प्राइम टाइम' दिया गया।

छात्रा से बलात्कार के जुर्म में शिक्षक को 20 साल की कैद

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 2 अगस्त ।

दिल्ली की एक अदालत ने 29 साल के एक शिक्षक को अपनी छात्रा से बार-बार बलात्कार करने के जुर्म में 20 साल जेल की सजा सुनाई है। अदालत ने कहा कि यह अपने आप में गंभीर अपराध है और इससे सख्ती से निपटा जाना चाहिए। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सतीश कुमार ने कहा कि उसकी (छात्रा की) रक्षा और देखभाल करने के अपने कर्तव्य को पूरा करने के बजाय दोषी रोहन कुमार ने विपरीत कुकृत्य किया। अदालत ने कुमार को 2017 में छात्रा के साथ बार-बार बलात्कार करने, उसे डराने-धमकाने, उसकी गरिमा का हनन करने के इरादे से उत्पीड़न करने और जानबूझकर उसे नुकसान पहुंचाने का दोषी ठहराया।

अदालत ने कुमार पर 52,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया और दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण को छात्रा को छह लाख रुपए का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार कुमार छात्रा को छठी कक्षा से ही उसके घर जाकर पढ़ाता था। 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद उसने उससे पढ़ना बंद कर दिया लेकिन कॉलेज में प्रथम वर्ष के दौरान उसके माता-पिता ने एक बार फिर उसे बेटी को पढ़ाने का अनुरोध किया। वह छात्रा को तभी पढ़ाने आया करता जब उसके माता-पिता घर पर नहीं होते थे और इस दौरान वह उसके साथ बलात्कार करता था। शिकायतकर्ता ने कहा कि उसने उसकी तस्वीरें भी खीचीं थीं और इसका खुलासा करने पर उसे बदनाम करने की धमकी दी थी।

खबरों में शहर

जल बोर्ड की वेबसाइट ठप : विजेंद्र गुप्ता

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 2 अगस्त।

कॉलोनियों में पानी टैंकर से कब और कहां पहुंचेगा, इसकी जानकारी आम जनता को नहीं मिल पा रही है। विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि जल बोर्ड की वेबसाइट ठप पड़ी है। इस वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार टैंकर माफिया पर लगाम लगाने में नाकाम रही है। इस वजह से कच्ची कॉलोनियों में पानी की आपूर्ति समय से नहीं हो पा रही है। उन्होंने बताया कि जल बोर्ड के 900 और अवैध तौर पर करीब 2 हजार टैंकर पानी की आपूर्ति कर रहे हैं। मुख्यमंत्री टैंकर माफिया को रोकने में नाकाम रहे हैं। बोर्ड ने इन टैंकर की निगरानी के लिए जीपीएस मॉनीटरिंग सिस्टम लागू करने का वादा किया था जो कि झूठा साबित हुआ।

ट्रक चालक ने एक शख्स को कुचला, मौके पर मौत

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 2 अगस्त।

आजादपुर फल मंडी के गेट पर बीती देर रात ट्रक चालक ने एक शख्स को कुचल दिया। हादसे में 55 साल के मूलचंद की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना गुरुवार देर रात करीब 12 बजे पुलिस को दी गई थी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने पाया कि मूलचंद खून से लथपथ हालत में पड़ा है। पुलिस उसे पास के अस्पताल में लेकर गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शुक्रवार को शव को पोस्टमार्टम करा कर परिजनों को सौंप दिया है। फिलहाल महेंद्र पार्क थाना पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है।

सड़क हादसे में युवक की मौत, एक का पैर कटा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 2 अगस्त।

नंद नगरी थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार ट्रक चालक ने मोटरसाइकिल सवार दो युवकों को टक्कर मार दी। इस हादसे में विकास (32) की मौत हो गई, जबकि हादसे में दीपक (32) घायल हो गया। इस हादसे में दीपक का दहिना पैर डॉक्टरों को काटना पड़ा है। घटना के समय दोनों घर लौट रहे थे। हादसे के बाद आरोपी चालक मौके पर ही ट्रक छोड़कर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने ट्रक जब्त कर लिया है ओर आरोपी चालक की तलाश कर रही है।

नए चेहरों की तलाश में भाजपा ने चलाया अभियान

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 2 अगस्त।

ग्रामीण क्षेत्रों में भाजपा ने नए कार्यकर्ताओं की तलाश शुरू कर दी है। नए चेहरों को पार्टी से जोड़ने के लिए शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में नए सदस्य बनाने का अभियान चलाया। इस अभियान को सफल बनाने के लिए पार्टी के केंद्रीय नेताओं से लेकर प्रदेश स्तर के नेता उतरे। इन नेताओं ने 'आप' व कांग्रेस पर जमकर हमले किए और अब तक ग्रामीण क्षेत्रों की उपेक्षा के लिए इन पार्टियों पर निशाना साधा। इस अभियान को सीधे विधानसभा चुनाव की कड़ी माना जा रहा है।

झारखंड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग (ग्रा०का०मा०) मुख्य अभियंता का कार्यालय 102, द्वितीय तल्ला, अभियंत्रण भवन, कचहरी रोड, रांची

ई- निविदा आमंत्रण सूचना

ई-निविदा संख्या:- 69/2019-20/RDD(RWA)/GARHWA दिनांक : 01.08.2019

मुख्य अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग(ग्रा०का०मा०), झारखंड, रांची द्वारा निम्न विवरण के अनुसार e-procurement पद्धति से निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्र० सं०	आइडेन्टी फिकेशन संख्या / पैकेज संख्या	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (रूपये में)		कार्य समाप्ति की तिथि
			अंक में	अक्षर में	
1.	RDD(RWA)/ GARHWA/08/ 2019-20	ठेका पथ से सरकोनी होते हुए भारगुहान तक पथ निर्माण कार्य (ल- 3.000 कि०मी०)	2,07,63,200.00	दो करोड़ सात लाख तिरसठ हजार दो सौ रु० मात्र	12 माह

2. वेबसाईट में निविदा प्रकाशन की तिथि– 13.08.2019
3. ई–निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय– 23.08.2019 अपराह्न 5.00 बजे।
4. जिला नियंत्रण कक्ष, रांची में निविदा शुल्क, अग्रधन की राशि, शपथ पत्र के मूल प्रति एवं अपलोड किये गये तकनीकी योग्यता दस्तावेज की एक प्रति जमा करने की तिथि– 26.08.2019 पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 3.30 बजे तक।
5. निविदा खोलने की तिथि एवं समय – 27.08.2019 पूर्वाह्न 11.30 बजे।
6. निविदा आमंत्रित करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पता:– मुख्य अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग(ग्रा०का०मा०), झारखंड, रांची, 102, द्वितीय तल्ला, अभियंत्रण भवन, रांची।
7. ई–निविदा प्रकोष्ठ का दूरभाष सं0– 0651–2207818
8. निविदा शुल्क भारतीय स्टेट बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट के रूप में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग(ग्रा० का० मामले), कार्य प्रमंडल, गढ़वा के पक्ष में भुगतेय होगा जो लौटाया नहीं जायेगा।

विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाईट jharkhandtenders.gov.in में देखा जा सकता है।

नोडल पदाधिकारी
ई–प्रोक्युरमेन्ट सेल

PR 213424 (Rural Work Department)19-20#D बूंद – बूंद नहीं बरसेंगे तो बूंद को तरसेंगे

झारखंड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग(ग्रा०का०मा०)
मुख्य अभियंता का कार्यालय
102, द्वितीय तल्ला, अभियंत्रण भवन, कचहरी रोड, रांची

ई– अल्पकालीन पुनर्निविदा आमंत्रण सूचना

ई–निविदा संख्या:- 36/RI/2019-20/RDD(RWA)/SIMDEGA दिनांक: 02.08.2019

मुख्य अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग(ग्रा०का०मा०), झारखंड, रांची द्वारा निम्न विवरण के अनुसार e-procurement पद्धति से निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्र० सं०	आइडेन्टी फिकेशन संख्या / पैकेज संख्या	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (रूपये में)		कार्य समाप्ति की तिथि	टेन्डर कॉल नं०
			अंक में	अक्षर में		
1.	RDD(RWA)/ SIMDEGA/04/ 2019-20	दुर्गाबेल से कुरका तक पथ का सुदृढ़ीकरण कार्य (लम्बाई– 6.000 कि०मी०)	1,20,05,731.00	एक करोड़ बीस लाख पाँच हजार सात सौ इकतीस रु० मात्र	00 माह	द्वितीय

2. वेबसाईट में निविदा प्रकाशन की तिथि:– 08.08.2019
3. ई–निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय:– 16.08.2019 अपराह्न 5.00 बजे।
4. जिला नियंत्रण कक्ष, रांची में निविदा शुल्क, अग्रधन की राशि, शपथ पत्र के मूल प्रति एवं अपलोड किये गये तकनीकी योग्यता दस्तावेज की एक प्रति जमा करने की तिथि– 19.08.2019 पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 3.30 बजे तक।
5. निविदा खोलने की तिथि एवं समय– 20.08.2019 पूर्वाह्न 11.30 बजे।
6. निविदा आमंत्रित करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पता:– मुख्य अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग(ग्रा० का० मामले), झारखंड, रांची, 102 द्वितीय तल्ला अभियंत्रण भवन, रांची।
7. ई–निविदा प्रकोष्ठ का दूरभाष सं0– 0651–2207818
8. निविदा शुल्क भारतीय स्टेट बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट के रूप में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग(ग्रा० का० मामले), कार्य प्रमंडल, सिमडेगा के पक्ष में भुगतेय होगा जो लौटाया नहीं जायेगा।

विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाईट jharkhandtenders.gov.in में देखा जा सकता है।

नोडल पदाधिकारी
ई–प्रोक्युरमेन्ट सेल

PR 213509 (Rural Work Department)19-20*D जिसे अचानक ना समझे, जो कहानी हूँ मैं, मुझे बयाँ मत करो पानी हूँ मैं।

झारखंड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग(ग्रा०का०मा०)
मुख्य अभियंता का कार्यालय
102, द्वितीय तल्ला, अभियंत्रण भवन, कचहरी रोड, रांची

ई– निविदा आमंत्रण सूचना

ई–निविदा संख्या- 75/2019-20/RDD(RWA)/RANCHI दिनांक :- 02.08.2019

मुख्य अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग(ग्रा०का०मा०), झारखंड, रांची द्वारा निम्न विवरण के अनुसार e-procurement पद्धति से निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्र० सं०	आईडेन्टी फिकेशन संख्या / पैकेज संख्या	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (रूपये में)		कार्य समाप्ति की तिथि
			अंक में	अक्षर में	
1.	RDD(RWA)/ RANCHI/11/ 2019-20	सोना व्यापार मण्डल से गिलाकाई नाला गणेशपुर सैलानी तक पथ का सुदृढ़ीकरण कार्य (ल- 9.650 कि०मी०)	3,47,83,100.00	तीन करोड़ सैंतालीस लाख तेरासी हजार एक सौ रु० मात्र	15 माह
2.	RDD(RWA)/ RANCHI/12/ 2019-20	रिंग रोड छोटा चुटटू से कमटोला नया रेपको तक पथ निर्माण कार्य (ल- 2.600 कि०मी०)	1,68,27,400.00	एक करोड़ अड़सठ लाख सत्ताईस हजार चार सौ रु० मात्र	12 माह

2. वेबसाईट में निविदा प्रकाशन की तिथि:– 14.08.2019
3. ई–निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय:– 26.08.2019 अपराह्न 5.00 बजे।
4. जिला नियंत्रण कक्ष, रांची में निविदा शुल्क, अग्रधन की राशि, शपथ पत्र के मूल प्रति एवं अपलोड किये गये तकनीकी योग्यता दस्तावेज की एक प्रति जमा करने की तिथि:– 27.08.2019 पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 3.30 बजे तक।
5. निविदा खोलने की तिथि एवं समय– 28.08.2019 पूर्वाह्न 11.30 बजे।
6. निविदा आमंत्रित करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पता:– मुख्य अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग(ग्रा० का० मामले), झारखंड, रांची, 102, द्वितीय तल्ला, अभियंत्रण भवन, रांची।
7. ई–निविदा प्रकोष्ठ का दूरभाष सं0– 0651–2207818
8. निविदा शुल्क भारतीय स्टेट बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट के रूप में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग(ग्रा० का० मामले), कार्य प्रमंडल, रांची के पक्ष में भुगतेय होगा जो लौटाया नहीं जायेगा।

विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाईट jharkhandtenders.gov.in में देखा जा सकता है।

बूंद – बूंद नहीं बरसेंगे तो बूंद को तरसेंगे

नोडल पदाधिकारी
ई–प्रोक्युरमेन्ट सेल

PR213477 (Rural Work Department)19-20*D

नाबालिग पर किशोर दोस्त को गोली मारने का आरोप

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 2 अगस्त।

शकरपुर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग ने अपने नाबालिग दोस्त की गोली मार कर हत्या कर दी। वारदात शुक्रवार सुबह करीब नौ बजे की है। मृतक की पहचान 16 साल के अजय के रूप में हुई है। सूचना मिलने मौके पर पहुंची पुलिस को छानबीन के दौरान पता चला कि गोली कट्टा से मारी गई थी। पुलिस ने बताया कि मौके पर मौजूद दो अन्य नाबालिगों से पूछताछ की जा रही है। अजय को जिस वक्त गोली मारी गई थी उस समय अजय समेत तीन नाबालिग दोस्त मौके पर थे। फिलहाल पुलिस ने गोली चलाने वाले नाबालिग को पकड़ लिया है और कट्टा भी जब्त कर लिया है।

पुलिस के मुताबिक अजय मूलरूप से बिहार का रहने वाला था। इन दिनों वह मंडावली में ही रहता था। वह लोगों के घरों में साफ-सफाई का काम करता था। तीनों इलाके में एक किराए के मकान में रहते थे। बताया जा रहा है कि सुबह नौ बजे वह इलाके के एक शोरूम में बैठ कर बातें कर रहे थे, तभी उन्हें एक कट्टा मिला। माना जा रहा है कि यह कट्टा शोरूम के मालिक का हो सकता है। कट्टा देखने के क्रम में गोली चल गई होगी और गोली अजय को जा लगी। गोली चलने की आवाज सुनकर शोरूम का मालिक बाहर निकला और वारदात की जानकारी पुलिस को दी।

घरेलू सहायक के रूप में काम करता था अजय

शकरपुर थाना पुलिस ने आरोपी नाबालिग को पकड़ा

मौके पर पहुंची पुलिस टीम अजय को पास के अस्पताल में लेकर गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराने के लिए लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में रखवा दिया है और वारदात की जानकारी बिहार में रहने वाले अजय के परिजनों को दे दी है। पुलिस का कहना है कि फिलहाल पकड़े गए दोनों नाबालिगों से पूछताछ कर मामले की जांच-पड़ताल कर रही है।

महाराष्ट्र के प्याज और टमाटर आने के बाद गिरेंगे दाम

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 2 अगस्त।

टमाटर व प्याज के दामों में अगले 15 दिन तक राहत के कोई संकेत नहीं। अगस्त से तीसरे सप्ताह के बाद इनके दामों में राहत मिलेगी। इस समय तक दिल्ली में महाराष्ट्र व नासिक से टमाटर-प्याज की आवक होगी, जिसके बाद दामों में गिरावट देखी जा सकेगी। शुक्रवार को खाद्य आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन की समीक्षा बैठक में यह रिपोर्ट सामने आई है।

बारिश शुरू होने के बाद से ही दिल्ली में टमाटर-प्याज के दाम बढ़े हुए है। संबंधित विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बीते सप्ताह की तुलना में टमाटर के दाम में मामूली गिरावट देखी गई है। नासिक व महाराष्ट्र से इन सब्जियों की आवक बढ़ने पर दामों को नियंत्रित किया जा सकेगा। वहीं प्याज के दामों में हुई बढ़ोत्तरी को भी खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने सामान्य बताया है। संबंधित मंत्री ने खाद्य आपूर्ति विभाग को आदेश दिए हैं कि टमाटर व प्याज की जमाखोरी करने वाली दुकानों की कड़ी निगरानी की जाए। अगर कहीं भी गड़बड़ी पाई जाती है तो उसके खिलाफ तुरंत कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि कार्यवाही होने की स्थिति में स्टॉक में जानबूझकर रोका गया माल बाजार में जनता के लिए उपलब्ध होगा और इससे भी दामों को नियंत्रित करने में मदद हासिल होगी।

युवकों पर इंस्पेक्टर को पीटने का आरोप

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 2 अगस्त।

बुराड़ी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में कार्यरत एक इंस्पेक्टर को मोटरसाइकिल सवार युवकों ने जमकर पीटा। इंस्पेक्टर ने मोटरसाइकिल चला रहे युवक को सड़क पर सही से वाहन चलाने की सलाह दी थी, जिससे नाराज होकर युवकों ने इंस्पेक्टर अशोक त्यागी की पिटाई की थी। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित के बयान पर मामला दर्ज कर लिया है और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान कर उनकी तलाश कर रही है।

पुलिस के मुताबिक अशोक त्यागी इन दिनों बुराड़ी अथॉरिटी में बतौर इंस्पेक्टर तैनात हैं। वह गुरुवार शाम अथॉरिटी से घर जा रहे थे। इसी दौरान बुराड़ी में नाला रोड पर मोटरसाइकिल सवार ने उनकी मोटरसाइकिल के सामने अपना वाहन अड़ा दिया। ऐसा करने पर उन्होंने युवक से वाहन सही से चलाने की सलाह दी। इसके बाद मोटरसाइकिल सवार युवकों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। बाद में सभी ने लात-घूसों से अशोक त्यागी की जमकर पिटाई की और मौके से फरार हो गए। इसी बीच किसी ने मारपीट की जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलने पर पुलिस ने घायल अशोक त्यागी के बयान पर मामला दर्ज कर लिया है।

बैंक प्रबंधक ने छह मंजिला इमारत से कूद कर दी जान

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 2 अगस्त।

आरकेपुरम थाना क्षेत्र के भीकाजी कामा प्लेस में एक बैंक के प्रबंधक ने छह मंजिल इमारत की छत से कूद कर जान दे दी। घटना की जानकारी गुरुवार दोपहर पुलिस को मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस घायल हालत में प्रबंधक को पास के अस्पताल में लेकर गई, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान अभिजीत के तौर पर हुई है। वह विजया बैंक में प्रबंधक के पद पर कार्यरत थे। शुरुआती छानबीन में पता चला है कि प्रबंधक कुछ दिनों से तनाव में थे। फिलहाल पुलिस परिजनों से पूछताछ कर मामले की छानबीन कर रही है।

शुरुआती छानबीन में पुलिस को पता चला कि तनाव में थे प्रबंधक

पुलिस के मुताबिक अभिजीत परिवार के साथ जनकपुरी में रहते थे। वह विजया बैंक के भीकाजी कामा प्लेस में स्थित शाखा में प्रबंधक के पद पर कार्यरत थे। वह गुरुवार को हर दिन की तरह समय पर अपने दफ्तर पहुंचे थे। दोपहर के समय लंच के दौरान करीब दो बजे वह अपने मोबाइल पर किसी से बात करते हुए छह मंजिले इमारत की छत पर चले गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बात करने के दौरान ही उन्होंने अचानक छत से नीचे छलांग लगा दी। छत से गिरने के कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गए और घटनास्थल पर काफी खून फैल गया। इधर इसकी सूचना मिलते ही बैंक के कर्मचारियों के साथ ही आसपास के दफ्तरों में काम करने वाले लोग मौके पर जुटे। इसी दौरान किसी ने पुलिस को जानकारी दे दी।

आज के कार्यक्रम

सभा/संगोष्ठी

इंडिया हैबिटाट सेंटर : पुस्तक पर चर्चा, गुलमोहर सभागार, इंडिया हैबिटाट सेंटर, लोदी रोड, शाम सात बजे।

प्रदर्शनी

आइफैक्स : सुरज घई की कला प्रदर्शनी, ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसायटी गैलरी, 1 रफी मार्ग, सुबह 11 बजे से 8 अगस्त तक।

इंडिया हैबिटाट सेंटर : फिल्म, स्टेन, इंडिया हैबिटाट सेंटर, लोदी रोड, शाम सात बजे।

METAL COATINGS (INDIA) LIMITED
CIN: L74899DL1994PLC063387
Registered office: 912, Hemkunt Chambers, 89, Nehru Place, New Delhi - 110 019
Website: www.mcil.net, Email: info@mcilindia.net
Tel: 011-41808125

NOTICE

Pursuant to Regulation 29, read with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that the meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on **Monday, 12th August, 2019 at 3:00 p.m.** at the Registered Office of the company, to, inter alia, consider, approve and take on record the Un-Audited Financial Results of the Company for the quarter ended **30th June, 2019.**

The said notice may be accessed on the Company's website at www.mcil.net and may also be accessed on the website of the stock exchange at www.bseindia.com

For Metal Coatings (India) Limited
Sd/-
Piyush Jain
Company Secretary & Compliance Officer

Place: New Delhi
Date: 02.08.2019

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)
प्र.का. आई टी विभाग
[illegible]

निविदा सूचना

"सुरक्षा समाधान और सेवाओं की आपूर्ति, स्थापना और रखरखाव" के लिए सीलबंद निविदाएँ आमंत्रित की गई है। विशेष विवरण तथा संबंधित जानकारी के लिए, आरएफपी बैंक की वेबसाइट **www.psbindia.com** से डाउनलोड किया जा सकता है। इसके साथ ही निविदा से संबंधित कोई भी परिवर्तन बैंक की वेबसाइट पर ही पोस्ट किया जायेगा।

सहायक महाप्रबंधक–आईटी

DR. FRESH ASSETS LTD
CIN- L74899DL1990PLC042302
Regd. Off. : B-1/E-24, Mohan Co-operative Industrial Estate, Mathura Road, New Delhi-110 044

NOTICE

Notice is hereby given that under Regulation 29 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) a Meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Wednesday, 14th August, 2019 inter alia to approve and take on record the Un-Audited Financial Results for the Quarter ended 30th June, 2019.

For **Dr Fresh Assets Ltd.**
Sd/-
Vijay Prakash Pathak
Whole Time Director
DIN: 07081958

Date : 01.08.2019
Place : Delhi

जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड

CIN: L45203UP2007PLC033119
पंजीकृत पता : सेक्टर 128, नोएडा–201304, उत्तर प्रदेश
दिल्ली कार्यालय : 'जेए हाउस', 63, बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली–110067
दूरभाष : +91(120) 4609000, फैक्स : +91 (120) 4609464 **वेबसाइट :** www.jaypeeinfratech.com
ई–मेल : jpinfratech.investor@jalindia.co.in

शेयरधारकों के लिए सूचना

कम्पनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 124 (6) के प्रावधानों के साथ पठित निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखापरीक्षा, अंतरण एवं वापसी) विनियम, 2016, यथा संशोधित, ('विनियम') के अनुसार कम्पनी के लिए यह आवश्यक है कि सभी शेयर जिनके पिछले लगातार सात वर्षों के लाभांशों का भुगतान या दावा नहीं किया गया केंद्र सरकार द्वारा गठित आईईपीएफ डीमैट खाते में अंतरित कर दें।

तदनुसार उपरोक्त के अनुपालन में कम्पनी बार–बार शेयरधारकों को कम्पनी की वेबसाइट पर दावारहित लाभांशों के बारे में विवरण उपलब्ध होने की सूचना देती रही है और दावारहित लाभांशों के लिए आवश्यक दस्तावेज़ के साथ अविलंब आवदेन करने का आग्रह करती रही है क्योंकि अब यदि कथित लाभांश और बाकी बचे सभी लाभांशों के दावे नहीं किए गए हैं और बिना दावे के पड़े हैं, तो कम्पनी को आईईपीएफ में दावारहित लाभांश अंतरित करने के समय उससे संबंधित शेयर भी अंतरित करने होंगे जिसके लिए नियत तिथियों का उल्लेख नीचे तालिका में लाभांश के सामने किया गया है। कम्पनी की 10वीं एवं 11वीं एजीएम की सूचनाओं में भी सभी शेयरधारकों को एक विवरण नोट के साथ यह सूचित किया गया, व्यक्तिगत पत्रों के माध्यम से उन सभी अंशधारकों को सूचित किया गया, जिनका नाम नीचे दी गई तालिका के किसी भी लाभांश की सूची में आ रहा है। यह पत्र आरटीए के रिकॉर्ड में दर्ज उनके सबसे हाल के पते पर भेजे गए हैं तथा नवंबर 2017, मार्च 2019 में समाचार पत्रों में प्रकाशित तथा इस प्रकाशित सूचना के माध्यम से भी जानकारी दी गई। कृपया ध्यान रखें कि दावे अविलंब प्रस्तुत करने हैं और प्रत्येक लाभांश के समक्ष दर्ज उल्लिखित तिथियों से कम से कम 15 दिन पूर्व प्रस्तुत करने होंगे। यह सूचना निम्नलिखित सभी लाभांशों के संबंध में उपरोक्त धारा और विनियमों के अनुसार दी जा रही है और इसके बाद लाभांश और संबधित शेयर आईईपीएफ में अंतरित करने से पहले कोई सूचना देना कम्पनी के लिए केवल एक विकल्प होगा और अनिवार्य नहीं होगा। आप से पुनः आग्रह है कि नीचे दिए लिंक पर अपलोड फाइलों से अपने विवरण ढूंढ़ लें और यह देख लें कि क्या इन सूचियों में बतौर ऐसे शेयरधारक आपका नाम दर्ज है जिनके लाभांश और शेयर आईईपीएफ डीमैट खाते में अंतरित किए जाने के लिए बद्ध हैं। ये सूचियां www.jaypeeinfratech.com पर उपलब्ध हैं।

लाभांश	आईईपीएफ में अंतरण की नियत तिथि
अंतिम लाभांश 2011–12	02.11.2019
अंतरिम लाभांश 2012–13	03.09.2020

संबंधित शेयरधारक जिनके शेयर भौतिक रूप में हैं और जिनके शेयर आईईपीएफ डीमैट खाते में अंतरित होने हैं कृपया ध्यान रखें कि कम्पनी कथित विनियम के नियम 63 (3) (डी) तहत शेयरों के आईईपीएफ डीमैट खाते में अंतरण के उद्देश्य से मूल शेयर सर्टिफिकेट के बदले नए शेयर सर्टिफिकेट जारी करेगी और इसके बाद शेयरधारक के नाम पंजीकृत मूल शेयर सर्टिफिकेट अपने–आप रद्द हो जाएंगे और उन्हें लेन–देन के लिए अयोग्य माना जाएगा। यदि शेयर डीमैट रूप में हैं तो नियमानुसार डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के माध्यम से सीधे आईईपीएफ खाते में अंतरित कर दिए जाएंगे। शेयरधारक यह भी ध्यान रखें कि नियमानुसार शेयरों के डीमैट खाते में अंतरण के उद्देश्य से कम्पनी की वेबसाइट पर अपलोड किए गए ववरणों को नए शेयर सर्टिफिकेट जारी करने के संबंध में कम्पनी की ओर से पर्याप्त सूचना (उपरोक्त सभी लाभांशों के लिए) मानी जाएगी।

शेयरधारक कृपया यह भी ध्यान रखें कि दावा नहीं किए गए लाभांश और आईईपीएफ/आईईपीएफ डीमैट खाते में अंतरित शेयर ऐसे शेयरों पर एकत्र सभी लाभ (यदि कोई हो) समेत आईईपीएफ प्राधिकरण से वापस प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके लिए www.iepf.gov.in पर उपलब्ध फॉर्म आईईपीएफ 5 में ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

उपरोक्त के संबंध में कोई संशय दूर करने के लिए शेयरधारक कृपया कम्पनी या कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड, कम्पनी के रजिस्ट्रार और ट्रांस्फर एजेंट, कार्वी सेलेनियम, टावर बी, प्लॉट 31–32, गाछीबावली, फाइनैंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद–500 032; फैक्स सं. 040-23001153, टोल फ्री नंबर: 1800-4258-998, Email:einward.ris@karvy.com. से संपर्क करें।

कृते **जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड**
(सुरेन्द्र कुमार माटा)
अतिरिक्त महाप्रबंधक (सेक्ट.) एवं कम्पनी सचिव
(सदस्यता सं. ए–7762)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 01.08.2019

ICRA

ICRA Limited

Corporate Identity Number (CIN): L74999DL1991PLC042749
Registered Office: 1105, Kailash Building, 11th Floor, 26, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110 001
Telephone No.:+91-11-23357940-45; **Website:** www.icra.in; **Email ID:** investors@icraindia.com

EXTRACT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2019

(₹ in lakh)

S. No.	Particulars	Quarter ended June 30, 2019 (Unaudited)	Year ended March 31, 2019 (Audited)	Quarter ended June 30, 2018 (Unaudited)
1	Total income from operations	5,137.73	23,013.83	5,652.96
2	Net profit/(loss) for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	2,335.89	13,106.67	3,150.99
3	Net profit/(loss) for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	2,335.89	13,106.67	3,150.99
4	Net profit/(loss) for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	1,491.10	9,597.30	2,276.46
5	Total comprehensive income for the period [comprising profit/(loss) for the period (after tax) and Other comprehensive income (after tax)]	1,480.81	9,574.19	2,272.45
6	Equity share capital	965.12	965.12	990.33
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year		53,859.47	
8	Earnings per share (of ₹ 10/- each)			
	Basic:	15.50	98.36	23.08
	Diluted:	15.50	98.32	23.06

EXTRACT OF CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2019

(₹ in lakh)

S. No.	Particulars	Quarter ended June 30, 2019 (Unaudited)	Year ended March 31, 2019 (Audited)	Quarter ended June 30, 2018 (Unaudited)
1	Total income from operations	7,703.63	32,806.00	7,866.59
2	Net profit/(loss) for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	3,144.98	15,203.81	3,711.73
3	Net profit/(loss) for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	3,144.98	15,203.81	3,711.73
4	Net profit/(loss) for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	2,035.29	10,458.26	2,537.91
5	Total comprehensive income for the period [comprising profit/(loss) for the period (after tax) and Other comprehensive income (after tax)]	2,024.09	10,414.94	2,537.72
6	Equity share capital	965.12	965.12	990.33
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year		62,825.10	
8	Earnings per share (of ₹ 10/- each)			
	Basic:	20.91	106.63	25.56
	Diluted:	20.91	106.58	25.54

NOTES:

1. The Company is in the process of addressing certain ongoing matters. Firstly, the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") has initiated adjudication proceeding ("Adjudication Proceeding") related to the credit ratings assigned to one of the Company's customers and the customer's subsidiaries. The settlement application filed in this regard by the Company has been rejected by SEBI. The Company is also cooperating with government agencies and responding to their queries in relation to this matter. Secondly, the Board of Directors of the Company has appointed external experts to examine and report on anonymous representations against its officials, which were forwarded to the Company by SEBI ("Representations"). There have been certain retaliatory allegations during the course of the internal examination of the Representation for which the Board is in process of appointing external experts to examine. Thirdly, the Company has received a letter from SEBI seeking comments on observations made in the interim report dated July 15, 2019 prepared by Grant Thornton India LLP, which was commissioned by the IL&FS group.
   While the Company has made a provision for penalty on a prudent basis with regards to the Adjudication Proceeding, the Adjudication Proceeding as well as the examinations and other matters noted above remain ongoing and the results of which are not yet available or known. In the meantime, the Board of Directors of the Company, on July 1, 2019, placed its Managing Director and Group CEO on administrative leave, with immediate effect until further notice.
   As on date, the Company is unable to estimate the impact, if any, that may result from a potential unfavorable conclusion of these matters or any related inquiry.
2. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Standalone and Consolidated Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (SEBI) (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The Statutory auditors of the Company have carried out limited review of the Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter ended June 30, 2019 and a qualified report (in respect of matter described in Note-1 above) has been issued. The full format of the Quarterly Standalone and Consolidated Unaudited Financial Results and auditor's review reports are available on the Stock Exchange websites of National Stock Exchange and BSE at www.nseindia.com and www.bseindia.com respectively and under the Investors section on the Company's website www.icra.in.

By Order of the Board of Directors
Arun Duggal
Chairman
(DIN: 00024262)

Place : Gurugram
Date : August 1, 2019

नेटवर्क लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: W-30, [illegible] फेज-II, नई दिल्ली-110020
ई-मेल आईडी: network.limited@gmail.com
वेबसाइट: www.networklimited.net
फोन नं.: 011-41067060
CIN: L32209DL1989PLC034797

सूचना

सेबी (सूचीबद्ध प्रतिभूति एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) अधिनियम, 2015 के अधिनियम 29 के अनुसार एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के लिए अन्य बातों के साथ अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार करने, मंजूरी लेने और रिकॉर्ड पर लेने के लिए शनिवार, 10 अगस्त, 2019 को प्रातः 11:30 बजे आयोजित होगी।

फ्लो नेटवर्क लिमिटेड
हस्ता./-
अशोक साहनी
निदेशक

तिथि: 02.08.2019
स्थान: नई दिल्ली

कोटिया एंटरप्राइजेज लिमिटेड
CIN: L74110DL1980PLC010878
पंजी. कार्या. 206, न्यू दिल्ली हाउस, 27, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली– 110001
फोन– 91-11-43045955
ईमेल: compliance@kotiaenterprises.com
वेबसाइट: www.kotiaenterprises.com

बोर्ड बैठक की सूचना

सेबी (सूचीबद्ध प्रतिभूतियाँ एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमावली, 2015 के विनियम 29(1) एवं 47(1)(ए) एवं 33 के अनुपालन में, एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि, **कोटिया एंटरप्राइजेज लिमिटेड** के निदेशक मंडल की बैठक परिणाम, 12 अगस्त, 2019 को कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाएगी जिसमें 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के लिए अनेंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार एवं अनुमोदन करना और 31 मार्च, 2019 को समाप्त तिमाही / वित्तीय वर्ष के लिए एकल/एकीकृत लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार एवं अनुमोदन करना है।

सेबी (आंतरिक व्यापार का निषेध) विनियम, 2015, के अनुसार कंपनी की प्रतिभूतियों में व्यापार के लिए आंतरिक द्वारा कंपनी की प्रतिभूतियों से निपटने के लिए कंपनी द्वारा 05 अगस्त, 2019 से कंपनी डब्ल्यू बंद कर दिया गया है और 14 अगस्त, 2019 तक बंद रहेगा।

कृते **कोटिया एंटरप्राइजेज लिमिटेड**
हस्ता./–
अंकित अग्रवाल
प्रबंध निदेशक
DIN:00254327

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 02.08.2019

Selan Exploration Technology Limited
Regd. Office: J-47 / 1, Shyam Vihar, Dindarpur, Najafgarh, New Delhi - 110 043
CIN: L74899DL1985PLC021445
Website: www.selanoil.com
E-mail: investors@selanoil.com
Tele Fax No.: 0124-4200326

NOTICE

Notice (pursuant to Regulation 47 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015) is hereby given that a Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Saturday, 10 August 2019 to consider and take on record, inter-alia, the Unaudited Financial Results for the quarter ended 30 June 2019.

For **Selan Exploration Technology Ltd.**
Sd/-
Pooja Agnihotri
Company Secretary

Date: 02 August, 2019
Place: Gurgaon

MAXPLUS LOGISTICS LIMITED
(Formerly Known as MC-STITCH LIMITED)
CIN: L65999DL1985PLC02232
Regd. Office : 1, Community Centre, East of Kailash, New Delhi-110 065
email: sanjeev.chandra@gmail.com
website: www.maxpluslogisticslimited.com
Tel. No. : 011-49057869

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulations, 2015, Notice is hereby given that a Meeting of Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Wednesday, 14th August, 2019 at the Registered Office to inter alia approve and take on record the Un Audited Financial Results for the Quarter ended 30th June, 2019, alongwith Limited Review Report thereon.

The Notice is also available on the Stock Exchanges website www.msei.in and Company's website www.maxpluslogisticslimited.com.

For Maxplus Logistics Limited
Sd/-
Sanjeev Chandra
Director and CEO

Place : New Delhi
Date : 01.08.2019

केआरए लिजिंग लिमिटेड
CIN: L65993DL1990PLC039637
E: kraleasing1990@gmail.com;
W: www.kraleasing.com
पंजीकृत कार्यालय: सी-20, एसएमए को–आपरेटिव इन्डस्ट्रियल इस्टेट, जी टी करनाल रोड, दिल्ली-110033
कारपोरेट कार्यालय: प्लॉट न० 03, सेक्टर 11, आईएमटी मानेसर, गुरूग्राम-122050, हरियाणा, Ph. No: 0124-4746817

सूचना

सेबी के विनियमन 29 साथ में पठित विनियमन 47 (सूची दायित्वों एवं प्रकटीकरण आवश्कतायें) विनियमन 2015, के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना प्रदान की जाती है कि 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर अन्य व्यवसायिक कार्यसूची तथ्यों के साथ विचार एवं स्वीकृत करने एवं कार्यसूची अनुसार अन्य व्यवसाय हेतु कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक सोमवार, 12 अगस्त, 2019 को कम्पनी के कारपोरेट कार्यालय **प्लॉट न० 03, सेक्टर-11, आईएमटी मानेसर, गुरूग्राम, हरियाणा-122050** में सायं 03:00 बजे आयोजित की जायेगी।

"कम्पनी के इक्वीटी शेयरधारक मंडल की सुनिश्चित बैठक में चर्चा होने वाले अपने प्रश्न/कार्यसूची, यदि कोई हों, वर्ड फाइल मे अपने नाम, पते, फोलियो न०/डीपी आईडी एवं ग्राहक आईडी के साथ शेयर धारित संख्या के साथ **kraleasing1990@gmail.com** पर आमंत्रित है।"

मंडल की बैठक की सूचना कम्पनी की वेवसाइट **www.kraleasing.com** एवं स्टॉक एक्सचेन्ज की वेवसाइट **www.msei.in** पर भी उपलब्ध है।

बोर्ड के आदेशानुसार
कृते केआरए लिजिंग लिमिटेड
हस्ता०/–
अंकित धमिजा
कम्पनी सचिव कम अनुपालन अधिकारी
सदस्यता संख्या: 26765
पता: एच. न. 165, सेक्टर-04, पार्ट-II,अर्बन इस्टेट, करनाल हरियाणा-132001

स्थान: गुरूग्राम
तिथि: 02.08.2019

PNB GILTS LTD
पीएनबी गिल्ट्स लिमि.
CIN: L74899DL1996PLC077120
रजि. ऑफिस: 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001
फोन : 011-23325756, 23325779, फैक्स : 011-23325751, 23325753
ई–मेल: pnbgilts@pnbgilts.com, वेबसाइट: www.pnbgilts.com

23वीं वार्षिक आम बैठक रिमोट ई–वोटिंग और बुक क्लोजर की सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी की 23वीं वार्षिक आम बैठक बुधवार, 28 अगस्त, 2019 को पूर्वाह्न 10.30 बजे मल्टी–पर्पस हॉल, पंजाब नेशनल बैंक, प्रधान कार्यालय, प्लॉट न. 4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली – 110075 में निर्धारित की गई है।

वार्षिक आम बैठक (एजीएम) का नोटिस, उसका एजेन्डम और मार्च 31, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन सदस्यों को भेज दी गई है, जिनके ई–मेल आईडी कंपनी अथवा डिपॉजटरी प्रतिभागी (यों) के साथ पंजीकृत है और ये उन सदस्यों को भौतिक माध्यम से भेजी गई है जिनके ई–मेल आईडी न तो कंपनी के साथ पंजीकृत है और न ही डिपॉजटरी प्रतिभागी (यों) के साथ पंजीकृत है। कंपनी ने इन का वितरण कार्य (इलेक्ट्रॉनिक या भौतिक माध्यम द्वारा) शुक्रवार, 2 अगस्त, 2019 को समाप्त कर दिया है।

वार्षिक रिपोर्ट सहित एजीएम आदि का नोटिस और उसका एजेन्डम कंपनी की वेबसाइट www.pnbgilts.com पर Investor Relations>>Financial Results खंड के तहत भी उपलब्ध है। जिन सदस्यों को यह प्राप्त नहीं हुई है, वे इसे कंपनी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या वे कंपनी सचिव को उपरोक्त पते पर पत्र लिखकर इसकी प्रति के लिये अनुरोध कर सकते हैं। उक्त वार्षिक आम बैठक में संचालित किये जाने वाले बिजनेस की मदों से संबंधित दस्तावेज निरीक्षण के लिये कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में, वार्षिक आम बैठक की तिथि तक सभी कार्य दिवसों को (शनिवार को छोड़कर), पूर्वाह्न 9.30 बजे से अपराह्न 5.30 बजे तक, उपलब्ध हैं।

कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुरूप, कंपनी अपने सदस्यों को एजीएम नोटिस और उसके एजेन्डम में दिये गये प्रत्येक मद पर एजीएम स्थल के अलावा किसी दूसरे स्थान से, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के जरिये, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (रिमोट ई–वोटिंग) द्वारा अपना वोट डालने की सुविधा प्रदान कर रही है। इसलिए एजीएम के निर्धारित बिजनेस का संचालन एनएसडीएल की ई–वोटिंग सेवाओं के जरिये हो सकता है। एजीएम नोटिस और उसका एजेन्डम एनएसडीएल की वेबसाइट http://www.evoting.nsdl.com/ पर भी उपलब्ध हैं।

अतः सभी सदस्यों को निम्नानुसार सूचित किया जाता है :

- रिमोट ई–वोटिंग शनिवार, 24 अगस्त, 2019 को पूर्वाह्न 9.00 बजे से शुरू होगी और मंगलवार, 27 अगस्त, 2019 को अपराह्न 5.00 बजे समाप्त होगी।
- मंगलवार, 27 अगस्त, 2019 को अपराह्न 5.00 बजे के बाद रिमोट ई–वोटिंग की अनुमति नहीं होगी।
- वोट की पात्रता निर्धारित करने के लिये कट ऑफ तिथि बुधवार, 21 अगस्त, 2019 होगी।
- एजीएम स्थल पर बैलेट पेपर द्वारा मतदान की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। बैठक में शामिल वे सदस्य, जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, वे एजीएम में अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं।
- मताधिकार के इस्तेमाल के बाद, मत में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है।
- जिन सदस्यों ने रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल दिया है, वे एजीएम में भाग ले सकते हैं मगर वे एजीएम में दोबारा वोट नहीं डाल सकते।
- कोई भी व्यक्ति जो एजीएम नोटिस के वितरण के बाद कंपनी का सदस्य बनता है तथा कट ऑफ तिथि अर्थात् बुधवार, 21 अगस्त, 2019 तक शेयर अपने पास रखता है, वह अपना लॉगइन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिये evoting@nsdl.co.in पर अपना अनुरोध ई–मेल द्वारा भेज सकता है। लेकिन यदि व्यक्ति पहले से ही ई–वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पंजीकृत है, तो वह मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड वोट डालने के लिए इस्तेमाल कर सकता है।
- जिन व्यक्तियों के नाम कट ऑफ तिथि अर्थात् बुधवार, 21 अगस्त, 2019 को सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजटरी द्वारा रखे गए लाभांश स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, वे रिमोट ई–वोटिंग या एजीएम में बैलेट पेपर द्वारा मतदान करने की सुविधा का लाभ उठाने के पात्र होंगे।
- सदस्य रिमोट ई–वोटिंग पर विस्तृत प्रक्रिया और पद्धति की जानकारी के लिए 23वीं एजीएम के नोटिस को पढ़ सकते हैं और रिमोट ई–वोटिंग से संबंधित किसी भी प्रश्न के मामले में वे www.evoting@nsdl.com पर उपलब्ध बार–बार पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यूज) तथा ई–वोटिंग यूजर मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं अथवा श्रीमती पल्लवी म्हात्रे, सहायक प्रबंधक, एनएसडीएल से किसी भी स्पष्टीकरण/ शिकायत के लिए ट्रेड वर्ल्ड, "A" विंग, कमला मिल्स कम्पाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई–400013 पर पत्राचार करें अथवा pallavid@nsdl.co.in/ evoting@nsdl.co.in पर अथवा निम्नलिखित टेलीफोन नम्बरों पर संपर्क करें. 022–24994545 (Toll free no.-1800-222-990)। सदस्य रिमोट ई–वोटिंग से संबंधित किसी भी शिकायत हेतु कंपनी सचिव से उपरोक्त पते/विवरण पर अथवा m.kochar@pnbgilts.com पर ई–मेल भेजकर संपर्क भी कर सकते हैं।

इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91, कंपनीज (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 10 (1) और सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अनुरूप यह भी सूचना दी जाती है कि सदस्यों का रजिस्टर और कंपनी की शेयर हस्तांतरण पुस्तकें, (क) वार्षिक आम बैठक और (ख) वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए वित्तीय लाभांश रू. 1.40 प्रति शेयर (अर्थात @14%) प्राप्त करने की शेयरधारकों की पात्रता निर्धारण के संबंध में शनिवार, 17 अगस्त 2019 से बुधवार, 28 अगस्त 2019 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेगी। लाभांश यदि अनुमोदित हो तो, उन सदस्यों (अथवा उनके मनोनीत) को दिया जाएगा, जिनके नाम 16 अगस्त, 2019 को कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में भौतिक रूप से दर्ज होंगे। डिमैटीरियलाइज्ड स्वरूप में धारित शेयरों के संबंध में, लाभांश का भुगतान उन लाभांश स्वामियों को होगा, जिनका विवरण उनके डिपॉजिटरीज द्वारा 16 अगस्त 2019 की समाप्ति तक दिया जाएगा।

उपरोक्त सूचना कंपनी की वेबसाइट www.pnbgilts.com और स्टॉक एक्सचेंजेस की वेबसाइट www.nseindia.com और www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।

निदेशक मण्डल के आदेशानुसार
कृते पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड
हस्ता०/–
(मोनिका कोचर)
कम्पनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 02.08.2019

ओसवाल लीजिंग लिमिटेड
CIN: L65910DL1983PLC016036
पंजी. कार्यालय: 105, अशोका इस्टेट, 24, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001
E-mail: oswal_leasing@owmnahar.com
Website: www.owmnahar.com

बोर्ड की बैठक की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियमन 29 के साथ पठित विनियमन 47 के अनुपालन में कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक सोमवार, 12 अगस्त, 2019 को 3.30 बजे अप. में 105, अशोका इस्टेट, 24, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001 में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जायेगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही तथा तीन महीने तथा अन्य समान मदों पर विचार तथा अनुमोदन किये जाएंगे।

उक्त सूचना कम्पनी की वेबसाईट **www.owmnahar.com** तथा साथ ही स्टॉक एक्सचैंज की वेबसाईट **www.bseindia.com** पर देखी जा सकती है।

ओसवाल लीजिंग लिमिटेड के लिये
हस्ता./–
पलक नारंग
(कम्पनी सचिव)
ACS 43749

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 2.8.2019

कॉर्पोरेट मर्चेन्ट्स बैंकर्स लिमिटेड
पंजी.कार्या.: यूजी-24, विश्वदीप टावर, डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058
CIN: L74899DL1994PLC061107
E-mail ID: cmbldelhi@gmail.com
Ph. No. 91-11-65382244
Website: www.cmbl.co.in

सूचना

सेबी (सूचीयन दायित्व एवं उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 29 एवं विनियमन 33 के साथ पठित विनियमन 47 के अनुपालन में मै. कॉर्पोरेट मर्चेन्ट बैंकर्स लिमिटेड के निदेशक मंडल की एक बैठक बुधवार, 8 अगस्त, 2019 को पंजी. कार्यालय में 5.00 बजे अप. में आयोजित की जायेगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के लिये कम्पनी के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार तथा अनुमोदन किये जायेंगे।

विस्तृत विवरण कम्पनी की वेबसाइट www.cmbl.co.in तथा साथ ही बीएसई लिमिटेड एवं एमएसईआई लिमिटेड जहां कम्पनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, की वेबसाईट http://www.bseindia.com एवं www.msei.in पर उपलब्ध होंगे।

कॉर्पोरेट मर्चेन्ट बैंकर्स लिमिटेड के लिये
हस्ता./–
पार्णे वेंकटेश्वर रेड्डी
निदेशक
DIN: 06446233

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 2.8.2019

प्रपत्र ए
सार्वजनिक उद्घोषणा

{भारत दिवाला तथा दिवालिया मण्डल (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 6 के अंतर्गत}

एम.के. पिकॉक मिनिरल वाटर प्राईवेट लिमिटेड के क्रेडिटरों के ध्यानार्थ

1.	कार्पोरेट ऋणधारक का नाम	एम.के. पिकॉक मिनिरल वाटर प्राईवेट लिमिटेड
2.	कार्पोरेट ऋणधारक के निगमन की तिथि	22/11/1993
3.	यह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कार्पोरेट ऋणधारक निगमित/पंजीकृत है	कम्पनी अधिनियम, 1956, रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनी, एनसीटी दिल्ली एवं हरियाणा, नई दिल्ली
4.	कार्पोरेट पहचान संख्या, कार्पोरेट ऋणधारक का लिमिटेड लाएबिलिटि पहचान संख्या	U74899DL1993PTC056162
5.	कार्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	एस–410, ग्रेटर कैलाश पार्ट–II, नई दिल्ली–110048
6.	कार्पोरेट ऋणधारक के संदर्भ में दिवाला आरम्भ होने की तिथि	26 जुलाई 2019 (माननीय एनसीएलटी दिल्ली बेंच सी.पी. नं. आईबी–1279/(एनडी)/2018 से 26.07.2019 को आदेश दिया गया आदेश की प्रति 01.08.2019 को एनसीएलटी से ईमेल के माध्यम से आईआरपी द्वारा प्राप्त हुआ)
7.	दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया के समापन के अनुमानित तिथि	22 जनवरी 2020
8.	इन्सालवेन्सी प्रोफिशनल का नाम, पंजीकरण संख्या के अंतरिम प्रस्ताव प्रोफिशनल के रूप में कार्यरत है।	राजीव बजाज IBBI/IPA-002/IP-N00276/2017-18/10834
9.	बोर्ड में यथा पंजीकृत अंतरिम प्रस्ताव प्रोफिशनल का पता एवं ई–मेल	4/180, भूतल बैकसाइड, सुभाष नगर, नई दिल्ली–110027 ईमेल : rbajajip@gmail.com
10.	अंतरिम प्रस्ताव प्रोफिशनल के साथ पत्राचार के लिए प्रयुक्त होने वाला पता तथा ई–मेल	4/180, भूतल बैकसाइड, सुभाष नगर, नई दिल्ली–110027 ईमेल : cirpmk@gmail.com
11.	दावे जमा करने की अंतिम तिथि	14 अगस्त 2019
12.	क्रेडिटर का वर्ग यदि कोई हो धारा 21 की उप–धारा (6ए) के उपबंध (बी) के अंतर्गत, अंतरिम प्रस्ताव प्रोफिशनल द्वारा सुनिश्चित किया गया	लागू नहीं
13.	किसी वर्ग में क्रेडिटर के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए पहचान किये गये इन्साल्वेन्सी प्रोफिशनल का नाम (प्रत्येक वर्ग से तीन नाम)	लागू नही

जनसत्ता

3 अगस्त, 2019

गंगा का जीवन

गंगा का पानी प्रदूषित होने के मसले पर जब से चिंताएं सामने आने लगीं, तब से अब तक उसे प्रदूषण मुक्त बनाने के नाम पर हजारों करोड़ रुपए बहा दिए गए हैं। लेकिन पिछले तीन दशक से ज्यादा समय से यह क्रम लगातार जारी रहने के बाद भी हालत यह है कि कुछ अंतराल के बाद इस समस्या के और ज्यादा गहराने की ही खबरें आती रहती हैं। गंगा की न केवल सफाई का सवाल आज भी मुंह बाए खड़ा है, बल्कि उसके लिए बहाए जाने वाले इतने पैसे कहां और कैसे खर्च किए गए और उसका क्या नतीजा सामने आया, इसके बारे में शायद कोई हिसाब भी नहीं है। अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि आज भी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) को इस मसले पर निर्देश जारी करने पड़ रहे हैं। शुक्रवार को गंगा में अपशिष्ट और औद्योगिक कचरा प्रवाहित होने पर कड़ा संज्ञान लेते हुए सीपीसीबी ने चार राज्यों के प्रदूषण बोर्डों को निर्देश दिया है कि वे पर्यावरणीय मानदंडों का पालन नहीं करने वाली इकाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें और जरूरत पड़ने पर उन्हें बंद भी करें। सीपीसीबी ने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्षों को पंद्रह दिनों के भीतर निरीक्षण की रिपोर्ट पेश करने को कहा है।

जाहिर है, गंगा को स्वच्छ बनाने के मकसद से शुरू की गई 'नमामि गंगे' से लेकर अतीत की तमाम योजनाओं का हासिल अब भी यही है कि इस नदी में प्रदूषण फैलाने वालों पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका है। सवाल है कि जिस नदी को देश के जनजीवन और पर्यावरण के लिए इतना जरूरी घोषित किया गया है, उसे स्वच्छ रखने के प्रति समाज से लेकर सरकारी महकमों तक की लापरवाही को निर्बाध क्यों छोड़ दिया गया था! बुरी तरह प्रदूषित हो गई गंगा की सफाई के लिए चलाए गए अभियानों की हकीकत भी तब सामने आती रहती है, जब सुप्रीम कोर्ट की ओर से सरकार को फटकार लगाई जाती है या फिर प्रदूषण नियंत्रण एजेंसियां राज्य सरकारों को इस दिशा में ठोस कदम उठाने का निर्देश देती हैं। आखिर किन वजहों से आज भी शहरों के नालों के जरिए अपशिष्ट बहाए जाते हैं या फिर औद्योगिक इकाइयों को गंगा में कचरा प्रवाहित करने की अघोषित छूट मिली हुई है? क्या इस स्थिति के बने रहते हुए यह उम्मीद की जा सकती है कि गंगा का पानी प्रदूषित होते जाने को रोका जा सकेगा?

खुद सीपीसीबी के हाल के एक अध्ययन के मुताबिक उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक गिनती की कुछ जगहों को छोड़ दिया जाए तो गंगा नदी का पानी पीने लायक तो दूर, नहाने लायक भी नहीं रह गया है। नदी में 'कोलीफॉर्म' जीवाणु का स्तर इतना बढ़ गया है कि वह मनुष्य की सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। यह हालत तब है जब गंगा की सफाई पर पहले की योजनाओं में खर्च राशि के बाद 2014 से 2018 तक इसी मद में साढ़े पांच हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम जारी की गई और उसमें लगभग चार हजार करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। इस मसले पर राष्ट्रीय हरित पंचाट से लेकर अलग-अलग अदालतों ने समय-समय पर सरकार और संबंधित महकमों की लापरवाही पर सवाल उठाया है। लेकिन यह समझना मुश्किल है कि जिस गंगा की शुद्धता और पवित्रता के हवाले से राजनीति भी की जाती रही है, उसे स्वच्छ बनाने के तमाम अभियानों की हकीकत इस कदर अफसोसनाक क्यों है! गंगा को स्वच्छ बनाने का दम भरने वाली सरकारों के दावों के बरक्स उनकी इच्छाशक्ति इतनी कमजोर क्यों दिखती है!

सेवा और सवाल

अगर जनता को बिजली, पानी, चिकित्सा और शिक्षा जैसी बुनियादी सेवाएं मुफ्त में मिलने लगें तो उसके लिए राहत और खुशी की इससे बड़ी क्या बात हो सकती है! एक कल्याणकारी राज्य और उसमें सरकार की यह जिम्मेदारी भी बनती है कि वह अपने नागरिकों को बुनियादी जरूरत वाली चीजों और सेवाओं को निशुल्क या मामूली दाम पर उपलब्ध कराए। वरना कल्याणकारी सरकार होने का मतलब ही क्या रह जाता है! ऐसे में अगर कोई सरकार इस दिशा में पहल करती है तो क्यों नहीं उसका स्वागत होना चाहिए, भले यह चुनावी पैंतरा ही क्यों न हो! ऐसा ही करिश्मा दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने किया है। दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला करते हुए दो सौ यूनिट तक खपत पर बिजली बिल माफ कर दिया है। यानी दो सौ यूनिट बिजली दिल्ली सरकार मुफ्त देगी। यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इससे पहले दिल्ली सरकार ने पिछले साल बीस हजार लीटर पानी मुफ्त देने की पहल की थी, जिस पर बाद में दिल्ली हाईकोर्ट ने सवाल उठाए थे।

दिल्ली सरकार ने दो सौ यूनिट बिजली तो मुफ्त देने का एलान किया है। इसके अलावा, दो सौ से चार सौ यूनिट तक खर्च करने वालों को बिल में पचास फीसद की सबसिडी मिलेगी। यानी आधा खर्च सरकारी पैसे से भरा जाएगा। इससे दिल्ली सरकार पर छह सौ करोड़ रुपए सालाना का बोझ पड़ेगा। सरकार का दावा है कि दो सौ यूनिट तक मुफ्त बिजली के फैसले से तैंतीस लाख लोगों को फायदा होगा। एक मोटे अनुमान के मुताबिक पैंतीस फीसद उपभोक्ता ऐसे हैं जो दो सौ यूनिट से भी कम बिजली खर्च करते हैं। इनमें समाज के कमजोर और गरीब तबके के परिवार ही हैं। ऐसे में दिल्ली की आबादी के एक बड़े हिस्से के लिए केजरीवाल सरकार का यह कदम राहत भरा है। मुफ्त बिजली-पानी के लिए मुख्यमंत्री हमेशा से यह तर्क भी देते आए हैं कि जब देश के नेताओं, मंत्रियों, सांसदों, विधायकों के लिए बिजली मुफ्त हो सकती है तो गरीब जनता के लिए क्यों नहीं!

इसमें कोई दो राय नहीं कि दो सौ यूनिट मुफ्त बिजली दिल्ली सरकार का विशुद्ध रूप से चुनावी कदम है। सरकार अगर गरीबों को वाकई राहत देना चाहती थी तो पिछले चार साल में उसने यह फैसला क्यों नहीं किया? अब चुनाव करीब आते ही सरकार को गरीबों का खयाल आया है। दिल्ली की चुनावी राजनीति में बिजली बड़ा मुद्दा रहा है। आम आदमी पार्टी ने 2013 से ही बिजली के बढ़े दामों को मुद्दा बनाया था और इसे लेकर अरविंद केजरीवाल ने पंद्रह दिन का अनशन भी किया था। इस मुद्दे ने आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई। उनकी पार्टी ने राजधानी की जनता से वादा भी किया था कि सत्ता में आते ही सस्ती बिजली दी जाएगी। दिल्ली से सटे राज्यों हरियाणा और उत्तर प्रदेश में बिजली काफी महंगी है। दो सौ यूनिट तक के लिए गुड़गांव में नौ सौ रुपए से ज्यादा और नोएडा में तेरह सौ रुपए चुकाने पड़ने हैं। हालांकि चुनाव से ठीक पहले जनता को अपने पक्ष में करने के मकसद से सरकारें ऐसे कदम उठाती रही हैं, दिल्ली सरकार ने इससे पहले मेट्रो में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा का कार्ड चला था, लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि मुफ्त की सेवाएं और सुविधाएं सिर्फ जरूरतमंदों को मिलें। ऐसे खर्चों का बोझ अंतिम तौर पर सरकारी खजाने पर पड़ता है और उसका खमियाजा अलग शक्ल में आम जनता को ही उठाना पड़ता है।

कल्पमेधा

आप हर इंसान का चरित्र बता सकते हैं, यदि आप देखें कि वह प्रशंसा से कैसा प्रभावित होता है।

-सेनेका

बुजुर्ग आबादी और चुनौतियां

मनीषा सिंह

बदलती सामाजिक व्यवस्था के कारण और घरों के सिकुड़ने से जहां परिवार छोटे हुए हैं, वहीं परिवारों में बुजुर्गों की भूमिका भी कम हुई है। पहले बुजुर्ग परिवार का महत्त्वपूर्ण अंग होते थे। नई पीढ़ी उनसे सामाजिक मूल्यों की विरासत का पाठ पढ़ती-सीखती थी। लेकिन अब बच्चे मोबाइल या टीवी में उलझे रहते हैं। उनके पास बुजुर्गों से बात करने का समय नहीं होता। बड़े शहरों में परिवार चलाने के लिए अगर पति-पत्नी दोनों कामकाजी होते हैं, तो घर के बुजुर्गों से बात किए हफ्तों भी बीत जाते हैं।

बढ़ती आबादी समस्या है या इसे मानव पूंजी अथवा संसाधन के रूप में देखा जाए, इस बहस का जवाब शायद ही कभी मिले। यह बहस खासतौर से इसलिए उठी है कि आबादी से जुड़ी जो गंभीर समस्याएं सामने आ रही हैं, उनका कोई युक्तिसंगत समाधान फिलहाल विशेषज्ञों को भी नहीं सूझ रहा है। कुछ समय पहले संयुक्त राष्ट्र के जनसांख्यिकी विशेषज्ञों ने सामाजिक परिप्रेक्ष्य में एक चेतावनी बूढ़ी होती आबादी को लेकर दी है। संयुक्त राष्ट्र की इस रिपोर्ट में तुलनात्मक आंकड़े देकर बताया गया है कि दुनिया में यह पहला अवसर है जब बूढ़े लोगों की आबादी पांच साल से कम उम्र के बच्चों के मुकाबले ज्यादा हो गई है। इस आंकड़े के अनुसार वर्ष 2018 के अंत में पैंसठ साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों की आबादी सत्तर करोड़ से ज्यादा थी, जबकि चार साल के बच्चों की तादाद अड़सठ करोड़ है। मोटे तौर पर कह सकते हैं कि दुनिया एक ऐसे मुहाने पर है जहां पोते-पोतियों के मुकाबले दादा-दादी या नाना-नानी की संख्या ज्यादा हो गई है। संयुक्त राष्ट्र का यह आकलन भी है कि अगर बदलाव की मौजूदा दर जारी रहती है, तो वर्ष 2050 में शून्य से चार साल के हर बच्चे पर दो बुजुर्ग होंगे यानी बुजुर्गों की आबादी बच्चों के मुकाबले दोगुनी होगी।

ये बदलाव दो मुख्य वजहों से हुए हैं। पहली बात यह है कि बढ़ती स्वास्थ्य सुविधाओं से जीवन प्रत्याशा भी बढ़ी है, जिससे बुजुर्ग आबादी में इजाफा हो रहा है। कई विकसित देशों में सेवानिवृत्ति के बाद बुजुर्गों की देखभाल के विशेष सामाजिक सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं, जिससे उन्हें जीवन-यापन के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। इस तरह स्वास्थ्य और आर्थिक समस्याओं से चिंतामुक्त जीवन के कारण बुजुर्ग लंबा जीवन जीने लगे हैं। यह एक सार्थक बदलाव है। लेकिन इसके समांतर दूसरी उल्लेखनीय बात यह है कि कामकाज और नौकरियों के बढ़ते दबाव और तनाव के कारण युवा कम बच्चे पैदा कर रहे हैं। चीन के अलावा यह भले ही किसी देश की घोषित नीति न हो, लेकिन अब ज्यादातर देशों में एकल बच्चे के परिवार का चलन बढ़ रहा है। ऐसा परिवर्तन ब्रिटेन जैसे देश में भी हो रहा है जहां मध्यवर्गीय परिवार संतान के लालन-पालन में लगने वाले संसाधनों के अभाव की वजह से एक से ज्यादा बच्चे को प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं। इसके पीछे बच्चों की परवरिश में लगने वाले समय और खर्च की समस्या भी है, जिस कारण युवा दंपत्ति अब ज्यादा बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं। इससे बुजुर्गों और बच्चों के अनुपात में असंतुलन आ रहा है। लेकिन यह असंतुलन असल में एक बड़े खतरे का संकेत भी है। खतरा उल्टे पिरामिड जैसी सामाजिक संरचना वाले देशों की भरमार हो जाने का है, जिसमें बुजुर्ग ज्यादा और बच्चे कम होंगे।

वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में जनसांख्यिकी मामलों के विशेषज्ञ क्रिस्टोफर मरे ने एक शोध में बताया है कि जब दुनिया में बच्चे कम और बुजुर्ग ज्यादा होंगे, तो ऐसे वक्त में वैश्विक समाज को बचाए रखना मुश्किल होगा। खास बात यह है कि दुनिया के करीब आधे देशों में अभी ही आबादी के मौजूदा आकार को कायम रखने के लिए पर्याप्त बच्चे नहीं हैं। विश्व बैंक ने भी इस हकीकत को स्वीकार किया है। विश्व बैंक के अनुसार 1960 में दुनिया में महिलाओं की प्रजनन दर पांच बच्चों की थी, जो छह दशक बाद आधे से भी कम यानी 2.4 रह गई है। साठ के दशक में जहां लोग औसतन बावन साल जीते थे, वहीं मौजूदा दशक में यह औसत बहत्तर साल हो गया। जापान में तो जीवन प्रत्याशा का औसत बयासी साल है। वर्ष 2018 में जापान की कुल आबादी में पैंसठ साल से ज्यादा के बुजुर्गों का प्रतिशत सत्ताईस, जबकि पांच साल से छोटे बच्चों का प्रतिशत मात्र 3.85 था।

जिन देशों में सामाजिक सुरक्षा की उदारवादी नीतियों के तहत अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं और पेंशन जैसी सुविधाएं हैं, वहां बुजुर्गों की ज्यादा संख्या आबादी के खराब अनुपात के अलावा कई आर्थिक और देश के विकास को प्रभावित करने वाली समस्याएं भी पैदा कर सकती है। असल में समाज में वृद्धों की आबादी बढ़ने का अर्थ है कामकाजी लोगों की संख्या में गिरावट, जिसकी वजह से देश की उत्पादकता कम हो सकती है और विकास प्रभावित हो सकता है। जापान का उदाहरण देते हुए

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ने यही चेतावनी दी है कि बुजुर्गों की ज्यादा आबादी से अगले चार दशकों में जापान की अर्थव्यवस्था पच्चीस फीसद तक सिकुड़ सकती है। असल में, बुजुर्गों का उपभोग भी अत्यंत सीमित होता है, वे ज्यादा खरीदारी नहीं करते, इसलिए वे देश के आर्थिक विकास में न्यूनतम योगदान दे पाते हैं। यह आशंका चीन को भी सता रही है, इसलिए उसने एकल बच्चे की नीति वाले जनसंख्या प्रतिबंधों को हटाने की बात कही है।

समस्या का एक छोर खुद बुजुर्गों से जुड़ा है जो ज्यादा चिंताजनक है। असल में किसी भी समाज में बुजुर्ग अकेलेपन और असुरक्षा जैसे मुद्दों को लेकर काफी समस्याग्रस्त होते हैं। कई देशों में हुए अध्ययन बताते हैं कि तेजी से बदलते सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य में बुजुर्ग सामाजिक और भावनात्मक तौर पर अकेले पड़ते जा रहे हैं। इस बारे में वर्ष 2017 में एक अध्ययन हुआ था। इसमें दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का उदाहरण देते हुए बताया गया था कि इस इलाके में रहने वाले साठ साल से ज्यादा उम्र के लोगों में तिरासी फीसद अकेलेपन के शिकार हैं। अध्ययन में शामिल बुजुर्गों ने माना था कि वे सामाजिक रूप से अलग-थलग और अकेलापन महसूस करते हैं। बताया गया कि वर्ष 2017 में सिर्फ दिल्ली में बारह लाख से ज्यादा (दो करोड़ की आबादी में आठ फीसद) बुजुर्ग थे जो छोटे परिवारों के बढ़ते चलन और तेजी से बदलती परंपरागत सामाजिक मूल्य प्रणाली के कारण काफी उपेक्षा महसूस कर रहे हैं। जीवन की सांझ में इन बुजुर्गों को आर्थिक-सामाजिक सहारा देना तो दूर, उनसे बात करने वाला भी कोई नहीं होता। न तो उनके बच्चों के परिवार उनके लिए समय निकाल पाते हैं और न ही आसपास का समाज उनसे कोई वास्ता रखता है। ऐसे में वे या तो अपराधियों के निशाने पर आ जाते हैं या फिर अपने ही परिवार की उपेक्षा के कारण तन्हा जिंदगी जीते हुए किसी दिन उनकी मौत हो जाती है। दो साल पहले मुंबई के एक उपनगर में एक आलीशान फ्लैट में बुजुर्ग महिला की मौत ने इसी सामाजिक समस्या की ओर ध्यान खींचा था। इस महिला का बेटा डेढ़ साल बाद जब अमेरिका से लौटा तो उसे फ्लैट के कमरे में एक बेड पर मां का सिर्फ कंकाल मिला था। डेढ़ साल पहले आखिरी बार महिला की बेटे से बात हुई थी।

बदलती सामाजिक व्यवस्था के कारण और घरों के सिकुड़ने से जहां परिवार छोटे हुए हैं, वहीं परिवारों में बुजुर्गों की भूमिका भी कम हुई है। पहले बुजुर्ग परिवार का महत्त्वपूर्ण अंग होते थे। नई पीढ़ी उनसे सामाजिक मूल्यों की विरासत का पाठ पढ़ती-सीखती थी। लेकिन अब बच्चे मोबाइल या टीवी में उलझे रहते हैं। उनके पास बुजुर्गों से बात करने का समय नहीं होता। बड़े शहरों में परिवार चलाने के लिए अगर पति-पत्नी दोनों कामकाजी होते हैं, तो घर के बुजुर्गों से बात किए हफ्तों भी बीत जाते हैं।

भारत में आज सबसे बड़ी समस्या बुजुर्गों की सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा की है। सरकार सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन जैसे विकल्प खत्म करती जा रही है। स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का जहां तक सवाल है, आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं एक खास गरीब तबके तक सीमित हैं। ऐसे में भारत जैसे देश में बुजुर्गों की बढ़ती आबादी और उनकी समस्याएं सरकार के लिए किसी चुनौती से कम नहीं हैं।

बरसात का राग

अतुल चतुर्वेदी

दुनिया मेरे आगे

कभी कालिदास ने एक पूरा काव्य 'मेघदूत' प्रकृति को आलंबन बना कर समर्पित कर दिया था और उनकी पीड़ा को स्वर देते हुए मोहन राकेश ने 'आषाढ़ का एक दिन' जैसे कालजयी नाटक की रचना की। लेकिन क्या आज हमारे साहित्य और दैनिक जीवन में प्रकृति की यह मौजूदगी उतनी ही शिद्दत से महसूस की जा रही है? क्या हमारे आज के जीवन और प्रकृति का यह रिश्ता उतना ही मजबूत रह गया है? रीतिकालीन कविता को लेकर हम कितना भी नाक-भौं सिकोड़ लें, लेकिन सेनापति, देव और यहां तक कि मतिराम में भी प्रकृति के दर्शन सुलभ हो ही जाते हैं। छायावादी कवियों की रचनाओं में जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाओं में भी वर्षा ऋतु, सावन के मेघ आदि का वर्णन प्रचुरता में मिलता है। पंत की कविता- 'झम-झम झम-झम मेघ बरसते हैं सावन के, छम-छम छम गिरती बूंदें तरुओं से छन के' न केवल ध्वनि बिंब खड़े करती है, बल्कि चाक्षुष बिंबों के माध्यम से मन में सावन का आनंद और ताजगी उत्पन्न कर देती है।

निराला की 'बादल राग' कविता से कौन परिचित नहीं होगा! बादल के माध्यम से नए क्रांति के स्वर फूंकने और किसान की पीड़ा को उन्होंने अद्भुत अमर स्वर दिए हैं। दिनकर ने तो वर्षा को ऋतुओं की रानी कहा है। केदारनाथ अग्रवाल और नागार्जुन आदि कवियों के यहां भी प्रकृति लुप्त नहीं हुई है, भले ही उसकी व्यंजना और संदर्भ बदल गए हों। लेकिन आज हमारा रिश्ता प्रकृति से लगातार टूटता चला जा रहा है। खासकर उत्तर भारत में ज्यादा उदासीनता दिखती है। घर के आंगन में तुलसी और आंवले जैसे उपयोगी पौधों के लिए भी जगह हम नहीं छोड़ना चाहते। क्यारियों का स्थान अब गमलों के स्टैंड ने ले लिया है। अव्वल तो फ्लैट संस्कृति ने घरों में सामान के लिए ही जगह नहीं छोड़ी है, उस पर हमारी मानसिकता भी अर्थोन्मुख अधिक हो गई है। हम घर की क्यारी तोड़ कर दुकान या एक कमरा बनवाना पसंद करते हैं, लेकिन पेड़ लगाना नहीं। हमारी पाठ्य-पुस्तकों से प्रकृति प्रेम की कविताएं भी लुप्त-सी हो गई हैं।

आज पाठ्यक्रम सरकारों के राजनीतिक एजेंडों की पूर्ति के साधन अधिक हो गए हैं। विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के चहुंमुखी विकास से उनका कोई सरोकार नहीं। नतीजतन, विद्यार्थियों में पेड़-पौधों और जीव जंतुओं के प्रति संवेदनाओं और दायित्वों का अभाव हो गया है जबकि दक्षिण भारत में आज भी प्रकृति लोगों के जीवन का अंग है। यही कारण है कि कम तापमान और पर्याप्त वर्षा आदि पारिस्थितिकी संकटों से उन्हें कम गुजरना पड़ रहा है। पेड़-पौधों से भावनात्मक लगाव रखने वाले आदिवासियों को हमने अंधविश्वासी और पिछड़ा कह कर उनकी जमीन पर अपनी औद्योगिक लिप्साओं के महल खड़े कर दिए। जंगल सिकुड़ रहे हैं और हमारे मन के अंदर का जंगल फल-फूल रहा है। हिंसक प्रवृत्तियां पनप रही हैं और भाई भाई के खून का प्यासा हो रहा है। सावन हमारे अंदर के हरेपन के जीवित रखने का मौसम है जो न केवल हमें आनंदित करता है, बल्कि हममें एक नई किस्म का आलोड़न, प्रसन्नता और स्फूर्ति भरता है।

मेघों की गर्जना के मिट्टी की उर्वरा शक्ति के विषय में जो भी वैज्ञानिक सत्य हैं, उनके अतिरिक्त सबसे बड़ा सत्य है प्रकृति के नव रूप और नव अभिनंदन का। सावन के साथ हमारी सामूहिकता की भावना और साहचर्य का सुख भी परस्पर जुड़ा हुआ है। साथ-साथ झूला झूलने और कजरी के गीतों को गाने का आनंद ही कुछ और है। लेकिन न आज वैसा कजरी गायन दिखता है, न आल्हा गाने वाले वैसे लोक गायक। झूला अतीत से भविष्य तक की यात्रा का द्योतक ही नहीं, हमारी गतिशीलता का भी परिचायक है।

बरसात के दिनों में बनने वाले पकवान भी ऋतु का आनंद दुगुना कर देते हैं। पकौड़ी अलबत्ता जरूर अपनी जगह बनाए हुए है और राजस्थान के गोट में होने वाली दाल-बाटी-कत्त की दावतें भी अभी दौड़ में हैं। जठराग्नि मंद के इन दिनों में खाद्य-अखाद्य पर विचार करके भी बहुत से पकवान हमारी संस्कृति में विद्यमान हैं, चाहे वह कोंकणी का पंथोली हो या उत्तर भारत के भुने हुए भुट्टे और उसका कीसा। वर्षा की टिप-टिप की ध्वनि का आनंद ही कुछ और है। सूर की गोपियां कहती हैं- 'सदा रहत पावस रितु इन पे, जब ते स्याम सिधारे...'! विरहिणी नायिकाओं का दर्द इन दिनों और बढ़ जाता है। कभी गीतकार लिखते थे कि 'तुझे गीतों में ढालूंगा... सावन को आने दो...' या 'सावन के झूले पड़े'। आज के फिल्मी गीतों से भी सावन की यह उपस्थिति गायब-सी है।

न तो लेखकों का प्रकृति से वास्ता रहा, न उनके पास अवकाश। प्रकृति निरंतर हमारे दोहन और बढ़ती महत्त्वाकांक्षाओं का शिकार हो रही है, जिसका परिणाम कुछ वर्ष पहले हमने केदारनाथ त्रासदी के रूप में देखा। सावन केवल एक ऋतु नहीं है, यह हमारे भीतर का सुप्त राग है जो हमें झंकृत करता है और हमारे भीतर की सृजनात्मकता को नए आयाम देता है। जरूरत है उसके सुरों को पहचान कर उसमें अपना सुर मिलाने की। वर्षा की बूंदों के साथ-साथ शीतलता परोसने और सबको जीवन देने का दर्शन समझने की।

चौपाल

संकट के बादल

पश्चिम राजस्थान सहित प्रदेश के कई भागों को अब तक अच्छी बारिश का इंतजार है। यहां सूखी धरती भीगी जरूर है, लेकिन उसकी प्यास अभी अधूरी है। बरसात के इंतजार में किसानों के माथे पर बल पड़ गए हैं। पशुपालक चिंता में डूबे हुए हैं लेकिन सबसे अहम समस्या है कि बरसात के मौसम में भी पानी संकट बना हुआ है। भरपूर बारिश से सभी समस्याओं का एक साथ समाधान संभव है, लेकिन यह सब भगवान भरोसे है। कुल मिलाकर सौ मर्ज की एक दवा बरसात है।

जून माह से किसान और पशुपालक भरपूर बरसात की राह देख रहे हैं। अब जुलाई महीना भी बीत गया है लेकिन तरबतर करने वाली बारिश का इंतजार खत्म नहीं हुआ है। अब तक जो थोड़ी-बहुत बरसात हुई है उससे हल्की-सी नव अंकुरित घास का स्वाद भेड़-बकरियों के मुंह में जाने लायक हुआ था पर बरसात के अभाव में यह घास भी जलने के कगार पर है। बड़े पशुओं, खासकर गायों के खाने के लायक घास कहीं नहीं है। फिलहाल संकट के बादल आम जन और खेती के साथ-साथ पशुधन पर भी मंडरा रहे हैं। बरसात नहीं होने के कारण इस बार टांकों-नाडियों पुरातन जलस्रोतों में पानी की आवक नहीं के बराबर है।

नतीजतन, पानी की जरूरत के लिए जलदाय विभाग के स्रोतों पर ही सभी की निर्भरता बनी हुई है। हालत यह है कि बरसात के मौसम में भी जलसंकट से जूझ रहे हैं। इस बिगड़ते संतुलन को देखते हुए सरकार और नागरिकों को चाहिए कि वर्षा ऋतु में अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें व उनका संरक्षण करें। वर्षा जल के संरक्षण व समुचित संग्रह के लिए आवश्यक कदम उठा कर जल संकट से उबरा जा सकता है। जरूरत है, समय रहते कदम उठाने व उनके क्रियान्वयन करने की।

● *रावत गर्ग ऊण्डू, राजबेरा, बाड़मेर, राजस्थान*

मुफ्त का जाल

दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने 200 यूनिट तक खपत वाले उपभोक्ताओं के बिजली बिल माफ करने का ऐलान किया है। विधानसभा चुनाव के पूर्व इस प्रकार की घोषणा मतदाताओं को रिझाने का प्रयास है। वैसे इन दिनों सभी दल मतदाताओं को अपने पाले में खींचने के लिए अपने-अपने तरीके से चुनावों से पहले 'मुफ्त' का जाल डालते रहते हैं। ऐसी घोषणाएं अनुचित हैं जो जनता को निकम्मा तो बनाती ही हैं, अर्थव्यवस्था के लिए भी घातक हैं।

● *हेमा हरि उपाध्याय, खाचरोद, उज्जैन*

ऐसी खेती

असली भारत गांवों में बसता है और भारत के अन्नदाता किसान भी गांवों में निवास करते हैं। हालांकि जिन्हें देश का अन्नदाता कहा जाता है, उन्हें कभी आराम की जिंदगी नसीब नहीं होती है। आजादी और बंटवारे के बाद देश भुखमरी की मार झेल रहा था। तब कृषि क्षेत्र में हुई हरित क्रांति ने हमें न केवल अन्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया बल्कि आज भारत विदेशों को भी अनाज का निर्यात करता है। अब हम पेट भरने की जरूरत के इतर स्वास्थ्य संवर्धी क्षेत्रों में देखने को भी तत्पर हुए हैं। हरित क्रांति ने जहां एक तरफ अन्न भंडार भरे हैं वहीं दूसरी तरफ इसके विरुद्ध भविष्य में गंभीर परिणामों की ओर इशारा करती आवाजें भी उठी हैं। रासायनिक खेती और जीएम फसलों के उपयोग से अज्ञात बीमारियां पैदा होने और देशी फसलों के विलुप्त होने की आशंकाएं प्रकट की गई हैं।

विश्व को एक नई जैविक व प्राकृतिक खेती से परिचय कराने वाले सुभाष पालेकर को पदमश्री पुरुस्कार मिल चुका है। लेकिन यहां समस्या दूसरी है क्योंकि किसान आज भी आत्महत्या कर रहे हैं, तो अवश्य ही कृषि में घाटा हो रहा है। यह घाटा कभी प्राकृतिक आपदाओं की वजह से तो कभी अनाज की उचित कीमत न मिल पाने के कारण होता है। सुभाष पालेकर की शून्य बजट खेती में लागत शून्य होने की बात कही जा रही है पर उसमें पैदावार भी कम है और लाभ अनुपात भी कम है। एक तरफ देश में किसान के नाम पर वे लोग हैं जो बड़े स्तर पर व्यापारिक लाभ कमाने के लिए खेती करते हैं तो दूसरी ओर छोटे किसान भी हैं जिन्हें खेती से ही खाना, कमाना और परिवार का पेट पालना है। रसायनों से मुक्त फसलों की चिंता अमीरों के विचार-विमर्श आदि का विषय हो सकता है लेकिन किसान का जीवन भर एक ही प्रयास रहता है- परिवार को सुख चैन से बसर करते देखना। लिहाजा, जो सर्वमंगलमय हो खेती का वही तरीका श्रेष्ठ है।

● *चंद्रकांत, एएमयू,अलीगढ़*

असुरक्षित बेटियां

उन्नाव दुष्कर्म मामले में देखना होगा कि सरकार और कानून दोषियों को सख्त सजा दे पाएंगे या फिर यह मामला भी तब ठंडा पड़ जाएगा जब मीडिया इससे अपना ध्यान हटा लेगा। अक्सर देखा गया है कि जब तक कोई मामला मीडिया में सुर्खियां बना रहता है तब तक सरकारें और कानून के रखवाले इस पर सतर्क रहते हैं, लेकिन जब मीडिया मामले से ध्यान हटा लेता है तब सरकारें और कानून भी कुंभकर्णी नींद सो जाते हैं। उन्नाव कांड में एक राजनीतिक पार्टी के नेता का नाम आने से आमजन के बीच यह गलत संदेश गया कि राजनीति में नैतिकता का पतन हो चुका है और अपराध राजनीति की छत्रछाया में पल रहा है। बेशक यह बहुत शर्मनाक है कि आजाद भारत में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं।

बलात्कार की घटना मुल्क के किसी भी कोने में क्यों न हो, वह देश में बेटियों के असुरक्षित होने को उजागर करती है और सरकारों के बेटियों की सुरक्षा के दावों के झूठ की पोल खोलती है। समय-समय पर लड़कियों और मासूम बच्चियों के साथ हैवानों की दरिंदगी की खबरें रूह तक कंपा देती हैं। आखिर ऐसे हैवान फांसी के फंदे तक क्यों नहीं पहुंचते? क्यों सरकारें और कानून इन दरिंदों को सख्त सजा देने में देरी करते हैं? देश में बच्चियों के साथ बढ़ते अपराध बहुत बड़ी चिंता का विषय हैं। अगर इन पर नकेल कसने के लिए अभी गंभीरता नहीं दिखाई गई या सरकार और समाज ने इस दिशा में मिलजुल कर प्रयास नहीं किए तो आने वाला समय इससे भी विकट हो सकता है।

● *राजेश कुमार चौहान, हरगोबिंद नगर, जालंधर*

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

कौन होगा नेता

दिल्ली कांग्रेस को सूबे में पार्टी की अगुआई करने के लिए कोई दमदार नेता नहीं मिल रहा है। इसलिए किसी बाहर के नेता की खोज की जा रही है। शीला दीक्षित के निधन के बाद खाली हुई प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी पर किसे बिठाया जाए, यह बड़ा सवाल है। जहां तक इस कुर्सी के हकदार नेताओं का सवाल है तो इस फेहरिस्त में कई नाम हैं जैसे अजय माकन, संदीप दीक्षित, जयप्रकाश अग्रवाल, अरविंदर सिंह लवली, सुभाष चोपड़ा, डॉ योगानंद शास्त्री, महाबल मिश्रा, हारुन युसूफ, देवेंद्र यादव और राजेश लिलोठिया। सवाल यह है कि इतने नाम होने के बावजूद पंजाब से नवजोत सिंह सिद्धू या बिहार से शत्रुघ्न सिन्हा अथवा यूपी से आरपीएन सिंह को बुलाने की चर्चा क्यों हो रही है। इस सवाल का जवाब बड़ा दिलचस्प है। चर्चा यह है कि दिल्ली के इन तमाम नेताओं में से कोई भी एक ऐसा नेता नहीं है जिसके साथ सभी मिलकर काम करने को तैयार हों। सभी आपस में एक-दूसरे की टांग खिंचाई करने वाले हैं। अजय माकन के नाम पर संदीप दीक्षित या जयप्रकाश अग्रवाल को आपत्ति हो सकती है तो अरविंदर सिंह लवली को बनाने पर भी विरोध करने वाले कम नहीं हैं। जयप्रकाश अग्रवाल को कुर्सी दी जाए तो टांग खिंचाई करने वाले कई नाम हैं। इसलिए पार्टी हाईकमान किसी ऐसे नाम को आगे बढ़ाने पर विचार कर रही है जो सबको स्वीकार भी हो और जिसमें कुछ कर सकने का माद्दा भी हो। इस श्रेणी में नवजोत सिंह सिद्धू बिल्कुल सही साबित हो रहे हैं, इसलिए उन्हें दिल्ली कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने की चर्चा जोरदार है।

बेबाक बोल

औरतों को मजबूत करने के किसी भी कदम को सामंती मानसिकता मर्द और परिवार को कमजोर करने वाला करार देती है। फौरी तीन तलाक का सबसे घिनौना पक्ष यह है कि उसके बाद मर्द अगर अपनी बीवी को फिर से अपनाना भी चाहेगा तो औरत को हलाला से गुजरना होगा। सदियों तक तीन तलाक और हलाला के खौफ से गुजरने वाली औरतों के हक में भारतीय संसद ने ऐसा कानून पास किया है कि मर्दों को अब उनकी खुद्दारी पर हमला करने में खौफ होगा। नरेंद्र मोदी ने अपने पहले ही कार्यकाल में फौरी तीन तलाक के खिलाफ मजबूत इच्छाशक्ति दिखाई थी और इस बार ऐसा सदन प्रबंधन किया कि तीन तलाक के पक्ष में बोलने वाला खुद को मुसलिम महिलाओं के खिलाफ खड़ा पा रहा था। औरत का मजबूत होना किसी भी तरह से परिवार का कमजोर होना नहीं है। 'जेंडर जस्टिस' पर चल रहे बीच बहस में बेबाक बोल।

सदियों की सजा

मुकेश भारद्वाज

शाहबानो...

'लम्हों की खता सदियों की सजा बन जाती है', मुख्तार अब्बास नकवी ने राज्यसभा में इस पंक्ति से कांग्रेस को शाहबानो पर की गई गलती तो याद दिला दी, लेकिन फौरी तीन तलाक को आपराधिक बनाने वाले कानून के खिलाफ विपक्ष के नेता कश्मीर की 'अधूरी विधवाओं' का क्या, सामूहिक भीड़ की हिंसा में मारे गए लोगों की विधवाओं का क्या, इसका क्या और उसका क्या में उलझ गए। एक समुदाय की महिलाओं के हक के फैसले को दूसरे समुदाय के हक के तराजू पर तौला जाने लगा। क्या यातना और वर्जनाओं को तुला पर तुलनात्मक तौला जा सकता है? एक दर्द की पैमाइश दूसरे दर्द से की जा सकती है।

तीन तलाक की लड़ाई न तो भाजपा की है और न कांग्रेस की। इस लड़ाई की बुनियाद में हैं कमजोर तबके की मुसलिम महिलाएं। आंकड़ों की बात करें तो तीन तलाक से प्रभावित होने वालीं 75 फीसद मुसलिम महिलाएं कमजोर तबके की होती हैं। उनके दर्द को समझना हो तो गूगल की खोज इंजन पर शाहबानो लिख दीजिए। पुराने अखबारों, पत्रिकाओं में शाहबानो के संघर्ष और उस पर राज्य द्वारा की गई नाइंसाफी को समझिए। कांग्रेस की सरकार ने जिस तरह शाहबानो पर आए फैसले को पलटा था उसका संदेश यही था कि निकाह जैसी संस्था में औरत को दोयम दर्जे पर रखना है।

शाहबानो के नाती फौरी तीन तलाक पर बने कानून पर कहते हैं, 'मेरी नजर में एक अच्छी बात को गलत तरीके से पेश किया गया है। इस विधेयक में जो फौजदारी अंश जोड़ा गया है, उससे इसका उसी तरह दुरुपयोग हो सकता है, जिस तरह भारतीय दंड विधान की धारा 498-ए (दहेज प्रताड़ना) के गलत इस्तेमाल की शिकायतें हमारे सामने आती हैं।' शाहबानो की अगली पीढ़ी सहित एक बड़ा तबका इसे फौजदारी बनाने का विरोध कर इसको दहेज कानून के दुरुपयोग के तर्क में डाल रहा है। दुनिया भर में हर कानून का बेजा इस्तेमाल होता है। लेकिन इस बेजा इस्तेमाल पर तवज्जो ज्यादातर महिलाओं के लिए बने कानून पर ही दी जाती है चाहे वह घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न या फौरी तीन तलाक पर बना नया कानून हो। भारत में दहेज की कुप्रथा सदियों से चली आ रही है और इसके खिलाफ कानून बनाया गया। दहेज कानून भी शादी के अंदर फौजदारी मामला लाता है। दहेज की मांग शादी जैसी संस्था में ही की जाती है। इसके लिए लाखों लड़कियों को जला कर मार दिए जाने की बर्बरता, अन्य तरह के उत्पीड़न को रोकने के लिए ही सख्त कानून लाया गया था। इसके दुरुपयोग के चंद मामलों की तुलना में उन लाखों स्त्रियों का क्या जो जिंदा जला दी गईं या अन्य तरह के उत्पीड़न से तिल-तिल कर मरने को मजबूर कर दी गईं। दहेज कानून से शादी जैसी संस्था कमजोर नहीं हुई, हां वे औरतें जरूर मजबूत हुई हैं जो इस कुप्रथा की आग में जलने के बजाए कानूनन लड़ना पसंद करती हैं। इसमें भी यह कुतर्क दिया जा सकता है कि पति या ससुरालवालों के जेल जाने पर औरतों और बच्चों की परवरिश कौन करेगा? औरत और बच्चों की परवरिश के नाम पर क्या औरतों को जलाने की छूट मिलती रहनी चाहिए? जो औरत कानून के जरिए लड़ सकती है वह अपनी मेहनत से कमा कर अपना और अपने बच्चों का पेट भी भर सकती है।

आम तौर पर पुरुष तलाक तभी देता है जब उसे दूसरा निकाह करना

होता है। महज तीन बार तलाक बोल कर वह नई दुनिया बसाने को आजाद है लेकिन औरतों के सामने इंसानियत को शर्मसार करने वाली हलाला कुप्रथा भी है। मर्द फौरी तीन तलाक बोलने के बाद अगर बीवी के पास फिर लौटना चाहेगा तब औरत को हलाला पर हलाल होना ही होगा। सदियों तक हलाला के खौफ में जीने वाली औरतें आज मर्द को कानून का खौफ दे सकती हैं तो इसमें नाइंसाफी कहां है। कई विद्वान और कानूनविद यही तर्क दे रहे कि मर्द जेल चला जाएगा तो औरतों का गुजारा कैसे चलेगा। इस आधार पर अहम यह है कि कोई औरत पुलिस में शिकायत तो तब ही दर्ज कराएगी जब उसे इस बात का भरोसा हो कि वह अपना भरण-पोषण खुद कर लेगी। यहां पर परिवार की भी बात है। इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने पर उसे मायके या अन्य परिजनों का भी तो साथ मिल सकता है। औरत के वजूद को, उसके भरण-पोषण को सिर्फ शौहर की कमाई से जोड़ने वाले जरा अपने आसपास खेतों-खलिहानों, निर्माण स्थलों, कारखानों में नजर डाल दें तो पता चल जाएगा कि परिवार के गुजर-बसर में महिलाओं की कमाई का कितना योगदान रहता है। ये लोग उस मध्यकालीन जमाने की बात कर रहे हैं जहां औरतें रसोई तक सीमित थीं। यह औरत को तय करने दीजिए कि वह हलाला के बरक्स अपनी खुद्दारी चुने या शौहर की कमाई।

कई लोगों ने आश्चर्यजनक ढंग से तर्क दिया कि तीन तलाक आपराधिक बनेगा तो शौहर तलाक देने के बजाए बीवी पर जुल्मो-सितम बढ़ा देगा। यह तर्क देकर आप भारतीय समाज और कानून को जंगल राज के रूप में ही देखते हैं। तो क्या बीवी पर अत्याचार करने वाला शौहर घरेलू हिंसा कानून के दायरे में नहीं आएगा? संसद और कानून द्वारा औरतों को मिले हर हक को सबसे पहले परिवार पर ही खतरा बताया जाता है। औरतों को मजबूत करने की कोशिश को मर्दों के खिलाफ मान लिया जाता है।

राम रहीम जैसा कद्दावर चरित्र जिसे सत्ता का भी संरक्षण प्राप्त था, उसे अदालत ने बलात्कार के मामले में दोषी करार दिया तो पूरी दुनिया उन दो साध्वियों के हौसले से ताज्जुब में थी जिसने कथित सर्वशक्तिमान के खिलाफ आवाज उठाई थी। तीन तलाक के मामले में सत्ताधारी पार्टी उन महिलाओं के साथ खड़ी भर हुई जो इसके लिए तीन दशकों से लड़ रही थीं। लड़ाई में साथ देकर निर्णायक मोड़ पर लाने वाले विजेता की श्रेणी में ही आ जाते हैं। नेता को पता है कि उसकी मजबूती जनता में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले कार्यकाल में ही फौरी तीन तलाक के खात्मे को लेकर प्रतिबद्धता दिखाई थी। लाल किले से दिए अपने भाषण में भी इसे प्रमुखता से रखा। जहां राजनीतिक विश्लेषक इसे ध्रुवीकरण का मामला बताने में जुटे थे उसके उलट नरेंद्र मोदी ने इसे सामाजिक न्याय का स्वरूप देने में कामयाबी पाई। इस मसले पर सदन प्रबंधन भी ऐसा रहा कि अन्य दलों को अहसास हो गया कि तीन तलाक के पक्ष में खड़े होने का मतलब औरतों के खिलाफ खड़े होना है।

फौरी तीन तलाक पर कानून के जरिए नरेंद्र मोदी सरकार ने साबित किया कि मजबूत सरकार के क्या मायने होते हैं। हज सबसिडी से लेकर इस ताजा विधेयक तक में भाजपा को चेताया जाते रहा कि पूरा मुसलिम वोट बैंक उसके खिलाफ हो जाएगा। लेकिन अब दिख रहा है कि हज पर सबसिडी खत्म होने के बाद हाजियों की संख्या बढ़ी है और गिने-चुने लोगों को छोड़ कर आम मुसलिम तबके ने इसका जरा भी विरोध नहीं किया। किसी महिला हाजी के साथ पुरुषों के जाने की अनिवार्यता भी खत्म की गई। मजे की बात यह है कि सऊदी अरब के समाज में ऐसी कोई परंपरा नहीं है कि औरत किसी मर्द के साथ ही हज पर जाए। यह यहां के मजहबी उस्तादों का जोड़ा हुआ पुछल्ला था।

दुनिया के ज्यादातर देश बहुत पहले ही अपने यहां फौरी तीन तलाक को समाप्त कर चुके हैं लेकिन आश्चर्यजनक ढंग से कई विद्वान औरत को तोड़ने वाली इस कुप्रथा को परिवार को जोड़ने वाला बता रहे हैं। इस 'जेंडर जस्टिस' में भाजपा आगे निकली क्योंकि उसने वोट बैंक के बिगाड़ के डर से औरतों के हक पर ईमान की बात नहीं छोड़ी। इंटरनेट पर जाकर संसद में तीन तलाक पर हुई बहस को गौर से सुनें। यह बहस भारत के सामाजिक इतिहास में अहम रहेगी, और आगे की तारीखों में एक बार फिर साबित होगा कि बदलाव का साथ देने वाले ही तारीखी होते हैं।

'सब ने पढ़ रक्खा था सच की जीत होती है मगर
था भरोसा किस को सच पर सच को सच कहता तो कौन'

इस विशेष पन्ने पर आपके ढेरों पत्र हमें लगातार मिलते हैं। हर बार मुमकिन नहीं कि सारे पत्रों का हम इस्तेमाल कर पाएं। पर यह तो तय है कि आपके पत्रों से आपकी पसंद और विषयों के चुनाव में हमें मदद मिलती है। इस बार का यह विशेष पन्ना आपको कैसा लगा? आप अपनी राय भेज सकते हैं।
हमारी ई-मेल आइडी है : vishesh.jansatta@expressindia.com

आपके पत्र

राजनीति का खुला बाजार

'दलदल' के बेबाक चित्रण ने सही रेखांकित किया है कि अवसरवादिता की राजनीति के खुले बाजार में गोवा से कर्नाटक तक थोक भाव में दलबदल के खेल खेले गए। सत्ता के स्वाद में वही नशा दिख रहा है जिसकी चर्चा लेख में की गई है। सिद्धांत और सुचिता की कृत्रिमता के नेपथ्य में राजनैतिक आचरण से 'नूतन भारत' के निर्माण की जो पटकथा रची जा रही है वह अल्पकालिक रूप से विश्व विजेता को राजतिलक से अभिषेक कर ले, लेकिन किंकर्तव्यविमूढ़ और आशावान मतदाताओं के गहरे विश्वास का चीरहरण तो कर ही रहा है। काश! दूसरे दल से खुदरा या थोक भाव में आनेवाले बाहुबलियों के लिए दरियादिली का द्वार बंद कर देश के सामने घोषित 'नए भारत' के समक्ष एक ऐतिहासिक उदाहरण प्रस्तुत किया जाता तो खरीद-फरोख्त से अधिक लाभ उन्हें मिलने की गुंजाइश होती। सारांश यही दिखता है, 'मकतबे इश्क का अंदाज निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया'।

-डॉक्टर अशोक कुमार, पटना।

नैतिकता के खिलाफ

किसी राजनीतिक दल का हिस्सा बनना हर हिंदुस्तानी का संवैधानिक हक है। मगर संविधान किसी चुने हुए प्रतिनिधि को यह हक कतई नहीं देता कि अपने समर्थकों और मतदाताओं की पसंद के खिलाफ राजनीतिक पाले बदल ले। दलबदल संवैधानिक नैतिकता के खिलाफ हो न हो तय रूप से जनता से धोखाधड़ी है। किसी चुने हुए प्रतिनिधि का अपनी पार्टी से मतभेद बेशक हो मगर नई पार्टी में शामिल होने या बनाने से पहले जनता को वजह क्यों न बताई जाए? जन प्रतिनिधियों को याद रखना चाहिए कि वो जनता के प्रतिनिधि हैं न कि किसी दल के। माना कानून में संवैधानिक बदलाव संभव है मगर डाल-डाल, पात-पात के खेल में माहिर नेताओं की मानसिकता को बदल पाना आसान भी तो नहीं।

-एमके मिश्रा, मां आनंदमयीनगर, रातू।

लोकतंत्र के लिए खतरा

कर्नाटक में जो सरकार के गिरने-गिराने का ड्रामा चला, उसके पीछे राजनीति पर हावी होता अवसरवाद भी कारण हो सकता है। हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी एक किताब 'पाथवेज टु ग्रेटनेस' में अपना एक विचार लिखा था कि 'नेताओं को देश के लिए एक दृष्टिकोण अपनाकर और विकासात्मक राजनीति का हिस्सा बनकर सभ्य समाज के लिए उदाहरण पेश करना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि आज हमारे देश में बहुत से सत्ताधारी और राजनेता हर बात और काम पर राजनीति की रोटियां सेंकने का बहाना खोजते हैं। हमारे देश की राजनीति से अब विचारों के साथ देश के विकास के मुद्दे भी उड़न छू हो गए हैं। कोई भी राजनीतिक दल बुरा नहीं होता, लेकिन जब किसी दल में स्वार्थी लोग शामिल हो जाते हैं तो वे इस दल की छवि को धूमिल करते ही हैं, साथ ही लोकतंत्र को भी कमजोर करते हैं। कुछ भी हो लेकिन भारत में राजनीतिक अवसरवाद तेजी से बढ़ रहा है। यहां कुछ राजनेता अपने स्वार्थ को सर्वोपरि मानते हुए गिरगिट की तरह बदलने लगे हैं और गठबंधन, महागठबंधन और दल-बदलू की राह पर भी चलते हैं, जो कि दुनिया के लोकतंत्र के लिए जरा भी उचित नहीं है। आम जन को राजनीतिक तौर पर जागरूक हो बढ़ती अवसरवाद की राजनीति को रोकने के लिए हरेक चुनाव, चाहे वो राज्य के विधानसभा चुनाव हो या आम चुनाव में गंभीरता दिखानी चाहिए।

- राजेश कुमार चौहान, जंलंधर।

बाजार में लोकतंत्र

कोई सिद्धांत नहीं, कोई लोकतांत्रिक मर्यादा नहीं। लोकतंत्र की जगह सिद्धांतविहीन तंत्र का जनता से किए गए अपने वादे, राजनैतिक वचनबद्धता का कोई मूल्य नहीं। दलीय चुनाव की कोई सार्थकता और औचित्य नहीं। बाजार में जैसे घोड़े की तरह विधायक बिकने को तैयार हैं और नीलामी की तरह बोली लग रही है। जहां से भी ढेर सारा पैसा और सत्ता की मलाई खाने का प्रलोभन मिलेगा ये अवसरवादी नेता वहीं बिकने को तैयार होंगे।

-निर्मल कुमार शर्मा, गाजियाबाद।

राजपाट

नया टोटका

लोकसभा चुनाव में भाजपा की ओर से लगे झटकों से उबरने की कोशिश में जुट गई हैं ममता बनर्जी। अगले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रख कर अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के कायाकल्प के लिए नई कवायद शुरू की है। उसके तहत उन्होंने इस हफ्ते पार्टी के एक हेल्पलाइन नंबर और एक वेबसाइट की शुरुआत भी कर दी। इसके जरिए आम आदमी सीधे मुख्यमंत्री तक अपनी समस्याएं पहुंचा सकेगा। दीदी के बोलो यानी दीदी को बोलो अभियान के तहत शुरू हुई है यह कवायद। इसके तहत अब पार्टी के एक हजार से ज्यादा नेता और कार्यकर्ता बंगाल के विभिन्न गांवों में जाएंगे। स्थानीय लोगों के साथ समय बिताएंगे और उनकी समस्याएं सुनेंगे। योजना की शुरुआत करते हुए ममता ने इसे तृणमूल कांग्रेस के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का हिस्सा बताया। उधर, अपनी खिसकती जमीन को बचाने के लिए बीते दिनों चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की सेवाएं लेने का भी पार्टी ने फैसला किया था। ताजा कवायद को पीके की योजना का ही हिस्सा माना जा रहा है। बकौल ममता हेल्पलाइन नंबर व वेबसाइट के जरिए लोग सीधे उनसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्याओं के बारे में बता सकते हैं। सरकार उनकी समस्याओं को दूर करने का भरसक प्रयास करेगी। लक्ष्य अगले सौ दिनों के दौरान पार्टी के एक हजार से ज्यादा नेता और कार्यकर्ता राज्य के 10 हजार गांवों में भेजने का रखा है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों को लगता है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा से मिले झटके के बाद ममता बनर्जी ने 2021 में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी की छवि को सुधारने और अपनी जमीन बचाने के लिए आम आदमी की शरण में जाना ही बेहतर माना है। यूं भी लोकतंत्र में माई-बाप तो मतदाता ही होता है। उसका साथ बना रहे तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे मोदी और शाह।

(संकलन : मनोज मिश्र)

इंतजार सूबेदार का

राजस्थान में पिछले दो महीने से नेतृत्वहीन है भाजपा। मदनलाल सैनी के निधन से खाली पड़ी है प्रदेश भाजपा अध्यक्ष की कुर्सी। रौबदार और दमदार कुर्सी है तो दावेदारों की लंबी कतार होना भी स्वाभाविक ठहरा। पर किंतु-परंतु कई हैं। आलाकमान इस कुर्सी पर अब ऐसे नेता को बैठाने के फेर में बताया जाता है जो वसुंधरा राजे की खुद तो हाजिरी बजाता ही न हो, सामने देख मुंह और मोड़ ले। हालांकि वसुंधरा इन दिनों विदेश प्रवास पर हैं। पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है तो चलता रहे। उन्हें क्या सरोकार। विधानसभा चुनाव की हार के बाद से आलाकमान ने तो वैसे भी महारानी को हाशिए पर धकेल रखा है। बची-खुची कसर लोकसभा चुनाव के नतीजों ने पूरी कर दी। वसुंधरा उसके बाद से तो पार्टी की मुख्य धारा से बाहर ही की जा चुकी हैं। उधर विधानसभा का बजट सत्र जारी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विरोधी दल की सबसे कद्दावर नेता की गैर मौजूदगी पर तंज क्यों न कसते। पूछ लिया कि वसुंधरा राजे भाजपा में हैं भी या नहीं। भाजपा के किसी विधायक से जवाब देते नहीं बना। हां, सूबे का हर भाजपाई नए सूबेदार के लिए बेसब्र है। यों पार्टी का ढांचा खासा पुख्ता है पर कप्तान के बिना टीम स्वाभाविक खेल कहां दिखा पाती है। नए सूबेदार के तौर पर पिछले दिनों पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का नाम उभरा था। केंद्र की नई सरकार में उन्हें मंत्री पद नहीं मिलने से चर्चा में दम दिखा था। लेकिन अब उनका नाम सुर्खियों से परे है। पेच आरएसएस की पसंद का भी फंसा है। सो सतीश पूनिया, मदन दिलावर और वासुदेव देवनानी के नाम भी उभरे हैं। तीनों विधायक भी हैं और आरएसएस के वफादार भी। संगठन के काम का अनुभव भी है। गुटबाजी से दूर हैं। चर्चा है कि भाजपा किसी जाट या ब्राह्मण को सौंपना चाहती है राजस्थान का जिम्मा। चित्तौड़ के सांसद सीपी जोशी बतौर ब्राह्मण और सतीश पूनिया जाट के नाते लाबिंग कर रहे हैं। यों कोशिश में अरुण चतुर्वेदी भी लगे हैं। कुछ नाम वसुंधरा खेमे ने भी आगे बढ़ाए थे। पर आलाकमान ने नकार दिए। साफ है कि आरएसएस की हरी झंडी मिलने पर ही अपना फैसला सुनाएंगे आलाकमान।

हवाई किले

मसूरी में आयोजित 11 पर्वतीय राज्यों का पहला सम्मेलन कोई छाप नहीं छोड़ पाया। यहां तक कि भाजपा की ही सत्ता वाले असम के किसी नुमाइंदे ने भी इसमें शिरकत करने की जरूरत महसूस नहीं की। जिन दस राज्यों ने शिरकत की, उनमें से भी मुख्यमंत्री केवल चार ही पहुंचे। चार में भी एक तो मेजबान त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद ही थे। बाकी छह राज्यों से या तो कोई मंत्री आया या अफसर। उत्तराखंड सरकार ने इसके प्रचार-प्रसार में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। मानो यह कोई यादगार आयोजन होने वाला है। पर आखिर में खोदा पहाड़ निकली चुहिया वाली कहावत ही चरितार्थ हुई। गनीमत रही कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीता रमण पहुंच गईं। उनके कारण केंद्रीय वित्त आयोग के अध्यक्ष और नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी आ गए। हां उत्तराखंड सरकार के अफसरों की पूरी फौज दिखी। नतीजतन मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन नौकरशाहों का सम्मेलन बन कर रह गया। इसके बावजूद मेजबान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अजय भट्ट ने इसे ऐतिहासिक और बेहद सफल सम्मेलन बता अपनी पीठ खुद ठोकने से कोई गुरेज नहीं किया। जबकि उत्तराखंड कांग्रेस के सूबेदार प्रीतम सिंह और पूर्व सूबेदार किशोर उपाध्याय ने इस महंगे आयोजन की सार्थकता पर सवाल उठा दिए। तंज कसा कि किसी मुख्यमंत्री ने इस आयोजन को गंभीरता से लिया ही नहीं। पानी की तरह पैसा बहाना व्यर्थ गया। वैसे भी उत्तराखंड में अफसर शाही कुछ ज्यादा ही हावी है। कई बार तो मुख्यमंत्री की घोषणाओं तक को गंभीरता से नहीं लेते अफसर। पिछली समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री खुद अपनी कई अहम घोषणाओं के धरातल पर नहीं उतरने की जानकारी से लाल-पीले हो गए थे। लेकिन नौकरशाही तो नौकरशाही ठहरी। अपने ही ढर्रे से करती है अपना काम।

(प्रस्तुति : अनिल बंसल)

जम्मू-कश्मीर में बलों की तैनाती आंतरिक सुरक्षा स्थिति पर आधारित : गृह मंत्रालय

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 अगस्त।

गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर में अर्धसैनिक बलों की तैनाती वहां की सुरक्षा की स्थिति और फेरबदल की जरूरत पर आधारित होती है और ऐसी बातों पर सार्वजनिक तौर पर चर्चा नहीं की जा सकती। केंद्रीय बलों की 100 कंपनियों (10,000 सैनिकों) को एक हफ्ते पहले भेजी गई थीं। इसके बाद गुरुवार से 28 हजार और जवान भेजे जा रहे हैं।

गृह मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक, 'आंतरिक सुरक्षा स्थिति, प्रशिक्षण की जरूरतों, आराम एवं स्वस्थ हो जाने के लिए अर्धसैनिक बलों की तैनाती में फेरबदल की जरूरत, केंद्रीय बलों की तैनाती एवं वापसी एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है।' तैनाती और किसी खास क्षेत्र में तैनात अर्धसैनिक बलों की गतिविधि के ब्योरे पर सार्वजनिक तौर पर कभी भी चर्चा नहीं की जाती।

जम्मू-कश्मीर में डर का माहौल : कांग्रेस

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, दो अगस्त।

जम्मू-कश्मीर में अमरनाथ यात्रियों और पर्यटकों के लिए जारी परामर्श एवं अतिरिक्त सुरक्षाकर्मियों की तैनाती के मद्देनजर पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में कांग्रेस के जम्मू-कश्मीर से संबंधित नीति नियोजन समूह की बैठक हुई। इसमें राज्य के हालात पर चिंता जताते हुए कहा गया कि इस प्रदेश को मिली संवैधानिक गारंटी बरकरार रखी जानी चाहिए। सरकार के ताजा परामर्श को लेकर नेशनल कांफ्रेंस (नेकां) और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) ने भी तीखी प्रतिक्रिया जताई है।

कांग्रेस पार्टी के जम्मू-कश्मीर नीति नियोजन समूह की बैठक के बाद राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने एक बयान में कहा कि ताजा घटनाक्रमों से राज्य के लोगों में असुरक्षा और डर का माहौल पैदा हो रहा है। सरकार के इरादे को लेकर अफरा-तफरी और चिंता पैदा हो रही है। बड़े पैमाने पर सुरक्षा व्यवस्था करने, अमरनाथ यात्रा में कटौती करने, पर्यटकों, तीर्थ यात्रियों और दूसरे लोगों के लिए परामर्श जारी करने से गहरी असुरक्षा और डर का माहौल पैदा हो रहा है।

दूसरी ओर, नेशनल कांफ्रेंस (नेकां) और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) ने भी कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। नेशनल कांफ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया, 'ऐसा जान पड़ता है कि यह अप्रत्याशित आदेश अमरनाथ यात्रियों और पर्यटकों पर बड़े आतंकवादी हमले के वास्तविक भय को दर्शाता है। घाटी में डर का जो माहौल है, उसमें इससे कोई कमी नहीं आने वाली है।'

पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया कि केंद्र ने राज्य में 'सैन्य ताकत' और 'मनोवैज्ञानिक युद्ध' जैसी तकनीकी आजमाई है। उन्होंने ट्वीट किया, 'पहले जरूरी सामानों की आपूर्ति का भंडार खड़ा करने के निजी आदेश आए और लोगों के मन में एक संदेश गया। अब इस तरह की खबरों से दहशत पैदा होगी। अब तक भारत सरकार ने जम्मू- कश्मीर के संबंध में सैन्य ताकत और मनोवैज्ञानिक युद्ध जैसी तकनीकी अपनाई है। कोई भी कारगर नहीं होगा।'

सीबीआइ का विशेष दल गठित

पेज 1 का बाकी

फोरेंसिक विशेषज्ञ पहले ही अपराध स्थल पर पहुंच चुके हैं। सूत्रों ने बताया कि फोरेंसिक टीम एक स्विफ्ट कार ले गई है। गत रविवार को हुई दुर्घटना में पीड़िता इसी कार से जा रही थी। यह 20 सदस्यीय विशेष टीम लखनऊ में पांच सदस्यीय टीम की मदद करेगी जो कि मामले की पहले ही जांच कर रही है।

उधर, सुप्रीम कोर्ट में प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरूद्ध बोस के पीठ ने सीबीआइ की ओर से महान्यायवादी तुषार मेहता के इस कथन का संज्ञान लिया कि पिछले रविवार को हुई इस दुर्घटना की जांच अभी जारी है। मेहता ने कहा कि चूंकि दुर्घटना संबंधी इस मामले की जांच अभी चल रही है, इसलिए कानूनी प्रावधानों के तहत इसका स्थानांतरण नहीं किया जा सकता है। उन्होंने पीठ से अनुरोध किया कि इसकी जांच पूरी होने तक इस मामले का स्थानांतरण विलंबित रखा जाए। शीर्ष अदालत ने गुरुवार को जांच ब्यूरो को इस मामले की जांच का काम सात दिन के भीतर पूरा करने का आदेश देने के साथ ही उन्नाव कांड से संबंधित पांच मामले दिल्ली की अदालत में स्थानांतरित कर दिया था।

उन्नाव कांड : पीड़िता और वकील की हालत स्थिर

लखनऊ, 2 अगस्त (भाषा)।

सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हुई उन्नाव बलात्कार मामले की पीड़िता और उसके वकील की हालत शुक्रवार को छठे दिन स्थिर बनी हुई है।

किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के मीडिया प्रभारी डॉ. संदीप तिवारी ने शुक्रवार को बताया कि पीड़िता अब भी वेंटिलेटर पर है और उसे बुखार है लेकिन उसकी हालत स्थिर बनी हुई है। पीड़िता के वकील को अब वेंटिलेटर से हटा लिया गया है।

डॉ. तिवारी ने एजंसी को बताया कि पीड़िता को बृहस्पतिवार शाम वेंटिलेटर से कुछ समय के लिए हटाया गया था लेकिन उसकी हालत खराब होने के कारण उसे दोबारा वेंटिलेटर पर रख दिया गया। पीड़िता के गले में छोटा सा छेद करके (ट्रैकियोस्टोमी) टयूब से उसे ऑक्सीजन दी जा रही है। पीड़िता को बृहस्पतिवार रात से हल्का बुखार है, लेकिन उसकी हालत स्थिर है। पीड़िता अभी बेहोश है। डॉक्टरों की टीम 24 घंटे उसकी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं।

उन्होंने बताया कि घायल वकील को बृहस्पतिवार शाम वेंटिलेटर से हटा दिया गया था और उन्हें भी गले में छेद करके (ट्रैकियोस्टोमी) टयूब से ऑक्सीजन दी जा रही है। उनकी तबियत स्थिर है। डॉ. तिवारी ने बताया कि जब कोई भी मरीज चार दिन से ज्यादा वेंटिलेटर पर रहता है तो उसे ऑक्सीजन देने के लिए ट्रैकियोस्टोमी विधि का इस्तेमाल किया जाता है। इससे मरीज को पर्याप्त ऑक्सीजन भी मिलती रहती है और फेंफड़ों आदि की सफाई करने में भी आसानी होती है।

उन्होंने कहा, हम पीड़िता और उसके वकील का इलाज करने में पूरी तरह से समर्थ है और केजीएमयू के सबसे अच्छे डाक्टरों की टीम दोनों का इलाज कर रही है। उन्होंने कहा कि पीड़िता और वकीलों के परिजन की भी यह इच्छा है कि दोनों का इलाज लखनऊ में ही कराया जाए।

अनुच्छेद 370 और 35-ए पर उचित समय पर फैसला करेगी सरकार : भाजपा

नई दिल्ली, 2 अगस्त (भाषा)।

जम्मू कश्मीर के लिए भाजपा के चुनाव प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने शुक्रवार को कहा कि अनुच्छेद 370 और 35-ए पर मोदी सरकार उपयुक्त समय पर उचित फैसला करेगी, जो जम्मू कश्मीर के हित में होगा। राज्य में भाजपा के उपाध्यक्ष ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जब भी चुनाव होंगे तब पार्टी अपने दम पर सरकार का गठन करेगी। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 और 35-ए पर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि दोनों अनुच्छेदों पर क्या होगा, यह तो समय ही बताएगा।

उन्होंने कहा, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार उपयुक्त समय पर उचित फैसला लेगी, जो जम्मू कश्मीर और देश के हित में होगा।' खन्ना जम्मू कश्मीर के संगठनात्मक मामलों के लिए पार्टी के प्रभारी हैं। बुधवार को उन्हें राज्य में चुनाव का प्रभारी नियुक्त किया गया। पूर्ववर्ती पीडीपी-भाजपा सरकार पर चर्चा करते हुए खन्ना ने कहा कि वह अपूर्ण सरकार थी। उन्होंने कहा, 'जम्मू कश्मीर में जब भी विधानसभा चुनाव होंगे तब भाजपा राज्य में अपने दम पर सरकार बनाएगी।' उन्होंने राज्यपाल सत्यपाल मलिक की प्रशंसा करते हुए कहा कि राज्य में विश्वास का माहौल पैदा हुआ है।

लोकसभा में जलियांवाला बाग संशोधन विधेयक पास

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 अगस्त।

लोकसभा ने शुक्रवार को जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक (संशोधन) विधेयक, 2019 को मंजूरी प्रदान कर दी। इसमें न्यासियों में से कांग्रेस अध्यक्ष के नाम को हटाने और लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को न्यासी बनाने का प्रावधान शामिल किया गया है। विधेयक पर विरोध दर्ज कराते हुए कांग्रेस ने सदन से वाकआउट किया।

जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक अधिनियम, 1951 में संशोधन के लिए लाए गए विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि जलियांवाला बाग एक राष्ट्रीय स्मारक है और घटना के सौ साल पूरे होने के अवसर पर हम इस स्मारक को राजनीति से मुक्त करना चाहते हैं। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने ध्वनिमत से विधेयक को मंजूरी प्रदान की। इससे पहले सदन ने विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव को 30 के मुकाबले 214 मतों से स्वीकृति प्रदान की। विधेयक पारित होने के दौरान कांग्रेस ने सदन से वाकआउट किया।

पटेल ने कहा कि यह राष्ट्रीय स्मारक है और यह राजनीति का स्मारक मात्र नहीं हो सकता। उन्होंने सरकार पर इतिहास बदलने के कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इतिहास को कोई नहीं बदल सकता। आज हम इतिहास बदल नहीं रहे, बल्कि जलियांवाला बाग स्मारक को राजनीति से मुक्त कर राष्ट्रीय स्मारक बनाकर राजनीति रच रहे हैं।

पटेल ने कहा कि स्मारक की स्थापना के समय जवाहरलाल नेहरू, सैफुद्दीन किचलू और अब्दुल कलाम आजाद इसके स्थायी ट्रस्टी थे और इनके निधन के कई साल बाद भी कांग्रेस को स्थायी ट्रस्टियों के पद भरने की याद नहीं आई। यह विवाद का विषय नहीं है। कांग्रेस को स्मारक के इतिहास की इतनी चिंता है तो उसने स्मारक के ट्रस्टी में सरदार उधम सिंह के परिवार के किसी सदस्य को क्यों नहीं शामिल किया? कांग्रेस का दावा है कि स्मारक के लिए कांग्रेस ने जमीन खरीदने को पैसा दिया। जबकि सबसे पहले पैसा इकट्ठा करने की शुरुआत आम आदमी ने की थी और आम आदमी ने ही शहादत दी थी। कांग्रेस ने बाद में पैसा दिया।

उन्होंने कहा कि देश में ऐसे कई स्मारक हैं जिन्हें चिह्नित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि संस्कृति, इतिहास को पुनः लिखा नहीं जा सकता लेकिन उसका पुनः निरीक्षण होना चाहिए। कांग्रेस के लिए यह केवल ट्रस्ट, स्मारक हो सकता है। लेकिन हम जानते हैं कि यह हमारे बलिदानी पुरखों के खून का यादगार स्थल है।

आतंकवाद की जांच में बढ़े एनआइए के अधिकार

पेज 1 का बाकी

आशंकाओं को निराधार करार दिया और समझौता एक्सप्रेस विस्फोट मामले का उदाहरण देते हुए तत्कालीन कांग्रेस नीत सरकार पर आतंकवाद को एक धर्म विशेष से जोड़ने की कोशिश करने का आरोप लगाया।

उन्होंने इस विधेयक के प्रावधानों का बचाव करते हुए कहा कि इसके प्रावधान जांच एजंसियों को आतंकवाद से चार कदम आगे रखने के लिए हैं। राज्यसभा ने यूएपीए विधेयक को 42 के मुकाबले 147 मतों से मंजूरी दी। सदन ने विपक्ष द्वारा इसे प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव को 85 के मुकाबले 104 मतों से खारिज कर दिया। लोकसभा ने इसे पिछले हफ्ते ही मंजूरी दे दी थी।

विधेयक में व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने के प्रावधान के दुरूपयोग होने की आशंका को निर्मूल ठहराते हुए शाह ने कहा कि आतंकवाद से मुकाबले के लिए ऐसा करना जरूरी है। शाह ने कहा कि हमें इस बात को समझना होगा कि व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने का क्या मतलब है? उन्होंने कहा कि ये बड़े जटिल तरह के मामले होते हैं, जिनमें साक्ष्य मिलने की संभावना कम होती है। ऐसे मामले अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय किस्म के होते हैं। गृह मंत्री ने कहा कि आतंकवाद के मामले में यह देखने में आया है कि एक संगठन पर प्रतिबंध लगाने पर व्यक्ति दूसरा संगठन बना लेते हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आतंकवाद संगठन नहीं, व्यक्ति करता है।

बहस पर चर्चा के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व गृहमंत्री पी चिदंबरम ने शाह से सवाल उठाया कि इस विधेयक में किसी व्यक्ति को किस स्थिति में आतंकवादी घोषित किया जाएगा, इसे लेकर कोई स्पष्टता नहीं है। इस पर गृह मंत्री ने कहा कि विधेयक में कुछ अस्पष्टता जरूर है, लेकिन यह स्थिति की जटिलता के कारण है। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करना परिस्थितिजन्य आधार पर तय किया जाएगा। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने के बाद भी चार स्तर पर इसकी समीक्षा होगी। इसलिए इसे लेकर शंका नहीं की जानी चाहिए।

शाह ने दलील दी कि आतंकवाद अकेले अपने देश की ही नहीं बल्कि वैश्विक समस्या है। इस समस्या से निपटने के लिए आतंकी संगठनों के अलावा व्यक्तियों को भी आतंकवादी घोषित करने को लेकर कानून बनाने के बारे में हम तो पिछड़ गए। अमेरिका, इसराइल, पाकिस्तान, यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र पहले ही ऐसा कानून बना चुके हैं।

पीड़िता को एम्स भेजने का निर्णय परिवार पर छोड़ा

पेज 1 का बाकी

परिवार पर छोड़ दिया। पीठ ने इस मामले में न्याय मित्र की भूमिका निभा रहे वरिष्ठ अधिवक्ता वी गिरि के इस बयान का संज्ञान लिया कि पीड़ित अभी अचेत है और वेंटीलेटर पर है। उन्होंने कहा कि महिला के परिजनों की राय है कि फिलहाल लखनऊ के अस्पताल में ही उसका इलाज होने दिया जाए। पीठ ने गिरि के इस सुझाव को स्वीकार कर लिया और कहा कि पीड़ित के परिजन उसे लखनऊ से दिल्ली स्थित एम्स में स्थानांतरित करने के बारे में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं।

पीठ को यह जानकारी भी दी गई कि इस सड़क दुर्घटना में जख्मी वकील को अब वेंटीलेटर से हटा लिया गया है लेकिन उसकी स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुयी है। वकील के पिता उसे दिल्ली स्थानांतरित करने के बारे में अनिर्णय की स्थिति में है।

पीठ ने बलात्कार पीड़िता के चाचा को रायबरेली जेल से दिल्ली की तिहाड़ जेल स्थानांतरित करने का भी आदेश दिया है। इस मामले में न्यायालय अब सोमवार को आगे विचार करेगा। न्यायालय ने सभी मीडिया संस्थानों को निर्देश दिया कि वे प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष या किसी भी अन्य तरीके से पीड़ित की पहचान सार्वजनिक नहीं करें। इस मामले की संक्षिप्त सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने न्यायालय को सूचित किया कि 25 लाख रुपए की अंतरिम मुआवजे की राशि पीड़ित के परिवार को पहले ही दी जा चुकी है।

तीन तलाक के दो मामले दर्ज, कानून के खिलाफ याचिका

पेज 1 का बाकी

सुलहनामे के प्रयासों के दौरान थाने के गेट पर ही तीन बार तलाक बोलकर चला गया था। एसपी (सिटी) अशोक कुमार मीणा ने बताया, 'बुधवार को तीन तलाक के खिलाफ कानून बन जाने के बाद शिकायत मिलने पर मुसलिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 व भादंवि की धारा 323, 504 और 3/4 के तहत दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है।' एसएसपी को दिए शिकायती पत्र में पीड़िता की मां ने यह भी आरोप लगाया है कि इस घटनाक्रम के तुरंत बाद जब उन्होंने महिला थाना को अवगत कराया तो उनकी रिपोर्ट दर्ज करने के बजाय उन्हें डांटकर भगा दिया गया।

इसके अलावा महाराष्ट्र के ठाणे में पुलिस ने कथित रूप से वाट्सऐप के जरिए अपनी पत्नी को तलाक देने वाले व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मुंब्रा के नजदीक पुलिस ने गुरुवार रात आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए और मुसलिम महिला (वैवाहिक अधिकारों की रक्षा) अधिनियम की धारा चार के तहत मामला दर्ज किया। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मधुकर काड ने कहा कि प्राथमिकी 31 वर्षीय महिला की शिकायत पर दर्ज की गई। महिला ने पुलिस को बताया कि 2015 से 2018 के बीच उसके पति, सास और ननद ने दहेज के लिए उसका उत्पीड़न किया और पति ने फोन और वाट्सऐप पर तीन तलाक दे दिया।

तीर्थयात्रियों व पर्यटकों को जल्द घाटी छोड़ने का परामर्श

पेज 1 का बाकी

यात्रा रद्द करने का फैसला किया है। खराब मौसम के कारण पहले ही अमरनाथ यात्रा को चार अगस्त तक के लिए स्थगित किया जा चुका था।

इस बीच, केंद्र सरकार ने कश्मीर घाटी में सैन्य बलों की तैनाती बढ़ाई है। सरकार ने जवानों को जल्द से जल्द पहुंचाने के लिए सी-17 समेत भारतीय वायुसेना के कई विमानों को भी सेवा में लगाया है।

कश्मीर घाटी में मौजूदा हालात के मद्देनजर सरकार ने थल सेना और वायुसेना को हाई ऑपरेशनल अलर्ट पर रखा है। जम्मू-कश्मीर में पिछले लगभग 15 दिनों में भारी संख्या में सुरक्षाबलों की तैनाती की गई है। 10 हजार अतिरिक्त सुरक्षाबलों की तैनाती के फैसले के हफ्ते के भीतर सरकार ने कश्मीर घाटी में 28 हजार और जवानों को भेजा है।

उधर, सुरक्षा बलों ने शुक्रवार को अमरनाथ यात्रा पर बड़े आतंकी हमले की साजिश को नाकाम कर दिया। सीआरपीएफ, जम्मू-कश्मीर पुलिस और सेना के आला अफसरों ने श्रीनगर में संयुक्त प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि अमरनाथ यात्रियों पर आतंकियों ने स्नाइपर से हमले की कोशिश की, लेकिन सुरक्षाबलों ने इसे पूरी तरह विफल कर दिया। तीनों बलों के द्वारा दी गई जानकारी नई दिल्ली में गृह मंत्रालय एवं रक्षा मंत्रालय ने भी जारी की।

सेना के चिनार कोर के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लन के मुताबिक, विभिन्न जगहों पर तलाशी अभियान में भारी मात्रा में हथियार एवं गोला-बारूद बरामद किए गए हैं। पाकिस्तानी सेना द्वारा निर्मित बारूदी सुरंगे भी आतंकियों के ठिकाने से मिली हैं।

लेफ्टिनेंट जनरल ढिल्लन के मुताबिक, सुरक्षा बलों ने अमरनाथ यात्रा के रूट पर आतंकियों के एक ठिकाने से तलाशी अभियान के दौरान अमेरिकी स्नाइपर राइफल एम-24 बरामद की है। इसके अलावा, पाकिस्तान पाकिस्तान में निर्मित बारूदी सुरंग और अन्य विस्फोटक बरामद हुए हैं। बरामद हुई बारूदी सुरंग का इस्तेमाल पाकिस्तानी सेना करती है। आतंकियों के ठिकानों से जो आइईडी बरामद किए गए हैं उनकी जांच की जा रही है और अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक ये साफ है कि पाकिस्तान कश्मीर घाटी में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बल सतर्क हैं और किसी को भी कश्मीर की शांति भंग नहीं करने दी जाएगी।

'मोदी चाहें तो करूंगा कश्मीर पर मध्यस्थता'

पेज 1 का बाकी

पिछले हफ्ते ट्रंप ने दावा किया था कि प्रधानमंत्री मोदी ने जापान में हुई मुलाकात के दौरान उनसे कश्मार मुद्दे पर मध्यस्थता करने को कहा था। जिसपर भारत ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी और कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा कभी कोई अनुरोध नहीं किया।

भारत द्वारा ट्रंप की पेशकश खारिज किए जाने से जुड़े एक सवाल पर ट्रंप ने कहा, 'यह (मध्यस्थता की पेशकश स्वीकार करना) पूरी तरह प्रधानमंत्री (नरेंद्र मोदी) पर निर्भर करता है।' ट्रंप ने अचरज भरे लहजे में सवाल किया, 'उन्होंने पेशकश स्वीकार की या नहीं?'

सपा नेता सुरेंद्र नागर ने दिया राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा

नई दिल्ली, 2 अगस्त (भाषा)।

समाजवादी पार्टी (सपा) के राज्यसभा सदस्य सुरेंद्र सिंह नागर ने शुक्रवार को उच्च सदन की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। सूत्रों के अनुसार नागर ने राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू से मुलाकात कर अपना त्यागपत्र सौंप दिया है। सभापति कार्यालय के आधिकारिक सूत्रों ने नागर द्वारा त्यागपत्र दिए जाने की पुष्टि करते हुए बताया कि नायडू ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है।

अयोध्या : छह अगस्त से रोजाना सुनवाई

पेज 1 का बाकी

कलीफुल्ला द्वारा पेश की गई रिपोर्ट मिल गई है। हमने इसका अवलोकन किया है। मध्यस्थता कार्यवाही से किसी भी तरह का अंतिम समाधान नहीं निकला है। इसलिए हमें अब लंबित अपील पर सुनवाई करनी होगी जो छह अगस्त से शुरू होगी। शीर्ष अदालत ने कहा कि इस प्रकरण के पक्षकारों को अपीलों पर सुनवाई के लिए अब तैयार रहना चाहिए। अदालत ने रजिस्ट्री कार्यालय से भी कहा कि उसे भी दैनिक आधार पर इस मामले की सुनवाई के लिए अदालत के अवलोकन के उद्देश्य से सारी सामग्री तैयार रखनी चाहिए।

अदालत ने कहा हम यह स्पष्ट करते हैं कि इस मामले की सुनवाई दैनिक आधार पर बहस पूरी होने तक चलेगी। मध्यस्थता समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि हिंदू और मुसलिम पक्षकार इस पेचीदगी भरे विवाद का कोई सर्वमान्य समाधान नहीं खोज सके।

न्यायमूर्ति कलीफुल्ला की अध्यक्षता वाली इस समिति ने करीब चार महीने तक मध्यस्थता के माध्यम से इस विवाद का समाधान खोजने का प्रयास किया था। मध्यस्थता समिति ने इस विवाद का समाधान खोजने के लिए अयोध्या से करीब सात किलोमीटर दूर फैजाबाद में बंद कमरे में संबंधित पक्षों से बातचीत की थी।

पीठ द्वारा मामले की सुनवाई छह अगस्त से करने का आदेश दिए जाने के बाद एक मुसलिम पक्षकार की ओर से वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने कई तकनीकी मुद्दे उठाए और कहा कि उन्हें इस मामले से संबंधित तमाम बिंदुओं पर विस्तार से बहस के लिए 20 दिन की आवश्यकता होगी और सुनवाई के समय इसमें कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। धवन जब इस मामले के विभिन्न पहलुओं पर सुनवाई के बारे में अपनी बात रख रहे थे तभी पीठ ने उनसे कहा- हमें यह ध्यान नहीं दिलाएं कि हमें क्या करना है। हम जानते हैं कि इसके कई पहलू हैं और हम इन सभी पहलुओं पर गौर करेंगे।

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाला संविधान पीठ छह अगस्त को इलाहाबाद हाई कोर्ट के सितंबर, 2010 के फैसले के खिलाफ दायर 14 अपीलों पर सुनवाई शुरू करेगा। संविधान पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति एसए बोबडे, न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर शामिल हैं।

हाई कोर्ट ने इस फैसले में अयोध्या में 2.77 एकड़ की विवादित भूमि इसके तीन पक्षकारों-सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और राम लला के बीच बराबर-बराबर बांटने का आदेश दिया था।

दरअसल

डीजीसीए ने विमानन कंपनियों से कहा, श्रीनगर से लोगों लाने के लिए अतिरिक्त विमान रखें तैयार

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 अगस्त।

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने शुक्रवार की शाम सभी निर्धारित भारतीय विमानन कंपनियों से कहा कि वे अमरनाथ यात्रियों और पर्यटकों को श्रीनगर से देश के अन्य शहरों तक ले जाने के लिए अतिरिक्त विमानों को तैयार रखें। अगर जरूरत पड़ी तो उनका इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बाद विमानन कंपनियों ने अपनी बुकिंग को रीशेड्यूल कर रहे यात्रियों का अतिरिक्त शुल्क माफ करने का एलान किया है। विमानन कंपनी इंडिगो ने ट्वीट किया कि श्रीनगर में मौजूदा सुरक्षा के हालात और सरकार के परामर्श को देखते हुए हम नौ अगस्त तक श्रीनगर जाने और वहां से आने वाले विमानों के रीशेड्यूल और रद्द करने पर कोई शुल्क नहीं लेंगे।

कश्मीर पर कोई भी वार्ता केवल पाकिस्तान के साथ : जयशंकर

पेज 1 का बाकी

इस समय थाईलैंड की राजधानी में हैं। वे आसियान-भारत मंत्रिस्तरीय बैठक, नौवें पूर्वी एशिया सम्मेलन में विदेश मंत्रियों की बैठक, 26वें आसियान क्षेत्रीय मंच और 10वीं मेकांग-गंगा निगम मंत्रिस्तरीय बैठक समेत कई सम्मेलनों में भाग लेने पहुंचे हुए हैं।

पोम्पिओ से मुलाकात के बाद जयशंकर ने ट्वीट किया, 'पोम्पिओ को स्पष्ट रूप से यह बता दिया गया कि यदि कश्मीर पर किसी वार्ता की आवश्यकता हुई तो वह केवल पाकिस्तान के साथ होगी और द्विपक्षीय ही होगी।'

भारत ने ठुकरा दी पाक की तमाम शर्तें

पेज 1 का बाकी

के लिए नहीं गए। पाकिस्तान ने राजनयिक पहुंच के लिए तीन शर्तें गिनाई थीं, जिसे भारत ने ठुकरा दिया। भारतीय विदेश मंत्रालय अब पाकिस्तान की प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा था कि वह मामले में जाधव को राजनयिक पहुंच मुहैया कराने के पाकिस्तान के प्रस्ताव का आकलन कर रहा है।

अधिकारियों के मुताबिक, पाकिस्तान ने जाधव को राजनयिक पहुंच मुहैया कराने पर कई शर्तें रखी थीं, जिनमें प्रमुख यह थी कि जब भारतीय कैदी को भारतीय अधिकारियों से मुलाकात की अनुमति दी जाएगी, उस समय कोई पाकिस्तानी अधिकारी मौजूद रहेगा।

भारत ने पाकिस्तान से मांग की कि बिना किसी शर्त के भयमुक्त वातावरण में भारतीय राजनयिकों की मुलकात कुलभूषण जाधव से करवाई जाए। इसके बाद पाकिस्तान ने चुप्पी साध ली। अधिकारियों ने कहा कि यह वियना संधि का उल्लंघन है और पाकिस्तान की तरफ से सकारात्मक प्रतिक्रया न मिलने से भारत कड़ा रुख अख्तियार कर सकता है। इससे पहले, गुरुवार को कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान ने राजनयिक पहुंच देने की पेशकश की थी। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग को बताया कि जाधव को शुक्रवार को राजनयिक पहुंच दी जाएगी, जिसके तहत जाधव भारतीय राजनयिक से मिल सकता है।

गौरतलब है कि भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी जाधव (49) को पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने जासूसी और आतंकवाद के आरोपों में अप्रैल 2017 में मौत की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी मौत की सजा पर रोक लगाने के लिए भारत ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। आइसीजे ने पाकिस्तान को जाधव की सजा की प्रभावी समीक्षा और पुनर्विचार करने के लिए कहा था। अंतरराष्ट्रीय अदालत ने पाकिस्तान को यह भी निर्देश दिया था कि वह जाधव तक भारत को अविलंब राजनयिक पहुंच दे।

संघ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत

नागपुर, 2 अगस्त (भाषा)।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने अयोध्या विवाद मामले की दैनिक आधार पर सुनवाई करने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का शुक्रवार को स्वागत किया और उम्मीद जताई कि राम मंदिर के निर्माण में आने वाली कानूनी अड़चनें जल्द ही दूर हो जाएंगी। आरएसएस के आधिकारिक हैंडल पर उसके सरकार्यवाह भैयाजी जोशी के हवाले से एक ट्वीट में कहा गया है, 'हम उम्मीद कर रहे थे कि राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण में बाधाओं को दूर करने में मध्यस्थता सफल होगी लेकिन यह कारगर साबित नहीं हुई।'

इसमें कहा गया है, 'हम छह अगस्त से दैनिक आधार पर सुनवाई किए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि लंबे समय से लंबित विवाद को एक निश्चित समय सीमा के भीतर हल कर लिया जाएगा और मंदिर निर्माण में कानूनी अड़चनों को दूर किया जाएगा तथा एक भव्य मंदिर का निर्माण शुरू होगा।'

PRECISION ELECTRONICS LIMITED
Regd. Office: D-1081, New Friends Colony New Delhi-110065
CIN: L32104DL1979PLC009590

Notice of Board Meeting

Notice is hereby given that pursuant to SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, meeting of Board of Directors of the Company shall be held on Saturday, August 10, 2019 at 11.30 a.m. to consider inter-alia the Un-Audited Financial Results of the Company for the quarter ended June 30, 2019.

The notice is also available on Company's website www.pel-india.com and Bombay stock exchange www.bseindia.com.

For Precision Electronics Limited
Sd/-
Veenita Puri
Company Secretary & Compliance Officer

Place: Noida
Date: 03.08.2019

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड
सीआइएन: L32101DL1986GOI023501
निगम एवं पंजी. कार्यालय: महानगर दूरसंचार सदन, पंचम तल, 5, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

सूचना

सेबी (एलओडीआर), 2015 के विनियम 47 के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के निदेशक मण्डल की बैठक बुधवार, 14 अगस्त, 2019 को आयोजित की जायेगी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के लिए कम्पनी के अनंकेक्षित स्वतंत्र वित्तीय विवरणों पर विचार तथा उन्हें निदेशकों ने लिए जायेंगे। यह भी सूचित किया जाता है कि स्टॉक एक्सचेंज की ट्रेडिंग विंडो 1 जुलाई, 2019 से 48 घंटे (दोनों दिन सहित) तक बन्द रहेगी। यह सूचना वेबसाइट www.mtnl.net.in पर भी उपलब्ध की गई है।

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 2.8.2019

कृते महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड
(एम.आर. रमन), कम्पनी सचिव

AJANTA SOYA LIMITED
CIN L15494RJ1992PLC016617
Regd. Office & Works : SP-916, Phase-III, Industrial Area, Bhiwadi-301 019, Rajasthan
Tel: 911-6176727, 911-6126880;
Corp. Office : 12th Floor, Bigjo's Tower, A-8, Netaji Subhash Place, Wazirpur District Centre, Delhi - 110 034
Tel: 011-42515151, Fax : 011-42515100.
Email : cs@ajantasoya.com
Website: www.ajantasoya.com

NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Tuesday, August 13, 2019 to inter-alia consider and approve the Un-audited Financial Results of the Company for the quarter ended June 30, 2019.

The above information is also available on the website of the Company at www.ajantasoya.com and also on the website of stock exchange i.e. www.bseindia.com.

For Ajanta Soya Ltd
Sd/-
Kapil
Company Secretary

Place: New Delhi
Date: 02.08.2019

कोवेन्ट्री क्वॉयल-ओ-मैटिक (हरियाणा) लि.
पंजी. कार्यालय: 87 वां कि.मी. स्टोन एनएच 8, दिल्ली-जयपुर रोड, ग्राम सालावास, संगवारी, जिला रेवाड़ी 123401 (हरियाणा)

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अनुपालन में कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक बुधवार, 14 अगस्त, 2019 को 12.30 बजे दोप. में 87 वां कि.मी. स्टोन, एनएच 8, दिल्ली जयपुर रोड, ग्राम सालावास, संगवारी, जिला रेवाड़ी 123401 (हरियाणा) में आयोजित की जाएगी जिसमें अन्य विषयों के साथ ही 30 जून, 2019 को समाप्त प्रथम तिमाही के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार तथा अनुमोदन किए जाएंगे।
निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से
हस्ता./-
आर.एम. बाफना
कार्यकारी निदेशक

दिनांक: 2.8.2019
स्थान: रेवाड़ी

COURT NOTICE
Criminal Courts Ludhiana
In The Court Of Sh. Gurdarshan Singh JMIC Ludhiana
Next Date/Purpose Of Case Orders & Judgements As Well As Other Case Information Is Available On http://eprocts.gov.in
CNR NO. PBLD03-049969-2017
Ravinder Pal Singh
VS
M/s Mannat Textiles & Trading Co.
Next Date:- 13/08/2019 Notice To:-
1. M/s Mannat Textiles & Trading Co. R-39,Shop No.23, Diamond Complex,Main Market,Ramesh Park,Laxmi Nagar,Delhi-110092 Through Its Prop Amit Bansal
2. Amit Bansal Proprietor Sign Of M/s Mannat Textiles & Trading Co. R-39,Shop No.23, Diamond Complex,Main Market,Ramesh Park,Laxmi Nagar, Delhi-110092
Whereas It Has Been Proved To The Satisfaction Of The Court That You, The Above Named Accused/ Accused Person's Can't Be Served In The Ordinary Way Of Service Hence This Proclamation Under 82 Code Of Criminal Procedure Is Hereby Issued Against You With A Direction That You Should Appear Personally Before This Court On **13/08/2019 At 10:00 A.m** or Within 30 Days From The Date Of Publication Of This Proclamation. Take Notice That, In Default Of Your Part To Appear As Directed Above The Above Said Case Will Be Heard & Determined As Per Law In Your Absence. For Details Log On To http://highcourtchd.gov.in/?mode=district_notice&district=ludhiana
Dated This Day Of 22/07/19 JMIC Ludhiana

एडविक लैबोरेटरीज लिमिटेड
CIN: L74899HR1994PLC038300
पंजीकृत कार्यालय: 138, रोड-का-मेओ, इंडस्ट्रियल एरिया, सोहना, जिला मेवात (हरियाणा)-122103
E-mail ID:mail@advikindia.com,
Website:www.advikindia.com
Tel.No.: 0124-2362471, Fax: 91-11-43571047

बोर्ड के बैठक की सूचना

सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियमन 47 के साथ पठित विनियमन 33 के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निदेशक मंडल की एक बैठक 703, अरुणाचल बिल्डिंग, 19, बाराखम्बा रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली- 110001 में कम्पनी के कॉर्पोरेट कार्यालय में आयोजित की जायेगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार, अनुमोदन कर उसे अभिलेख में लिये जायेंगे।
उक्त जानकारी कम्पनी की वेबसाईट www.advikindi.com तथा बीएसई की वेबसाईट अर्थात www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।

बोर्ड के आदेश से
एडविक लैबोरेटरीज लिमिटेड के लिये
हस्ता./- पूजा चुनी
(कम्पनी सचिव)
सद.सं. ए16272

स्थान: हरियाणा
तिथि: 02.08.2019

B. P. Capital Limited
CIN-L74899HR1994PLC073042
पंजी. कार्या.: प्लॉट नं. 345, एचएसआईआईडीसी, फुटवियर पार्क, सेक्टर-17, बहादुरगढ़, झज्जर, हरियाणा-124507
Email:id-bpcapitallimited@gmail.com
Phone: 01276-222501,02, Fax : 01276-222501

बोर्ड की बैठक की सूचना

सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियमन 47 के साथ पठित विनियमन 33 के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि निदेशक मंडल की बैठक कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में सोमवार, 12 अगस्त, 2019 को आयोजित की जायेगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार, स्वीकृत कर उसे अनुमोदित किये जायेंगे।
उक्त जानकारी कम्पनी की वेबसाईट www.bpcapital.in पर तथा बीएसई की वेबसाईट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।

बोर्ड के आदेश से
बी.पी. कैपिटल लिमिटेड के लिये
हस्ता./-
रमेश कुमार गुप्ता
(प्रबंध निदेशक)
DIN :00047724

तिथि: 03.08.2019
स्थान: हरियाणा

SAI MOH AUTO LINKS LIMITED
CIN: L34300DL1985PLC020510
पंजी. कार्यालय: सी-582, सरस्वती विहार, पीतमपुरा, दिल्ली- 110034
Email Id: saimohauto@gmail.com
Tel :91-11-27032702, Fax: 91-11-27032702

बोर्ड की बैठक की सूचना

सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियमन 47 के साथ पठित विनियमन 33 के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि निदेशक मंडल की बैठक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में सोमवार, 12 अगस्त, 2019 को आयोजित की जाएगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के लिये अनंकेक्षित वित्तीय पर विचार, स्वीकृत कर उसे अनुमोदित किये जाएंगे।
उक्त जानकारी कंपनी की वेबसाईट www.saimohauto.com तथा बीएसई की वेबसाईट अर्थात www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।

बोर्ड के आदेश से
साई मोह ऑटो लिंक्स लिमिटेड के लिए
हस्ता./-
भव्या कोछर
(कम्पनी सचिव)
Mem. No. A58855

तिथि: 03.08.2019
स्थान: नई दिल्ली

CyberMedia
CYBER MEDIA (INDIA) LIMITED
CIN: L92114DL1983PLC014334
Regd. office: D-74, Panchsheel Enclave, New Delhi-110017, Tel.: 011-26491320
Corp. office: Cyber House, B-35, Sector-32, Gurugram-122001, Haryana.
Tel.: 0124-4822222
Email: investorcare@cybermedia.co.in . Website: www.cybermedia.co.in

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Wednesday, the 14th day of August, 2019, inter-alia, to consider and approve the unaudited financial results, standalone and consolidated, of the Company for the quarter ended June 30, 2019.

The said information is also available on the Company's website at www.cybermedia.co.in and the websites of stock exchanges at www.bseindia.com and www.nseindia.com.

By Order of the Board
Sd/-
Anoop Singh
Company Secretary
M. No. F8264

Date: August 02, 2019
Place: Gurugram

जेडीएस फाइनांस कम्पनी लिमिटेड
CIN: L65999DL1984PLC018035
पंजी. कार्या: 307, लूसा टावर, आजादपुर, दिल्ली - 110033, वेबसाईट: www.jdsfinance.in
ई-मेल आईडी: info@jdsfinance.in,
फोन नं.: 011-40424242, फैक्स: 011-40424200

सूचना

सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 47 के साथ पठित विनियमन 29 के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि जेडीएस फाइनांस कम्पनी लिमिटेड के निदेशक मंडल की एक बैठक शुक्रवार, 9 अगस्त, 2019 को 2.00 बजे अप. में 307, लूसा टावर, आजादपुर, दिल्ली-110033 में उसके पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जायेगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के अनंकेक्षित स्टैंडएलॉन वित्तीय परिणामों पर विचार एवं अनुमोदन किये जाएंगे।
पुनः हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि इन्सायडर ट्रेडिंग निषेध के लिये कम्पनी की आचार संहिता के अनुसार संशोधित सेबी (इन्सायडर ट्रेडिंग निषेध) विनियमन, 2015 एवं मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचैंज ऑफ इंडिया लिमिटेड से ट्रेडिंग प्रतिबंध अवधि पर स्पष्टीकरण से संबंधित प्राप्त सर्क्युलर तिथि 22 अप्रैल, 2019 के अनुसार ट्रेडिंग विण्डो 30 जून, 2019 से ही बंद है तथा 9 अगस्त, 2019 को परिणामों को सार्वजनिक किये जाने के बाद 48 घंटे की पूर्णता तक बंद रहेगा।
उक्त सूचना कम्पनी की वेबसाइट http://www.jdsfinance.in तथा साथ ही स्टॉक एक्सचैंज की वेबसाईट http://www.msei.in पर देखी जा सकती है।

जेडीएस फाइनांस कम्पनी लिमिटेड के लिये
हस्ता./-
निहारिका कुलकर्णी
प्रबंध निदेशक

तिथि: 2.8.2019
स्थान: दिल्ली

CRANEX LIMITED
CIN: L74899DL1973PLC006503
Registered Office: 9, DDA Market, Kalkaji Extn. Opposite Gulab Hotel, New Delhi -110019
Works: 57/1, Site-IV, Industrial Area, Sahibabad-201010, Distt. Ghaziabad (U.P.)
Ph: 0120-3240427, 4167628
Fax: 91-120-4167639
Website: www.cranexltd.com
Email: cranex1@yahoo.com, info@cranexltd.com

NOTICE

In Compliance of Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, it is hereby informed that a meeting of Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Saturday, 10th August, 2019 at 03:00 P.M. at the Corporate Office of the Company at 57/1, Industrial Area, Site IV, Sahibabad -201010 (UP)to consider and approve, inter-alia, the Unaudited Standalone Financial Results of the Company for the First quarter ended 30th June, 2019.

The said notice may be accessed on the Company's website at www.cranexltd.com and may also be accessed on the Stock Exchange at www.bseindia.com

By Order of the Board
For Cranex LIMITED
Sd/-
Prakash Kedia
Compliance Officer

Date: 02nd August, 2019
Place: New Delhi

COURT NOTICE
Criminal Courts Ludhiana
In The Court Of Sh. Devinder Singh JMIC Ludhiana
Publication Notice For Proclamation Under Section 82 CR.PC
CNR NO. PBLD03-003598-2018
Ajit Singh VS Seico Machine Tools & Equipments
Next Date:- 22/08/2019
Complaint Rlw Sec 138 Of N.I Act Notice To:-
1. Seico Machine Tools And Equipments, Machinery Supplier, Engineer, Agents 191778, Rajesh Avenue Near Pumpa Theatre N.H Kallai Road Calicut-673002 Kerala, Through Its Prop. Sh. V Subramaniam
2. V. Subramaniam, Owner/Prop. Seico Machine Tools And Equipments, Theatre N.H Kallai Road Calicut-673002 Kerala
Whereas It Has Been Proved To The Satisfaction Of The Court That You, The Above Named Accused/ Accused Person's Can't Be Served In The Ordinary Way Of Service Hence This Proclamation Under 82 CRPC Is Hereby Issued Against You With A Direction That You Should Appear Personally Before This Court On **22/08/2019 At 10:00 A.m** or Within 30 Days From The Date Of Publication Of This Proclamation.
Take Notice That, In Default Of Your Part To Appear As Directed Above The Above Said Case Will Be Heard & Determined As Per Law In Your Absence. For Details Log On To http://highcourtchd.gov.in/?mode=district_notice&district=ludhiana
Dated This Day Of 23/07/19 JMIC Ludhiana

ऑस्कर ग्लोबल लिमिटेड
CIN-L51909DL1990PLC041701
पंजी. कार्यालय: 1/22, दूसरा तल, आसफ अली रोड, नई दिल्ली-110002
Website:www.oscar-global.net
Email: oscar@oscar-global.com

सूचना

सेबी (सूचीयन दात्यिव तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 47 के साथ पठित विनियमन 29 के अनुपालन में कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक सोमवार, 12 अगस्त, 2019 को आयोजित की जायेगी जिसमें अन्य विषयों में 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के स्टैंडएलॉन अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार कर उसे अभिलेख में लिये जाएंगे।
उक्त सूचना तथा वित्तीय परिणामों की प्रति कम्पनी की वेबसाईट www.oscarglobal.net तथा www.bseindia.com स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाईट पर भी उपलब्ध होगी।

ऑस्कर ग्लोबल लिमिटेड के लिये
हस्ता.
(पवन चढ़ा)
पूर्णकालिक निदेशक एवं सीएफओ
DIN: 00415795

स्थान: नोएडा
तिथि: 2.8.2019

प्रोग्रेसिव फिनलीज लिमिटेड
CIN: L65910DL1995PLC064310
पंजी. कार्या.: एस-2, भूतल, प्लॉट नं. ए-2/3, लूसा टावर, आजादपुर, दिल्ली-110033
वेबसाईट: www.progressivefinlease.in
ई-मेल आईडी: info@progressivefinlease.in
फोन नं.: 011-40424242, फैक्स: 011-40424200

सूचना

सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 47 के साथ पठित विनियमन 29 के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि जेडीएस फाइनांस कम्पनी लिमिटेड के निदेशक मंडल की एक बैठक शुक्रवार, 9 अगस्त, 2019 को 2.00 बजे अप. में एस-2, भूतल, प्लॉट नं. ए-2/3, लूसा टावर, आजादपुर, दिल्ली-110033 में उसके पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जायेगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के अनंकेक्षित स्टैंडएलॉन वित्तीय परिणामों पर विचार एवं अनुमोदन किये जाएंगे।
पुनः हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि ट्रेडिंग विण्डो 30 जून, 2019 से ही बंद है तथा 9 अगस्त, 2019 को परिणामों को सार्वजनिक किये जाने के बाद 48 घंटे की पूर्णता तक बंद रहेगा।
उक्त सूचना कम्पनी की वेबसाईट (www.progressivefinlease.in) तथा साथ ही एमएसई लिमिटेड जहां कम्पनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, की वेबसाईट https://www.msei. in पर देखी जा सकती है।

प्रोग्रेसिव फिनलीज लिमिटेड के लिये
हस्ता./-
रसिका छटवाल
(कम्पनी सचिव)

तिथि: 2.8.2019
स्थान: दिल्ली

INTERWORLD DIGITAL LIMITED
CIN-L72900DL1989PLC036788
पंजी. कार्यालय: 701, अरूणाचल बिल्डिंग, 19, बाराखम्बा रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली- 110001
Email Id - interworlddigital.in@gmail.com
Tel. No.: 011-43571044-45 Fax No.: 011-43571047

बोर्ड की बैठक की सूचना

सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियमन 47 के साथ पठित विनियमन 33 के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि निदेशक मंडल की बैठक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में मंगलवार, 13 अगस्त, 2019 को आयोजित की जाएगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के लिये अनंकेक्षित वित्तीय पर विचार, स्वीकृत कर उसे अनुमोदित किए जाएंगे।
उक्त जानकारी कंपनी की वेबसाईट **www.interworlddigital.in** पर तथा बीएसई की वेबसाईट अर्थात **www.bseindia.com** पर भी उपलब्ध है।

बोर्ड के आदेश से
इंटरवर्ल्ड डिजीटल लिमिटेड के लिए
हस्ता.
पीयूश कुमार अग्रवाल
(निदेशक)
DIN:00890423

तिथि: 03.08.2019
स्थान: नई दिल्ली

विकल्प सेक्युरिटीस लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: 25/38, कराची खाना, कानपुर, उत्तर प्रदेश-208001
सीआइएन: L65993UP1986PLC007727, टेलिफोन: 0512-2372665
ई-मेल: vikalpsecuritieslimited@gmail.com
वेबसाइट: www.vikalpsecurities.com

सूचना

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीयन कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमन, 2015 के विनियमन 47 (1) (a), विनियमन 33 तथा विनियमन 29 के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कंपनी के निर्देशक मंडल की बैठक सोमवार, 12 अगस्त, 2019 को कंपनी के पंजीकृत कार्यालय 25/38, कराची खाना, कानपुर, उत्तर प्रदेश- 208001 में होगी जिसमें, अन्य विषयों के अतिरिक्त, 30 जून, 2019 को समाप्त हुई तिमाही की अवधि के कंपनी के गैर लेखा परीक्षित वित्तीय नतीजों पर विचार किया जाएगा और उन्हें मंजूरी दी जाएगी। संबंधित सूचना कंपनी की वेबसाईट **www.vikalpsecurities.com** तथा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड की वेबसाईट **www.bseindia.com** पर भी उपलब्ध है।

विकल्प सेक्युरिटीस लिमिटेड के लिए
हस्ता./-
अरुण केजरीवाल
प्रबंध निर्देशक
DIN (डिन): 00687890

स्थान: कानपुर
दिनांक: 02 अगस्त, 2019

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank
...भरोसे का प्रतीक। ...the name you can BANK upon!
अन्तर्राष्ट्रीय बैंकिंग शाखा, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001
टेली. 23731074, 23312388, 23731728, 23719094-95 फैक्स: 011-23311957
ईमेल आईडी: bo2254@pnb.co.in

सार्वजनिक सूचना

ऋणधारक: मै. सूर्य विनायक इंडस्ट्रीज लि.
पता: 11, प्रेम सदन, 5वां तल, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली
श्री संजय जैन, पुत्र स्व. श्री एस.पी. जैन (अध्यक्ष/निदेशक) निवासी: आई-42, अशोक विहार, फेज-1, दिल्ली-52
श्री संजय जैन

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि मै. सूर्य विनायक इंडस्ट्रीज लि., द्वारा उसके निदेशक श्री संजय जैन, पुत्र श्री एस.पी. जैन तथा श्री राजीव जैन, पुत्र श्री एस.पी. जैन ने बैंक से रु. 134.00 करोड़ की ऋण प्राप्त की है तथा उसके पुनर्भुगतान में चूक के कारण उनकी खाता को 31.7.2012 को एनपीए के रूप में घोषित कर दिया गया है। बैंक द्वारा ऋणधारक को 27.5.2014 को ''विलफुल डिफॉल्टर'' घोषित कर दिया गया है।
ऋणधारक को 01.07.2012 से उस पर आगे के ब्याज तथा अन्य लागतों/धनों के साथ रु. 133.96 करोड़ की राशि का बैंक को भुगतान करना है जिसके लिए बैंक ने उनके विरुद्ध रिकवरी कार्रवाई शुरू की है।
जनहित में सूचित किया जाता है कि बैंक द्वारा विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर दिए जाने के बाद ऋणधारक किसी अन्य बैंक/ वित्तीय संस्थान से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए अधिकृत नहीं हैं।

तिथि: 01.08.2019
स्थान: नई दिल्ली

शाखा इन्कम्बैन्ट

एफिसिएन्ट इंडस्ट्रियल फाइनांस लिमिटेड
CIN NO: L65923DL1984PLC019608
पंजी. कार्यालय: 3/14 ए, प्रथम तल, विजय नगर, डबल स्टोरी, दिल्ली-110009
ई-मेल आईडी:efficientindustrial@gmail.com
वेबसाईट: www.efficientindustrial.in
फोन.: 011-27132054

सूचना

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 47 के साथ पठित विनियमन 29 के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक सोमवार, 12 अगस्त, 2019 को 12.00 बजे अप. में 3/14ए, 1ला तल, विजय नगर डबल स्टोरी, दिल्ली-110009 में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जायेगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के लिये कम्पनी के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार, अनुमोदन कर अभिलेख में लिये जाएंगे।
कम्पनी के इक्विटी शेयरधारकों को आमंत्रित किया जाता है कि यदि विचार किये जाने के लिये उनका कोई प्रश्न हो तो धारित शेयरों की संख्या के साथ अपने नाम, पते, फोलिओ नं./डीपीआईडी तथा क्लाइन्ट आईडी के साथ बोर्ड की बैठक से पूर्व वर्ड फाइल में अपना प्रश्न efficientindustrial@gmail.com पर भेजें।
बोर्ड के बैठक की सूचना कम्पनी की वेबसाईट www.efficientindustrial.in तथा स्टॉक एक्सचैंज की वेबसाइट अर्थात् www.msei.com पर उपलब्ध है।

बोर्ड के आदेश से
एफिसिएन्ट इंडस्ट्रियल फाइनांस लिमिटेड के लिये
हस्ता./-
राज कुमार बरदिया
(प्रबंध निदेशक)
DIN:01736079

स्थान: दिल्ली
तिथि: 2.8.2019
पता: मकान सं. 3/14ए, प्रथम तल, डबल स्टोरी, विजय नगर, मॉडल टाउन-II, दिल्ली-110009

साईबाबा इन्वेस्टमेन्ट एंड कॉमर्सियल एण्टरप्राईजेज लिमिटेड
पंजी. कार्यालय: 33/36, बेस्मेन्ट, वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली-110008
ई-मेल आईडी: saibabacommercials@gmail.com, वेबसाईट:www.saibabainvest.co.in,
टेली.: 011-41056203, सम्पर्क नं. +917303988341
CIN:L01100DL1981PLC012736

बोर्ड की बैठक की सूचना

सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 47 के साथ पठित विनियमन 29 के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक शनिवार, 10 अगस्त, 2019 को 2.00 बजे अप. में 33/36, बेस्मेन्ट, वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली-110008 में उसके पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जायेगी जिसमें अन्य बातों के अलावे 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के लिये सीमित समीक्षा रिपोर्ट (एलआरआर) के साथ कम्पनी के अनंकेक्षित स्टैण्डएलॉन वित्तीय परिणामों पर विचार, अनुमोदन कर उसे अभिलेख में लिये जाएंगे।
पुनः सेबी (इन्सायडर ट्रेडिंग निषेध) विनियमन, 2015 की अनुसूची बी के उपबंध (4) के साथ पठित सेबी (इन्सायडर ट्रेडिंग निषेध) (संशोधन) विनियमन, 2018 के अनुपालन में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों तथा उनके निकटतम संबंधियों द्वारा कम्पनी की शेयरों में कारोबार के लिये ट्रेडिंग विण्डो सोमवार, 1 जुलाई, 2019 से 10 अगस्त, 2019 को अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों की घोषणा के 48 घंटे की समाप्ति तक बंद रहेंगे।

निदेशक मंडल के आदेश से
साईबाबा इन्वेस्टमेन्ट एंड कॉमर्सियल एण्टरप्राईजेज लिमिटेड के लिये
हस्ता./-
अनुबाला
कम्पनी सचिव

तिथि: 2 अगस्त, 2019
स्थान: दिल्ली

यूपी होटल्स लि.
CIN:L55101DL1961PLC017307
पंजी. कार्यालय: 1101, सूर्य किरण, 19, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001
टेली: 011-23722596-98, फैक्स: 011-23312990,
ईमेल: clarkssuryakiran@yahoo.co.in, वेब: www.hotelclarks.com

30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के लिए स्टैंडएलॉन अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण का सार

(आय प्रतिशेयर को छोड़कर रु. लाखों में)

क्रम सं.	विवरण	समाप्त तिमाही			समाप्त वर्ष
		30.6.2019	31.3.2019	30.06.2018	31.3.2019
		(अनंकेक्षित)	(अंकेक्षित)	(अनंकेक्षित)	(अंकेक्षित)
1.	परिचालनों से कुल आय	1845.11	3474.01	1934.45	10512.08
2.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (कर, विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	(220.44)	775.97	(159.50)	909.11
3.	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	(220.44)	775.97	(159.50)	909.11
4.	कर से बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (विशिष्ट एवं अथवा असाधारण मदों के बाद)	(159.11)	582.14	(115.13)	655.94
5.	अन्य व्यापक आय (नेट ऑफ टैक्स)	30.10	(87.10)	58.33	(5.87)
6.	अवधि के लिए कुल आय (अवधि के लिए लाभ/ (हानि) (कर से बाद) तथा अन्य व्यापक आय (कर से बाद) से शामिल)	(129.01)	(495.34)	(56.80)	650.07
6.	इक्विटी शेयर पूंजी	540.00	540.00	540.00	540.00
7.	आरक्षित (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित के अतिरिक्त) पूर्व वर्ष के अंकेक्षित तुलन पत्र में दर्शाया गया)	-	-	-	8717.06
8.	आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रति का)				
1.	मूल	(2.95)	10.79	(2.13)	12.15
2.	तरल	(2.95)	10.79	(2.13)	12.15

टिप्पणी:
1. उपरोक्त परिणामों की ऑडिट कमिटी द्वारा समीक्षा की गई तथा 2 अगस्त, 2019 को आयोजित उनकी बैठक में कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किये गये। सांविधिक अंकेक्षकों द्वारा उसकी सीमित समीक्षा की गई है।
2. उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन तथा अन्य उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज के पास दाखिल की गई 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के स्टैंडएलॉन वित्तीय परिणामों के सम्पूर्ण विवरण प्रारूप का सार है। तिमाही वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाईट **www.bseindia.com** तथा कम्पनी की वेबसाईट **www.hotelclarks.com** पर भी उपलब्ध है।

यू.पी. होटल्स लिमिटेड के लिये
हस्ता/-
अपूर्व कुमार रुपक गुप्ता
(संयुक्त प्रबंध निदेशक)

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 2.8.2019

एनटीपीसी लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम)
पंजीकृत कार्यालय: एनटीपीसी भवन, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 टेलीफोन नं.: 011-24360100, फैक्स नं.: 011-24361018, ई-मेल: cseptpc@ntpc.co.in, वेबसाइट: www.ntpc.co.in, सीआईएन: L40101DL1975GOI007966

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के विनियम 47 के साथ पठित विनियम 29 के अनुसरण में, कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक नई दिल्ली में **मंगलवार, 10 अगस्त 2019** को आयोजित की जा रही है, जिसमें अन्य बातों के साथ, निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति द्वारा पुनरीक्षा के बाद, कम्पनी के 30 जून 2019 को समाप्त तिमाही के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों को, निदेशक मंडल द्वारा विमर्श, अनुमोदन एवं अभिलेखन किया जाएगा।
पुनश्च, कंपनी की प्रतिभूतियों के संबंध में आन्तरिक ट्रेडिंग की रोकथाम के लिए आचार संहिता के अनुसार कंपनी की प्रतिभूतियों के लेनदेन हेतु, ट्रेडिंग विन्डो जो 1 जुलाई, 2019 से बंद थी, वह उपरोक्त परिणामों की घोषणा के प्रयोजन से 12 अगस्त 2019 तक बंद रहेगी।
उपरोक्त सूचना कंपनी की वेबसाइट https://www.ntpc.co.in पर तथा स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट https://www.bseindia.com एवं https://www.nseindia.com पर भी देखी जा सकती है।

कृते एनटीपीसी लिमिटेड
हस्ता./
(नंदिनी सरकार)
कम्पनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 02.08.2019

विद्युत क्षेत्र में अग्रणी

सनराइज डिस्टिलरीज लिमिटेड
CIN No. L15511DL1985PLC021272
पंजी. कार्यालय: 3/14 ए, 01ला तल, विजय नगर, डबल स्टोरी, दिल्ली-110009, फोन: 011-27132054
ईमेल: sunrisedistillerieslimited@gmail.com
वेबसाईट : www.sunrisedistilleries.com

सूचना

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 47 के साथ पठित विनियमन 29 के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक सोमवार, 12 अगस्त, 2019 को 12.00 बजे अप. में 3/14ए, 1ला तल, विजय नगर डबल स्टोरी, दिल्ली-110009 में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जायेगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के लिये कम्पनी के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार, अनुमोदन कर अभिलेख में लिये जाएंगे तथा एजेंडा के अन्य मदों पर विचार किए जाएंगे।
कम्पनी के इक्विटी शेयरधारकों को आमंत्रित किया जाता है कि यदि आगामी बैठक में विचार किये जाने के लिये उनका कोई प्रश्न हो तो धारित शेयरों की संख्या के साथ अपने नाम, पते, फोलिओ नं./डीपीआईडी तथा क्लाइन्ट आईडी के साथ बोर्ड की बैठक से पूर्व वर्ड फाइल में अपना प्रश्न sunrisedistillerieslimited@gmail.com पर भेजें।
बोर्ड के बैठक की सूचना कम्पनी की वेबसाईट www

DCM LIMITED

पंजी. कार्यालय: विकास टावर, 4, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली–110008
CIN: L74899DL1889PLC000094
फोन: (011) 25710067, फैक्स: (011) 25765214
ई–मेल आईडी: investors@dcm.in
वेबसाइट: www.dcm.in

सूचना

सेबी (लिस्टिंग बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015, के विनियम 47 के साथ पठित विनियम 29 और 33 के अनुसार, सूचना प्रदान की जाती है कि, 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के लिए कंपनी के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार तथा स्वीकृति हेतु कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक गुरुवार, 12 अगस्त, 2019 को सुबह 11:00 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जायेगी।

आगे स्पष्ट है कि, कंपनी की प्रतिभूतियों में लेनदेन के लिए ट्रेडिंग विंडो 1 जुलाई, 2019 से बंद कर दी गई थी और वित्तीय परिणामों की घोषणा से 48 घंटे तक बंद रहेगी।

यह जानकारी कंपनी की वेबसाइट अर्थात www.dcmlimited.com और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट जहां कम्पनी के शेयर सूचीबद्ध है अर्थात बीएसई लिमिटेड (www.bseindia.com) पर भी उपलब्ध है।

कृते **डीसीएम लिमिटेड**
हस्ता/–
कार्यवीन्दर गोयल
कम्पनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 02.08.2019

वाणी कमर्शियल्स लिमिटेड

पंजी. कार्या.: 'सत्यम', एफ–4/276, पीतमपुरा, नई दिल्ली–110034
फोन: 011-27324060,
CIN: L74899DL1988PLC106420
वेबसाइट: www.vanicommercials.com
ईमेल आईडी: info@vanicommercials.com

सूचना

सेबी (सूचीयन अनिवार्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015, के विनियम 47 के साथ पठित विनियम 29 और 33 के अनुसार, सूचना प्रदान की जाती है कि, 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के लिए कंपनी के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार तथा स्वीकृति हेतु कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक गुरुवार, 12 अगस्त, 2019 को सुबह 11:00 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जायेगी।

आगे स्पष्ट है कि, कंपनी की प्रतिभूतियों में लेनदेन के लिए ट्रेडिंग विंडो 1 जुलाई, 2019 से बंद कर दी गई थी और वित्तीय परिणामों की घोषणा से 48 घंटे तक बंद रहेगी।

यह जानकारी कंपनी की वेबसाइट अर्थात www.vanicommercials.com और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट जहां कम्पनी के शेयर सूचीबद्ध है अर्थात बीएसई लिमिटेड (www.bseindia.com) पर भी उपलब्ध है।

कृते **वाणी कमर्शियल्स लिमिटेड**
हस्ता/–
पूजा भाटिया
निदेशक

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 02.08.2019

COURT NOTICE

Criminal Courts Ludhiana
In The Court Of Sh. Devinoor Singh JMIC Ludhiana
Next Date,Purpose Of Case,Orders & Judgements As Well As Other Case Information Is Available On http://districts.ecourts.gov.in
CNR NO.PBLD03-059634-2018
Complaint R/W Sec 138-N.I Act
Lokesh Jain V/S Sukesh Singla
Next Date:- 22/08/2019 **Notice To:-**
Sukesh Singla,Prop/Auth. Signatory M/s Monika Garments,249/11,Main market,Katcha Tank,Nahan Himachal Pradesh
Whereas It Has Been Proved To The Satisfaction Of The Court That You, The Above Named Accused / Accused Person's Can'T Be Served In The ordinary Way Of Service Hence This Proclamation Under 82 CRPC Is Hereby Issued Against You With A Direction That You Should Appear Personally Before This Court On **22/08/2019 At 10:00 A.m or** Within 30 Days From The Date Of Publication Of This Proclamation.
Take Notice That,In Default Of Your Part To Appear As Directed Above The Above Said Case Will Be Heard & Determined As Per Law,In Your Absence
For Details Log On To http://highcourtchd.gov.in/?mn=district_notice&district=ludhiana
Dated This Day Of 23/07/19 **JMIC Ludhiana**

ऋण वसूली न्यायाधिकरण–III, दिल्ली के समक्ष
चतुर्थ तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001

बैंक तथा वित्तीय संस्थाओं को देय ऋण की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 19(4) के साथ पठित ऋण वसूली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया नियमावली, 1993) के नियम 12 और 13 के तहत सूचना
ओ.ए. सं. 934/2017 के मामले में

देना बैंक — आवेदक
विरूद्ध
श्री रवि रतन एवं अन्य — प्रतिवादीगण

सेवा में डी–1 मैसर्स शुभकामना बिल्डटेक प्रा. लि., प्लॉट नं. जीएच–05/बी, सैक्टर–137, एक्सप्रैसवे, नोएडा, उत्तर प्रदेश यहां भी : ए–120, एफ.एफ., स्टार हाउस, सैक्टर–4, नोएडा–201301 यहा भी : ए–80, सैक्टर–2, नोएडा–201301

जबकि उपरोक्त नामक आवेदक ने आपके विरूद्ध एक वाद स्थापित किया है तथा जबकि न्यायाधिकरण को संतोषप्रद रूप से यह दर्शाया जा चुका है कि आपको साधारण रूप से सूचना दिया जाना संभव नहीं है, इसलिए, विज्ञापन के रूप में इस सूचना के माध्यम से आपको दिनांक 07.08.2019 को पूर्वा. 10.30 बजे इस न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।
ध्यान दें कि यदि आप उपरोक्त तिथि को इस न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होंगे, वाद की सुनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा।
मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मोहर के तहत 15 जून, 2019 को दिया गया।

न्यायाधिकरण के आदेश द्वारा
सहायक निबन्धक, डीआरटी–III, नई दिल्ली

COURT NOTICE

Criminal Courts Ludhiana
In The Court Of Sh. Devinoor Singh JMIC Ludhiana
Publication Notice For Proclamation Under Section 82 CR.PC
CNR NO.PBLD03-001544-2019
M/s Swami textiles Pvt Ltd
V/S
M/s C-Max Clothing
Next Date:- 19/08/2019
Complaint R/w Sec 138 Of N.I Act **Notice To:-**
M/s C-Max Clothing,Star Tower,2nd Floor,Ros N Ros Circle,State Bank Road,Mangalore through its Prop. Sh. Shah Nawaz
2. Shri Shah Nawaz,Prop. M/s C-Max Clothing, Star Tower,2nd Floor,Ros N Ros Circle,State Bank Road,Mangalore
Whereas It Has Been Proved To The Satisfaction Of The Court That You, The Above Named Accused/ Accused Person's Can'T Be Served In The ordinary Way Of Service Hence This Proclamation Under 82 CRPC Is Hereby Issued Against You With A Direction That You Should Appear Personally Before This Court On **19/08/2019 At 10:00 A.m or** Within 30 Days From The Date Of Publication Of This Proclamation.
Take Notice That,In Default Of Your Part To Appear As Directed Above The Above Said Case Will Be Heard & Determined As Per Law,In Your Absence
For Details Log On To http://highcourtchd.gov.in/?mn=district_notice&district=ludhiana
Dated This Day Of 23/07/19 **JMIC Ludhiana**

RCC Cements Limited
CIN-L26942DL1991PLC043775
पंजी. कार्यालय: 702, अरुणाचल बिल्डिंग, 19, बाराखम्बा रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001
Email-id-rccementsltd@gmail.com
Tel.: 91-11-43571044, Fax: 91-11-43571047

बोर्ड की बैठक की सूचना

सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियमन 47 के साथ पठित विनियमन 33 के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि निदेशक मंडल की बैठक कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में सोमवार, 12 अगस्त, 2019 को आयोजित की जाएगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के लिए अनंकेक्षित वित्तीय पर विचार, स्वीकृत कर उसे अनुमोदित किए जाएंगे।
उक्त जानकारी कंपनी की वेबसाईट **www.rccce-ments.com** पर तथा बीएसई की वेबसाईट अर्थात् **www.bseindia.com** पर भी उपलब्ध है।

बोर्ड के आदेश से
आरसीसी सीमेन्ट्स लिमिटेड के लिए
हस्ता.
सुनील कुमार
(प्रबंध निदेशक)
DIN: 00175301

तिथि: 03.08.2019
स्थान: नई दिल्ली

COURT NOTICE

Criminal Courts Ludhiana
In The Court Of Sh. Gurdarshan Singh JMIC Ludhiana
Next Date,Purpose Of Case,Orders & Judgements As Well As Other Case Information Is Available On http://districts.ecourts.gov.in
CNR NO.PBLD03-012359-2017
Kotak Mahindra Bank
V/S
Mosam Khan
Next Date:- 07/09/2019
Notice To:-
Mosam Khan R/o 99,Parshapur,Jhanwarshahr, Baraily-243003 Uttar Pradesh
Whereas It Has Been Proved To The Satisfaction Of The Court That You, The Above Named Accused/ Accused Person's Can'T Be Served In The ordinary Way Of Service Hence This Proclamation Under 82 Code Of Criminal Procedure Is Hereby Issued Against You With A Direction That You Should Appear Personally Before This Court On **07/09/2019 At 10:00 A.m or** Within 30 Days From The Date Of Publication Of This Proclamation.
Take Notice That,In Default Of Your Part To Appear As Directed Above The Above Said Case Will Be Heard & Determined As Per Law,In Your Absence
For Details Log On To http://highcourtchd.gov.in/?mn=district_notice&district=ludhiana
Dated This Day Of 26/07/19 **JMIC Ludhiana**

PATBACK BUSINESS LIMITED
(Formerly known as Crazypricing Online Services Limited)
Regd. Off.: Shop No.325, Plot No. 3, Aggarwal Plaza, DDA Community Center, Sector-14, Rohini, New Delhi-110085
Email:id: crazypricingdel@gmail.com,
Website: www.crazypricingonline.com
Ph No: 011-27860680
CIN: L74999DL1994PLC015625

NOTICE

Notice is hereby given pursuant to Regulation 47 & 29 read with Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, meeting of the Board of Directors of **Patback Business Limited (Formerly known as Crazypricing Online Services Limited)**, is scheduled to be held on Monday, 12th August, 2019 03.00 P.M. at the registered office of the Company situated at Shop No. 325, Plot No. 3, Aggarwal Plaza, DDA Community Center, Sector-14, Rohini, New Delhi-110085, inter-alia, to Consider and approve:

i. the Unaudited Financial Results of the Company for the Quarter ended 30th June, 2019
ii. Any other item with the permission of the Chair, if any

Further, Pursuant to SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 and BSE circular LIST/COMP/01/2019-20 dated April 02, 2019, the Trading window shall remain closed from 2nd August, 2019 till 48 hours after the declaration of financial results for the quarter ended 30th June, 2019 for the Promoters, Directors, Designated Employees of the Company and all persons covered under the Regulation.

For Further details visit the website of the Company i.e. **www.crazypricingonline.com** and website of the stock Exchange(s) where the securities of the company are listed i.e. Metropolitan Stock Exchange of India Limited at **(www.msei.in)**

For and on behalf of the Board
Patback Business Limited
(Formerly known as Crazypricing Online Services Limited
Sd/-
Kiran Mittal
(Director)
DIN: 08749457

Place: New Delhi
Date: 02.08.2019

मैक्स हाइट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
पंजी. कार्या.: एसडी–88, पीतमपुरा, नई दिल्ली–110034
फोन: 011-27314666,
CIN: L67120DL1981PLC179487
वेबसाइट: www.maxheights.com
ईमेल आईडी: info@maxheights.com

सूचना

सेबी (सूचीयन अनिवार्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 47 के साथ पठित विनियम 29 और 33 के अनुसार, सूचना प्रदान की जाती है कि, 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के लिए कंपनी के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार तथा स्वीकृति हेतु कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक सोमवार, 12 अगस्त, 2019 को सुबह 11:00 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जायेगी।

आगे स्पष्ट है कि, कंपनी की प्रतिभूतियों में लेनदेन के लिए ट्रेडिंग विंडो 1 जुलाई 2019 से बंद कर दी गई थी और वित्तीय परिणामों की घोषणा से 48 घंटे तक बंद रहेगी।

यह जानकारी कंपनी की वेबसाइट अर्थात www.maxheights.com तथा स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट जहां कम्पनी के शेयर सूचीबद्ध है अर्थात बीएसई लिमिटेड (www.bseindia.com) पर भी उपलब्ध है।

कृते **मैक्स हाइट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड**
हस्ता./–
नवीन नारंग
प्रबंध निदेशक

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 02.08.2019

DELTA INDUSTRIAL RESOURCES LIMITED
Regd. Off: Shop No. 325, Third Floor, Aggarwal Plaza, Sector-14, Rohini, New Delhi - 110085
Website: www.dir.in
Email id: deltaindlb@gmail.com,
Ph. No. 011-27860680
CIN: L52110DL1994PLC015625

NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 47 & 29 read with Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a meeting of Board of Directors of Delta Industrial Resources Limited is scheduled to be held on Monday, 12th August, 2019 at 11:00 AM at the registered office of the company situated at Shop No. 325, Third Floor, Aggarwal Plaza Sector-14, Rohini, New Delhi-110085, inter-alia, to Consider and approve:

i. Unaudited Financial Results of the Company for the Quarter ended 30th June, 2019
ii. Any other item with the permission of chair.

Further, Pursuant to SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 and BSE circular LIST/COMP/01/2019-20 dated April 02, 2019, the Trading window shall remain closed from 2nd August, 2019 till 48 hours after the declaration of financial results for the quarter ended 30th June, 2019 for the Promoters, Directors, Designated Employees of the Company and all persons covered under the Regulation.

For Further details visit the website of the Stock Exchange(s) where the securities of the company are listed i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and Metropolitan Stock Exchange of India Limited at www.msei.in and Website of the Company at www.dir.in.

For and on behalf of the Board
Delta Industrial Resources Limited
Sd/-
Kiran Mittal
(Director)
DIN: 08749457

Place: New Delhi
Date: 02.08.2019

PRABHAT SECURITIES LIMITED
CIN: L22022UP1982PLC005759
R/O: 'Satyam' 4/276, Parwati Bagla Road, Kanpur – 208002, Ph: 512-2525347,
E Mail: prabhatsecurities@gmail.com,
Website: www.prabhatsecuritiesltd.com

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (LODR) Regulations, 2015, NOTICE is hereby given that (04/2019) Board Meeting of the Company is scheduled to be held at its Regd. Office, Kanpur on Tuesday 13th August 2019 at 12:30 P.M, inter alia to consider and approve the Un-Audited Financial Statements of the Company for the quarter ended 30th June, 2019.
The trading window for dealing in securities of the company is already being closed for all specified persons from 01st July,2019 to 15th August 2019 (both days inclusive).
The said Notice may be accessed on the Company's website at http://www.prabhatsecuritiesltd.com and may also be accessed at CSE & MSEI website at http://www.cse-india.com & http://www.msei.in.

For Prabhat Securities Limited
Ramakant Kushwaha
---sd---
Place: Kanpur
Date: 02.08.2019 (Managing Director)

पत्र सं. आईएनसी–26
प्रादेशिक निदेशक के समक्ष उत्तरी क्षेत्र
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के खंड (ए) के मामले में
और
इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड
जिसका पंजीकृत कार्यालय : बी–168, फर्स्ट फ्लोर, कालाजी एक्सटेंशन, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी रोड नंबर 2 नई दिल्ली वेस्ट दिल्ली दीज़ी 110019 इस में स्थित है के मामले में
.....याचिकाकर्ता

आम जनता को यह सूचित की जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार/प्रादेशिक निदेशक के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम 5 के खंड (ए) के अधीन आवेदन फाइल का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का रजिस्टर्ड कार्यालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से उत्तर प्रदेश राज्य में स्थानांतरित करने के लिए तारीख मंगलवार 16.07.2019 को आयोजित असाधारण साधारण अधिवेशन में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के संबंध ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि की मांग की गई है।

कंपनी के रजिस्टर्ड कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निदेशक विभाग प्रथम फ्लोर, एन्नेक्स–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में विशेषकर दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उसके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति प्रादेशिक निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर बी–2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110003 पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है या सुपुर्द कर सकता है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी का उसके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजेगा

बी–पार्क इंफ्रास्ट्रक्चर इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय 203, अंतिम फ्लोर,सीजी कॉम्प्लेक्स सोसायटी सेंटर, मालवीय नगर नई दिल्ली 110062

कृते बी–पार्क इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता./–
विकास गर्ग
निदेशक
डीआईएन : 05268238
पता : 1961/25वी महावीर कॉलोनी गोले चौक बाजार शाहदरा नई दिल्ली – 110032

तिथि : 02.08.2019
स्थान : दिल्ली

COURT NOTICE

Criminal Courts Ludhiana
In The Court Of Sh. Gurdarshan Singh JMIC Ludhiana
Next Date,Purpose Of Case,Orders & Judgements As Well As Other Case Information Is Available On http://districts.ecourts.gov.in
CNR NO.PBLD03-049867-2017
Ravinder Pal Singh
V/S
M/s Mannat Textiles & Trading Co.
Next Date:- 13/09/2019 **Notice To:-**
1. M/s Mannat Textiles & Trading Co. R-39,Shop No.23, Diamond Complex,Main Market,Ramesh Park,Laxmi Nagar,Delhi-110092 Through Its Prop Amit Bansal
2. Amit Bansal Prop/Auth Sign Of M/s Mannat Textiles & Trading Co. R-39,Shop No.23, Diamond Complex,Main Market,Ramesh Park,Laxmi Nagar,Delhi-110092
Whereas It Has Been Proved To The Satisfaction Of The Court That You, The Above Named Accused/ Accused Person's Can'T Be Served In The ordinary Way Of Service Hence This Proclamation Under 82 Code Of Criminal Procedure Is Hereby Issued Against You With A Direction That You Should Appear Personally Before This Court On **13/09/2019 At 10:00 A.m or** Within 30 Days From The Date Of Publication Of This Proclamation.
Take Notice That,In Default Of Your Part To Appear As Directed Above The Above Said Case Will Be Heard & Determined As Per Law,In Your Absence
For Details Log On To http://highcourtchd.gov.in/?mn=district_notice&district=ludhiana
Dated This Day Of 22/07/19 **JMIC Ludhiana**

आन्ध्रा बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)
शाखा: ए–13, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली–110016
011–26512406, 26536993

कब्जा सूचना
[प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(1)]

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 के अधिनियम 54) के अंतर्गत आन्ध्रा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 5.4.2018 जारी कर ऋणधारक मै. महालक्ष्मी मेटल्स को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि 31.3.2018 को रु. 1977169.98 (रुपये उन्नीस लाख सतहत्तर हजार एक सौ उन्हत्तर तथा पैसे अन्ठानवे मात्र) तथा अनुबंधों के अनुसार परवर्ती ब्याज वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 01 अगस्त, 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय 31.3.2018 को रु. 1977169.98 (रुपये उन्नीस लाख सतहत्तर हजार एक सौ उन्हत्तर तथा पैसे अन्ठानवे मात्र) तथा उस पर ब्याज एवं चार्जेज के लिये आन्ध्रा बैंक, ग्रीन पार्क शाखा के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

श्री जीतेन्द्र गोयल पुत्र श्री श्याम बिहारी गोयल तथा श्रीमती अर्चणा गोयल, पत्नी श्री जीतेन्द्र गोयल के नाम में ग्राम मंडावली फाजलपुर, इलाका शाहदरा, दिल्ली–110092 के क्षेत्र में डी–67, गली नं. 3 की आबादी, दयानंद ब्लॉक, शकरपुर में स्थित फ्लैट प्रा.नं. 4, दूसरे तल पर, सर्वे नं./सिटी अथवा टाउन सर्वे नं./खसरा नं. 444 में पंजीकरण उप जिला दिल्ली तथा जिला दिल्ली के भीतर लगभग माप 50.17 वर्ग मी. अर्थात् 60 वर्ग यार्ड्स में शामिल फ्री होल्ड आवासीय सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा। चौहद्दी:
उत्तर: अन्य का फ्लैट
दक्षिण: 20 फीट रोड
पूर्व: 10 फीट रोड
पश्चिम: अन्य की सम्पत्ति।

हस्ता./–
(के.वी.एस.एन. मूर्ति)
एजीएम एवं प्राधिकृत अधिकारी,
आन्ध्रा बैंक
ग्रीन पार्क शाखा

तिथि: 01.08.2019
स्थान: नई दिल्ली

ओरासिल सिम्फ्ट इंडिया लिमिटेड
पंजी. कार्यालय: प्लॉट नं. 820, हेमकुंट चैम्बर्स, 89, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली–110019
ईमेल: info@orasil.com,
वेबसाइट: www.orasil.com,
CIN: L74999DL1984PLC069341,
फोन नं. 120-4125478

सूचना

सेबी (सूचीयन अनिवार्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 47 के साथ पठित विनियम 29 के अनुसार, एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अन्य बातों के साथ–साथ, 30 जून, 2019 को समाप्त पहली तिमाही के लिए अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार और स्वीकृत हेतु ओरासिल सिम्फ्ट इंडिया लिमिटेड के निदेशक मंडल की बैठक **शनिवार, 10 अगस्त, 2019 को शाम 4:30 बजे** कंपनी के कॉर्पोरेट कार्यालय ए–69, सेक्टर 2, नोएडा–201301 में आयोजित किया जाएगा।

इससे संबंधित जानकारी कंपनी की वेबसाइट www.orasil.com और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।

बोर्ड के आदेशानुसार
कृते **ओरासिल सिम्फ्ट इंडिया लिमिटेड**
हस्ता./–
(वी.के. गर्ग)
प्रबंध निदेशक
DIN:00003629

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 02.08.2019

GULMOHAR INVESTMENTS AND HOLDINGS LIMITED
Regd. Off.: 324A, Third Floor, Aggarwal Plaza, Sector-14, Rohini, New Delhi-110085
CIN: L65993DL1982PLC013968,
Email id: gulmoharlimited@gmail.com,
Tel.: 011-27860681
Website: www.gulmoharinvestments.com

NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 47 & 29 read with Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a meeting of the Board of Directors of Gulmohar Investments and Holdings Limited ("the Company") is scheduled to be held on Monday, 12th August, 2019 at 01:00 P.M. at the registered office of the Company situated at 324A, third Floor, Aggarwal Plaza, Sector- 14, Rohini, New Delhi- 110085, inter-alia, to Consider and approve:

i. the Unaudited Financial Results of the Company for the Quarter ended 30th June, 2019
ii. Any other item with the permission of the Chair, if any

Further, Pursuant to SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 and BSE circular LIST/COMP/01/2019-20 dated April 02, 2019, the Trading window shall remain closed from 2nd August, 2019 till 48 hours after the declaration of financial results for the quarter ended 30th June, 2019 for the Promoters, Directors, Designated Employees of the Company and all persons covered under the Regulation.

For Further details visit the website of the Company (**www.gulmoharinvestments.com**) and website of the stock Exchange(s) where the securities of the company are listed i.e. Metropolitan Stock Exchange of India Limited (**www.msei.in**) and The Calcutta Stock Exchange Limited (**www.cse-india.com**)

For and on behalf of the Board
Gulmohar Investments and Holdings Limited
Sd/-
Kiran Mittal
Director
DIN: 08749457

Place: New Delhi
Date: 02.08.2019

कॉंटिनेंटल सिक्योरिटिज लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: फ्लेट नं. 301, मेट्रो प्लाजा, परिवहन मार्ग, गोपालबाड़ी, जयपुर–302001 (राजस्थान)–302001
सीआईएन नं.: L67120RJ1990PLC005371, फोन : 0141-2943037
ई: मेल: continentalsecuritieslimited@gmail.com, वेबसाईट : www.continentalsecuritiesltd.com

सूचना

भारतीय प्रतिभूति और विनियम मंडल (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 29 के साथ पठित विनियम 47 के अनुसरण में एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक मंगलवार दिनांक 13 अगस्त, 2019 को 2:00 बजे कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाएगी जिसमें कंपनी के 30 जून, 2019 को समाप्त त्रैमासिक अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार एवं उन्हें अनुमोदित किया जायेगा।

कृते कॉंटिनेंटल सिक्योरिटिज लिमिटेड
हस्ता./–
राजेश खूटेटा
(प्रबन्ध निदेशक) **DIN: 00167672**

स्थान: जयपुर
दिनांक: 03 अगस्त, 2019

Karur Vysya Bank — Smart way to bank

कॉर्पोरेट बिजनेस यूनिट,
2 रा तल, एमआरजे टावर, फैज रोड,
करोलबाग, नई दिल्ली– 110005
फोन: 011–28759718/ 28753821
ई–मेल: **delhicbu@kvbmail.com**

अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिये बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये ई–नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारकों तथा गारन्टरों को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत क्रेडीटर के पास गिरवी/ चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका द करुर वैस्य बैंक, प्रतिभूत क्रेडीटर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा रचनात्मक/भौतिक कब्जा (जो भी लागू हो) किया गया है, की 1) मै. गिरिराज टिम्बर प्राईवेट लिमिटेड, 73/12, स्वर्ण पार्क, मेन रोहतक रोड, मुंडका, नई दिल्ली–110041; 2) श्री सुमित गोयल, पुत्र श्री चंद कुमार गोयल एच. नं. 119, आनंद विहार, पीतमपुरा, दिल्ली–110034; 3) श्री चन्द कुमार गोयल,पुत्र श्री प्रेम सागर गोयल एच. नं. 119, आनंद विहार, पीतमपुरा, दिल्ली–110034; 4) श्रीमती सुमन गोयल, पत्नी श्री अनिल गोयल एच. नं. 119, आनंद विहार, पीतमपुरा, दिल्ली–110034; 5) श्रीमती वीणा गोयल, पत्नी श्री चन्द कुमार एच. नं. 119, आनंद विहार, पीतमपुरा, दिल्ली–110034; 6) श्रीमती शांता गोयल, पत्नी श्री प्रदीप गोयल, मकान सं. 282, सेक्टर–10, पंचकूला, हरियाणा–134109 से करूर वैस्य बैंक लि., प्रतिभूत क्रेडीटर के बकाये रु. 436725813.98 (रुपए तैंतालिस करोड़ सड़सठ लाख पच्चीस हजार आठ सौ तेरह तथा पैसे अन्ठानवे मात्र) की वसूली के लिये 12.9.2019 को "जैसा है जहाँ है", "जैसा है जो है" तथा "जो कुछ भी वहाँ है" आधार पर बिक्री की जायेगी। आरक्षित मूल्य रु. 7,63,79,000/– (रुपए सात करोड़ तिड़ेसठ लाख उन्यासी हजार मात्र) तथा धरोहर राशि भुगतान रु. 7637900/– होगा।

अचल सम्पत्ति का विवरण

श्रीमती शांता गोयल पत्नी श्री प्रदीप गोयल के नाम में खसरा नं. 73/10/2 (0–01); 73/10/3 (0–12); 73/11/2 (0–10), ग्राम मुंडका, दिल्ली, क्षेत्रफल माप लगभग 1050 वर्ग यार्ड्स के प्लॉट पर कॉमर्सियल गोदाम।
चौहद्दी इस प्रकार है:
उत्तर: अन्य सम्पत्ति — दक्षिण: मैन रोहतक रोड तथा मेट्रो स्टेशन
पूर्व: अन्य प्लॉट — पश्चिम: अन्य प्लॉट।

बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया प्रतिभूत क्रेडीटर की वेबसाईट अर्थात www.kvb.co.in/ Property Under Auction में दी गई लिंक तथा साथ ही सेवा प्रदाता, मै. श्रीराम ऑटोमाल इंडिया लि. का वेब पोर्टल https://www.eauctions.samil.in देखें।

सरफैसी अधिनियम, 2002 के नियम 8 (6) के अंतर्गत 30 दिनों की सांविधिक बिक्री सूचना

एतद्द्वारा ऋणधारक/ गारन्टरों को सूचित किया जाता है कि ई–नीलामी की तिथि से पूर्व अद्यतन ब्याज तथा सहायक खर्चे के साथ उक्त राशि का भुगतान करें अन्यथा सम्पत्ति की बिक्री की जायेगी तथा शेष देयता, यदि कोई हो, ब्याज तथा लागतों के साथ वसूल की जायेगी।

तिथि: 02.08.2019
स्थान: दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी
द करूर वैस्य बैंक लिमिटेड

रीवा टेक्सटाइल्स लिमिटेड
डीडी–14, नेहरू एन्क्लेव, कालकाजी पोस्ट आफिस के सामने, नई दिल्ली–110019
वीकाईएन : एल18101डीएल1984पीएलसी044309
फोन : +91–26213012 / 26239088
फैक्स : +91–26402227

सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि सेबी (सूचीयन बाध्यता एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 29 एवं 47 के प्रावधान के अनुसरण में कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक मंगलवार, 13 अगस्त, 2019 को अपरा 03.30 बजे किशोर हाउस, अग्रवाल रोड, पानीपत– 132103, हरियाणा में आयोजित की जाएगी, जिसमें 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही हेतु अनंकेक्षणीकृत वित्तीय परिणाम और सांविधिक लेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्ट विचारित एवं अनुमोदित किए जाएंगे।

कम्पनी अपनी "ट्रेडिंग विन्डो" सेबी (प्रकारनी व्यापार निषेध) विनियमावली, 2015, जिसमें उसके सभी संशोधन शामिल है, और रीवा टेक्सटाइल्स लिमिटेड की कम्पनी की आंतरी व्यापार संहिता के अधीन पहले ही 1 जुलाई, 2019 से बंद कर चुकी है तथा यह 13 अगस्त, 2019 को परिणाम सार्वजनिक किए जाने के बाद 48 घंटे की अवधि समाप्त होने पर फिर से खुलेगी।

उक्त सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.rbatextiles.com तथा स्टॉक एक्सचेंज – बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।

बोर्ड के आदेशानुसार

रवीश कुमार को रमन मैगसायसाय पुरस्कार

मनीला, 2 अगस्त (भाषा)।

वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार को इस साल के रमन मैगसायसाय पुरस्कार के लिए चुना गया है। रमन मैगसायसाय पुरस्कार फाउंडेशन ने शुक्रवार को इसकी घोषणा की। फाउंडेशन ने पुरस्कार की घोषणा की। वे एनडीटीवी इंडिया के वरिष्ठ कार्यकारी संपादक हैं। उनका नाम उन पांच व्यक्तियों में शामिल हैं, जिन्हें इस पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया है।

बिहार के जितवारपुर गांव में जन्मे कुमार 1996 में न्यू दिल्ली टेलीविजन नेटवर्क (एनडीटीवी) से जुड़े थे और उन्होंने करियर की शुरुआत रिपोर्टर के तौर पर की थी। एनडीटीवी के 24 घंटे वाले हिंदी भाषी समाचार चैनल 'एनडीटीवी इंडिया' शुरू होने के बाद उन्हें उनका रोजाना का शो 'प्राइम टाइम' दिया गया।

मालदीव के पूर्व उपराष्ट्रपति अदीब अभी जहाज में ही हैं सवार

तूतीकोरिन (तमिलनाडु), 2 अगस्त (भाषा)।

बिना वैध दस्तावेजों के एक मालवाहक जहाज से यहां पहुंचने के एक दिन बाद मालदीव के पूर्व उप राष्ट्रपति अहमद अदीब अब्दुल गफूर शुक्रवार को जहाज में ही रुके हुए हैं और यहां पुलिस अधिकारियों का कहना है कि उनके पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि वह स्वदेश कब लौटेंगे।

एक पुलिस अधिकारी ने एजंसी को बताया कि मालदीव नेता अभी जहाज में ही हैं और केन्द्रीय एजंसियां स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। जिला पुलिस के पास इस मामले के संबंध में कोई नई जानकारी नहीं है। उन्होंने बताया कि जहाज में चालक दल के नौ सदस्य भी सवार थे। केन्द्र की पहले की सूचना के अनुसार मालदीव के नागरिक के पास वैध दस्तावेज नहीं थे और उम्मीद थी कि वह स्वदेश लौट जाएंगे। अधिकारी ने बताया कि अभी यह नहीं पता है कि वह कब जाएंगे। उन्होंने बताया कि स्थानीय पुलिस की भूमिका सुरक्षा प्रदान करने तक ही सीमित थी।

गौरतलब है कि अदीब बृहस्पतिवार को समुद्री मार्ग से भारत पहुंचे थे लेकिन वैध दस्तावेज नहीं होने के कारण उन्हें प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई थी।

डीयू, आइआइटी मद्रास और खड़गपुर के लिए विशिष्ट अनुदान दर्जे की सिफारिश

नई दिल्ली, 2 अगस्त (भाषा)।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्रालय द्वारा उत्कृष्ट संस्थान (आइओए) के दर्जे के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू), हैदराबाद विश्वविद्यालय, आइआइटी मद्रास, खड़गपुर और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम की सिफारिश की है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

जिन विश्वविद्यालयों को इस आशय पत्र के संबंध में यूजीसी की सिफारिश मिली है वे हैं जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी और शिव नादर विश्वविद्यालय। अधिकारियों ने बताया कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू), तेजपुर विश्वविद्यालय और अशोका विश्वविद्यालय आइओए दर्जे की सूची में स्थान पाने में नाकाम रहे।

VLS FINANCE LIMITED

Regd. Office: 2nd Floor, 13, Sant Nagar, East of Kailash, New Delhi-110065 | Ph: 91(11) 46656666
Fax: 91(11) 46656699 | CIN: L65910DL1986PLC023129, Email: vls@vlsfinance.com ; Website: www.vlsfinance.com

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30th JUNE, 2019

(Rs.in Lakhs except Earning per share data)

Particulars	STANDALONE		CONSOLIDATED	
	Quarter Ended		Quarter Ended	
	30-06-2019	30-06-2018	30-06-2019	30-06-2018
	Unaudited			
	1	2	3	4
Total Income	(156.26)	246.46	(126.96)	267.36
Net Profit/(Loss) from Ordinary activities after tax	(185.05)	134.35	(184.13)	73.19
Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Extraordinary items)	(185.05)	134.35	(184.13)	73.19
Total Comprehensive Income for the period(Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income for the period)	2,808.91	1,095.54	7,658.27	3,269.52
Paid Up Equity Share Capital (Face Value Rs.10/- Per Share)	3,878.42	3,878.42	3,878.42	3,878.42
Earning Per Share (before Extraordinary items) (of Rs.10/-each)	(**)	(**)	(**)	(**)
-Basic (not annualised) (**)	(0.48)	0.35	(0.48)	0.19
-Diluted (not annualised) (**)	(0.48)	0.35	(0.48)	0.19
Earning Per Share (after Extraordinary items) (of Rs.10/-each)	(**)	(**)	(**)	(**)
-Basic (not annualised) (**)	(0.48)	0.35	(0.48)	0.19
-Diluted (not annualised) (**)	(0.48)	0.35	(0.48)	0.19

Note:
1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Periodical Financial Results filed with the stock exchanges under regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of Quarterly/Annual financial Results are available on the website of the Company (www.vlsfinance.com) and on the website of the stock exchanges viz. BSE Ltd (www.bseindia.com) and the National Stock Exchange of India Ltd.(www.nseindia.com)
2. The Company has adopted Indian accounting standards ("IND AS") with effect from 1 April, 2019 and consequently, these financial results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles laid down in "IND AS 34-interim Financial Reporting" prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013, read with relevant rules issued there under and other accounting principles generally accepted in India. The date of transition to Ind AS is 1 April,2018 and the impact of transition has been accounted for in opening reserves and the comparative period results disclosed here are restated accordingly. However, the opening balance sheet as at 1 April, 2018 and the results of the subsequent periods would get finalised alongwith the annual financial statements for the year ended 31 March, 2020.
3. The financial results from 01.04.2019 are prepared in terms of Ind AS as required under the provisions of law. Because of this change, the financial results are reflecting a loss Rs.185.05 lakhs (before other comprehensive income) for the quarter ended 30.06.2019. If the old system of IGAAP would have been followed by the company, there would have been profit of Rs.403.41 lakhs (before other comprehensive income) for this quarter. This difference of Rs.588.46 lakhs is mainly on account of change in manner of arriving at profit / loss on sale of investments and effect of taxes thereon in terms of Ind AS.
4. Previous period figures have been regrouped/reclassified wherever necessary to conform to current period classification

By order of the Board
for VLS Finance Limited
S. K. Agarwal
Managing Director
DIN: 00106763

Place : New Delhi
Date : 02.08.2019

सार्वजनिक सूचना– सम्पत्तियों की नीलामी–सह–बिक्री

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा जन–साधारण तथा विशेष रूप से ऋणधारकों तथा गारन्टरों को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत क्रेडीटर के पास गिरवी/चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियों जिसका एसेसरीकन्स्ट्रक्शन कम्पनी इंडिया लि. (अर्सिल), एक एसेट रीकन्स्ट्रक्शन कम्पनी जो सरकारी अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक में पंजीकृत है, के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भौतिक कब्जा कर लिया गया है। अर्सिल ने नीचे वर्णित बैंकों/वित्तीय संस्थानों से नीचे वर्णित वित्तीय परिसम्पत्तियों को अर्जित किया है तथा प्रतिभूत क्रेडीटर का अधिकार अर्जित किया है। इन परिसम्पत्तियों को नीचे वर्णित अनुसूची के अनुसार यहां नीचे दिए गए संलग्न विवरणी के अनुसार **"जैसा है जहां है", जो भी जैसा है" तथा "जो कुछ भी वहां है"** आधार पर बिक्री की जाएगी।

क्रम सं.	ऋण खाता संख्या/ बैंक का नाम	मूल ऋणधारक /सह–ऋणधारक/गारन्टर का नाम	ट्रस्ट का नाम	सम्पत्ति का प्रकार/ प्रकृति में बाकाया	कुल बकाया देय राशि	परोक्ष राशि भुगतान (ईएमडी) आईएनआर में	आरक्षित मूल्य (रु) आईएनआर में	निरीक्षण की तिथि	नीलामी की तिथि एवं समय	प्रकार का कब्जा
1	LBBAR00000 350894/आईडीबीआई बैंक	श्री कृष्ण श्रीवास्तव/ कृष्ण देवी	अर्सिल रिटेल लोन पोर्टफोलियो 001–A ट्रस्ट	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि 8361 वर्ग मीटर (प्रीहोल्ड)	4960307.57	10000	100000	20 अगस्त 19	5 सितम्बर 19 11:30 बजे सुबह	भौतिक
प्रतिभूत संपत्ति का पता : खसरा नं0. 69, खाता नं0 – 109, गांव सरोना, जी बी0 नगर, जिला कासगंज जैसे परगना व जिला–बरेली, उत्तर प्रदेश – 243001										
2	LBBAR00-000 532112 / आईडीबीआई बैंक	रमेश चन्द्र	अर्सिल रिटेल लोन पोर्टफोलियो 001–A ट्रस्ट	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि 8361 वर्ग मीटर (प्रीहोल्ड)	5238011.5	20000	200000	20 अगस्त 19	5 सितम्बर 19 12:00 बजे दोपहर	भौतिक
प्रतिभूत संपत्ति का पता : खेत संख्या 48 व 106 का भाग, बाकी मौजा, कलना नियर बालाजी मंदिर, बदायूं रोड, उत्तर प्रदेश – 243001										
3	08700004607/ दीवान हाऊसिंग फाइनेंस लि	अकबर पुत्र नसीम	अर्सिल रिटेल लोन पोर्टफोलियो 047–B ट्रस्ट	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि 89.98 वर्ग मीटर (प्रीहोल्ड)	998572.94	12500	125000	20 अगस्त 19	5 सितम्बर 19 12:30 बजे दोपहर	भौतिक
प्रतिभूत संपत्ति का पता : प्लाट नं0 –2 बीबीरीग खसरा नं0 2018, गांव–सलेमपुर मेहदूद–2 परगना, रूड़की, तह व जिला – हरिद्वार – 247667										

नीलामी प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण

1	नीलामी तिथि	एवं समय निर्धारित	5	ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि	उसी दिन नीलामी से 2 घंटे पूर्व
2	बोली जमा करने का स्थान तथा नीलामी का स्थान	दूसरा तल, सेंटी चैम्बर्स, प्लॉट न 2, डीडीए लोकल शॉपिंग सेन्टर, विद्या भवन बल्लभ सीनियर सेकण्डरी स्कूल के निकट, एमबीआर रोड, न्यू राजिन्दर नगर, नई दिल्ली – 110060 टेली 011 46370444	6	ईएमडी सहित सभी भुगतान निम्न ड्राफ्ट द्वारा देय होगी।	नई दिल्ली में
3	नीलामी का वेबसाइट	www.arcil.co.in	7	नाम जिसके पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट तैयार किया जायेगा	नाम जिसे अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध ट्रस्ट के कॉलम में दर्शाया गया है
4	लोन नं. के साथ सम्पर्क व्यक्ति	विक्रम तोमर/ महावीर कोली/ रामजी मिश्रा 8860122299/9654937021/9818920783	8	निरीक्षण का समय	10 पूर्वा– 5 अप

* कोई भी बोलीदाता यहां ऊपर वर्णित वेबसाईट के पते पर प्रस्ताव/निविदा दस्तावेज के साथ उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर अपनी पसंद से नीलामी में ऑन लाइन भागीदारी की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। ऑन लाइन बोली ऊपर वर्णित संगठन की वेबसाईट पर आयोजित होगी तथा निविदा दस्तावेजों में वर्णित नियमों एवं शर्तों के अधीन होगी। निविदा दस्तावेज तथा नीलामी के नियम एवं शर्तें हमारी वेबसाईट www.arcil.co.in से डाउनलोड की जा सकती है तथा साथ ही ऊपर वर्णित अर्सिल के संबंधित कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। कृपया ध्यान रहे कि यह बिक्री बोली दस्तावेज में वर्णित नियमों एवं शर्तों के अधीन होगी। यह बोली पूरी तरह से इस विज्ञापन तथा निर्धारित बोली/निविदा दस्तावेज में निगमित नियमों एवं शर्तों के अधीन होगी। प्राधिकृत कार्यालय को बिना कारण बताये किसी/सभी बोलियों का निरस्त करने का अधिकार प्राप्त है। इस सूचना को प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली, 2002 के नियम 8(6) के अंतर्गत 30 दिनों की सूचना मानी जाये।

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 03 अगस्त, 2019

हस्ता/–
प्राधिकृत अधिकारी
एसेट रीकन्स्ट्रक्शन कम्पनी (इंडिया) लि.

Arcil Premier ARC

एसेट रीकन्स्ट्रक्शन कम्पनी (इंडिया) लि. CIN : U65999MH2002PLC134884

पंजीकृत कार्यालय : 4 कमी, 10वीं तल, 29, सेनापति बापट मार्ग, दादर (वेस्ट), मुम्बई–400 013 टेली +91 2266581300 www.arcil.co.in
शाखा का पता : दूसरा तल, सेंटी चैम्बर्स, प्लॉट नं. 2, डी.डी.ए लोकल शॉपिंग सेन्टर, विद्या भवन बल्ला सीनियर सेकण्डरी स्कूल के निकट, एमबीआर रोड, न्यू राजिन्दर नगर, नई दिल्ली–110 060. टेली 011 46370444

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

(भारत सरकार का उपक्रम)

ई–नीलामी बिक्री सूचना

ओ.बी.सी. हार्ड कॉरपोरेट शाखा, प्रथम तल, हर्ष भवन, ई–ब्लॉक, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001, फोन: 011-49191101,49191134,49191135,49191133, फैक्स: (011) 23417236

चल/अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु ई–नीलामी की सार्वजनिक सूचना ईएमडी (धरोहर जमा राशि) तथा दस्तावेजों की प्रस्तुति की अंतिम तिथि व समय : 26–08–2019 को सांय 4.00 बजे तक

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एंव प्रतिभूति हित प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम 2002 (2002 की सं. 54) के अधीन बैंक के पास बंधक पड़ी चल/अचल सम्पत्ति की बिक्री, जैसाकि ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, के प्राधिकृत अधिकारी ने बैंक की बकाया राशि की वसूली हेतु **"जो है जहाँ है", "जैसी है जो कुछ भी है"** एवं **"दायित्व रहित आधार पर"** उसको बेचने के अधिकार के साथ हमारी शाखाओं के पास निम्नलिखित ऋण खाते में वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूतिहित के प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अधीन जारी की गयी सूचना के अनुपालन में निम्नलिखित सम्पत्ति का कब्जा ले लिया है। इसकी बिक्री वेब साईट: www.bankeauctionwizard.com में प्रदान किये गये ई–नीलामी लिंक के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी द्वारा की जाएगी।

चल/अचल सम्पत्तियों का विवरण

कर्जदार्स और गारंटर्स का नाम एवं पता मांग सूचना के अनुसार कुल बकाया + ब्याज	सम्पत्ति का विवरण एवं स्वामी का नाम	सम्पत्ति की निरीक्षण की तिथि एवं समय	आरक्षित मूल्य / धरोहर राशि / बोली में वृद्धि हेतु राशि	ई–नीलामी की तारीख/समय
1. मैसर्स डॉयमण्ड हट इंडिया प्रा. लि.(कर्जदार), 2693/17, रिजन्ट टॉवर, हरभजन सिंह रोड, करोल बाग, दिल्ली–110005 2. श्री सुरेश वर्मा (निदेशक / गारंटर) पुत्र श्री राम कुमार वर्मा ए–6, डेराबाल नगर, मॉडल टाउन, दिल्ली–110009 3. श्री अशोक वर्मा (निदेशक / गारंटर), पुत्र स्व श्री प्रकाश चंद वर्मा, ए–6, डेराबाल नगर, मॉडल टाउन, दिल्ली–110009 4. श्रीमती अनिता वर्मा (गारंटर) पत्नी श्री सुरेश वर्मा, ए–6, डेराबाल नगर, मॉडल टाउन, दिल्ली–110009 5. श्री विजय कुमार (बंधककर्ता/गारंटर) पुत्र श्री मनी राम, ए–6, डेराबाल नगर, मॉडल टाउन, दिल्ली–110009 6. श्रीमती पूजा वर्मा (गारंटर) पत्नी श्री प्रदीप कुमार, डब्ल्यूजेड–1945बी, शाही बाग, दिल्ली–110034 7. मैसर्स अष्टविनायक ज्वैलर (प्रा.) लि. (कॉरपोरेट गारंटर), 177–178, मेन मार्किट, काठमंडी, ओल्ड बस स्टैण्ड के पास, बरवाली दादरी, भिवानी, हरियाणा–127021 8. मैसर्स रचना डॉयमण्ड हाऊस प्रा. लि. (कॉरपोरेट गारंटर) 3324, बैक स्ट्रीट, करोल बाग, दिल्ली–110005	1. व्यवसायिक दुकान नं. 7, प्रथम तल, गोल्फ सायक, मॉल, ब्लॉक–सी, सुशांत लोक– I, गुड़गांव, हरियाणा में स्थित है, यह सम्पत्ति मैसर्स डॉयमण्ड हट इंडिया प्रा. लि. के नाम पर है। क्षेत्रफल 1,241 वर्ग फीट	13-08-2019 पूर्वा. 11.30 से अपरा. 4.00 बजे के बीच	₹ 1.59 करोड़ ₹ 15.90 लाख ₹ 1.00 लाख	28-08-2019 समय 60 मिनट दोपहर 12.00 बजे से अपरा 01.00 बजे तक (5 मिनट की अवधि के असीमित विस्तार के साथ)
	2. दुकान नं 6 और 7, वैडिंग सायक माल, पीतमपुरा, दिल्ली में स्थित, यह सम्पत्ति मैसर्स डॉयमण्ड हट इंडिया प्रा. लि. के नाम पर है। क्षेत्रफल 1,152 वर्ग फीट (577+575)	16-08-2019 पूर्वा. 11.30 से अपरा. 4.00 बजे के बीच	₹ 1.40 करोड़ ₹ 14.00 लाख ₹ 1.00 लाख	
	3. व्यवसायिक सम्पत्ति नं. 6670, भूतल, प्लॉट नं. 8, ब्लॉक–64, देश बंधु गुप्ता रोड, करोल बाग, नई दिल्ली में स्थित है। यह सम्पत्ति मैसर्स रचना डॉयमण्ड हाऊस प्रा. लि. के नाम पर है। क्षेत्रफल 1100 वर्ग मी. / निर्मित क्षेत्रफल 4753 वर्ग फीट	14-08-2019 पूर्वा. 11.30 से अपरा. 4.00 बजे के बीच	₹ 20.67 करोड़ ₹ 2.10करोड़ ₹ 3.00 लाख	
	4. व्यवसायिक दुकान नं. ए–19–20, (क्षेत्रफल सुपर एरिया 1586.54 वर्ग फीट) (794.10 + 792.44), मिलाप मेगा मॉल, सैक्टर–25, पानीपत, हरियाणा में स्थित है, यह सम्पत्ति श्री सुरेश वर्मा के नाम पर है।	19-08-2019 पूर्वा. 11.30 से अपरा. 4.00 बजे के बीच	₹ 1.19 करोड़ ₹ 11.90 लाख ₹ 1.00 लाख	
	5. व्यवसायिक सम्पत्ति नं. 3163–64, द्वितीय तल, प्लॉट नं. 80, ब्लॉक–पी, गली नं. 32–33, विडनपुरा, करोल बाग, दिल्ली में स्थित है, यह सम्पत्ति श्री अनिता वर्मा के नाम पर है। क्षेत्रफल 1330 वर्ग फीट	14-08-2019 पूर्वा. 11.30 से अपरा. 4.00 बजे के बीच	₹ 2.35 करोड़ ₹ 23.50 लाख ₹ 2.00 लाख	
	6. व्यवसायिक सम्पत्ति नं. 3162–64, तृतीय तल, छत के अधिकार सहित, प्लॉट नं. 80, ब्लॉक–पी, गली नं. 32–33, विडनपुरा, करोल बाग, दिल्ली में स्थित है, यह सम्पत्ति सुश्री अनीता वर्मा के नाम पर है। क्षेत्रफल 1330 वर्ग फीट	14-08-2019 पूर्वा. 11.30 से अपरा. 4.00 बजे के बीच	₹ 2.09 करोड़ ₹ 20.90 लाख ₹ 2.00 लाख	

बैंकों के नाम	सरफेसी अधिनियम 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना की तारीख	सूचना में अंकित बकाया राशि (आईएनआर)
ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स	04.08.2014	58,40,17,587/-
कार्पोरेशन बैंक	16.07.2014	25,23,30,122.66
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	01.07.2014	24,64,17,494/-
पंजाब नेशनल बैंक	26.08.2014	26,71,50,113.17 – दिनांक 01.08.2014 से ब्याज
केनरा बैंक	12.08.2014	15,53,39,906/-
द सारस्वत को–ओपरेटिव बैंक लि.	08.08.2014	27,19,61,313.59
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	01.02.2015	29,81,86,803.72
लक्ष्मी विलास बैंक	09.05.2015	11,43,99,183.57
	कुल	**218,98,02,523.71** साथ में लागू भविष्य का ब्याज और अन्य खर्चे

ई एम डी प्रेषण खाते का विवरण A/c No. 00071181000141, E-auction under SARFAESI- A/c M/S Diamond Hut India Pvt. Ltd., IFSC Code - ORBC0100007

नियम व शर्तें

1. ई–नीलामी "जो है जहाँ है", "जैसी है जो कुछ भी है" एवं "दायित्व रहित आधार पर" आयोजित की जा रही है।
2. धरोहर राशि और दस्तावेजों को जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय 26.08.2019 को सांय 4.00 बजे तक है।
3. प्राधिकृत अधिकारी के सर्वोत्तम ज्ञान एवं सूचना के अनुसार सम्पत्ति पर कोई भार नहीं है। इच्छुक बोलीदाता नीलामी की जाने वाली सम्पत्ति पर किसी भी भार, टाइटल और सम्पत्ति पर किसी भी दावे/अधिकार/बकाए के संबंध में बिड जमा करने से पहले स्वयं जांच कर सकते हैं। सम्पत्ति बैंक को ज्ञात और अज्ञात सभी वर्तमान और भविष्य के ऋण–भार सहित बेची जा रही है। तृतीय पक्ष यदि सम्पत्ति पर किसी बकाए / अधिकार के संबंध में कोई दावा करता है, तो इसके लिए किसी भी तरह से प्राधिकृत अधिकारी/जमानती ऋणदाता जिम्मेदार नहीं होगा।
4. रिकॉर्ड के अनुसार उपरोक्त सभी सम्पत्तियां फ्री होल्ड सम्पत्तियां है। उपरोक्त सभी सम्पत्तियों का भौतिक कब्जा बैंक के पास है।
5. इच्छुक बोलीदाता जिन्होंने धरोहर राशि जमा किया है और लॉगईन आईडी एवं पासवर्ड बनाने, डाटा अपलोडिंग करने, बोली जमा करने, ई–बिडिंग प्रक्रिया पर प्रशिक्षण इत्यादि में अपेक्षित सहायता के लिए **अन्तरेस सिस्टम प्रा., व्यक्ति का नाम जिसे सम्पर्क किया जा सके श्री सचिन, मो. 9555926408, श्री कुशल बोल, मो. 7669913157, श्री पुष्पराज – मो. 7503347659, ईमेल sachin@antaressystems.com, pushpraj@antaressystems.com और सम्पत्ति से संबंधित जानकारी हेतु श्री विजय बिहारी प्रसाद, 011-49191121, मुख्य प्रबंधक, 011-49191121, श्री एच एस फिलिप, (प्राधिकृत अधिकारी), श्री किरणजीत कुमार, प्रबंधक, 011-49191134/ 35/36, ई–मेल: bm0007@obc.co.in से कार्यदिवस में सम्पर्क कर सकते हैं।**
6. बोलीदाता अपनी बोली प्रत्येक सम्पत्ति के सामने "बोली वृद्धि राशि" कालम के तहत वर्णित राशि, के गुणकों में बढ़ा सकेंगे। ई–नीलामी के अंतिम 5 मिनट में कोई बोली प्राप्त होने की स्थिति में अंतिम समय स्वतः 5 मिनट बढ़ जाएगा (5 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तार की शर्त पर)।
7. सफल बोलीदाता को बिक्री मूल्य की 25 प्रतिशत राशि, पहले अदा की गई ईएमडी समायोजित करने के बाद, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बोली मूल्य स्वीकार किए जाने के तुरन्त बाद जमा करना होगा तथा शेष 75 प्रतिशत राशि बिक्री के 15वें दिन को अथवा उससे पहले जमा करनी होगी। सफल बोलीदाता द्वारा भुगतान में चूक की स्थिति में पहले जमा की गई राशि जब्त मान्य होगी और सम्पत्ति की नीलामी नए सिरे से की जाएगी तथा चूककर्ता बोलीदाता का सम्पत्ति/राशि के संबंध में कोई दावा/अधिकार मान्य नहीं होगा।
8. क्रेता को लागू स्टाम्प ड्यूटी/अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी/अंतरण / पंजीकरण प्रभार, शुल्क इत्यादि और किसी प्रभारण को देय सांविधिक/गैर–सांविधिक देयताओं, करों, दर्रो, आकलनों, प्रभारों, शुल्कों इत्यादि का भी भुगतान वहन करना होगा।
9. उपरोक्त वर्णित सम्पत्तियों जो कि ई–नीलामी में लगी है की नीलामी असफल होने की स्थिति में नियमानुसार बैंक प्राइवेट ट्रीटी द्वारा बिक्री करने का अधिकार रखता है।

(विस्तृत नियम एवं शर्तों हेतु कृपया हमारी वेबसाईट : www.obcindia.co.in और www.bankeauctionwizard.com देखें)

दिनांक 03.08.2019, स्थान : नई दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी, ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

Bank of Baroda (A Govt. Of India Undertaking) बैंक ऑफ़ बड़ौदा (भारत सरकार का उपक्रम)

ई–नीलामी सूचना

जेडओएसएआरबी, 13वीं तल, बैंक ऑफ बड़ौदा भवन, 16, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001
फोन : 011-23441330, मो.- 9584317482, ई–मेल : armdel@bankofbaroda.com

अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 (यहां इसमें इसके उपरांत एक्ट के रूप में सन्दर्भित) के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस

आम लोगों को और विशेष रूप से उधार लेने वाला और प्रत्याभूति – दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित चल/अचल सम्पत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास दृष्टिबंधक/गिरवी/बंधक/प्रभारित है, का **सांकेतिक कब्जा**, प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा धारा 13(4) के अंतर्गत लिया गया है, को "जहां है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर नीचे निम्न विवरणित सम्पत्तियों की बिक्री प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली (यहां इसमें इसके उपरांत नियमावली के रूप में सन्दर्भित) के नियम 6, 8 एवं 9 के अंतर्गत **"जैसी है जहां है, जो है वहां है तथा दायित्व रहित आधार"** पर की जाएगी।

कर्जदार / गारंटर का नाम	सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य (रु.) / धरोहर राशि / इजाफा में सुधार हेतु राशि	ई–नीलामी की तारीख एवं समय	बकाया राशि धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना की तारीख	सम्पत्ति का निरीक्षण करने की तिथि व समय
उधारकर्ता: मैसर्स बून बायिंग प्रा. लि. निदेशक/गारंटर्स– 1. श्री राकेश सिंह (निदेशक/गारंटर्स) 2. श्रीमती श्यामो सिंह (निदेशक/गारंटर्स) 3. श्री गुलाब सिंह (गारंटर) 4. श्रीमती लक्ष्मी देवी (गारंटर) 5. मैसर्स बून एग्रो प्रा. लि. (गारंटर)	• श्री होल्ड बेसमेंट का हिस्सा, सम्पत्ति ई–986, ब्लॉक–ई, जितेन्द्र पार्क, ईपीडीपी कॉलोनी, नई दिल्ली–110019 में स्थित, क्षेत्रफल 550.00 वर्ग फीट, यह सम्पत्ति श्री राकेश सिंह के नाम पर है।	₹ 27,00,000/- ₹ 2,70,000/- ₹ 20,000/-	06-09-2019 को अपरा 01.00 बजे से अपरा 03.00 बजे तक	– 31.07.2015 रु. 95702849.45 दिनांक 31.07.2015 से ब्याज + भविष्य का ब्याज एवं खर्चे इत्यादि, सरकारी एक्ट की धारा 13(2) के अंतर्गत जारी नोटिस के अनुसार खाता मैसर्स बून बायिंग प्रा. लि. – 10.11.2015 रु. 39499127.11 दिनांक 10.11.2015 से ब्याज + भविष्य का ब्याज एवं खर्चे इत्यादि, सरकारी एक्ट की धारा 13(2) के अंतर्गत जारी नोटिस के अनुसार खाता मैसर्स बून एग्रो प्रा. लि. – 19.11.2015 रु. 7734841.00 दिनांक 19.11.2015 से ब्याज + भविष्य का ब्याज एवं खर्चे इत्यादि, सरकारी एक्ट की धारा 13(2) के अंतर्गत जारी नोटिस के अनुसार खाता श्री राकेश सिंह	02-09-2019 को पूर्वा. 11.00 बजे से अपरा 03.00 बजे तक
	• श्री होल्ड रिहायशी सम्पत्ति सम्पूर्ण तृतीय तल, छत के अधिकार के, एक कार पार्किंग के साथ भूमि के आनुपातिक अधिकारों के साथ सम्पत्ति नं. 121, पॉकेट ए–8, प्लॉट भूमि क्षेत्रफल 160 वर्ग मी., जोकि कालकाजी एक्सटेंशन, नई दिल्ली–110019 में स्थित, यह सम्पत्ति श्री राकेश सिंह के नाम पर है।	₹ 1,60,00,000/- ₹ 16,00,000/- ₹ 2,00,000/-	06-09-2019 को अपरा 01.00 बजे से अपरा 03.00 बजे तक		02-09-2019 को पूर्वा. 11.00 बजे से अपरा 03.00 बजे तक
मैसर्स बून एग्रो प्रा. लि. निदेशक/गारंटर्स – 1. श्री राकेश सिंह (निदेशक/गारंटर्स) 2. श्रीमती राधिका सिंह (निदेशक/गारंटर) 3. मैसर्स बून बायिंग प्रा. लि. (गारंटर) श्री राकेश सिंह	• श्री होल्ड रिहायशी सम्पत्ति जोकि मोहल्ला अरलतपुर बुद्ध का चौराहा, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश जिसे अब म्युनिसीपल वार्ड नं. 6, ब्लॉक–16, मकान नं. 91 (6/16/91) जोकि नगर निगम द्वारा आवंटित, यह सम्पत्ति श्री राकेश सिंह के नाम पर है। और • श्री होल्ड रिहायशी सम्पत्ति जोकि मोहल्ला अरलतपुर बुद्ध का चौराहा, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश जिसे अब म्युनिसीपल वार्ड नं. 6, ब्लॉक–16, मकान नं. 104 (6/16/104) जोकि नगर निगम द्वारा आवंटित, यह सम्पत्ति श्री राकेश सिंह के नाम पर है।	₹ 1,00,00,000/- ₹ 10,00,000/- ₹ 1,00,000/-	06-09-2019 को अपरा 01.00 बजे से अपरा 03.00 बजे तक		02-09-2019 को पूर्वा. 11.00 बजे से अपरा 03.00 बजे तक

धरोहर राशि व दस्तावेज जमा करने की अंतिम तारीख : 04-09-2019

धरोहर राशि व दस्तावेज जमा करने की अंतिम तारीख प्रत्येक सम्पत्ति के सम्मुख अंकितानुसार — नोट: आरक्षित मूल्य से कम या उसके बराबर की बोली स्वीकार्य नहीं होगी।

ई–नीलामी बिक्री के नियम एवं शर्तें

यह बिक्री निम्न नियमों एवं शर्तों के अधीन होगी।

1. नीलामी–सह–बिक्री का आयोजन https://www.bankeauctions.com के अधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ई–नीलामी पद्धति द्वारा होगी।
2. यहां कृपया अनुसूची में प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के भौतिक विवरणों को सत्यित करने का प्रयास किया गया है। इस उद्देश्य से किसी त्रुटि, कमी अथवा गलत विवरणों के लिए प्राधिकृत अधिकारी उत्तरदायी नहीं होंगे।
3. इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि अपनी बोली जमा करने तथा ई–नीलामी बिक्री में भाग लेने से पूर्व ई–नीलामी के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए पोर्टल https://www.bankeauctions.com देखें तथा प्रस्तावित अर्जित संबंधित गतिविधियों के लिए संबंधित प्

अफगानिस्तान से पांच हजार सैनिकों को वापस बुलाने की तैयारी में अमेरिका

वाशिंगटन, 2 अगस्त (भाषा)।

अमेरिका तालिबान के साथ शुरुआती शांति समझौते के तहत अफगानिस्तान से अपने 5000 से अधिक सौनिकों को वापस बुलाने की तैयारी कर रहा है। एक मीडिया रिपोर्ट में यह बात कही गई लेकिन वाइट हाउस ने इस रिपोर्ट पर तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की। बाद में प्राधिकारियों ने इस बात से इनकार किया और कहा कि अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी 'परिस्थितियों पर आधारित' है।

'द वाशिंगटन पोस्ट' ने एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से गुरुवार को बताया कि ट्रंप प्रशासन अफगानिस्तान में सैन्य बलों की संख्या 14 हजार से कम करके 9000 या 8000 करने की तैयारी कर रहा है।

समाचार पत्र के अनुसार प्रारंभिक समझौते के तहत तालिबान को अफगानिस्तान सरकार के साथ एक बड़े शांति समझौते पर सीधे वार्ता शुरू करनी होगी। हालांकि पेंटागन ने एक प्रवक्ता ने इस बात से इनकार करते हुए 'द वाशिंगटन पोस्ट' से कहा कि रक्षा मंत्रालय को अफगानिस्तान से बलों की वापसी का आदेश नहीं दिया गया है।

विदेश मंत्रालय ने एक प्रवक्ता ने कहा, 'रेजॉल्यूट सपोर्ट या रक्षा मंत्रालय ही इस मामले पर अधिक अधिकार से बात कर सकता है। हमने अफगानिस्तान सरकार या तालिबान के साथ हमारी वार्ताओं के संदर्भ में वहां हमारे रक्षा बलों को संख्या में बदलाव नहीं किया है।'

ट्रंप ने चीन के 300 अरब डॉलर के सामानों पर दस फीसद अतिरिक्त कर लगाया

वाशिंगटन, 2 अगस्त (भाषा)।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के 300 अरब डॉलर के सामानों पर अतिरिक्त दस फीसद शुल्क लगाने की गुरुवार को घोषणा की। इसके बाद उन्होंने कहा कि अब चीन के लिए बदलने का समय आ गया है। ट्रंप ने एक के बाद एक ट्वीट करते हुए बताया कि नया शुल्क एक सितंबर से प्रभावी होगा। यह 250 अरब डॉलर के चीन के सामानों पर पहले से लगे 25 फीसद शुल्क के अतिरिक्त है।

उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा, 'कई सालों से चीन सैकड़ों अरब डॉलर यहां से ले जा रहा है। हमने चीन का पुनर्निर्माण किया है। अतः अब समय है कि हम चीजों को बदले। यदि वे हमारे साथ व्यापार नहीं करना चाहते हैं, मेरे लिए यह ठीक ही रहेगा। इससे हमारा काफी पैसा बचेगा।' उन्होंने कहा, 'हमने अपने देश में बिक रहे 300 अरब डॉलर के चीन के सामानों पर शुल्क लगाया है। वे अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करते हैं और यहां से पैसा ले जाते हैं।' ट्रंप ने कहा, 'इसी कारण अब हम उनसे अरबों डॉलर वसूल रहे हैं। वास्तव में बिलकुल भी मुद्रास्फीति नहीं है। इससे हमारे उपभोक्ताओं पर कोई बोझ नहीं पड़ रहा है बल्कि चीन इसका भुगतान कर रहा है।' उन्होंने कहा, 'अब

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, 'कई सालों से चीन सैकड़ों अरब डॉलर यहां से ले जा रहा है। हमने चीन का पुनर्निर्माण किया है। अतः अब समय है कि हम चीजों को बदले।

क्या हुआ है कि बहुत सारी कंपनियां चीन से बाहर जा रही हैं, ताकि वे शुल्क से बच सकें। बुधवार के वाल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार, चीन के लिये यह बुरा दौर है...पिछले 27 साल में सबसे बुरा। हालांकि मैं ऐसा नहीं चाहता।' अमेरिका के व्यापार मंत्री रॉबर्ट लाइटहाइजर और वित्त मंत्री स्टीवन म्नुचिन के शंघाई से लौटने के बाद ट्रंप ने यह घोषणा की।

सऊदी अरब में महिलाओं को पुरुष संरक्षक से मिली आजादी

रियाद, 2 अगस्त (एएफपी)।

सऊदी अरब में महिलाएं किसी पुरुष 'संरक्षक' की अनुमति के बिना भी विदेश यात्रा कर सकेंगी। सऊदी अरब की सरकार ने यह बात कही। महिलाओं पर इस प्रतिबंध के कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सऊदी अरब आलोचनाओं का शिकार हो रहा था और इसी के कारण कई महिलाओं ने देश से भागने की कोशिश की थी।

इस ऐतिहासिक सुधार के बाद वह पुरानी संरक्षण व्यवस्था समाप्त हो जाएगी जिसके तहत कानून महिलाओं को स्थायी रूप से नाबालिग समझता है और उनके 'संरक्षकों' यानी पति, पिता और अन्य पुरुष संबंधियों को उन पर मनमाना अधिकार प्रदान करती है।

महिला अधिकार कार्यकर्ताओं के कई बरसों की मुहिम के बाद यह फैसला किया गया है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब कई महिलाओं ने अपने संरक्षकों से भागने की कोशिश की। सऊदी अरब में पिछले साल भी एक ऐतिहासिक फैसला दिया गया था जिसके बाद यहां महिलाओं के वाहन चलाने पर लगा प्रतिबंध हटा दिया गया था।

आधिकारिक गजट उम्म अल कुरा में प्रकाशित एक सरकारी फैसले में कहा गया है, 'उस हर सऊदी नागरिक को पासपोर्ट दिया जाएगा जो आवदेन करता है।' सरकार समर्थक

ऐतिहासिक फैसला 'संरक्षक' की अनुमति के बिना कर सकेंगी यात्रा, खत्म हुआ मनमाना अधिकार। इस ऐतिहासिक सुधार के बाद वह पुरानी संरक्षण व्यवस्था समाप्त हो जाएगी जिसके तहत कानून महिलाओं को स्थायी रूप से नाबालिग समझता है और उनके 'संरक्षकों' यानी पति, पिता और अन्य पुरुष संबंधियों को उन पर मनमाना अधिकार प्रदान करती है। इससे पहले सऊदी अरब में महिलाओं को विवाह करने, पासपोर्ट की वैधता बढ़ाने या देश से बाहर जाने के लिए पुरुष 'संरक्षकों' की अनुमति की आवश्यकता होती थी।

'ओकाज' समाचार पत्र और अन्य स्थानीय मीडिया ने वरिष्ठ प्राधिकारियों के हवाले से बताया कि यह नियम 21 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को पासपोर्ट हासिल करने और उनके 'संरक्षकों' की अनुमति के बिना देश से बाहर जाने की अनुमति देगा।

इससे पहले सऊदी अरब में महिलाओं को विवाह करने, पासपोर्ट की वैधता बढ़ाने या देश से बाहर जाने के लिए पुरुष 'संरक्षकों' की अनुमति की आवश्यकता होती थी। वाशिंगटन में अरब गल्फ स्टेट्स इंस्टीट्यूट के क्रिस्टीन दीवान ने कहा कि यह निर्णय महिलाओं को 'अधिक स्वायत्तता' देगा।

दीवान ने कहा, 'यदि (इसे) पूरी तरह लागू किया जाता है तो यह सऊदी महिलाओं को उनके जीवन को स्वयं नियंत्रित करने की अनुमति देने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा।' हालांकि आलोचकों का कहना है कि जब तक 'संरक्षण' प्रणाली को समाप्त नहीं किया जाता है, यह सुधार नाममात्र होगा।

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. NOT FOR PUBLICATION AND DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA.

SPANDANA

SPANDANA SPHOORTY FINANCIAL LIMITED

Our Company was incorporated as Spandana Sphoorty Innovative Financial Services Limited ("**SSIFSL**") on March 10, 2003 at Hyderabad, Andhra Pradesh, India as a public limited company under the Companies Act, 1956. A certificate of commencement of business was issued to SSIFSL on November 11, 2003 by the Registrar of Companies, Andhra Pradesh and Telangana at Hyderabad ("**RoC**"). On October 18, 2004, the Reserve Bank of India ("**RBI**") granted a certificate of registration bearing registration no. N-09.00414 to our Company, for the registration of our Company as a non-deposit accepting non-banking financial company ("**NBFC**") under Section 45IA of the Reserve Bank of India Act, 1934. Subsequently, pursuant to a special resolution dated November 26, 2007 passed by our shareholders, the name of our Company was changed to Spandana Sphoorty Financial Limited. Pursuant to a letter dated December 26, 2007, the RBI granted its no objection to the change of name of our Company to Spandana Sphoorty Financial Limited and a fresh certificate of incorporation consequent to change of name was issued by the RoC to our Company on January 3, 2008. Further, a fresh certificate of registration bearing registration no. N-09.00414 pursuant to the change of name was issued by the RBI on January 11, 2008. Our Company was granted NBFC – Microfinance Institution ("**NBFC-MFI**") status by the RBI with effect from April 13, 2015 and a modified certificate of registration bearing registration no. N-09.00414 was issued by the RBI to this effect. For further details of the changes in the name and registered office of our Company, see "***History and Certain Corporate Matters***" on page 154 of the Red Herring Prospectus dated July 25, 2019 and for further details of the registrations in relation to the business of our Company, see "***Government and Other Approvals***" on page 411 of the Red Herring Prospectus.

Registered and Corporate Office: Plot No: 31 & 32, Ramky Selenium Towers, Tower A, Ground Floor, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad 500 032, Telangana, India; **Tel:** +91 40 4612 6666; **Fax:** +91 40 4438 6640; **Contact Person:** Rakesh Jhunjhara (Company Secretary and Compliance Officer); **E-mail:** secretarial@spandanaindia.com; **Website:** www.spandanaindia.com; **Corporate Identity Number:** U65929TG2003PLC040648

OUR PROMOTERS: PADMAJA GANGIREDDY AND KANGCHENJUNGA LIMITED

INITIAL PUBLIC OFFER OF UP TO [•] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10 EACH ("EQUITY SHARES") OF OUR COMPANY FOR CASH AT A PRICE OF ₹[•] PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹[•] PER EQUITY SHARE) AGGREGATING UP TO ₹ [•] MILLION ("OFFER"), COMPRISING A FRESH ISSUE OF UP TO [•] EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹4,000.00 MILLION ("FRESH ISSUE") AND AN OFFER FOR SALE OF UP TO 9,356,725 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[•] MILLION, COMPRISING OF AN OFFER FOR SALE OF UP TO 5,967,097 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[•] MILLION BY KANGCHENJUNGA LIMITED ("CORPORATE PROMOTER SELLING SHAREHOLDER"), UP TO 1,423,114 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[•] MILLION BY PADMAJA GANGIREDDY ("INDIVIDUAL PROMOTER SELLING SHAREHOLDER"), UP TO 796,509 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[•] MILLION BY VIJAYA SIVA RAMI REDDY VENDIDANDI ("VSRRV"), UP TO 783,747 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[•] MILLION BY VALIANT MAURITIUS PARTNERS FDI LIMITED ("VALIANT"), 132,831 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[•] MILLION BY HELION VENTURE PARTNERS II, LLC ("HELION II"), UP TO 129,732 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[•] MILLION BY KEDAARA CAPITAL ALTERNATIVE INVESTMENT FUND – KEDAARA CAPITAL AIF 1 ("KEDAARA AIF 1") AND UP TO 123,695 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[•] MILLION BY HELION VENTURE PARTNERS, LLC ("HELION") (TOGETHER, "INVESTOR SELLING SHAREHOLDERS" AND, TOGETHER WITH THE CORPORATE PROMOTER SELLING SHAREHOLDER, THE INDIVIDUAL PROMOTER SELLING SHAREHOLDER, KEDAARA AIF 1, VSRRV, HELION II, HELION AND VALIANT, "SELLING SHAREHOLDERS" AND SUCH OFFERED SHARES, "OFFERED SHARES") ("OFFER FOR SALE").

• QIB Portion: Not more than 50% • Retail Individual Bidders: Not less than 35% • Non-Institutional Bidders: Not less than 15%

Price Band: ₹ 853 to ₹ 856 per Equity Share of face value of ₹ 10 each.
The Floor Price is 85.3 times the face value and the Cap Price is 85.6 times the face value of the Equity Shares.
Bids can be made for a minimum of 17 Equity Shares and in multiples of 17 Equity Shares thereafter.

ASBA# | **Simple, Safe, Smart way of Application!!!** | #Applications supported by blocked amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account. For further details, check section on ASBA below. **Mandatory in public issues. No cheque will be accepted.**

UPI UNIFIED PAYMENTS INTERFACE

UPI-Now mandatory in ASBA for Retail Investors applying through Registered Brokers, CDPs & RTAs. Retail Investors also have the options to submit the application directly to the ASBA Bank (SCSBs) or to use the facility of linked online trading, demat and bank account.

• Investors have to apply through the ASBA process. • ASBA has to be availed by all the investors except Anchor investors. • For details on the ASBA and UPI process, please refer to the details given in ASBA Form and abridged prospectus and also please refer to the section "***Offer Procedure***" beginning on page 441 of the Red Herring Prospectus. • The process is also available on the website of Association of Investment Bankers of India "**AIBI**", Stock Exchanges and in the General Information Document. ASBA Forms can be downloaded from the websites of BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited and can be obtained from the list of banks that is displayed on the website of SEBI at www.sebi.gov.in. List of banks supporting UPI is also available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in. ICICI Bank Limited has been appointed as Sponsor Bank for the Offer, in accordance with the requirements of the SEBI Circular dated November 1, 2018. • For details of the Banks eligible to act as Issuer Banks for UPI, kindly refer to the website of SEBI at www.sebi.gov.in. • For UPI related queries, investors can contact NPCI at the toll free number-18001201740 and Mail Id-ipo.upi@npci.org.in. • For the list of UPI Apps and Banks live on IPO, please refer to the link https://www.npci.org.in/upi-live-ipo.

Risks to Investors

- **The four Global Co-ordinators and Book Running Lead Managers and two Book Running Lead Managers associated with the Offer have handled 47 public issues during the current financial year and two financial years preceding the current financial year, out of which 16 public issues closed below the issue/offer price on listing date.**
- **The Price/Earnings ratio based on diluted EPS for fiscal 2019 for the Company at the upper end of the Price band is as high as 16.21 times, on a standalone basis and 16.04 times, on a consolidated basis as compared to the average industry peer group Price/Earning ratio is 21.3 times on a consolidated basis.**
- **The average cost of acquisition per Equity Share for our Selling Shareholders is in the range of ₹3.33 to ₹322.81 per Equity Share. The Offer Price at the upper end of the Price Band is ₹856.**

CORRIGENDUM TO THE RED HERRING PROSPECTUS: NOTICE TO INVESTORS

This corrigendum is with reference to the Red Herring Prospectus dated July 25, 2019 ("**Red Herring Prospectus**") filed with the Registrar of Companies, Andhra Pradesh and Telangana situated at Hyderabad (the "**RoC**") and the Securities and Exchange Board of India ("**SEBI**") in relation to the Offer. All capitalized terms used in this notice shall, unless the context otherwise requires, have the meanings ascribed in the Red Herring Prospectus.

Investors should note that pursuant to an amendment agreement to the Escrow and Sponsor Bank Agreement dated August 2, 2019 ("**Escrow and Sponsor Bank Amendment Agreement**"), ICICI Bank Limited has been appointed by the Company and the Selling Shareholders as the Sponsor Bank in relation to the Offer. Further, pursuant to the Escrow and Sponsor Bank Amendment Agreement, the appointment of Kotak Mahindra Bank Limited as the Sponsor Bank to the Offer has been terminated. Accordingly, the following changes will be reflected in the Prospectus to be filed with the RoC.

A) In the section "**Definitions and Abbreviations**", on page 5 of the Red Herring Prospectus we propose to include the following under the definition for "Escrow and Sponsor Bank Agreement":
"The agreement dated July 24, 2019, amongst our Company, the Selling Shareholders, the Registrar to the Offer, GCBRLMs and the BRLMs, the Syndicate Member, the sponsor bank, the Escrow Collection Bank, the Public Offer Account Bank and the Refund Bank for collection of the Bid Amounts and where applicable, remitting refunds (if any) on the terms and conditions thereof, as amended by an amendment agreement dated August 2, 2019, amongst our Company, the Selling Shareholders, the Registrar to the Offer, GCBRLMs and the BRLMs, the Syndicate Member, the Sponsor Bank, the Escrow Collection Bank, the Public Offer Account Bank and the Refund Bank"

B) In the section "**Definitions and Abbreviations**", on page 8 of the Red Herring Prospectus we propose to include the following under the definition for "Sponsor Bank":
"A Banker to the Offer which is registered with SEBI and is eligible to act as a Sponsor Bank in a public issue in terms of applicable SEBI requirements and has been appointed by the Company and the Selling Shareholders in consultation with the GCBRLMs and the BRLMs to act as a conduit between the Stock Exchanges and NCPL to push the UPI Mandate Request in respect of RIBs as per the UPI Mechanism, in this case being ICICI Bank Limited"

C) In the section "**Definitions and Abbreviations**", on page 8 of the Red Herring Prospectus we propose to include the following under the definition for "Syndicate Agreement":
"The agreement dated July 24, 2019, as amended on August 2, 2019, amongst the GCBRLMs and the BRLMs, the Syndicate Member, the Registrar to the Offer, our Company and the Selling Shareholders in relation to the collection of Bid cum Application Forms by the Syndicate Member"

D) In the section "General Information", on page 71 of the Red Herring Prospectus we propose to include the following under the details of the "Sponsor Bank":
*"ICICI Bank Limited
Capital Markets Division, 1st Floor
122, Mistry Bhavan, Dinshaw Vachha Road
Backbay Reclamation, Churchgate
Mumbai 400 020, Maharashtra, India
Tel: +91 22 6681 8933/ 23/ 24
Fax: +91 22 2261 1138
E-mail: kmr.saurabh@icicibank.com
Website: www.icicibank.com
Contact Person: Saurabh Kumar"*

E) In the section "**Material Contracts and Documents for Inspection**", on page 583 of the Red Herring Prospectus we propose to replace point number 3 under "Material Contracts for the Offer" with:
"3. Escrow and Sponsor Bank Agreement dated July 24, 2019, between our Company, the Selling Shareholders, the Registrar to the Offer, the GCBRLMs, the BRLMs, the Syndicate Member, the sponsor bank and the Escrow Collection Bank(s), the Public Offer Account Bank, the Refund Bank(s) and the Registrar to the Offer, as amended by an amendment agreement dated August 2, 2019, amongst our Company, the Selling Shareholders, the Registrar to the Offer, GCBRLMs and the BRLMs, the Syndicate Member, the Sponsor Bank, the Escrow Collection Bank, the Public Offer Account Bank and the Refund Bank"

F) In the section "Material Contracts and Documents for Inspection", on page 583 of the Red Herring Prospectus we propose to replace point number 5 under "Material Contracts for the Offer" with:
"5. Syndicate Agreement dated July 24, 2019, as amended on August 2, 2019, between our Company, the Selling Shareholders, the GCBRLMs, the BRLMs and the Syndicate Member."

The Red Herring Prospectus, the Bid cum Application Forms, the pre-Offer advertisement dated July 30, 2019, the advertisement announcing the Price Band dated July 30, 2019 and the Abridged Prospectus shall be read in conjunction with this notice. The above notice is required to be read in conjunction with other disclosures in the Red Herring Prospectus.

For **Spandana Sphoorty Financial Limited**
On behalf of the Board of Directors
Sd/-
Company Secretary and Compliance Officer

Place: Hyderabad
Date: August 02, 2019

Spandana Sphoorty Financial Limited is proposing, subject to, applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offer of its Equity Shares and has registered the Red Herring Prospectus with the RoC on July 25, 2019. The Red Herring Prospectus shall be available on the websites of SEBI, BSE, NSE at www.sebi.gov.in, www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively, and is available on the websites of the GCBRLMs, i.e. Axis Capital Limited, ICICI Securities Limited, IIFL Securities Limited and JM Financial Limited at www.axiscapital.co.in, www.icicisecurities.com, www.iiflcap.com and www.jmfl.com, respectively and on the websites of the BRLMs, i.e. IndusInd Bank Limited and YES Securities (India) Limited at www.indusind.com and www.yesinvest.in, respectively. Potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, see "Risk Factors" beginning on page 18 of the Red Herring Prospectus. Potential investors should not rely on the DRHP for any investment decision.

The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act or any U.S. state securities laws in the United States and may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the United States Securities Act of 1933, as amended (the "**U.S. Securities Act**") and applicable U.S. state securities laws. Accordingly, the Equity Shares are being offered and sold only (1) in the United States to institutions that are "qualified institutional buyers" as defined in Rule 144A under the U.S. Securities Act ("**Rule 144A**"), and (2) outside the United States in offshore transactions in reliance on Regulation S under the U.S. Securities Act ("**Regulation S**") and the applicable laws of the jurisdictions where those offers and sales occur. Prospective purchasers that are "qualified institutional buyers" as defined in Rule 144A are hereby notified that the sellers of Equity Shares may be relying on the exemption from the provisions of Section 5 of the U.S. Securities Act provided by Rule 144A. The Equity Shares are not transferable except in accordance with all applicable laws and the restrictions described under "***Purchaser Representations and Transfer Restrictions***" of the Preliminary Offering Memorandum.

Adfactors 188

आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान बैंकाक में बम विस्फोट, चार घायल

बैंकॉक, 2 अगस्त (एएफपी)।

थाईलैंड की राजधानी बैंकाक में शुक्रवार को कई स्थानों पर बम विस्फोट हुए। विस्फोट में चार लोग घायल हो गए। माना जा रहा है कि हमले का मकसद शहर में आयोजित आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान सरकार को शर्मिंदा करना था। सम्मेलन में भाग लेने अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ भी थाईलैंड पहुंचे हैं।

अबतक हमलावरों के बारे में पता नहीं चल पाया है। थाईलैंड सरकार की प्रवक्ता नारुमन पिन्योसिनवात ने बताया कि प्रधानमंत्री प्रयुत चान-ओ-चा ने बमबारी के बारे में पूछताछ की है। साथ ही तत्काल जांच के आदेश दिए हैं। चान-ओ-चा ने बम विस्फोट के लिए शांति भंग करने वालों और देश की छवि खराब करने वालों को जिम्मेदार ठहराया है। आपातकालीन पुलिस ने कहा कि उन्हें सड़क किनारे झाड़ियों में 'पिंग पोंग बम' होने की रिपोर्ट मिली है। पिंग पोंग बम टेबल टेनिस बॉल के आकार के होते हैं। शहर के एक प्रसिद्ध गगनचुंबी इमारत के पास दो और विस्फोट हुए। वहीं एक सरकारी परिसर के पास करीब तीन विस्फोट हुए हैं।

बमों को निष्क्रिय करने के लिए शहर में बम निरोधक विशेषज्ञ तैनात किए गए हैं। उप प्रधानमंत्री प्रवीत वोंगसुवोन ने कहा, 'हमें अभी तक नहीं पता है कि इसमें कितने लोग शामिल हैं।'

न्यूयॉर्क में सैन्य बलों के पराक्रम का होगा सम्मान

न्यूयॉर्क, 2 अगस्त (भाषा)।

न्यूयॉर्क में 18 अगस्त को होने जा रहे 39वें 'इंडिया डे परेड' में सैन्य बलों के पराक्रम और बलिदान को सम्मानित किया जाएगा। यह भारत के बाहर स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित होने वाला भारतीयों का सबसे बड़ा समागम है। अमेरिका के सबसे बड़े सांस्कृतिक समारोह में से एक 'इंडिया डे परेड' में हजारों भारतीय शामिल होते हैं।

परेड का मुख्य थीम 'अपने सैनिकों का समर्थन करो, अपने सैनिकों को सलाम करो' है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन (एफआईए)इस परेड का आयोजन करेगा। यह मैनहैट्टन के केंद्र मैडिसन स्क्वायर की सड़कों से होकर गुजरेगा। परेड में विभिन्न भारतीय-अमेरिकी संगठनों की झांकिया, मार्चिंग बैंड, पुलिस दस्ते आदि शामिल होंगे। भारतीय अमेरिकी युवाओं और बच्चों की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दी जाएगी।

एफआईए ने कहा,'वह समरसता और एक दूसरे के सम्मान के विचार का समर्थन करता है। परेड भारतीय और अमेरिका के वास्तविक हीरो हमारे जवानों के सम्मान का जश्न है। पिछले साल की तरह परेड में भारत की कई हस्तियां बतौर विशेष अतिथि शामिल होंगी। इनमें अभिनेता सुनील शेट्टी, अभिनेत्री हिना खान, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के आयुक्त एडम सिल्वर शामिल हैं।'

एफआईए न्यूयॉर्क ट्री स्टेट के अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा, 'हमारे जवान हमारे लिए अपने प्राणों का बलिदान देते हैं। यह हमारी ओर से श्रद्धांजलि है और मौका है कि हम उनकी सेवा,हिम्मत और बलिदान को याद करें।'

'मिस वेनेजुएला' में नहीं बताया जाएगा प्रतिभागियों के शरीर का माप

काराकस, 2 अगस्त (एएफपी)।

अब 'मिस वेनेजुएला' प्रतियोगिता में प्रतिभागियों के शरीर का माप नहीं बताया जाएगा। प्रतियोगिता के आयोजकों ने पहली बार प्रतिभागियों के शरीर की माप सार्वजनिक नहीं करने का निर्णय लिया है। वेनेजुएला में 19 वर्षीय एक छात्रा 'थालिया ओल्विनो' ने मिस वेनेजुएला का खिताब जीता है।

हर साल प्रतियोगिता का शुरुआती फोकस इस बात पर होता था कि प्रतिभागी का शारीरिक माप कैसा है। इसके लिए आयोजकों की काफी आलोचना होती थी। आयोजकों ने इस बार कहा कि वे दकियानूसी विचारधारा को पीछे धकेलना चाहते हैं कि एक आदर्श महिला कैसी दिखती है। प्रतियोगिता जीतने के बाद ओल्विनो ने कहा, 'मैंने पूरे दिल से और पूरी निष्ठा के साथ यह किया।' इससे पहले आयोजक दर्शकों को प्रत्येक प्रतिभागी के शरीर का पूरा माप बताया करते थे। इसके लिए प्रतियोगिता में भाग लेने वाली अनेक प्रतिभागी कॉस्मेटिक सर्जरी तक करवाती थीं। इस बार प्रतियोगिता में प्रतिभागियों से उनके गुण के बारे में पूछा गया।

आरोपियों को आवाज के नमूने देने का निर्देश दे सकते हैं जज : सुप्रीम कोर्ट

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 अगस्त।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि न्यायिक मजिस्ट्रेटों को आपराधिक मामलों के आरोपियों को जांच के दौरान आवाज के नमूने एजंसियों को देने का आदेश जारी करने का अधिकार है। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अगुआई वाले पीठ ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) में ये प्रावधान नहीं है जो न्यायिक मजिस्ट्रेट को लंबित जांच में आरोपी को आवाज के नमूने मुहैया कराके जांच एजंसियों के साथ सहयोग का निर्देश देने की अनुमति देता हो।

पीठ ने कहा कि वह संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपराधिक मामलों के आरोपियों को उचित जांच के लिए अपनी आवाज के नमूने सौंपने का आदेश देने का अधिकार न्यायिक मजिस्ट्रेटों को दे रही है।

कुरैशी के बाबत कॉलिजियम की सिफारिश पर 14 तक फैसला करे केंद्र : सुप्रीम कोर्ट

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 अगस्त।

सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति एए कुरैशी को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त करने की कॉलिजियम की सिफारिश पर केंद्र को 14 अगस्त तक निर्णय करने का निर्देश दिया। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरूद्ध बोस के तीन सदस्यीय खंडपीठ को केंद्र की ओर से महान्यायवादी तुषार मेहता ने बताया कि इस मामले में निर्णय के लिए उसे 10 दिन का और समय दिया जाना चाहिए क्योंकि संसद का सत्र अभी जारी है।

पीठ ने कहा–आपको जो भी फैसला लेना है, वह लें और उसे अदालत के समक्ष रखें। पीठ ने यह भी कहा कि इस निर्णय को अदालत के न्यायिक या फिर प्रशासनिक पक्ष में से किसी के भी समक्ष रखा जा सकता है।

पीठ गुजरात हाई कोर्ट वकील संघ की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था। इसमें केंद्र को न्यायमूर्ति कुरैशी की नियुक्ति के संबंध में शीर्ष अदालत के कॉलिजियम की 10 मई की अनुशंसा पर कार्रवाई करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।

जेपी समूह की याचिका पर दो सप्ताह यथास्थिति बनाए रखने का आदेश

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 अगस्त।

सुप्रीम कोर्ट ने कर्ज में डूबी जेपी इंफ्राटेक के लिए नए सिरे से बोली आमंत्रित करने के राष्ट्रीय कंपनी ला अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ जेपी समूह की अपील पर दो हफ्ते यथास्थिति बनाए रखने का शुक्रवार को आदेश दिया। न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी के पीठ ने इस मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश उस वक्त दिया जब उसे बताया गया कि संसद ने दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता संहिता में संशोधनों को मंजूरी दे दी है।

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

सामान्य सेवा प्रशासन प्रभाग
प्रधान कार्यालय, प्लाट सं०–4, सेक्टर–10, द्वारका नई दिल्ली-110075
hogad@pnb.co.in (011-28044687)

पेंशनभोगियों (रक्षा कार्मिकों हेतु) सहित पीएनबी पेंशन खाताधारकों के लिए बैंकाश्योरेंस समूह के व्यक्तिगत बीमा पॉलिसियों के नवीकरण हेतु बोलियाँ (बिड्स) प्रस्तुत करने हेतु सूचना।

पंजाब नैशनल बैंक, पेंशनभोगियों (रक्षा कार्मिकों हेतु) सहित पीएनबी पेंशन खाताधारकों के लिए बैंकाश्योरेंस समूह के व्यक्तिगत बीमा पॉलिसियों के नवीकरण हेतु आरएफपी में उल्लिखित पात्रता मानदंडों के अनुसार सामान्य बीमा कंपनियों से मुहरबंद बोलियाँ (बिड्स) प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करता है।

विस्तृत जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट https://www.pnbindia.in/Tender.aspx पर जाएं। पात्र कंपनियाँ अपनी बोलियाँ (बिड्स) को उप–महाप्रबंधक, पंजाब नैशनल बैंक, सामान्य सेवा प्रशासन प्रभाग, प्रधान कार्यालय, प्लॉट नं० 4, सेक्टर–10, द्वारका, नई दिल्ली–110075 को दिनांक 16.08.2019 को या उससे पूर्व सायं 3.00 बजे तक प्रस्तुत कर सकते हैं।

मुख्य प्रबंधक (9816610262)

ऋण वसूली न्यायाधिकरण – III, दिल्ली के समक्ष
चतुर्थ तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001

बैंकों और वित्तीय संस्थानों अधिनियम 1993 की धारा 19 (4) के अन्तर्गत तथा ऋण वसूली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया नियम) 1993 के नियम 12 और 13 के साथ पठित के तहत ऋणों की वसूली की सूचना।

ओए नं. 330/2018 के मामले में
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड आवेदक
बनाम
मैसर्स एच आर आउटसोर्स सर्विसेज एवं अन्य प्रतिवादी

प्रतिवादी 1 मैसर्स एच आर आउटसोर्स सर्विसेज
पंजीकृत कार्यालय में
दुकान नं. 211–बी, आनंद बाजार, गुरूद्वारा रोड, गुड़गांव
इसके अलावा : बी–8, ज्ञान तल, मुद्रा रसकल, रूपे विहार, गुड़गांव–122001

जबकि उपरोक्त नामक आवेदक ने आपके विरुद्ध वसूली के लिए एक मुकदमा स्थापित किया है तथा जबकि न्यायाधिकरण को समाधानप्रद रूप से यह दर्शाया जा चुका है कि आपको सामान्य रूप से सूचना दिया जाना संभव नहीं है, इसलिए, विज्ञापन के रूप में इस सूचना के माध्यम से आपको दिनांक 19.08.2019 को प्रातः 10.30 बजे माननीय पीठासीनकर्ता के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।

यह ध्यान रखें कि निर्धारित तिथि को अधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर इस मामले पर आपकी अनुपस्थिति में गुणवत्ता की सुनवाई और निर्णय लिया जाएगा।

मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मोहर के तहत 18 मई 2019 को दिया गया।

न्यायाधिकरण के आदेश द्वारा,
सहायक रजिस्ट्रार, डीआरटी – III, नई दिल्ली

apis
एपिस इंडिया लिमिटेड
CIN: L31900DL1983PLC164048
पंजी. कार्यालय: 18/32, ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली-110008
टेली: 011-43206650; फैक्स: 011-25713631
ईमेल: mail@apisindia.com
वेबसाइट: www.apisindia.com

NOTICE

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि सेबी (सूचीयन दायित्व तथा प्रकटन आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के विनियमन 47 के साथ पठित विनियमन 29 के अनुपालन में कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक शुक्रवार, 14 अगस्त, 2019 को 18/32, ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली-110008 में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाएगी। जिसमें निम्नलिखित लेन-देन पर विचारार्थ और:

क. 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के लिए कंपनी के अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों (स्टैंडअलोन और समेकित) को रिकॉर्ड अनुमोदन करने और लेने के लिए।

ख. कुर्सी की अनुमति से कोई अन्य व्यवसाय।

उपरोक्त उद्देश्यों के लिए और हस्ताक्षर ट्रेडिंग की पोस्टमार्क के लिए कंपनी की अवधि अवधि के संदर्भ में, ट्रेडिंग विंडो को बंद होने के बारे में सूचना (जांच सामान्य, जुलाई 01, 2019 तक कंपनी की प्रतिभूतियों में लेन-देन करने के लिए पहली एए(44) पर बोर्ड की बैठक की तारीख) स्टॉक एक्सचेंज को पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है।

वस्तुतः, व्यवसाय विंडो सोमवार, जुलाई 01, 2019 से सुबह 16 अगस्त, 2019 (बंदी दिन सम्मिलित) तक बंद रहेगी।

उक्त सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.apisindia.com तथा स्टॉक एक्सचेंज जैसे बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।

एपिस इंडिया लिमिटेड
हस्ता./-
अमित अग्रवाल
(प्रबंध निदेशक)
डीआईएन: 00951321

दिनांक: अगस्त 02, 2019
स्थान: नई दिल्ली

ADHBHUT INFRASTRUCTURE LIMITED
CIN: L51503DL1985PLC020195
Regd. Off.: D-15, PAMPOSH ENCLAVE, GREATER KAILASH-1, NEW DELHI-110048
Phone: +91-11-45210051,
E-mail: adhbhut.ind@rediffmail.com;
Website: www.adhbhutinfra.com

Postponement Of Board Meeting

Notice is hereby given that pursuant to the Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a meeting of the Board of Directors of the company scheduled to be held on Saturday, the 10th day of August, 2019, inter alia, to consider, approve and take on record the Un-audited Standalone Financial Results for the quarter ended June 30, 2019.

The said Notice may be accessed on the Company's website at https://www.adhbhutinfra.com/ and the website of BSE http://www.bseindia.com/.

By Order of the Board
For Adhbhut Infrastructure Limited
Sd/-
ANUBHAV DHAM
Wholetime Director
DIN: 02050812

Place: New Delhi
Date: 02.08.2019

FIEM INDUSTRIES LIMITED
Regd. Office: D 34, DSIDC Packaging Complex, Kirti Nagar, New Delhi 110015 INDIA Tel.: +91-11-25827319 / 7820
Fax: +91 11 25827740 E-mail: investor@fiemindustries.com
Website: www.fiemindustries.com CIN: L31909DL1989PLC034021

NOTICE

Pursuant to Regulation 47 read with 29 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Listing Regulations), Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on **Wednesday, August 14, 2019** at 2.00 p.m. at the Corporate Office of the Company situated at Plot No. 1915, Rai Industrial Estate, Phase-V, Distt. Sonepat, Haryana, inter-alia, to consider and approve standalone and consolidated Un-audited Financial Results of the Company for the Quarter ended June 30, 2019.

The said Notice is also available at the Company's website www.fiemindustries.com, and websites of stock exchanges www.bseindia.com and www.nseindia.com.

For Fiem Industries Ltd.
Arvind K. Chauhan
Company Secretary

Date: 02.08.2019
Place: Rai (Haryana)

SyndicateBank
REGIONAL OFFICE NOIDA

Invitation of Expression of Interest from Valuers / Valuer Firms

Syndicate Bank, a leading public sector Bank invites EOI from experienced Valuers / Valuer firms for empanelment on the approved panel of Valuers /Valuer Firms of the Bank for the work of Valuation of properties offered as security to our branches falling under Noida Region, for detailed scope of work and other information in this regard, please visit our website www.syndicatebank.in or contact Sri Arun Kumar Arya, Asst. General Manager, Regional Office, Noida (Phone 0120 - 2400853) Email: ro.noida@syndicatebank.co.in

The EOIs must be submitted by 31.08.2019 till 17.00 hours. Any submission after the last date and time shall not be accepted.

Regional Manager, Noida.

ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड
सीआईएन
पंजीकृत कार्यालयः ऑफिस नं. 915, पर्ल ओमेक्स टॉवर–2, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, नई दिल्ली–110034
फोनः +91 11 4558 827
वेबसाइटः www.urjaglobal.in
ई–मेलः cs@urjaglobal.in

सूचना

सेबी (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के साथ पठित विनियम 47 के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि मैसर्स ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड के निदेशक मंडल बैठक सोमवार, 12 अगस्त, 2019 को प्रातः 11.00 बजे कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाएगी जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के लिए कम्पनी के अलेखाप. रीक्षित एकल एवं समेकित वित्तीय परिणामों पर विचार एवं अनुमोदन और बैठक में अन्य व्यवसाय सम्पादित किया जाएगा।

विस्तृत विवरण कम्पनी की वेबसाइट www.urjaglobal.in और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट www.bseindia.com एवं www.nseindia.com पर उपलब्ध होंगे।

कृते ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड
हस्ता./–
कनिका अरोड़ा
कम्पनी सचिव

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 2 अगस्त, 2019

METAL COATINGS (INDIA) LIMITED
Registered office: 912, Hemkunt Chambers, 89, Nehru Place, New Delhi - 110019
CIN: L74899DL1984PLC053367, Website: www.mcl.net
Email: info@mclindia.net, Tel: 011-41608109

NOTICE

Transfer of equity shares of the Company to Investor Education and Protection Fund (IEPF)

Shareholders are hereby informed that pursuant to the provisions of Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("the Rules"), the Company is mandated to transfer the Dividend for the Financial Year 2011-12, which remained unclaimed for a period of seven years to the IEPF Authority. The corresponding shares on which dividend was unclaimed for seven consecutive years will also be transferred as per the procedure laid out in the Rules.

In compliance to the Rules, the Company has communicated individually to the concerned shareholders at their registered address whose shares are liable to be transferred to IEPF during the FY 2019-20 for taking appropriate action and the details of such shares liable to be transferred to IEPF are also made available on our website viz www.mcl.net. Shareholders concerned may refer to the website to verify the details of their unclaimed dividend and the shares liable to be transferred.

Shareholders holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to IEPF, may note that the Company would be issuing duplicate share certificate(s) in lieu of the original held by them to convert into DEMAT form and transfer in favour of IEPF.

The shareholders may further note that the details uploaded by the Company on its website should be regarded and shall be deemed adequate notice in respect of issue of the duplicate share certificate(s) by the Company for the purpose of transfer of shares to IEPF.

In case the Company does not receive any communication from the concerned shareholders by 31st October, 2019, the Company with a view to comply with the requirements of the Rules, transfer the dividend to the IEPF by the due date as per procedure stipulated in the Rules. The corresponding shares on which dividend is unclaimed for seven consecutive years shall also be transferred without any further notice.

Please note that no claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend amount and shares transferred to the IEPF. Shareholders may claim the dividend and corresponding shares transferred to IEPF including all benefits accruing on such shares, if any, from the IEPF authorities after following the procedure prescribed in the Rules.

For any queries on the above matter, the shareholders are requested to contact the Company's Registrar and Share Transfer Agents, Mis Link Intime India Pvt Ltd, Noble Heights, 1st Floor, Plot No. NH2 LSC, C-1 Block, Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi-110058. Email: delhi@linkintime.co.in; Website: www.linkintime.co.in

For Meta Coatings (India) Limited
Sd/-
Piyush Jain
Company Secretary & Compliance Officer

Place: New Delhi
Date: 02.08.2019

कामिया बायोसाइंसेज लिमिटेड
(पूर्ववर्ती लॉरेल ऑर्गेनिक्स लिमिटेड)
पंजीकृत कार्यालयः गांव भोंडसी, तहसील सोहना, गुड़गांव–122102, हरियाणा
ई–मेलः laurelorganicslimited@gmail.com
वेबसाइटः www.laurel.co.in
सीआईएनः L24239HR1993PLC032120
फोनः 011–47063600, फैक्सः 011–47063601/02

सूचना

भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 29 के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक सोमवार, 12 अगस्त, 2019 को अप. 2.00 बजे कम्पनी के कॉर्पोरेट कार्यालय 974, 9वां तल, अग्रवाल मिलेनियम टॉवर–2, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, नई दिल्ली–110034 में आयोजित की जाएगी जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ 30 जून, 2019 को समाप्त पहली तिमाही के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों (एकल) पर विचार एवं अनुमोदन किया जाएगा। इसके अलावा, सेबी (आंतरिक व्यापार का निषेध) विनियम, 2015 और कम्पनी के आंतरिक प्रक्रिया की संहिता एवं इनसाइडर्स द्वारा ट्रेडिंग की निगरानी एवं रिपोर्टिंग के संदर्भ में पदनामित व्यक्तियों (और उनके नजदीकी संबंधियों) द्वारा कम्पनी के इक्विटी शेयरों के लेनदेन के लिए ट्रेडिंग विन्डो पहले ही 1 जुलाई, 2019 से बंद कर दी है और यह स्टॉक एक्सचेंज को 30 जून, 2019 को समाप्त पहली तिमाही के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों की घोषणा के बाद 48 घंटे तक बंद रहेगी।

कृते कामिया बायोसाइंसेज लिमिटेड
(पूर्ववर्ती लॉरेल ऑर्गेनिक्स लिमिटेड)
हस्ता./–
अभिषेक कुमार पाण्डे
कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
सदस्यता सं. ए 31218

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 2 अगस्त, 2019

SCHABLONA INDIA LTD.
CIN: L51109DL1983PLC318655
Regd. Office: 82/19 Shakerwara Road, Mandka, New Delhi-110 041
Ph: 01128341085,
E-mail: slinvestors@schablona.in
Website: www.schablona.in

NOTICE

Pursuant to Regulations 29(1)(a) and 47(1)(a) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, NOTICE is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held in NOIDA on Monday, the 12th August, 2019, to consider inter alia, the Un-Audited Financial Results of the Company for the quarter ended 30th June, 2019, along with the Segment wise Revenue, Results and Capital Employed as on that date.

The information contained in this notice is also available on the Company's website at www.schablona.in and on the website of the Stock Exchange where the Company's shares are presently listed, i.e. BSE Limited at www.bseindia.com

For Schablona India Limited
Sd/-
(Ritika Manasata)
Company Secretary

Dated: 02-08-2019

MEGA CORPORATION LTD.
CIN L65100DL1985PLC092375
Regd. Office: 108, First Floor, Taimoor Nagar, Opp. New Friends Colony, New Delhi-110025
Ph: +91 11 41516171 Fax: +91 11 26912728
email: info@megacorp.ltd,
Website: www.megacorpltd.com

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, Notice is hereby given that the meeting of Board of Directors of the Company will be held on Tuesday, 13.08.2019 at 5.00 PM at the registered office of the company inter alia to consider and approve the unaudited Financial Results for the 1st quarter ended 30.06.2019.

By order of the Board
For Mega Corporation Limited
Sd/-
(SURENDRA CHHALANI)
Director and CFO
Din: 00002747

Place: New Delhi
Date: 02/08/2019

सूचना
(कम्पनी (निगम) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में)
कॉर्पोरेट निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, दिल्ली के समक्ष और कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कम्पनियों के (निगमन) नियम, 2014 के उप नियम (5) के खंड (ख) के मामले में
तथा
ऐलकॉम्पनिक्स टैक्नोलॉजिज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय प्लॉट सं. 28, सेक्टर 1, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 के मामले में, ... याचिकाकर्ता

आम जनता को सूचना दी गई है कि कम्पनी केंद्र ने कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 13 के तहत केंद्र सरकार को आवेदन करने का प्रस्ताव किया है, जिसमें ने कंपनी के मेमोरेंडम और एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि करने की मांग की गई है। 26 जुलाई 2019 को आयोजित आम आम आयोजित की गई सभा कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय को 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली' से बदलकर 'उत्तर प्रदेश राज्य' में बदल रहे।

कोई व्यक्ति जिसका हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है, वह अपने हित के समर्थन तथा विरोध के आधार के शपथपत्र सहित एमसीए 21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर सूचना का सामना है अथवा कॉर्पोरेट निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी.ए. विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सी-जीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली 110003 को इस सूचना प्रकाशन की तारीख के चौदह (14) दिनों भीतर सूचित कर सकते हैं अथवा याचिकाकर्ता वकील के द्वारा भेज सकते हैं। साथ ही इसकी एक प्रति कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को भी निम्नलिखित पते पर भेजनी होगी:
प्लॉट सं. 28, सेक्टर 1, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058

उनके लिए और उनकी तरफ से
कृते ऐलकॉम्पनिक्स टैक्नोलॉजिज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता./–
बलदेव नारायण द्विवेदी
प्रबंध निदेशक
(DIN 00007842)

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 02 अगस्त, 2019

NEWTIME INFRASTRUCTURE LIMITED
CIN: L24239HR1984PLC040797
Regd. Off.: Lotus Green City Sector 23 & 24, Bhiwadi Alwar Bypass 75 MTR. Road Dharuhera Rewari 123401
Phone: +91-7419885077,
E-mail: newtimeinfra2010@gmail.com ;
Website: www.newtimeinfra.in

NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to the Regulation 29(1)(a) read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Saturday, 10th day of August, 2019, inter alia, to consider and approve the Un-Audited Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter ended 30th June, 2019.

The said Notice may be accessed on the Company's website at https:// www.newtimeinfra.in/ and the website of BSE http://www.bseindia.com/.

For Newtime Infrastructure Limited
Anuradha Kapur
Director
DIN: 01646928

Place: New Delhi
Date: 02.08.2019

S CHAND AND COMPANY LIMITED
Registered Office: A-27, 2nd Floor, Mohan Co-operative Industrial Estate, New Delhi-110044; Email: investors@schandgroup.com
Website: www.schandgroup.com; Phone: +91 11 49731800
Fax: +91 11 49731801; CIN: L22219DL1970PLC005400

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of The SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Saturday, August 10, 2019 at the Registered Office of the Company to, inter-alia, consider and approve the Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter ended June 30, 2019.

The said information is also available on the Company's website at www.schandgroup.com and on the website of the Stock Exchanges at www.bseindia.com and www.nseindia.com.

For S Chand And Company Limited
Sd/-
Jagdeep Singh
Company Secretary & Compliance Officer

Place: New Delhi
Dated: August 02, 2019

UNITED DRILLING TOOLS LIMITED
CIN- L29199DL1985PLC019799
Regd. Off: 135A, First Floor, Anirudh Bhawan, 22, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110001
Phone No. 011-43502330, Fax.no. 0120-2462975
E-Mail id: compsect@udtld.com, Website: www.udtld.com

NOTICE OF LOSS OF SHARE CERTIFICATES

Notice is hereby given that the under mentioned share certificates of the company are stated to be lost or misplaced or stolen:

Sr. No.	Name of shareholder / purchaser	Share certificate Number	Distinctive No. From	Distinctive No. To	No. of shares
1.	Jugraj L Kothari / 12747	10169	1000501-1000600		100
		22797	10737674-10737773		100
2.	Radha Mittal / 5967	5701	570001-570100		100
3.	Virendra Kumar Mittal / 5968	5702	570101-570200		100
4.	Naresh Kumar Garg / 7968	15248-15249	1500411-1500610		200
5.	Manubhai Khemchandbhai Patel / 1143	2236-2237	188336-188525		200
		20581	10305558-10305757		200
6.	Lakhmi Devi Damani / 11274	19083	1882576-1882675		100
7.	Sunil Syal / 14882	4554-4556	455301-455600		300
		20883	10330333-10330532		200
	Sunil Syal / 5456	4553	455201-455300		100
8.	Harmeet Kaur Bhatia/14452	4518	450901-451300		100
		5185	518601-518900		100
9.	Jayanthilal J Patel/12577	269	22901-23000		100
		7808	779901-780000		100
		9707-9708	970601-970800		200
		10772-10774	1068739-1069038		300
		10993-10994	1079539-1079838		300
		11359-11360	1114446-1114645		200
		12529-12533	1231023-1231522		500
		12537-12538	1231823-1232022		200
		13581-13582	1335822-1336021		200
		15810	1556011-1556110		100
		17360-17362	1710711-1711010		300
		18898	1864076-1864175		100
		18918	1866076-1866175		100
10.	Kirit A Patel / 12578	12512	1229323-1229422		100
		12514-12515	1229523-1229722		200
		14089	1385925-1386024		100
		12509	1229023-1229122		100
11.	Hemlata Shah/Navin Shah/13708/12913	10102	993801-993900		100
		5311	531001-531100		100
		5314	531301-531400		100
		7685	768401-768500		100
		7686	768501-768600		100
		17437	1718411-1718510		100
		17438	1718511-1718610		100
		17470	1721711-1721810		100
12.	Satish Chandra Bothra/5480	20044	458001-458100		100
13.	Indrani Bothra/5485	20090	10332033-10332132		100
		4587	458601-458700		100
		Total			6,200

Any person(s) who has a claim of lien or interest in the above shares and having any objection to the issue of duplicate share certificates in lieu of the above, is requested to notify the same to the Company's Share Transfer Agent namely Alankit Assignments Limited, 3E/7, Alankit Height Jhandewalan Extension, New Delhi-110055 within 15 days from the date of the notice, indicating the nature of claim or lien or interest of his objection in the said issue of duplicate share certificates through an affidavit otherwise the company will proceed to issue duplicate share certificate without entertaining any claim/damages whatsoever it may be.

For United Drilling Tools Limited
sd
P. K. Ojha
Company Secretary
FCS: 8698

Place: Noida
Date: 03.08.2019

ALLIANCE INTEGRATED METALIKS LIMITED
CIN: L65993DL1985PLC035409
Regd. Off.: D-15 Pamposh Enclave, Greater Kailash-1 New Delhi-110048
Phone: +91-11-45210051,
E-mail: alliance.intgd@rediffmail.com;
Website: www.aiml.in

NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to the Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a meeting of the Board of Directors of the Company scheduled to be held on Monday, 12th day of August, 2019, inter alia, to consider, approve and take on record the Standalone Un-audited Financial Results for the quarter ended June 30, 2019.

The said Notice may be accessed on the Company's website at https://www.aiml.in/ and the website of BSE http://www.bseindia.com/.

For Alliance Integrated Metaliks Limited
Sd/-
Daljit Singh Chahal
Wholetime Director

Place: New Delhi
Date: 02.08.2019

LUMAX ल्युमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज लिमिटेड
पंजी. कार्यालय: द्वितीय तल, इमारत नम्बर-6, कमर्शियल कॉम्पलेक्स, नांगल राया, नई दिल्ली–110046 दूरभाष: 011-46607832
ईमेल: shares@lumaxmail.com;
वेबसाइट: www.lumaxworld.in/lumaxautotech.com;
सीआईएन: L31909DL1981PLC349793

सूचना

सेबी (सूचीबद्ध दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 29 और 47 के प्रावधानों के अनुसार, बोर्ड– बोर्डिंग 30 जून 2019 को समाप्त हुई पहली तिमाही के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन और समेकित अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार और अनुमोदन करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक का आयोजन शनिवार, दिनांक 10 अगस्त, 2019 को किया जाएगा।

यह जानकारी कंपनी की वेबसाइट www.lumaxworld.in/lumaxautotech और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com व बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर उपलब्ध होगी।

प्रतिभूति धारकों द्वारा व्यापार को विनियमित करने, मॉनिटर करने और रिपोर्ट करने के लिए आचार संहिता के उद्देश्य से, 'ट्रेडिंग विंडो' समाप्त करने की अवधि 1 जुलाई, 2019 से बोर्ड मीटिंग के अंत से 48 घंटे तक शुरू हुई है।

कृते ल्युमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज लिमिटेड
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 02.08.2019
अनिल त्यागी
कंपनी सचिव

BRAND REALTY SERVICES LIMITED
Regd. Office: S-8 & S-2, DDA Shopping Complex, Opp. Pocket-I, Mayur Vihar-I, Delhi-110091 Landline: (91)-11-45613885
CIN: L74899DL1995PLC064237
Web: http://www.brandrealty.in
E-Mail:info@brandrealty.in

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, it is hereby informed that a meeting of Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Saturday 10th August, 2019 at 4:00 P.M. at the Registered Office of the Company at S-8 & S-2, DDA Shopping Complex, Opp. Pocket-I, Mayur Vihar-I, Delhi-110091, to consider and approve, inter-alia, the unaudited Standalone Financial Results of the Company for the first quarter ended 30th June, 2019.

The said notice may be accessed on the Company's website www.brandrealty.in and of the Stock Exchange website www.bseindia.com

By Order of the Board
For BRAND REALTY SERVICES LIMITED
Sd/-
Kamal Manchanda
Whole time Director

Date: 2nd August, 2019
Place: Delhi

UFLEX यूफ्लैक्स लिमिटेड
'A part of your daily life'
CIN : L74899DL1988PLC032166
रजिस्टर्ड ऑफिस : 305, तीसरी मंजिल, मानोट टॉवर, पान्धोप एन्क्लेव, ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली-110048, फोन : +91-11-26440917, 26440925, फैक्स : +91-11-26216922
वेबसाइट : www.uflexltd.com, ईमेल : secretarial@uflexltd.com

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि सेबी सर्कुलर SEBI/HO/MIRSD/DOS3/CIR/P/2018/139 दिनांक 06/11/2018 के अंतर्गत अंतरण के लिये अर्जित द्वारा कम्पनी में निम्नलिखित शेयर प्रमाण पत्र दाखिल किये गये है। यदि किसी व्यक्ति का निम्न शेयरों में कोई दावा/ कोई हित हो अथवा यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त अंतरण के प्रति किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो, वे इस सूचना के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर कम्पनी को लिखें/ कम्पनी के पास अपनी आपत्ति भेजें। जिसमें विफल रहने पर यह कम्पनी सेबीटल के अंतरण पर शेयरों के अंतरण का विचार करेगी तथा किसी भी व्यक्ति के लिये किसी भी क्षति, वित्तीय अथवा अन्य के लिये कम्पनी उत्तरदायी नहीं होगी।

फोलियो सं.	प्रमाणपत्र सं.	विशिष्ट सं.	शेयरों की सं.	विक्रेता का नाम	क्रेता का नाम
042416	47550	5383533 - 5383537	5	राम सिंह	सुखचरण सिंह अरोड़ा
	130751	11117709 - 11117738	30		
	130748	11117569 - 11117608	40		
	68293	6911906 - 6911935	30		
	212360	14775356 - 14775405	50		

कृते यूफ्लैक्स लिमिटेड
हस्ता./-
अजय कृष्णा
सदि,

हीरो मोटोकॉर्प, होंडा मोटरसाइकिल की बिक्री 10 फीसद से अधिक गिरी

नई दिल्ली, 2 अगस्त (भाषा)।

नरमी भरे वाहन बाजार में कमजोर मांग की वजह से हीरो मोटोकॉर्प और होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (एचएमएसआइ) की बिक्री में पिछले महीने 10 फीसद से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। देश की सबसे बड़ी दुपहिया वाहन निर्माता कंपनी हीरो मोटोकॉर्प की बिक्री जुलाई में 21.18 फीसद गिरकर 5,35,810 वाहनों पर आ गयी। कंपनी ने पिछले साल के इसी महीने में 6,79,862 वाहनों की बिक्री की थी।

हीरो मोटोकॉर्प ने बयान में कहा- पहली तिमाही की नरमी दूसरी तिमाही में भी जारी रही और इसका प्रभाव कंपनी की बिक्री के आंकड़ों पर देखने को मिला। उसने कहा कि आगे का परिदृश्य कई चीजों पर निर्भर करेगा। इनमें मानसून की प्रगति, त्योहारी मौसम में बिक्री की स्थिति और नकदी की स्थिति आदि शामिल होंगे। इसी तरह एचएमएसआई की बिक्री पिछले महीने 10.77 फीसद घटकर 4,89,631 इकाइयों पर रही। कंपनी ने जुलाई, 2018 में 5,48,751 इकाइयों की बिक्री की थी।

रॉयल इनफील्ड ने पिछले महीने 22 फीसद की गिरावट के साथ 54,185 मोटरसाइकिलों की बिक्री की। एक साल पहले जुलाई में कंपनी ने 69,063 मोटरसाइकिलों की बिक्री की थी। बजाज ऑटो की घरेलू बिक्री पिछले साल के 2,37,511 वाहनों की तुलना में 13 फीसद गिरकर 2,05,470 दोपहिया वाहन रही।

नरमी अस्थायी, संपत्तियों की बढ़ रही है मांग : पारेख

मुंबई, 2 अगस्त (भाषा)।

एचडीएफसी के चेयरमैन दीपक पारेख ने भरोसा जताया कि कम खपत के कारण आई नरमी की प्रकृति अस्थायी है क्योंकि देश भर में संपत्तियों की मांग पर्याप्त है। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में साफ तौर पर नरमी है। यह 2018-19 में 6.8 फीसद की कम जीडीपी वृद्धि दर से साफ झलकती है।

पारेख ने बैंक की 42वीं सालाना आम बैठक में कहा कि खपत में व्यापक तौर पर नरमी है, अर्थव्यस्था में निहित मांग और उसके बढ़ने की संभावना को देखते हुए मुझे भरोसा है कि यह नरमी अस्थायी प्रकृति की है। उन्होंने कहा कि देश भर में सस्ते मकान की पर्याप्त मांग बनी हुई है।

श्रम क्षेत्र के महत्त्वपूर्ण विधेयक मजदूरी संहिता 2019 को मंजूरी

नई दिल्ली, 2 अगस्त (भाषा)।

संसद ने शुक्रवार को असंगठित क्षेत्र सहित देश भर के कामगारों को न्यूनतम मजदूरी के दायरे में लाने एवं मजदूरी के मामले में महिला-पुरुषों के बीच भेदभाव को समाप्त करने के प्रावधानों वाले एक महत्त्वपूर्ण विधेयक को मंजूरी दे दी। राज्यसभा ने इन महत्त्वपूर्ण प्रावधानों वाले मजदूरी संहिता 2019 को आठ के मुकाबले 85 मतों से पारित कर दिया। उच्च सदन ने विधेयक पर लाए गए विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को ध्वनिमत से खारिज कर दिया। लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है।

इससे पहले उच्च सदन में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए श्रम कल्याण मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि इस विधेयक के जरिए ऐसा पहली बार हो रहा है कि देश के असंगठित क्षेत्र के 40 करोड़ कामगारों को न्यूनतम मजदूरी के दायरे में लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अभी कई राज्यों में न्यूनतम मजदूरी को लेकर एक समानता नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस विधेयक के जरिए न्यूनतम मजदूरी की राशि तय नहीं की गई है। इसे संबंधित समिति तय करेगी। उन्होंने कहा कि विधेयक में न्यूनतम मजदूरी की राशि की पांच साल में समीक्षा का प्रावधान किया गया है किंतु राज्य सरकारें चाहें तो इससे पहले भी यह समीक्षा कर सकती हैं।

गंगवार ने कहा कि श्रम मामलों की स्थायी समिति ने भी विधेयक पर लगभग एक साल तक विचार करने के बाद इस पर कुल 24 सिफारिशें दी थीं, इनमें से 17 को विधेयक में शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि संगठित क्षेत्र के लोगों को निर्धारित पारिश्रमिक के दायरे में लाना आसान है, लेकिन असंगठित क्षेत्र को इस दायरे में लाना सोच से भी आगे की बात है। उन्होंने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार के तहत एक नई सुबह की शुरुआत हो चुकी है।

विधेयक के उद्देश्यों में बताया गया है कि यह निवेशकों की सहूलियत और आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए निवेश को आकर्षित करने में मदद करेगा। ये चार संहिताएं वेतन, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक सुरक्षा एवं कल्याण और औद्योगिक संबंध से जुड़ी हैं। मजदूरी संहिता सभी कर्मचारियों के लिए क्षेत्र और वेतन सीमा पर ध्यान दिए बिना सभी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन और वेतन के समय पर भुगतान को सार्वभौमिक बनाता है।

वर्तमान में न्यूनतम वेतन अधिनियम और वेतन का भुगतान अधिनियम दोनों को एक विशेष वेतन सीमा से कम और अनुसूचित रोजगारों में नियोजित कामगारों पर ही लागू करने के प्रावधान हैं। इस विधेयक से हर कामगार के लिए भरण-पोषण का अधिकार सुनिश्चित होगा।

इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि हर कामगार को न्यूनतम वेतन मिले, जिससे कामगार की क्रय शक्ति बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था में प्रगति को बढ़ावा मिलेगा। न्यूनतम जीवन यापन की स्थितियों के आधार पर गणना किए जाने वाले वैधानिक स्तर वेतन की शुरूआत से देश में गुणवत्तापूर्ण जीवन स्तर को बढ़ावा मिलेगा और लगभग 50 करोड़ कामगार इससे लाभान्वित होंगे। इस विधेयक में राज्यों द्वारा कामगारों को डिजिटल मोड से वेतन के भुगतान को अधिसूचित करने का प्रावधान है।

शेयर बाजार में गिरावट थमी, सूचकांक सौ अंक चढ़ा

मुंबई, 2 अगस्त (भाषा)।

बंबई शेयर बाजार का सूचकांक शुक्रवार को शुरुआती गिरावट से उबरते हुए करीब 100 अंक की तेजी के साथ बंद हुआ। वाहन, आइटी और वित्तीय कंपनियों के शेयरों की अगुआई में यह तेजी आई। हालांकि, अमेरिका की चीन से किए जाने वाले आयात पर नए सिरे से शुल्क लगाने की घोषणा से वैश्विक बाजारों में गिरावट दर्ज की गई। प्रधानमंत्री कार्यालय और वित्त मंत्रालय के बीच विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों पर कर अधिभार के मुद्दे पर बातचीत की रिपोर्ट सामने आने के बाद बाजार धारणा को कुछ बल मिला।

तीस शेयरों वाला बीएसइ सूचकांक 99.90 अंक यानी 0.27 फीसद की तेजी के साथ 37,118.22 अंक पर बंद हुआ। इसी प्रकार नेशनल स्टाक एक्सचेंज का निफ्टी 17.35 अंक यानी 0.16 फीसद बढ़कर 10,997.35 अंक पर पहुंच गया। साप्ताहिक आधार पर सूचकांक 764.57 यानी 2.01 फीसद नीचे रहा है, जबकि एनएसइ निफ्टी 286.95 अंक यानी 2.54 फीसद टूटा है। आवास ऋण देने वाली कंपनी एचडीएफसी का शेयर 1.75 फीसद बढ़ गया। कंपनी का एकल आधार पर शुद्ध लाभ 46 फीसद बढ़कर 3,203.10 करोड़ रुपए रहा। इससे उसके शेयर में तेजी आई।

लाभ में रहने वाले अन्य शेयरों में भारती एअरटेल में सर्वाधिक 6.02 फीसद की तेजी आई। इसके अलावा एशियन पेंट्स, बजाज ऑटो, मारुति, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टेक महिंद्रा, हीरो मोटो कॉर्प, टीसीएस, एल एंड टी और टाटा मोटर्स में तेजी दर्ज की गई। वहीं दूसरी तरफ भारतीय स्टेट बैंक में सर्वाधिक2.76 फीसद की गिरावट रही। इसके अलावा टाटा स्टील, एनटीपीसी, ओएनजीसी, पावर ग्रिड, वेदांता, आइसीआइसीआइ बैंक व आइटीसी नुकसान में रहे।

ईंधन कंपनियों को वित्तपोषण पाने में नहीं हो रही कोई दिक्कत : प्रधान

नई दिल्ली, 2 अगस्त (भाषा)।

केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय ईंधन कंपनियों को वित्तपोषण पाने में किसी तरह की चुनौती का सामना नहीं करना पड़ रहा है। ऐसी खबरें हैं कि नॉर्वे के सरकारी पेंशन कोष समेत कुछ स्वायत्त कोषों ने जीवाश्म ईंधन से संबंधित परियोजनाओं और कंपनियों में निवेश नहीं करने का निर्णय लिया है।

प्रधान ने बीएनईएफ शिखर सम्मेलन में यहां कहा- कहीं कोई चुनौती नहीं है। मैंने अपने संबोधन में कहा है कि पेंशन कोष एवं अन्य कोष इच्छुक हैं। उन्होंने वित्तपोषण पाने में भारतीय ईंधन कंपनियों को हो रही दिक्कत को लेकर पूछे जाने पर यह कहा। प्रधान ने कहा- भारत का बढ़ता ईंधन क्षेत्र विदेशी निवेशकों के लिए आकर्षक है। इस क्षेत्र को पश्चिमी देशों, एशियाई देशों और पश्चिम एशियाई देशों के स्वायत्त कोषों, पेंशन कोषों और दीर्घकालिक रणनीति निवेशकों ने लगातार निवेश मिलता रहा है। उन्होंने कहा कि अगले आठ साल में गैस के बुनियादी संरचना क्षेत्र में देश को 7.5 करोड़ डॉलर से अधिक का निवेश मिलने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि भारत इस साल तीन हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा और निकट भविष्य में पांच हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य है।

चाय उद्योग के पुनरुद्धार की अपील

भारतीय चाय संघ ने सरकार से दखल देकर चाय उद्योग के पुनरुद्धार की अपील की है।

आइटीए ने गुरुवार को सरकार से तीन साल के लिए चाय बागान श्रमिकों का भविष्य निधि में जाने वाले हिस्से का योगदान करने सहित कई अन्य अनुरोध किए। (भाषा)

दिल्ली जल बोर्ड: रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार

कार्यालय: कार्यपालक अभियंता (दक्षिण) II
जल सदन, लाजपत नगर, नई दिल्ली

एनआईटी सं. 15/एस-II/2019-20
प्रेस निविदा

क्रम सं.	कार्य का विवरण	आरक्षित मूल्य	ई-प्रापण सॉल्यूशन के माध्यम से निविदा जारी की तिथि	ई-प्रापण सॉल्यूशन के माध्यम से डाउनलोड एवं आरटीजीएस की अंतिम तिथि/समय
1.	ईई(एस) II (एसी-42, कस्तूरबा नगर) के अंतर्गत गढ़ी गाँव, मैन मार्केट की पुरानी क्षतिग्रस्त मैन सीवर लाइन का विस्थापन। (पुनर्आमंत्रित)	3782252/-	2019_DJB_177493_1 1.8.2019	17.8.2019 के 2.00 बजे अप. तक
2.	ईई(एस) II (एसी-42, कस्तूरबा नगर) के अंतर्गत ललित कला अकादमी कैम्पस से ईस्ट ऑफ कैलाश के सामने नाला तक मैन रोड तक सीवर लाइन का विस्थापन/शिफ्टिंग (पुनर्आमंत्रित)	3253464/-	2019_DJB_177493_1 1.8.2019	17.8.2019 के 2.00 बजे अप. तक
3.	ईई(एस) II (एसी-42, कस्तूरबा नगर) के अंतर्गत आउटफाल सीवर लाइन की पी/एल द्वारा फ्लाई ओवर मार्केट (जंगपुरा एक्स्टेंशन साइड) की सीवरेज प्रणाली का ट्रैपिंग।	3503940/-	2019_DJB_177493_1 1.8.2019	17.8.2019 के 2.00 बजे अप. तक

इस संदर्भ में अधिक विवरण वेबसाईट https://govtprocurement.delhi.gov.in पर देखें।
पी.आर.ओ. (जल) द्वारा जारी
विज्ञा. सं. जे.एस.वी. 2019-20/233
हस्ता./-
कार्यपालक अभियंता (दक्षिण) II

यूको बैंक UCO BANK

31/32, आशा राम रोड, जी.टी.रोड, शाहदरा, दिल्ली-110032, फोन नं. 011-22122420

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिये)

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत यूको बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 7.5.2019 जारी कर श्री अजय सिंह एवं सविता सिंह ऋणधारक को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 368603 (रुपए तीन लाख अड़सठ हजार छः सौ तीन मात्र) तथा उस पर ब्याज वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक/गारन्टर इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक/गारन्टरों तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज की तिथि को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 368603/- तथा अन्य विविध खर्चे के साथ उस पर ब्याज के लिये यूको बैंक, शाहदरा शाखा के चार्ज के अधीन होगा।

अचल सम्पत्ति का विवरण

सम्पत्ति सं. जी-1, भू तल, प्लॉट नं. 103, ब्लॉक बी, शालीमार गार्डन एक्स्टे. II, ग्राम पसोण्डा, परगणा-लोनी, जिला गाजियाबाद में।

तिथि: 30.07.2019, स्थान: दिल्ली
प्राधिकृत अधिकारी, यूको बैंक

कार्यालय वसूली अधिकारी-II ऋण वसूली अधिकरण-III, दिल्ली

चौथी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, पटेल चौक, नई दिल्ली - 110 001

आर. सी. सं. 355/2018 दिनांकित : 11.07.2019

बिक्री की उद्घोषणा आयकर अधिनियम 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 38, 52(2) के अन्तर्गत को बैंक और वित्तीय संस्थान अधिनियम 1993 की ऋण वसूली के साथ पढ़ा जावे।

ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स बनाम मैसर्स सुपर गोल्ड पाईप्स् प्रा. लि. एवं अन्य

सेवा में

सीडी नं. 1 मैसर्स सुपर गोल्ड पाईप्स प्रा. लि., 44-कोएम स्टोन, दिल्ली रोहतक रोड, गाँव रोहाड़, बहादुरगढ़, जिला झज्जर- 124507 (हरियाणा), और: 107, प्रथम तल, सीएचबीसी, साइट- II, पश्चिम विहार, नई दिल्ली - 110041, और परिवहन परिसर, मेन रोहतक रोड, टिकरी कलां, दिल्ली-110041

सीडी नं. 2. श्री कैलाश गुप्ता - निदेशक, मैसर्स सुपर गोल्ड पाईप्स प्रा. लि., मकान नं. 7/45, गली नं. 2, मॉडल टाउन, बहादुरगढ़, हरियाणा -124507

सीडी नं. 3. श्री प्रमोद गुप्ता - निदेशक, मैसर्स सुपर गोल्ड पाईप्स प्रा. लि., मकान नं. 7/45, गली नं. 2, मॉडल टाउन, बहादुरगढ़, हरियाणा -124507

जैसा कि आपने पैठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण-III, दिल्ली द्वारा की ए नं. 668/2015/डीआरटी-II/दिल्ली ऋणवसूली प्रमाणपत्र के संबंध में आपके / उनके द्वारा देय शेष रु. 14,84,34,354.61 अर्थात रु. 12,74,72,796.77 और रु. 2,09,61,557.84 और साथ में ब्याज एवं खर्चे इत्यादि सहित प्रमाणपत्र के अनुसार भुगतान नहीं किया गया है।

और जैसा कि अधोहस्ताक्षरी ने इस प्रमाणपत्र की वसूली हेतु निम्नानुसार अनुसूची में वर्णित सम्पत्ति की बिक्री का आदेश दिया है।

और जैसा कि रु. 14,84,34,354.61 अर्थात रु. 12,74,72,796.77 और रु. 2,09,61,557.84 तथा खर्चे व मांगे व का ब्याज ओए की फाईलिंग की तिथि से अर्थात 01.10.2015 से वसूली की तिथि तक प्रभावी @12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज इत्यादि सहित कर्जदारों द्वारा देय होगा।

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कोई स्थगन के किसी आदेश के अभाव में उक्त सम्पत्ति को सार्वजनिक नीलामी द्वारा 13.09.2019 को अपरा. 03.00 बजे से अपरा. 04.00 बजे के बीच ई-नीलामी तथा बोली प्रक्रिया होगी जो मैसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज प्रा. लि., (ABC Procure) ए-201/208, बील स्ट्रीट-II, ओरियंट क्लब के सामने, गुजरात कॉलेज के पास, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद-380006, गुजरात इण्डिया की वेबसाईट: http://dlt.auctiontiger.net फोन नं. +91 079 40016800, फैक्स नं. +91 79400 16876 के माध्यम से सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेची जाएगी। बिक्री सूचना के लिए श्री नितिन झा, मोबाइल नंबर 07982680303, ई-मेल : delhi@auctiontiger.net से सम्पर्क करें।

संपत्ति से संबंधित किसी भी जानकारी और निरीक्षण के मामले में, इच्छुक बोलीदाता सीएच बैंक के ऑफिसर, श्री प्रदीप कुमार यादव, मो. : 8692906665 या वसूली के सहायक श्री पवन कुमार से सम्पर्क करने की सलाह दी जाती है।

सम्पत्ति बिक्री के लिए अनुसूची में विनिर्दिष्ट लॉट पर की जाएगी, यदि सम्पत्ति के भाग की बिक्री की राशि सम्पूर्ण देय राशि के संतुष्टि लायक होगी तो शेष के संबंध में बिक्री को तुरन्त रोक दी जायेगी। बिक्री तब भी रोक दी जायेगी यदि इससे पहले किसी लॉट की बोली छूट जाती है, कथित प्रमाणपत्र में अंकित कार्यवाही, ब्याज लागत (जिसमें बिक्री की लागत शामिल है) बिक्री संचालित करने वाले अधिकारी को देय दी जाती है / प्रस्तुत की जाती है या इस आशय का प्रमाण दिया जाता है कि ब्याज या लागत के साथ ऐसे प्रमाणपत्र की राशि का भुगतान अधोहस्ताक्षरी को कर दिया गया है।

बिक्री से संबंधित कोई अधिकारी या अन्य व्यक्ति निविदा के लिए प्रस्ताव या अप्रत्यक्ष रूप से सम्पत्ति की बिक्री के लिए बोली, सम्पत्ति में किसी हित के अधिग्रहण लेकर अधिग्रहण का प्रयास नहीं करेगा। आयकर अधिनियम 1961 के द्वितीय अनुसूची के शर्तों एवं उसके नियमों के तहत तथा निम्न शर्तों के अनुरूप ही बिक्री की जाएगी।

बिक्री उद्घोषणा की अनुसूची में उल्लेखित विवरण को अधोहस्ताक्षरी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार दर्शाया गया है, परन्तु अधोहस्ताक्षरी किसी त्रुटि, गलत कथन वाली अथवा उद्घोषणा में चूक होने पर जिम्मेदारी नहीं होगी।

1 आरक्षित मूल्य रु. 1,07,00,000/- (रु. एक करोड़ सात लाख मात्र) के नीचे सम्पत्ति नहीं बेची जाएगी

2 बोली, कम से कम रु. 1,00,000/- (रु. एक लाख मात्र) बढ़ाई जा सकेगी। बोली अथवा बोलीदाता के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में लॉट की नीलामी दोबारा की जाएगी।

3 किसी लॉट के उच्चतम बोलीदाता को क्रेता घोषित किया जाएगा। उच्चतम बोली को अस्वीकार करना अधोहस्ताक्षरी का विवेकाधिकार होगा, यदि पेश की गई बोलियां उसको स्वीकार किए जाने हेतु स्पष्ट रूप से अपर्याप्त प्रतीत होती है।

4 धरोहर राशि रु. 10,70,000/- (रु. दस लाख सत्तर हजार मात्र) जमा करने हेतु पे आर्डर/डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जो कि "Recovery Officer-II, DRT-II, Delhi के पक्ष में दिल्ली में देयकारी हो को वसूली अधिकारी - II, डीआरटी - III, दिल्ली को दिनांक 11.09.2019 तक देनी होगी। धरोहर राशि इसके पश्चात नीलामी के लिए स्वीकार नहीं की जायेगी।

5. पैन कार्ड की प्रति, पते का प्रमाण तथा पहचान प्रमाण, ई-मेल आई डी, मोबाइल नम्बर और इस आशय की उद्घोषणा कि वे स्वयं की ओर से या अपने स्वामी की ओर से बोली लगा रहे है, जमा करनी होगी। स्वामी की ओर से बोली लगाने वाले मामले में बोली लगाने वाले को अपना प्राधिकार पत्र जमा करना होगा अन्यथा बोली अस्वीकार कर दी जाएगी। कम्पनी के मामले में कम्पनी के बोर्ड सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव की कम्पनी प्रति या कम्पनी के अटार्नी/प्रतिनिधित्व को पुष्ट करने वाले अन्य कोई आवेदन तथा ऐसी जमा रसीद/कवरिंग फाइल कथित तिथि तक ई-मेल या अन्यथा द्वारा कथित सेल प्रदाता या सी एम बैंक तक पहुंच जानी चाहिए और इसकी हार्ड कॉपी (ओरिजनल) वसूली अधिकारी-II, डीआरटी-III, दिल्ली के कार्यालय में जमा कराना होगा।

6. सफल बोलीदाता को अपनी अंतिम बोली का 25 प्रतिशत राशि, ईएमडी समायोजन के बाद, अगले बैंक कार्य दिवस को अर्थात अप. 03.00 बजे तक ऊपर पैरा 4 में निर्धारित विधि में जमा करनी होगी।

7. क्रेता को अंतिम बोली की 75 प्रतिशत राशि सम्पत्ति की बिक्री की तिथि से 15 दिन के अथवा पूर्व जमा करनी होगी। यदि 15वां दिन रविवार या अवकाश है, तब 15वें दिन के बाद पहले बैंक कार्य दिवस को ऊपर पैरा 4 में निर्धारित विधि में जमा करनी होगी। इसके अतिरिक्त क्रेता को रु. 1,000/- तक बिक्री मूल्य के 2 प्रतिशत की दर पर तथा रु. 1,000/- से अधिक पर बिक्री मूल्य के 1 प्रतिशत की दर पर पासपोर्ट फीस रजिस्ट्रार, डीआरटी-III, दिल्ली के पक्ष में पेय डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा वसूली अधिकारी-II, डीआरटी-III, दिल्ली के पास जमा करना होगा।

8. निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान में चूक की स्थिति में सम्पत्ति की बिक्री नए सिरे से की जाएगी। ऐसी बिक्री से पहले उसकी नई उद्घोषणा जारी की जाएगी। बोलीदाता द्वारा पहले जमा की गई राशि, यदि अधोहस्ताक्षरी द्वारा उपयुक्त समझा जाता है, बिक्री के व्यय काटने के बाद, सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी और चूककर्ता क्रेता के, सम्पत्ति अथवा उसके किसी अंश अथवा सम्पत्ति की पुनर्बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि के किसी अंश के संबंध में, सभी दावे जब्त हो जाएंगे।

9. असफल बोलीदाता/ओं को अपने ईएमडी के रिफंड के लिए आरसी की सुनवाई की अनुसूची तिथि पर या उससे पहले डीआरटी-III की रजिस्ट्री में पहचान प्रमाण के साथ एक आवेदन दायर करने के लिए निर्देशित किया जाता है जिसे तदनुसार आरसी अनुसूची / सुनवाई की तारीख के बाद वापस किया जाएगा।

10 वसूली अधिकारी के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने या बिक्री प्रस्थगित या निरस्त करने का पूर्ण अधिकार है।

11. सीएच बैंक को वर्णित सम्पत्ति को प्रमाणित और उसकी सच्चाई के बारे में सत्यापित करने के लिए निर्देशित किया गया है।

12. सम्पत्ति की बिक्री "जैसा है जहां है तथा जो है जैसा है आधार" पर की जा रही है।

13. अधोहस्ताक्षरी के पास, किसी भी या सभी बोलियों को, अनुचयुक्त पाए जाने पर, स्वीकार या अस्वीकार करने अथवा किसी भी समय, बिना कोई कारण बताए, नीलामी प्रस्थगित करने का अधिकार सुरक्षित है।

सम्पत्तियों की अनुसूची

क्र. सं	अन्य सह मालिकों के नाम के सहित, बेची जाने वाली सम्पत्ति का विवरण, जहां सम्बन्धित सम्पत्ति किराएदार या जो किसी अन्य व्यक्ति के सह-स्वामित्व में है।	सम्पत्ति या उसके किसी भाग पर रजत जिसका मूल्यांकन किया गया है	किसी भी प्रकार के भार का विवरण जिसके लिए सम्पत्ति उत्तरदायी है	विवाद अगर कोई है जो कि सम्पत्ति के सम्बंध में आगे आया है एवं अन्य कोई ज्ञात विशेषताएं जोकि इसके मूल्य एवं प्रकृति प्रभाव रखता है।
1	सम्पत्ति अर्थात भूमि तोकाख 12 कनाल 16 मरला, खेवट नं. 14/14, खतौनी नं. 20, खाता नं. 13/14(2/4-10) मार्फ, 15/2(3-2) मार्फ, 16/2(3-8) मार्फ, 24(6-3) मार्फ, 25/1(2-17) मार्फ, 17 Min (3-8) मार्फ-कुल भूमि तोकाख 22 कनाल 8 मरला का 4/7 हिस्सा और भूमि तोकाख 4 कनाल 0 मरला खेवट नं. 14/14, खतौनी नं 21 खाता नं. 13/17 मिन (4-0) मार्फ — कुल तोकाख 16 कनाल 16 मरला जोकि गौर सिटी 12 के रेजीडेंट इस्टेट में, तहसील बहादुरगढ़, जिला झज्जर, हरियाणा में स्थित	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

मेरे हस्ताक्षर तथा मोहर के साथ आज दिनांक 11 जुलाई, 2019 को दिया गया।
(विकास जेटली) वसूली अधिकारी-II, ऋणवसूली अधिकरण-III, दिल्ली

SBI

सस्टेनेबिलिटी विंग, कॉर्पोरेट सेंटर, स्टेट बैंक भवन, वीं मंजिल, मादाम कामा रोड, मुंबई - 400 021.

प्रस्ताव हेतु अनुरोध

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए बैंक की सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने के लिए कंसलटेंट के रूप में संबद्धता हेतु इच्छुक पार्टियों से आवेदन आमंत्रित करता है. कार्य की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रतिष्ठित फर्मों/कंपनियों से 23.08.2019 को शाम 5.30 बजे तक (भारतीय मानक समय) प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए, इच्छुक पार्टियां हमारी वेबसाइट https://www.sbi.co.in या https://bank.sbi पर विजिट कर सकती हैं.

स्थान: मुंबई
दिनांक: 03.08.2019
हस्ताक्षर
उप महाप्रबंधक
(सस्टेनेबिलिटी)

इलाहाबाद बैंक ALLAHABAD BANK

A tradition of trust

प्रधान कार्यालय : 2, एन. एस. रोड, कोलकाता-700 001

बाह्य लेखापरीक्षकों की सूचीबद्धता

सनदी लेखाकार फर्मों और इलाहाबाद बैंक के सेवानिवृत्त बैंक अधिकारियों से वित्तीय वर्ष 2019-20 (01.10.2019 से 30.09.2020) हेतु समवर्ती (कंकरेन्ट)/ राजस्व लेखापरीक्षकों के रूप में सूचीबद्धता के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पूर्ण विवरण हेतु कृपया हमारी वेबसाइट www.allahabadbank.in देखें।

उप महाप्रबंधक (निरीक्षण)

Bank of Maharashtra

प्रधान कार्यालय : 'लोकमंगल', 1501, शिवाजीनगर, पुणे-411005

प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी)

एएक्स1/आईटी/आरएफपी052019/एचआरएमएस

बैंक ऑफ महाराष्ट्र समन्वित मानव संसाधन प्रबंधन सिस्टम की अभ्युक्ति, कस्टमाइजेशन, डिप्लॉयमेंट, रखरखाव और सहयोग के लिए पात्र प्रतिष्ठित सेवा प्रदाताओं से प्रस्ताव आमंत्रित करता है। निविदा दस्तावेज और ब्यौरे बैंक की वेबसाइट https://www.bankofmaharashtra.in के निविदा खंड में उपलब्ध हैं। बिना कारण बताए आरएफपी प्रक्रिया को निरस्त या पुनर्निर्धारित करने का अधिकार बैंक के पास सुरक्षित है।

उप महाप्रबंधक, सूचना प्रौद्योगिकी

एम एस टी सी लिमिटेड MSTC LIMITED

(भारत सरकार का उपक्रम) (A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE)

जीवन विकास बिल्डिंग, 30/31ए, आसफ अली रोड, नई दिल्ली-110002
फोन नं. : 23214201, 23213945, फैक्स : 23216713

ई-नीलामी प्रोग्राम

इंडस टॉवर, दिल्ली, लखनऊ एवं हापुड़ की ओर से एमएसटीसी द्वारा डीजी 10 केवीए, 15 केवीए -, 25 केवीए, 40 केवीए -, रेक्टिफायर मॉड्यूल, एसी, सर्वो, शेल्टर पैनल, एमएस स्क्रैप, पीआईयू, आदि के डिस्पोजल हेतु ई-नीलामी संख्या - 13555, 13549, 13561 द्वारा 06.08.2019 को ई-ऑक्शन आयोजित किया जाएगा।

विस्तृत जानकारी www.mstcecommerce.com एवं www.mstcindia.co.in देखें।

ई-निविदा आमंत्रण सूचना

कार्यकारी अभियंता, ई-4, डीयूएसआईबी, राणा प्रताप बाग दिल्ली-110007, दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड की ओर से निम्नलिखित कार्य हेतु टू-बिड सिस्टम में दर हेतु बोलियां (ऑनलाइन) आमंत्रित की जाती हैं:

एनआईटी नं: 10/ ईई/ई-4/ डीयूएसआईबी/2019-20
निविदा सूचना: 2019_डीयूएसआईबी_177440_1
कार्य का नाम: रैन बसेरा का निर्माण व प्रबंधन।
उप शीर्षक: दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में डीयूएसआईबी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले विभिन्न रैन बसेरों हेतु 1910x920x490 मिमी (लxचौxउ) आकार वाले जिसके सरहाने 385 मिमी ऊंचाई वाले हों, और 12 मिनी मोटाई वाली अग्निरोधी प्लाईवुड बेस की चारपाई की आपूर्ति।
अनुमानित लागत: मद का मूल्य
अग्रिम राशि: रु. 4,50,000.00 रुपये
निविदा लागत: रु. 1500.00
पूरा होने की अवधि: 180 दिन
ई-बिड जमा करने की अंतिम तिथि व समय: 20.08.2019 सायं 3.30 बजे तक
खोलने की तिथि: 20.08.2019 सायं 3.30 बजे

बिड के प्रपत्र व अन्य विवरण वेबसाईट https://eprocurement.delhi.gov.in से डाउनलोड किये जा सकते हैं।

* सभी बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है निविदा से संबंधित किसी भी अद्यतन जानकारी/ शुद्धि पत्र के लिये उपर्युक्त वेबसाइट नियमित रूप से देखते रहें। इसके लिए प्रेस में विज्ञापन नहीं किया जाएगा।

हस्ता./-
कार्यकारी अभियन्ता
ई-4, डीयूएसआईबी

DIP/Shabdarth/0482/19-20

उत्तरी दिल्ली नगर निगम

कार्यालय अधि. अभियन्ता (एम-I) नरेला

जोनल कार्यालय, नरेला, दिल्ली-110040

निविदा आमंत्रण सूचना

सं. : ईई/एम-I/नरेला/2019-2020/6 दिनांक : 31.07.2019

निविदा प्रपत्र खरीदना डाउनलोड करना शुरू होने की तिथि : 31.07.2019 को 17.30 बजे
निविदा प्रपत्र ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि : 20.08.2019 को दोपहर 12.00 बजे तक
वित्तीय बोली खुलने की तिथि : 23.08.2019 को दोपहर 12.30 बजे तक

ऑनलाइन टेंडरिंग टाइम टेबल के लिए कृपया http://www.tenderwizard.com देखें। उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा निम्नलिखित कार्यों के निष्पादन हेतु समान क्षेत्र में अनुभव रखने वाले पात्र पंजीकृत ठेकेदारों से मोहरबन्द प्रतिशत दर निविदाएँ आमंत्रित की जाती है तथा टाइम टेबल के अनुसार प्राप्त की जायेगी एवं ईई (एम-I)/नरेला जोनल सिविलिंग, नरेला जोन, दिल्ली-110040 के कार्यालय में 23.08.2019 को दोपहर 12.30 बजे एमसीडी ई-टेंडरिंग द्वारा वेबसाइट http://www.tenderwizard.com पर खोली जायेगी। पात्र ठेकेदार अपनी दरें दे सकते है बशर्ते कि ई-टेंडरिंग प्रक्रिया के माध्यम से अपनी निविदाएँ जमा करने के समय वे न तो ब्लैक लिस्टेड हो और न ही प्रतिबन्धित हों।

| क्र. सं. | कार्य का नाम | निविदा संख्या | निविदा राशि (रु.) | ई.ए

गैर जरूरी 58 अप्रचलित कानून होंगे खत्म

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 अगस्त।

संसद ने पुराने पड़ चुके 58 अप्रचलित कानूनों को समाप्त करने के प्रावधान वाले एक अहम विधेयक को शुक्रवार को मंजूरी प्रदान कर दी। इन कानूनों में कुछ कानून डेढ़ सौ साल से भी ज्यादा पुराने हैं। राज्यसभा ने निरसन और संशोधन विधेयक 2019 को संक्षिप्त चर्चा के बाद ध्वनिमत से मंजूरी प्रदान कर दी। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है।

चर्चा में ज्यादातर सदस्यों ने इसका स्वागत किया और सुझाव दिया कि मूल विधेयक में ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि कानून का प्रयोजन समाप्त होने के बाद वह खुद ही समाप्त हो जाए। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने विधेयक की चर्चा करते हुए कहा कि इस विधेयक के जरिए पुराने पड़ चुके कानूनों को समाप्त किया जा रहा है। जिनकी प्रासंगिकता खत्म हो चुकी है। उन्होंने कहा कि ऐसे कानूनों की समीक्षा के लिए एक मजबूत तंत्र की आवश्यकता है।

कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार दो प्रकार के कानूनों को समाप्त कर रही है। इनमें मूल कानून और संशोधित कानून शामिल हैं। संशोधित कानून भी अपने आप समाप्त नहीं होते। उन्होंने भारतीय दंड संहिता, 1860 की चर्चा करते हुए कहा कि इसमें समय-समय पर जरूरी संशोधन किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश के बाद सरकार ने फैसला किया था कि अप्रासंगिक हो चुके कानूनों को समाप्त किया जाएगा। इसके लिए दो लोगों की समिति बनाई गई थी। समिति ने 1824 कानूनों की पहचान की थी और अब तक 1428 कानून वापस लिए जा चुके हैं। यह एक सतत प्रक्रिया है। पुराने वित्त विधेयकों को भी समाप्त किया जाना है और इसके लिए वित्त मंत्रालय से चर्चा चल रही है।

चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा के भूपेंद्र यादव ने विधेयक का समर्थन किया और कहा कि विधेयक संसद में ही आते हैं और उनमें ही ऐसा जिक्र होना चाहिए कि उनका प्रयोजन समाप्त होते ही वे स्वतः समाप्त हो जाएं। मृतप्राय कानूनों को समाप्त करने के लिए सरकार को कोई प्रक्रिया अपनानी चाहिए। कांग्रेस की अमी याज्ञनिक ने विधेयक का स्वागत करते हुए कहा कि कानून का प्रयोजन पूरा हो जाने पर उन्हें वापस लेना उचित है।

मुंबई में दीवार गिरने से एक की मौत, एक घायल

मुंबई, 2 अगस्त (भाषा)। उपनगरीय साकीनाका के चांदीवली फार्म की एक चॉल (किराएदारों के लिए रहने वाले पुराने समय के कमरे) में शुक्रवार को दीवार गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल हो गया। निकाय अधिकारी ने यह जानकारी दी।

BRILLIANT PORTFOLIOS LIMITED
Regd. Office: S-69, 412, ITL Twin Tower, Netaji Subhash Place, Pitampura, New Delhi-110008
Tel.: 011-49696963 | Email: brilliantportfolios@gmail.com
CIN: L74899DL1994PLC057507

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 & 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a meeting of Board of Directors of the Company is scheduled to be held on **Monday, August 12th 2019 at 11:00 a.m.** at its registered office, inter-alia to consider, approve and take on records the Unaudited financial results of the company for the Quarter ended on **30th June, 2019.**

The information contained in the Notice is available on the website of the Company- www.brilliantportfolios.com and on the website of BSE-www.bseindia.com

For **Brilliant Portfolios Limited**
Sd/-
Ashish
Company Secretary & Compliance Officer

Place: New Delhi
Date: 02/08/2019

सीतापुर जेलकर्मियों का रिश्वत लेते वीडियो वायरल

लखनऊ, 2 अगस्त (भाषा)।

सीतापुर जेलकर्मियों द्वारा कथित तौर पर रिश्वत लेने के मामले का एक वीडियो वायरल होने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने शुक्रवार को इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं। इस जेल में उन्नाव के बलात्कार आरोपी कुलदीप सेंगर बंद हैं।

पुलिस महानिदेशक (जेल) आनंद कुमार ने बताया कि मैंने वीडियो नहीं देखा है, लेकिन यह बात मेरे संज्ञान में आई है। हम मामले की जांच करवाएंगे और कड़ी कार्रवाई होगी। अगर कोई पुलिसकर्मी ऐसा करता पाया जाएगा तो उसे बर्खास्त किया जाएगा। सीतापुर जेल के बाहर का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें कुर्ता पायजामा पहने एक व्यक्ति बाहर आ रहा है और एक पुलिसकर्मी को कुछ दे रहा है। इस आदमी की पहचान रिंकू शुक्ला के रूप में हुई है, यह उन्नाव जिला पंचायत का सदस्य है और सेंगर का करीबी माना जाता है। वीडियो के दूसरे हिस्से में मोटर साइकिल पर सवार एक युवक आता है, वह किसी से विधायक से मिलवाने की बात करता है। इस पर उससे कहा जाता है कि अभी बहुत सख्ती है, बाद में आना।

- इसी जेल में बंद है बलात्कार का आरोपी सेंगर
- उत्तर प्रदेश पुलिस ने दिया मामले की जांच का आदेश

रिंकू शुक्ला से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सेंगर से मिलने के लिए उसका इरादा पुलिसकर्मियों को घूस देने का नहीं था। उसने कहा कि यह मेरी आदत है कि जब मैं जेल मिलने जाता हूं तो उन्हें (पुलिसकर्मियों) चाय-पानी के लिए कुछ दे देता हूं, यह रिश्वत नहीं है। मैं दस-पंद्रह दिन पहले सेंगर से मिला था।

ऐक्सिस बैंक — **अचल सम्पत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस**

रिटेल एसेट्स सेंटर : प्रथम तल, जी-4/5, बी, सेक्टर-4, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ-226010
कारपोरेट आफिस : तृतीय तल, ब्लाक-बी, बान्दे काइना सिल्क कम्पाउण्ड, पाण्डुरंग बुधाकर मार्ग, वर्ली मुम्बई-400 025
रजिस्टर्ड आफिस : 'त्रिशूल', तृतीय तल, समराधेश्वर मंदिर के सामने, लॉ गार्डन, एलिसब्रिज, अहमदाबाद-380 006

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन तथा प्रतिभूति का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अधीन अचल संपत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना

आम लोगों को विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित है, का कब्जा प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **"जैसा है जहाँ है" और "जो कुछ भी है के आधार पर"** बेचा जाएगा श्री रजत कुलश्रेष्ठ (ऋणी) एवं श्रीमती शालिनी कुलश्रेष्ठ (सह-ऋणी), श्रीमती रिचा कुलश्रेष्ठ (सह-ऋणी) से प्रतिभूत लेनदार की **रुपये 1,97,69,454.00** देय दिनांक **30.01.2017** की बकाया राशि की वसूली हेतु **दिनांक 13.09.2019 को पूर्वाह्न 1100 बजे (निविदा प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 12.09.2019 को अपरान्ह 5:00 बजे तक)** को बेचा जायेगा। आरक्षित मूल्य **1,25,54,588/-** रुपये होगा और अग्रिम धनराशि 12,55,459/- रुपये होगी।

ऋणी संख्या	स्थान/ अचल सम्पत्ति का विवरण	सम्पत्ति पर बैंक की जानकारी में कोई भार
PHR0696001580742	स्थित फ्लाट नम्बर 78, पंचशील विहार, मौजा मौलाना, हरि पर्वत वार्ड, आगरा 282004, जोकि रजत कुलश्रेष्ठ के नाम, क्षेत्रफल-384.30 वर्ग मी0	नहीं

विक्रय के निबन्धन और शर्तों के ब्यौरे के लिए कृपया नीचे दिये गये वेबसाइट **https://www.axisbank.com/auction-notices/** पर क्लिक करें।

दिनांक : 03.08.2019, स्थान : लखनऊ
(प्राध0 अधिकारी), एक्सिस बैंक लि0

NIIT
एनआईआईटी लिमिटेड
पंजी. कार्या.: 8, बालाजी एस्टेट, प्रथम तल, गुरु रवि दास मार्ग, कालकाजी, नई दिल्ली 110019
फोन: 91 (11) 41675600; फैक्स: 91 (11) 41407120
CIN: L74899DL1981PLC015865
वेबसाइट: http://www.niit.com; ई-मेल: investor@niit.com

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीयन अनिवार्यताएँ एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमावली 2015 के विनियम 47 के साथ पठित विनियम 29 के अनुसार, अन्य बातों के साथ-साथ, 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के लिए कंसोलिडेटेड एवं स्टैण्डअलोन दोनों का अंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार और स्वीकृत करने हेतु कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक शनिवार, 10 अगस्त, 2019 को आयोजित की जाएगी।

यह जानकारी कंपनी की वेबसाइट अर्थात www.niit.com और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध है अर्थात बीएसई लिमिटेड (www.bseindia.com) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (www.nseindia.com) पर भी उपलब्ध है।

बोर्ड के आदेश से
कृते एनआईआईटी लिमिटेड
हस्ता./-
दीपक बंसल
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

स्थान: गुरुग्राम
दिनांक: 02 अगस्त, 2019

आन्ध्रा बैंक
Andhra Bank
Where India Banks
(A Govt. of India Undertaking)
16 विधान सभा मार्ग, बापू भवन के सामने, लखनऊ-226001,
फोन नं. 0522-2626668, 2992171

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के नियम 34 की धारा 13(2) के अन्तर्गत सूचना
मांग सूचना

क्र. सं.	ऋणी/जमानतकर्ता/प्रोपराइटर/बंधककर्ता/को-ओबलीगेंट का नाम व पता	अचल सम्पत्ति का विवरण	बकाया धनराशि मांग सूचना तिथि एनपीए की तिथि
1.	**उधारकर्ता: मैसर्स सादिक कोल्ड स्टोरेज एंड आइस फैक्ट्री, पार्टनर्स: क). श्री मोहम्मद शाहनवाज खान पुत्र स्व. मोह. इस्माइल खान, ख). श्री मोहम्मद शाह अली खान पुत्र स्व. मोह. इस्माइल खान, ग). रफत मिर्जा खान पत्नी श्री मोह. शाहनवाज खान 5/14 खिन्नी तल्ला, रायबरेली, उत्तर प्रदेश।** **जमानतकर्ता व बंधककर्ता : फरजाना तबस्सुम उर्फ रहमानी पत्नी स्वर्गीय मोहम्मद इस्माइल खान 595/14 खिन्नी तल्ला, रायबरेली** **जमानतकर्ता (ओं) : क). मोहम्मद शाह अली खान पुत्र स्वर्गीय इस्माइल खान ग. नं- 92/177 येदराज कॉम्प्लेक्स के पीछे, जीपी मार्गोल्ड, आरडीओ कम्पाउंड, अमीनाबाद पार्क ख). मोहम्मद शाहनवाज खान पुत्र स्वर्गीय मोहम्मद इस्माइल खान 49 खिन्नी तल्ला, रायबरेली ग). रफत मिर्जा खान पत्नी श्री मोहम्मद शाहनवाज खान 595/14 खिन्नी तल्ला रायबरेली**	क). सम्पत्ति बंधक प्लॉट नं 2413, क्षेत्रफल 0.240 हेक्टेयर और 351/405, प्लॉट नं 2422 में क्षेत्रफल 0.188 हेक्टेयर की हिस्सेदारी, (कुल क्षेत्रफल प्लॉट संख्या 2422 = 03.217 हेक्टेयर) कुल 2 बिघा क्षेत्रफल 0.428 हेक्टेयर स्थित ग्राम सालोन, परगना और तहसील: सालोन, जिला रायबरेली, **मैसर्स सादिक कोल्ड स्टोरेज एंड आईस फैक्ट्री** के नाम पर **चौहद्दी:- पूर्व:** श्याम लाल और मो. फहीम का खेत, **पश्चिम:** मोहम्मद फहीम के खेत और जीएस भूमि, **उत्तर:** रोड सलोन से जगतपुर, **दक्षिण:** राजेंद्र की भूमि आदि। ख). सम्पत्ति बंधक प्लॉट सं. 225 (एम), क्षेत्रफल 0.3190 हेक्टेयर = 1 बीघा, 6 बिस्वा और 5 बिस्वांसी = 3190 वर्ग मीटर स्थित ग्राम किशुनपुर राय, परगना, तहसील और जिला रायबरेली **श्रीमती फरजाना तबस्सुम उर्फ रहमानी पत्नी स्व. मोहम्मद इस्माइल** के नाम पर **चौहद्दी:- पूर्व:** विजेता का खेत, **पश्चिम:** रामलाल और जगतपाल और अन्य के खेत, **उत्तर:** रास्ता और फिर रेलवे लाइन, **दक्षिण:** कम्पनी का खेत।	रु. 2,15,97,471.20 02.07.2019 तक **मांग सूचना तिथि 02.07.2019** **एनपीए की तिथि 27.06.2019**
2.	**उधारकर्ता: सेवा डिस्टिलर, प्रोपराइटर श्री इमरान रजा** प्रथम तल, म.नं. 474/14 (ए), सीतापुर रोड, वार्ड कादम रसूल, लखनऊ (उ.प्र.) **को-ओबलीगेंट व बंधककर्ता: सैयद दाऊद रजा** 169/11 खगाली गंज, कैसरबाग, पो.ओ. अमीनाबाद, लखनऊ (उ.प्र.)	सम्पत्ति बंधक आवासीय भूमि व भवन स्थित मकान नं 280/83, प्लॉट सं. 4 पर निर्मित स्थित प्लॉट खसरा नं. मजरे सलीम, गर्ल्स सेवायान स्टेडियम, तहसील व जिला लखनऊ, क्षेत्रफल 4714 वर्ग फीट या 438.104 वर्ग मी. **सैयद दाऊद रजा** के नाम पर **चौहद्दी:- पूर्व:** रोड, **पश्चिम:** प्लॉट नं. 5, **उत्तर:** गली **दक्षिण:** फुटपाथ और रोड।	रु. 78,16,457.50 02.07.2019 तक **मांग सूचना तिथि 02.07.2019** **एनपीए की तिथि 05.06.2019**

आप सभी को एतद्द्वारा अनुहस्ताक्षरी सूचित करता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार आप द्वारा ऋण/सुविधा के सापेक्ष देय बकाया राशि का भुगतान न करने के कारण आपका खाता उपरोक्त दिनांक को एनपीए में वर्गीकृत हो गया है एवं आप सभी को समझौते के अनुसार देय राशि के साथ ही आगामी ब्याज एवं अन्य खर्चों को जमा करने हेतु उत्तरदायी है। आप सभी को 60 दिनों के भीतर अवलोकन ब्याज सहित बकाया भुगतान करने हेतु इस नोटिस के द्वारा कहा गया है, जिसमें असफल रहने पर बैंक सम्पत्ति के खिलाफ निम्नलिखित में एक या अधिक उपाय करने हेतु बाध्य होगा।

अतः बैंक सिक्योरिटाइजेशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एण्ड इन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट एक्ट (2002 के 54) के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए अदालत के हस्तक्षेप के बिना खाते के सापेक्ष उपरोक्त बन्धक/सुविधाकृत सम्पत्ति पर कब्जा लेने हेतु विवश हो जायेगा।

1. बैंक उधारकर्ता की सुरक्षित सम्पत्ति पर कब्जा लेना जिसमें सम्पत्ति की लीज, असाइनमेंट या बिक्री द्वारा हस्तान्तरण का अधिकार सम्मिलित होगा।
2. बैंक उधारकर्ता की सुरक्षित सम्पत्ति का पूरा प्रबन्धन लेनेगा जिसमें सम्पत्ति के सम्बन्ध में हस्तान्तरण बिक्री, पट्टे या बिक्री किसी अन्य माध्यम का अधिकार सम्मिलित होगा।
3. बैंक उधारकर्ता की सुरक्षित सम्पत्ति का पूरा प्रबन्धन करने हेतु एक व्यक्ति (जो प्रबन्धक होगा) को नियुक्त करेगा जो सम्पत्ति पर कब्जा करेगा।
4. नोटिस के द्वारा किसी भी समय आवश्यकता पड़ने पर, और जिससे इसके अतिरिक्त बैंक किसी भी व्यक्ति से डिमाण्ड कर सकता है जिसने उधारकर्ता की सुरक्षित सम्पत्ति का अधिकरण कर लिया हो, एवं जिससे बैंक किसी भी बैंक किसी भी वजह से बैंक के बकाया राशि के भुगतान करने का कारण बन सकता है।

कृपया इस सूचना के प्राप्ति होने के पश्चात बैंक को बिना कोई सूचना दिये आप सम्पत्ति के हस्तान्तरण बिक्री या पट्टे या बिक्री या किसी अन्य माध्यम से नहीं किया जा सकेगा। बिक्री आदि कार्यवाही के माध्यम से खर्च आदि का निर्धारण किया जायेगा एवं बिक्री प्रक्रिया के अन्तर्गत कोई धनराशि बकाया धनराशि से कम पायी गई तो सरफेसी एक्ट 2002 की धारा 54 के अनुसार बकाया धनराशि की वसूली हेतु संशोधन या अलग-अलग कानूनी कार्यवाही की जायेगी। यह नोट किया जा सकता है कि नियम के सेक्शन 13(8) के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी भी समय सूचना के प्रकाशन की तिथि, सार्वजनिक नीलामी, फोटोग्राम आमन्त्रण या निविदा लगाना, शुल्कों एवं खर्चों के साथ बैंक की देनदारी कर भुगतान कर ऋण मुक्ति का अधिकार आपके लिए उपलब्ध है।

इस सूचना को किसी अन्य कानून के तहत बैंक के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी की गई है।

दिनांक: 03.08.2019 स्थान: लखनऊ मुख्य प्रबंधक एवं प्राधिकृत अधिकारी, आन्ध्रा बैंक

किडनी घोटाले में सीबीआइ जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र से जवाब तलब

नई दिल्ली, 2 अगस्त (भाषा)।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार से उस याचिका को लेकर जवाब मांगा जिसमें विभिन्न राज्यों में बड़े कॉरपोरेट अस्पतालों से जुड़े वृहद और सुसंगठित किडनी प्रत्यारोपण घोटालों की शिकायतों की सीबीआइ या एसआइटी से जांच कराने का अनुरोध किया गया है।

न्यायमूर्ति एसए बोबड़े और न्यायमूर्ति बीआर गवई के पीठ ने 23 महीने के दिव्यांग बच्चे की याचिका पर कानून एवं न्याय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालयों को भी नोटिस जारी किया। बच्चे ने अपनी मां सपना जैन के जरिए न्यायालय में याचिका दायर की।

बच्चा वेस्ट सिंड्रोम से पीड़ित है, जिससे वह यहां एक निजी अस्पताल में अपने जन्म के समय सिर पर चोट लगने के कारण शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम हो गया है। शीर्ष न्यायालय ने जनहित याचिका पर हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली समेत राज्यों से भी जवाब मांगे हैं। याचिका में यह भी कहा गया है कि इसकी जांच की निगरानी एक या अधिक पूर्व न्यायाधीशों या वरिष्ठ अधिवक्ताओं की समिति करें।

जांच कॉरपोरेट अस्पतालों में व्यावसायीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति की वजह का पता लगाने और इस पर लगाम लगाने की सिफारिश करने वाली होनी चाहिए। याचिका में मीडिया में आई खबरों के हवाले से कहा गया है कि बड़ी संख्या में गरीब और कमजोर नागरिकों को किडनी बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा है। केंद्र और राज्यों ने इसे रोकने के लिए कोई एहतियातन कदम नहीं उठाए हैं। इसमें कहा गया है कि अन्य अपराधों के विपरीत अंगों की तस्करी किसी डॉक्टर और अस्पताल प्रशासन की भागीदारी के बिना संभव नहीं है।

JAGJANANI TEXTILES LIMITED
Regd. Office: SCOs 33 & 34 RIICO Shopping Complex, Bagru Ext. 1, Bagru, Jaipur-303007 (Rajasthan)
E-mail: jtscv@gmail.com
Phone: 0141-4104745
CIN: L17124RJ1997PLC013499

NOTICE

Pursuant to the requirements of listing with BSE, Notice is hereby given that meeting of Board of Directors of the Company is scheduled to be held on 10/08/2019, Saturday at 3.00 PM at above Regd. Office address to inter-alia consider and approve the unaudited financial results of the Company for the Quarter Ended 30/06/2019 and any other matter with the permission of Chair.

For **Jagjanani Textiles Limited**
Sd/-
Place: Jaipur — Ajay Sharma
Date: 02/08/2019 — Company Secretary

NEW LIGHT APPARELS LIMITED
Regd. Office: GC-24, 1st Floor, Shivaji Enclave, Raja Garden, New Delhi-110027
Landline: (91)-11-45613885
CIN: L74899DL1985PLC024016
Web: http://www.newlightapparels.com
E-Mail: newlight.apparels@gmail.com

NOTICE

In Compliance of Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, it is hereby informed that a meeting of Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Tuesday, 13th August, 2019 at 04.00 P.M. at the Registered Office of the Company at GC-24, 1st Floor, Shivaji Enclave, Raja Garden, New Delhi-110027, inter-alia to consider and approve the Unaudited Standalone Financial Results of the Company for the first quarter ended 30th June, 2019.

The notice shall also available on Company website at www.newlightapparels.com and also on stock exchange website at www.bseindia.com

By Order of the Board
For **NEW LIGHT APPARELS LIMITED**
Sd/-
Place: New Delhi — Shilpa Bansal
Date: 02.08.2019 — Compliance Officer

FORM A
PUBLIC ANNOUNCEMENT
(Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)

FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF M/s. IMMORTAL BUILDCON PRIVATE LIMITED

RELEVANT PARTICULARS		
1	Name of corporate debtor	IMMORTAL BUILDCON PRIVATE LIMITED
2	Date of incorporation of corporate debtor	01/03/2013
3	Authority under which corporate debtor is incorporated / registered	Registrar of Companies - Delhi
4	Corporate Identity No. / Limited Liability Identification No. of corporate debtor	U70101DL2013PTC254626
5	Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	Registered Office as per MCA Records: 1 Main Road Mangar Delhi North East Delhi, 110053.
6	Insolvency commencement date in respect of corporate debtor	31st July, 2019 (NCLT, Delhi Bench passed Order dated 24.07.2019 (I.B) No. 1152/ND/2019. Order received by Interim Resolution Professional on 31ST July, 2019 as uploaded
7	Estimated date of closure of insolvency resolution process	20th January, 2020 180 days from the date of admission of application
8	Name and registration number of the insolvency professional acting as interim resolution professional (IRP)	Mr. Ranjan Chakraborti, IBBI/IPA-002/IP-N00541/2017-2018/11618
9	Address and e-mail of the interim resolution professional, as registered with the Board	Flat No. 522, Sector -17D, Kosak Enclave, Vasundhara Ghaziabad 201012. Email: cirpimm@gmail.com
10	Address and e-mail to be used for correspondence with the interim resolution professional	Flat No. 522, Sector -17D, Kosak Enclave, Vasundhara Ghaziabad 201012. Email: cirpimmortal@gmail.com
11	Last date for submission of claims	13th August, 2019 i.e., 14 days from appointment date of CIRP i.e. order received on 31st July, 2019.
12	Classes of creditors, if any, under clause (b) of sub-section (6A) of section 21, ascertained by the interim resolution professional	Not applicable at present
13	Names of Insolvency Professionals identified to act as Authorised Representative of creditors in a class (Three names for each class)	Not Applicable at present
14	(a) Relevant Form and (b) Details of authorized representatives are available at:	(i) Weblink: www.ibbi.gov.in/home/downloads (ii) Physical Address: same as mentioned in point 10 and (iii) Email IRP at : cirpimmortal@gmail.com Not Applicable

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal has ordered the commencement of a Corporate Insolvency Resolution Process of the M/s. IMMORTAL BUILDCON PRIVATE LIMITED on July 24, 2019. The order received by Interim Resolution Professional on 31st July, 2019.

The creditors of M/s. IMMORTAL BUILDCON PRIVATE LIMITED are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 13th August 2019 to the Interim Resolution Professional at the address mentioned against entry No. 10.

The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit the claims with proof in person, by post or by electronic means.

A financial creditor belonging to a class, as listed against the entry No. 12, shall indicate its choice of authorised representative from among the three insolvency professionals listed against entry No. 13 to act as authorised representative of the class (None at present) in form CA.

Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

RANJAN CHAKRABORTI
(Interim Resolution Professional)
Regn. No.: IBBI/IPA-002/IP-N00541/2017-2018/11618

Place: Delhi NCR
Date: 02.08.2019

राजस्थान विधानसभा में गाय को लेकर हंगामा

जनसत्ता ब्यूरो
जयपुर, 2 अगस्त।

राजस्थान विधानसभा में शुक्रवार को गाय के मसले पर सियासत गरमा गई। इस दौरान भाजपा और कांग्रेस के सदस्यों के बीच जमकर तू-तू,मैं-मैं हुई। इस हंगामें में दोनों दलों के नेता एक दूसरे से उलझते रहे और आरोप प्रत्यारोप करते रहे।

बजट सत्र के दौरान विधानसभा में शुक्रवार को गाय को लेकर हंगामें के हालात बन गए। इससे कार्यवाही में बाधा पहुंची और सभापति ने दोनों दलों के विधायकों को संयम बरतने की सलाह दी। भाजपा विधायक मदन दिलावर और कांग्रेस के विधायक गिर्राज मलिंगा के बीच जमकर तू-तड़ाक हुई। प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ और संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल के बीच भी बहस हुई।

संसदीय कार्य मंत्री धारीवाल ने पिछले दिनों गाय को लेकर कुछ बयान दिए थे।

तेजस्वी ने की अपील

पटना, 2 अगस्त (भाषा)।

राजद नेता तेजस्वी यादव ने मतदाताओं से, 'हिंदू बनाम मुसलमान और फर्जी राष्ट्रवाद जैसे मुद्दों' से सतर्क रहने व दुष्प्रचार से प्रभावित हुए बिना सरकार चुनने की अपील की। नेता प्रतिपक्ष ने गुरुवार को फेसबुक पोस्ट में अपने विचार साझा किए। लोकसभा चुनावों में पार्टी का खाता भी नहीं खुल पाने के बाद से ही वह निराश चल रहे हैं।

पूर्वोत्तर रेलवे
कोटेशन सूचना

मण्डल रेल प्रबन्धक (वा०), पूर्वोत्तर रेलवे, लखनऊ द्वारा भारत के राष्ट्रपति की ओर से निम्न कार्य हेतु मुहरबन्द कोटेशन (सूचना सं.-17/2019 वाणिज्य) आमंत्रित की जाती है:- **क्रम सं०-1,** कार्य का विवरण: कलया-गोरखपुर मार्ग पर, महायोगी गोरखनाथ एक्सप्रेस, गोरखपुर के पास स्थित इलेक्ट्रिक लोको शेड की जमीन पर 10528.00 वर्ग मी. एरिया में संयुक्त पार्किंग (दो पहिया, तीन पहिया एवं चौपहिया वाहन) का ठेका कोटेशन के आधार पर 90 दिन हेतु। एरिया (वर्गमीटर में): 10528.00, प्रस्तावित राशि 90 दिन हेतु (रू.में): 12,96,000/- (जीएसटी सहित), धरोहर राशि (रू.में): 5,000/- ● निविदा फार्म बिक्री की तिथि एवं समय: 02-08-2019 से 13-08-2019 तक समय 10.00 बजे से 17.00 बजे तक (कार्यालय कार्य दिवस में)। ● कोटेशन डालने की तिथि एवं समय: 14-08-2019 को 10:00 बजे से 14:00 बजे तक (कार्यालय कार्य दिवस में)। ● कोटेशन खोलने की तिथि एवं समय: 14-08-2019 को 15:00 बजे। विस्तृत सूचना एवं कोटेशन प्रपत्र प्रारूप तथा नियम व शर्तों की सम्पूर्ण जानकारी वेबसाइट "www.ner.indianrailways.gov.in" पर उपलब्ध है तथा मण्डल रेल प्रबन्धक (वाणिज्य) कार्यालय, पूर्वोत्तर रेलवे, अशोक मार्ग लखनऊ से भी प्राप्त कर सकते है।

मण्डल रेल प्रबन्धक (वाणिज्य), लखनऊ
मुजाधि/वाणिज्य-74

बाकी सुविधा सम्बन्धित शिकायत हेतु मो० नं०: 08794845065 पर एसएमएस करें
ट्रेनों में ज्वलनशील पदार्थ लेकर यात्रा न करें।

LUMAX INDUSTRIES LIMITED
Regd. Office: 2nd Floor, Harbans Bhawan-II, Commercial Complex, Nangal Raya, New Delhi-110046
Website: www.lumaxworld.in/lumaxindustries, Tel. +91 11 49857832
Email: lumaxshare@lumaxmail.com, CIN: L74899DL1981PLC012804

LUMAX — DK JAIN GROUP

EXTRACT OF CONSOLIDATED UNAUDITED RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE 2019

(₹ in lakhs unless otherwise stated)

PARTICULARS	QUARTER ENDED 30 June 2019 (Un-audited)	YEAR ENDED 31 March 2019 (Audited)	QUARTER ENDED 30 June 2018 (Un-audited)
Total Revenue from operations	40,202.35	1,85,145.00	48,191.49
Net Profit / (Loss) from ordinary activities before tax (before exceptional items)	2,267.99	9,807.83	2,775.82
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional items)	2,267.99	13,428.10	2,775.82
Net Profit / (Loss) after tax	1,656.08	10,379.42	2,004.36
Total comprehensive income	1,574.39	10,169.37	1,937.22
Equity Share Capital	934.77	934.77	934.77
Earnings per share (of ₹ 10 each) (for continuing operations):			
Basic:	17.72	111.04	21.44
Diluted:	17.72	111.04	21.44

Notes:
1. Exceptional items represent gain amounting to ₹ 3,620.27 Lakhs on sale of land and building.
2. Based on the guiding principles given in Ind AS-108 on 'Operating Segments', the Company's business activity fall within a single operating segment. Accordingly, the disclosure requirements of Ind AS 108 are not applicable.
3. The Company has set up in-house Electronic facility at Manesar on 11 April 2019 for manufacture of PCBs (Printed Circuit Boards) with Surface Mounted Technology (SMT) for its captive consumption. This facility has been established pursuant to purchase of certain assets from Lumax Auto Technologies Limited at a consideration of ₹ 2,245.41 lakhs which has been accounted in accordance with IND AS 103, 'Business Combinations'.
4. With effect from 1 April 2019, the Company has adopted Ind AS 116, 'Leases' retrospectively with the cumulative effect of initially applying the standard, recognized as an adjustment to the opening balance of retained earnings as on the date of initial application (1 April 2019). Accordingly, the Company is not required to restate the comparative information for the year and quarter ended 31 March 2019 and quarter ended 30 June 2018.
   On 1 April 2019, the Company has recognised, a lease liability measured at the present value of the remaining lease payments discounted using the lessee's incremental borrowing rate as at 1 April 2019 and Right-of-Use (ROU) asset equal to the lease liability, adjusted by accrued lease payments recognised as at 31 March 2019. Also, the Company has elected not to apply the requirements of Ind AS 116 to short-term leases and leases for which the underlying asset is of low value. There is no material effect on adoption of Ind AS 116 on the Company's consolidated unaudited results.
5. Key information on Standalone Financial Results is as follows:

PARTICULARS	QUARTER ENDED 30 June 2019 (Un-audited)	YEAR ENDED 31 March 2019 (Audited)	QUARTER ENDED 30 June 2018 (Un-audited)
Total Revenue from operations	40,202.35	1,85,145.00	48,191.49
Profit before tax	1,957.41	13,908.22	2,452.64
Net Profit / (Loss) after tax	1,393.48	10,740.00	1,736.28

6. The above results for the quarter ended 30 June 2019 were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 2 August 2019. The unaudited results for the current quarter have been reviewed by the Statutory Auditor.
7. The above is an extract of the detailed format of the Financial Results for the quarter ended 30 June 2019, filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results for the quarter ended 30 June 2019, are available on the Stock Exchange websites of NSE (www.nseindia.com) and BSE (www.bseindia.com) or Company's website (www.lumaxworld.in/lumaxindustries).

For and on behalf of the Board of Directors
Deepak Jain
Chairman & Managing Director

Place: Gurugram
Date: 2 August 2019

IndiGo

इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड
सीआईएन: एल62100डीएल2004पीएलसी129768
पंजीकृत कार्यालय: सेन्ट्रल विंग, ग्राऊंड फ्लोर, थापर हाउस, 124, जनपथ, नई दिल्ली - 110 001, भारत
टेलीफोन: +91 11 96500 98905; फैक्स: +91 11 4351 3200
ई-मेल: investors@goindigo.in वेबसाइट: www.goindigo.in

सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि इन्टरग्लोब एविएशन लिमिटेड ("कम्पनी") की सोलहवीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") मंगलवार, 27

टी-20 शृंखला से क्रिकेट के मैदान पर लौटेगी टीम इंडिया

भारत और वेस्ट इंडीज में भिड़ंत आज

लॉडरहिल, 2 अगस्त (भाषा)।

तीसरा विश्व कप जीतने का सपना टूटने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम अब अगले साल होने वाले टी-20 विश्व कप की तैयारी शनिवार को वेस्ट इंडीज के खिलाफ तीन मैचों की शृंखला के उद्घाटन मैच के जरिए करेगी।

वेस्ट इंडीज दौरे पर रवानगी से पहले कप्तान विराट कोहली ने कहा था कि इन शृंखलाओं का मकसद नए खिलाड़ियों को परखना है जिनके नाम चयनकर्ताओं के जेहन में हैं।

कोहली को सीमित ओवरों के प्रारूप में आराम दिए जाने की संभावना थी लेकिन स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को छोड़कर पूरी मजबूत टीम चुनी गई है। बुमराह 22 अगस्त से शुरू हो रही टेस्ट शृंखला खेलेंगे। हरफनमौला हार्दिक पंड्या को पूरे दौरे से आराम दिया गया है। श्रेयस अय्यर और मनीष पांडे के लिए यह दौरा अहम होगा जिनका मकसद अपनी उपयोगिता साबित करना रहेगा। पांडे ने भारत के लिए आखिरी मैच नवंबर 2018 में और अय्यर ने फरवरी 2018 में खेला था। भारत के सामने चुनौती मध्यक्रम की समस्याओं से निजात पाने की भी होगी। पांडे और अय्यर दोनों वेस्ट इंडीज दौरे पर गई भारत ए टीम का हिस्सा थे और अच्छी पारियां खेल चुके हैं। स्पिन हरफनमौला वाशिंगटन सुंदर और तेज गेंदबाज खलील अहमद तथा दीपक चाहर भी टी-20 टीम में लौटे हैं। तेज गेंदबाज नवदीप सैनी और दीपक के भाई राहुल भी टीम में है। रोहित शर्मा और फिट होकर लौटे शिखर धवन पारी का आगाज करेंगे जबकि चौथे नंबर पर केएल राहुल का उतरना तय है। राहुल ने तीन साल पहले यहां 110 रन की नाबाद पारी खेली थी। विश्व कप में पांच शतक समेत सर्वाधिक रन बनाने वाले रोहित उस लय को कायम रखना चाहेंगे। कप्तान कोहली के साथ मतभेदों की खबरों के बीच उनका फोकस क्रिकेट पर रहेगा हालांकि कोहली इन खबरों का खंडन कर चुके हैं।

इस दौरे से ऋषभ पंत पर अधिक जिम्मेदारी होगी क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी के भविष्य को लेकर अनिश्चितताओं के बीच वह पहले विकेटकीपर के रूप में यहां आए हैं। दूसरी ओर टी-20 क्रिकेट की सबसे खतरनाक वेस्ट इंडीज टीम में कीरोन पोलार्ड और स्पिनर सुनील नारायण की वापसी हुई है। क्रिस गेल हालांकि वनडे शृंखला ही खेलेंगे। चोटिल आंद्रे रसेल की जगह अब जेसन मोहम्मद को शामिल किया गया है।

कोच फ्लायड रीफर ने कहा, यह युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का अच्छा मिश्रण है। यह काफी रोमांचक मैच होंगे और दर्शकों को पूरा मनोरंजन मिलेगा।

अभ्यास सत्र के दौरान भारतीय क्रिकेट टीम।

टीमें

भारत : विराट कोहली (कप्तान), रोहित शर्मा, शिखर धवन, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, मनीष पांडे, ऋषभ पंत, क्रुणाल पंड्या, रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, राहुल चाहर, भुवनेश्वर कुमार, खलील अहमद, दीपक चाहर, नवदीप सैनी।

वेस्ट इंडीज : कार्लोस ब्रेथवेट (कप्तान), जॉन कैंपबेल, एविन लुईस, शिमरोन हेटमायेर, निकोलस पूरन, कीरोन पोलार्ड, रोवमैन पावेल, कीमो पाल, सुनील नरेन, शेल्डन कोटरेल, ओशेन थॉमस, एंथोनी ब्रेंबल, जेसन मोहम्मद, खारी पियरे।

एशेज टैस्ट : बर्न्स ने बढ़ाया आस्ट्रेलिया का सरदर्द

बर्मिंघम, 2 अगस्त (एएफपी)।

सलामी बल्लेबाज रोरी बर्न्स ने एक छोर संभाले रखाकर इंग्लैंड को आस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले एशेज टैस्ट क्रिकेट मैच के दूसरे दिन चाय के विश्राम तक शुक्रवार को यहां दो विकेट पर 170 रन तक पहुंचाया।

आस्ट्रेलिया ने स्टीवन स्मिथ की 144 रन की लाजवाब पारी की मदद से अपनी पहली पारी में 284 रन बनाए थे और इस तरह से इंग्लैंड अभी उससे 114 रन पीछे है। चाय के विश्राम के समय बर्न्स 82 और जो डेनली नौ रन पर खेल रहे थे। कप्तान जो रूट दूसरे सत्र में आउट होने वाले एकमात्र बल्लेबाज थे। उन्होंने 57 रन बनाए। बर्न्स और रूट ने दूसरे विकेट के लिए 132 रन की साझेदारी की।

इंग्लैंड की टीम पिछले सप्ताह आयरलैंड के खिलाफ लार्ड्स में 85 रन पर सिमटने वाली टीम के लिए अभी तक स्थिति अच्छी कही जा सकती है। उसने सुबह के सत्र में भी केवल एक विकेट जैसन रॉय (10) का गंवाया।

इंग्लैंड ने सुबह बिना किसी नुकसान के दस रन से आगे खेलना शुरू किया। अपना दूसरा टैस्ट मैच खेल रहे रॉय किसी भी समय आस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाजों के सामने सहज नहीं दिखे और जेम्स पैटिनसन की गेंद पर स्लिप में स्मिथ को कैच दे बैठे। इससे स्कोर एक विकेट पर 22 रन हो गया। रूट नंबर चार की बजाय नंबर तीन पर उतरे। भाग्य भी उनके साथ था। जब वह नौ रन पर थे तब उन्हें विकेट के पीछे कैच आउट दिया गया लेकिन उन्होंने डीआरएस का सहारा लिया। रीप्ले से पता चला कि गेंद उनके बल्ले से नहीं बल्कि स्टंप से लगी थी लेकिन गिल्ली नहीं गिरी थी।

स्मिथ के पिता ने शतक को सर्वश्रेष्ठ बताया

मेलबर्न, 2 अगस्त (भाषा)।

आस्ट्रेलियाई क्रिकेटर स्टीवन स्मिथ के पिता पीटर स्मिथ का कहना है कि गेंद से छेड़छाड़ के कारण एक साल का प्रतिबंध झेलने के बाद उनके बेटे ने भावनाओं को सकारात्मक रूप देते हुए एशेज में मुश्किल परिस्थितियों में शतक जड़कर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। पूर्व कप्तान स्मिथ ने 219 गेंद में 144 रन की पारी खेलकर आस्ट्रेलिया को इंग्लैंड के खिलाफ पहले एशेज टैस्ट के शुरुआती दिन मुश्किल से बाहर निकाला।

पीटर ने 'द टेलीग्राफ' से कहा कि यह देखते हुए कि पिछले एक वर्ष में क्या हुआ, यह शतक काफी अहम है। वह काफी दबाव में खेला क्योंकि दूसरे छोर पर विकेट गिरते रहे। यह शायद इसलिए काफी अहम है।

नीरज ने विश्व चैंपियन को हराकर फाइनल में प्रवेश किया

नई दिल्ली, 2 अगस्त (भाषा)।

- नीरज ने 57 किग्रा में मेसियानो पर 3-2 की जीत से खुद के लिए कम से रजत पदक पक्का कर लिया
- गौरव ने 56 किग्रा वर्ग में रूस के मैक्सिम चेरनीशेव को 3-2 से पराजित कर अंतिम चार में प्रवेश किया।

मौजूदा इंडिया ओपन स्वर्ण पदक विजेता नीरज ने शुक्रवार को 2016 विश्व चैंपियन एलेसिया मेसियानो को शिकस्त देकर उलटफेर करते हुए रूस के कासपियस्क में खेले जा रहे मागोमेद सलाम उमाखानोव स्मृति अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट के फाइनल में प्रवेश किया।

स्ट्रैंद्जा मेमोरियल के कांस्य पदकधारी नीरज ने 57 किग्रा में मेसियानो पर 3-2 की जीत से खुद के लिए कम से रजत पदक पक्का कर लिया। दोनों मुक्केबाजों के बीच मुकाबला करीबी रहा लेकिन अंतिम राउंड में भारतीय मुक्केबाज के लगातार मुक्कों ने जीत हासिल करने में मदद की। इससे पहले राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदकधारी गौरव सोलंकी और 2019 इंडिया ओपन के रजत पदक विजेता गोविंद साहनी ने सेमी फाइनल में पहुंचकर दो और पदक पक्के किए। इस साल इंडिया ओपन के कांस्य पदकधारी गौरव ने गुरुवार को 56 किग्रा वर्ग में रूस के मैक्सिम चेरनीशेव को 3-2 से पराजित कर अंतिम चार में प्रवेश किया। रूसी प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ गौरव शुरू में सतर्क होकर खेले लेकिन बाद में उन्होंने आक्रामक होकर लगातार मुक्के जड़कर जीत हासिल की। इसी वर्ष गी बी मुक्केबाजी प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने वाले गोविंद ने 49 किग्रा वर्ग में ताजिकिस्तान के शेरमुखाम्मद रूस्तामोव को पस्त कर दिया, जिसे रैफरी ने रोककर भारतीय मुक्केबाज को विजेता घोषित किया। यह टूर्नामेंट की पहली आरएससी जीत थी। गोविंद ने शुरू से ही दबदबा बनाया और पूरे मैच के दौरान आक्रामकता से खेलते रहे जिससे रैफरी ने विपक्षी मुक्केबाज को देखते हुए तीसरे दौर में मुकाबले को रोकना पड़ा। हालांकि आशीष इंशा 52 किग्रा वर्ग के क्वार्टरफाइनल में रूस के इस्लामितदिन अलीसोलतानोव से 1-4 से हार गए। पिछले साल इंडिया ओपन के स्वर्ण पदकधारी संजीत को मैच के पहले दौर में माथे पर चोट के कारण हटना पड़ा जिससे रूसी प्रतिद्वंद्वी डेनियल लुटाई अगले दौर में पहुंच गए।

वेस्ट इंडीज ए ने तीसरे दिन लंच तक बढ़त 235 रन पर पहुंचाई

पोर्ट आफ स्पेन, 2 अगस्त (भाषा)।

- दूसरा अनधिकृत टैस्ट : कैरेबियाई टीम ने अपनी पहली पारी में 318 रन बनाए थे जिसके जवाब में 190 रन पर आउट हो गई थी भारत 'ए' की टीम

भारत 'ए' के तेज गेंदबाज संदीप वारियर और स्पिनर कृष्णप्पा गौतम दोनों ने मिलकर पांच विकेट लिए लेकिन इसके बावजूद वेस्ट इंडीज 'ए' दूसरे अनधिकृत टैस्ट क्रिकेट मैच के तीसरे दिन शुक्रवार को यहां अपनी बढ़त 235 रन तक पहुंचाने में सफल रहा।

वेस्ट इंडीज 'ए' ने दिन की शुरुआत चार विकेट पर 12 रन से की लेकिन सुनील अंबरीश (नाबाद 48) और जेरेमाइन ब्लैकवुड (30) की पारियों से उसने लंच तक सात विकेट पर 107 रन बना लिए थे।

कैरेबियाई टीम ने अपनी पहली पारी में 318 रन बनाए थे जिसके जवाब में भारत 'ए' की टीम 190 रन पर आउट हो गई थी। इस तरह से अब वेस्ट इंडीज ए की कुल बढ़त 235 रन हो गई है। शिवम दुबे ने ब्लैकवुड को आउट करके अंबरीश के साथ उनकी साझेदारी तोड़ी। इसके बाद गौतम ने शेन डोरिच (पांच) और रेमन रीफर (शून्य) को आउट किया। लंच के समय अंबरीश के साथ रकीम कार्नवाल छह रन पर खेल रहे थे। इससे पहले गुरुवार को दुबे ने भारत ए को शुरुआती संकट से निकाला जबकि तेज गेंदबाज संदीप वारियर ने तीन विकेट लेकर भारत को वापसी दिलाई। दुबे ने 85 गेंद में 79 रन बनाए और सलामी बल्लेबाज प्रियांक पांचाल (125 गेंद में 58 रन) के साथ छठे विकेट के लिए 124 रन जोड़े। इससे पहले भारत ने पांच विकेट 20 रन पर गंवा दिए थे। तेज गेंदबाज चेमार होल्डर ने मेजबान के लिए 12.5 ओवर में 54 रन देकर पांच विकेट लिए।

सात साल बाद पुरुष पैदल टीम को मिला कांस्य

नई दिल्ली, 2 अगस्त (भाषा)।

भारत सात साल पहले रूस में आयोजित आइएएएफ विश्व पैदल चाल कप में तीसरे स्थान पर आने से चूक गया था। लेकिन, दूसरे स्थान पर रही यूक्रेनी टीम के एक सदस्य के डोपिंग में पकड़े जाने के कारण अयोग्य घोषित होने के बाद अब उसे कांस्य पदक मिला है।

केटी इरफान, बाबूभाई पानुचा और सुरिदंर सिंह की भारतीय टीम मई 2012 में सरांस्क में खेली गई प्रतियोगिता की 20 किमी पैदल चाल में चीन, यूक्रेन और आस्ट्रेलिया के बाद चौथे स्थान पर रही थी।

हालांकि यूक्रेन के एथलीट रसलान दिमित्रेंको को डोपिंग उल्लंघन के कारण सात साल बाद अयोग्य घोषित कर दिया गया जिसके कारण भारतीय टीम कांस्य पदक हासिल करने में सफल रही।

बीस किमी पैदल चाल में व्यक्तिगत स्पर्धा में तीन सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से टीम रैंकिंग तय की जाती है और भारत को तब 68 अंक मिले थे और वह चौथे स्थान पर था। दिमित्रेंको का परिणाम निकाल देने के बाद भारत और यूक्रेन के समान अंक हो गए। लेकिन भारत का तीसरे और आखिरी खिलाड़ी का प्रदर्शन बेहतर (भारत का 29 और यूक्रेन का 51वें नंबर पर रहा था) रहा जिसके कारण अंक बराबर होने पर भी भारत को कांस्य पदक मिला।

थाईलैंड ओपन : रंकीरेड्डी-शेट्टी सेमी फाइनल में, साई प्रणीत बाहर

बैंकाक, 2 अगस्त (भाषा)।

भारत के सत्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की पुरुष युगल जोड़ी ने शुक्रवार को यहां थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमी फाइनल में जगह पक्की की लेकिन बी साई प्रणीत के हारने से एकल वर्ग में चुनौती समाप्त हो गई।

रंकीरेड्डी और शेट्टी ने क्वार्टर फाइनल में कोरिया के चोई सोलग्यू और सियो सेयूंग जाए की क्वालीफायर जोड़ी को शिकस्त दी तो वहीं प्रणीत जापान के कांता सुनेयामा से हार गए। प्रणीत ने क्वार्टर फाइनल के पहले गेम में सुनेयामा को चुनौती दी लेकिन दूसरे गेम में वह सातवीं वरीयता प्राप्त खिलाड़ी का डटकर सामना नहीं कर सके और 18-21, 12-21 से हार गए।

प्रणीत की हार से एकल में भारतीय चुनौती समाप्त हो गई। पुरुष युगल में गैर वरीयता प्राप्त भारतीय जोड़ी ने शुक्रवार को यहां एक घंटे तक चले मुकाबले को 21-17, 17-21, 21-19 से अपने नाम किया। कोरियाई जोड़ी के खिलाफ रंकीरेड्डी और शेट्टी की यह पहली जीत है।

शामिया से 20 अगस्त को निकाह कर रहा हूं : हसन

कराची, 2 अगस्त (भाषा)।

भारतीय मूल की युवती से शादी को लेकर चल रही अटकलबाजियों को खत्म करते हुए पाकिस्तानी तेज गेंदबाज हसन अली ने शुक्रवार को कहा कि वह 20 अगस्त को दुबई में शामिया आरजू से निकाह कर रहे हैं।

दुबई में बसी शामिया एमिरेट्स एयरलाइंस में फ्लाइट इंजीनियर हैं जबकि उनके परिवार के सदस्य नई दिल्ली में रहते हैं। हसन ने अपने गृहनगर गुजरानवाला में प्रेस कांफ्रेंस में कहा, हमारे परिवार सादा समारोह कराना चाहते थे लेकिन अब मीडिया में इसकी खबरें आ गई हैं तो मैंने इसे आधिकारिक करने का फैसला किया ताकि मेरी शादी को लेकर कोई अटकलबाजी नहीं हो। शामिया शादी के बाद गुजरानवाला में ही बस जाएंगी। उन्होंने कहा, हमारा निकाह 20 अगस्त को तय हुआ है जबकि रूखसती तीन महीने बाद होगी और शादी के बाद हमारी योजना गुजरानवाला में ही रहने की है। शामिया ने मानव रचना विश्वविद्यालय से एयरोनाटिक्स की डिग्री ली है और उन्होंने इंग्लैंड में भी पढ़ाई की है। हसन ने कहा, मैं काले और लाल रंग का शेरवानी सूट पहनूंगा जबकि वह भारतीय परिधान पहनेंगी। हसन ने कहा कि वह एक साल पहले दुबई में शामिया से मिले थे और उस मुलाकात के बाद उनकी मित्रता गहरी होती गई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अपनी पसंद का इजहार पहले किया और उन्हें प्रस्ताव दिया जिसके बाद हमारे परिवारों ने जिम्मेदारी ली। हसन पाकिस्तान के चौथे क्रिकेटर हैं जो भारतीय बाला से परिणय सूत्र में बंधेंगे। उनसे पहले जहीर अब्बास, मोहसिन खान और शोएब मलिक भी भारतीय मूल की लड़की से शादी कर चुके हैं। मलिक ने भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा से अप्रैल 2010 में निकाह किया था जिनका एक बेटा है। पूर्व कप्तान जहीर अब्बास भारतीय लड़की से शादी करने वाले पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी थे।

एएआइ की सुनवाई फिर टली, निलंबन का खतरा गहराया

कोलकाता, 2 अगस्त (भाषा)।

दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय तीरंदाजी संघ (एएआइ) के दो गुटों के अलग-अलग चुनावों पर सुनवाई शुक्रवार को एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दी।

सुनवाई स्थगित होने का मतलब है कि राष्ट्रीय महासंघ का भाग्य अब विश्व तीरंदाजी के हाथों में निर्भर हो गया है। न्यायमूर्ति एस मुरलीधर और नजमी वजीरी की दिल्ली हाई कोर्ट की विशेष पीठ ने जनहित याचिका पर 27 जुलाई को सुनवाई की तिथि दो अगस्त तय की थी। विश्व संस्था ने एएआइ को 31 जुलाई तक अपनी व्यवस्था सुधारने का समय दिया था। स्विस राष्ट्रीय दिवस के कारण उसका कार्यालय अभी बंद है और सोमवार को निलंबन का फैसला सुना सकता है। विश्व तीरंदाजी के एक अधिकारी ने लुसाने से एजंसी से कहा, कार्यालय अभी बंद है इसलिए फैसला सोमवार या उसके बाद किया जाएगा।

इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड

सूचना

सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के नियमन 47 के अनुसरण में, एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक, अन्य विषयों के साथ 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार और अनुमोदित करने के लिए 14 अगस्त, 2019 को आयोजित की जाएगी।

कंपनी की ट्रेडिंग विंडो पहले ही यानि 01 जुलाई, 2019 से बंद कर दी गई है जोकि 14 अगस्त, 2019 को अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम सार्वजनिक होने के 48 घंटे बाद तक बंद रहेगी।

दिनांक : 02.08.2019 हस्ता/-
स्थान : नई दिल्ली एस. के. जैन (कम्पनी सचिव)

मुझे प्रेरित करते हैं रोनाल्डो : कोहली

ज्यूरिख, 2 अगस्त (भाषा)।

फुटबॉल के मुरीद भारतीय क्रिकेट कप्तान विराट कोहली ने कहा है कि वह पुर्तगाली स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो से प्रेरणा लेते हैं। रोनाल्डो ने अपने बेमिसाल अनुशासन से अर्जेंटीना के लियोनल मेस्सी की तुलना में अधिक चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया है। रोनाल्डो और कोहली दोनों ने फिटनेस के मामले में नए मानदंड कायम किए हैं।

वेस्ट इंडीज के खिलाफ टी-20 शृंखला खेलने फ्लोरिडा पहुंचे कोहली ने 'फीफा डॉट कॉम' से कहा कि मेरे लिए क्रिस्टियानो सबसे ऊपर हैं। उनकी प्रतिबद्धता और अनुशासन लाजवाब है। आप हर मैच में देख सकते हैं। मैं हर उस क्लब का समर्थन करता हूं, जिसके लिए वह खेलते हैं। वह मुझे प्रेरित करते हैं। मेस्सी बनाम रोनाल्डो की कभी खत्म नहीं होने वाली बहस में शामिल होते हुए कोहली ने कहा कि बार्सीलोना के स्टार स्ट्राइकर मेस्सी की तुलना में रोनाल्डो का करिअर ग्राफ बेहतर रहा है।

उन्होंने कहा कि मेरे हिसाब से रोनाल्डो ने अधिक चुनौतियों का सामना किया है और उनमें सफल रहे हैं। वह अधिक मुकम्मिल खिलाड़ी हैं और लोगों को प्रेरित करते हैं। बहुत लोग ऐसा नहीं कर पाते। वह कप्तान भी हैं और मैं इस बात का कायल हूं। उसका आत्मविश्वास गजब का है। भारतीय कप्तान ने कहा कि बचपन में वह ब्राजील के रोनाल्डो, रोनाल्डिन्हो, जर्मन गोलकीपर ओलिवर कान, मेस्सी, क्रोएशिया के लुका मोडरिच और स्पेन के आंद्रियास इनिएस्ता और जावी के प्रशंसक थे। कोहली की पसंदीदा फुटबॉल यादों में 1998 और 2002 विश्व कप हैं। उन्होंने कहा कि ब्राजील को इन दोनों टूर्नामेंटों में देखना अद्भुत था। रोनाल्डो के कौशल से मैं दंग रह गया। वह महानतम खिलाड़ियों में से हैं। भारतीय फुटबॉल कप्तान सुनील छेत्री की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि भारत विश्व कप के लिए क्वालीफाई करेगा।

SOMANY ZAMEEN SE JUDEY

EXTRACT OF STATEMENT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30.06.2019

(Rs. In Lakhs)

Particulars	STANDALONE			CONSOLIDATED		
	Quarter Ended		Year Ended	Quarter ended		Year Ended
	30.06.2019	30.06.2018	31.03.2019	30.06.2019	30.06.2018	31.03.2019
	Unaudited	Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited	Audited
Revenue from operations						
a) Gross sales	38,245	36,015	1,68,513	39,273	37,998	1,70,833
b) Other operating income	330	202	1,042	278	74	672
Total income from operations	38,715	36,217	1,69,555	39,551	38,072	1,71,505
Net Profit for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	1,382	1,305	7,928	1,136	1,355	8,296
Net Profit for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	1,382	1,305	7,187	1,136	1,355	8,012
Net Profit for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	874	838	4,632	714	870	5,328
Total Comprehensive Income for the period [Comprehensive profit/(loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	874	838	4,612	714	870	5,308
Equity Share Capital	848	848	848	848	848	848
Other Equity			58,338			60,453
Earning per share Basic and Diluted (Face Value of Rs. 2/- each) - in Rs. (not annualised)	2.06	1.98	10.93	1.75	2.01	10.93

Notes:

1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on Company's website (http://www.somanyceramics.com) and the Stock Exchange websites of BSE (http://bseindia.com) and NSE (http://nseindia.com).
2. These financial results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 and other recognised accounting practices and policies to the extent applicable.

Date : 02.08.2019
Place : New Delhi

For Somany Ceramics Limited
Shreekant Somany
Chairman & Managing Director
DIN 00021423

Somany Ceramics Limited
Regd. Office: 2, Red Cross Place, Kolkata, West Bengal - 700001 Website: www.somanyceramics.com CIN: L40200WB1968PLC224116

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 36, अंक 258, *हवाई शुल्क :* इंफल-पांच रुपए, गुवाहाटी-चार रुपए, रायपुर-दो रुपए और पटना-एक रुपए।
दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोन: (0120) 2470700/2470740, ई-मेल: edit.jansatta@expressindia.com, फैक्स: (0120) 2470753, 2470754, **बोर्ड अध्यक्ष: विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादक: मुकेश भारद्वाज***, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार। कापीराइट: दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।